राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 8

गुरुवार,

06 फरवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 67, डा. फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर की स्वीकृत सड़कें

67. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वर्ष 2003 से 2008 एवं 2009 से 2013 तक कौन-कौनसी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत की गई एवं उक्त सड़कों की लम्बाई एवं इस हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत कार्य सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ही किया जाता है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नियम निर्धारित किए हुए हैं और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर सरकार द्वारा ऐसे ठेकेदार के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जाती है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वर्ष 2003 से 2008 एवं 2009 से 2013 तक स्वीकृत सड़कों की लम्बाई एवं राशि सहित विवरण परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर अनुबंधानुसार मरम्मत कार्य सम्बन्धित संवेदक द्वारा किया जाता है।

उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(श्री युनुस खान)

क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सम्बन्धित संवेदक द्वारा नहीं किए जाने पर अनुबंधानुसार संवेदक की सुरक्षा राशि (बैंक गारंटी) जब्त कर संवेदक के हर्जे-खर्चे पर विभाग द्वारा कार्य करवाया जाता है एवं पंजीयन नियमों के तहत संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर दो प्रमुख सड़कें हैं, गारंटी पीरियड में है लेकिन उनकी रिपेयर नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये दोनों सड़कें गारंटी पीरियड में होते हुए कब तक रिपेयर हो जाएंगी, क्वेश्चन नम्बर-एक?

कुछ व्यवधानों के कारण से ये स्वीकृत सड़कें नहीं बन पाई हैं, व्यवधान को ठीक करके कब तक उनको पूरा किया जाएगा? जैसे धार्मिक सड़क है- जाजैकला से खादरसा बाबा। ये दो मेरे पूरक प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने गारंटी पीरियड में दो सड़कों का जिक्र किया है। दोनों सड़कों के बारे में आप मुझे बता देंगे तो उनको नियमानुसार और जल्दी ही पूरा करवा दिया जाएगा, नम्बर एक।

नम्बर-दो, एक धार्मिक सड़क का आपने जिक्र किया है, उसका डिले है तो मैं आपसे ले लूंगा, उसको तुरन्त ही शुरू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: और कोई प्रश्न हो तो, माननीय सदस्य?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): गारंटी पीरियड का पूछ लिया। ठीक है।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैं ले रहा हूं आपका। आगे ले रहा हूं। ले रहा हूं।

जयपुर जिले में मूंग के बीजों के वितरण में अनियमितता

69. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किन-किन फसलों के बीज, कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को गत तीन वर्षों में प्रदेश के किसानों को कम गुणवत्ता एवं वज़न में कम बीज उपलब्ध करवाने सम्बन्धी अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर किन-किन बीजों के वितरण में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार को जयपुर जिले में मूंग के बीजों के वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों की? और, सरकार द्वारा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- आइसोपोम, आरएडीपी, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, इन्सिम्प, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के तहत मिनीकिट/प्रदर्शन आयोजन हेतु बीज उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदर्शन/मिनीकिट हेतु बीज की मात्रा योजना के दिशा-निर्देशानुसार विभिन्न फसलों (दलहनी, तिलहनी, खाद्यान्न व चारा) हेतु अलग-अलग होती है। वर्ष 2013-14 में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रदर्शन/मिनीकिट आयोजन हेतु आपूर्तित बीज का विवरण परिशिष्ट-1 (पृष्ठ 1 से 2) पर एवं दरों का विवरण परिशिष्ट-2 (पृष्ठ 1 से 4) पर संलग्न है।

उक्त के अलावा कृषि विभाग द्वारा किसानों को सामान्य बुआई हेतु सीधे बीज उपलब्ध नहीं करवाया जाता बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीज आपूर्ति संस्थाओं द्वारा उनके डीलर नैटवर्क के माध्यम से बीज उपलब्ध करवाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीज आपूर्ति संस्थाओं के माध्यम से आइसोपोम, एनएफएसएम एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत योजना प्रावधान अनुसार अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज संस्थाओं के डीलर नैटवर्क से उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज वितरण पर देय अनुदान का योजनावार विवरण परिशिष्ट-3 (पृष्ठ-1) पर संलग्न है। संस्थावार फसलों की विभिन्न किस्मों की दरें अलग-अलग होती हैं जिनका निर्धारण सम्बन्धित बीज संस्था द्वारा उनकी नीति अनुसार किया जाता है। संस्थाओं द्वारा निर्धारित बीज दर में से योजना प्रावधान अनुसार अनुदान राशि घटाकर कृषकों को अनुदानित दर पर उनके डीलर नैटवर्क के माध्यम से बीज विक्रय किया जाता है।

(2) जी हां। गत तीन वर्षों में राज्य के किसानों को कम गुणवत्ता एवं

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कम वज़न का बीज वितरण के सम्बन्ध में राज्य में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-4 (पृष्ठ 1 से 3) एवं राजस्थान राज्य बीज निगम से प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-5 (पृष्ठ 1 से 5) पर संलग्न है।

(3) जी हां। जयपुर जिले में शाहपुरा सहायक निदेशक के क्षेत्र में जी.एस.एस. छारसा, मनोहरपुर, घासीपुरा के क्षेत्र में मूंग बीज में कम तौल की दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी प्रारम्भिक जांच के उपरांत अवितरित उपलब्ध बीज को सही मात्रा के बीज की थैलियों से बदल दिया गया। उत्तरदायी कार्मिक श्री दलसिंह गरासिया, संयंत्र प्रबंधक, बांसवाड़ा के विरुद्ध पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए 17 सी.सी.ए. में आरोप पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मूल प्रश्न में मैंने दो विषयों का जिक्र किया था और मंत्रीजी ने दोनों विषयों पर सहमति प्रकट की कि हां, बीज का वितरण हुआ और बीज के वितरण में जब उसको तौला गया तो बीज कम मात्रा में पाया गया। जब बीज कम मात्रा में पाया गया तो स्वत: ही मेट्रोलोजी एक्ट, 2009 लागू हो जाता है। मेट्रोलोजी एक्ट, 2009 में पैकेज कमाडिटी के सम्बन्ध में है। मेट्रोलोजी, 2009 को 2010 में एक्ट का स्वरूप प्रदान कर दिया गया। इसका अगर सैक्शन 18 का सब सैक्शन-1 देखें और उसके साथ में सैक्शन-36 का सब सैक्शन 1 और 2 देखें तो पैनल्टी भी उसके साथ में है।

जब आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भिन्न-भिन्न प्रकार के बीजों को जब आपने तौला, चाहे आपने मूंगफली का बीज तौला हो तो उसमें मात्रा कम आई, चाहे आपने मूंग का बीज तौला हो तो मात्रा कम आई, तो सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं ने और जिस विभाग ने या जिस निगम ने ये बीज जहां से खरीदे, क्या उनकी इंवेंटरी के अन्दर आपने पहले करैक्शन करवाया? मैं एक मूंगफली का जी.जी.-20 का ही उदाहरण देता हूं। 22 हजार क्विंटल बीज खरीदा गया था, 22 हजार क्विंटल में अगर औसतन 15 परसेंट से 20 परसेंट कम तौल में आ रहा है तो इंवेंटरी के स्टाक में आपने करैक्शन किया या नहीं किया? अगर कर भी दिया तो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उससे जो अपराध हुआ वह कम नहीं हो जाता। तो, मेट्रोलोजी एक्ट के सैक्शन 18 का सब सैक्शन-1 और 37 के पैनल्टी के क्लाज में आपने क्या किया?

दूसरा मैंने गुणवत्ता की बात की तो आपने स्वीकार किया कि हां, गुणवत्ता की भी शिकायत आई है। अब गुणवत्ता की शिकायत और बीज के तौल के बीच में एक प्रश्न और है। यह बीज अनुदानित है, यानी जब कृषक को मिलता है तो सब्सिडाइज रेट पर मिलता है लेकिन खरीदा जाता है तो मूल रेट पर खरीदा जाता है। आप इनके परिशिष्ट देखिए, साढ़े सात हजार क्विंटल का बीज आप खरीद रहे हैं और 10 परसेंट से 15 परसेंट तो उसमें तौल में कम है। और जब इनके जर्मिनेशन की बात आती है, जब इनके अंकुरण की बात आए तो इनकी फसल एक के बाद एक फेल हो रही है। अगर मूंगफली के जी.-20 की बात करें तो सारी शिकायतों के अन्दर जी.-20 का तो अंकुरण हो ही नहीं रहा।

अब दो बातें ये हैं कि किसको दिए जाते हैं ये बीज? अनुदानित बीज छोटे काश्तकार को, लघु और सीमांत काश्तकार को, अनुसूचित जाति और जनजाति के काश्तकार को, ट्राइबल सब प्लान के काश्तकार को। पिछले पांच साल में तीन ऐसे उदाहरण तो मैंने पेश कर दिये- 2009-10 में पेश किया मूंगफली का, 2013-14 में यह आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं मूंग का और, इसके अलावा इसके अन्दर जो उर्वरक होते हैं उसके भी मैंने कई आंकड़े दे दिये। जहां डी.ए.पी. के खाद का कट्टा 50 किलो की जगह पर 45 किलो ही निकल रहा है, इतनी बड़ी अगर खामियां हैं तो मैं यह चाहता हूं कि एक तो बात आप यह करें।

दूसरा, मंत्री महोदय, आप खुद इस बात में सचेत हैं, आप आखिर जर्मिनेशन का टैस्ट किस साइंटिफिक प्रणाली से करते हैं? आपके पास में दो तरीके के बीज होते हैं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। जवाब आने दीजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, यह साथ ही आ जाएगा। बीज के किस्म भी दो हैं। एक वैरायटी है जिसको हम वैरायटी बीज कहते हैं, दूसरा हाई ब्रीड है और मेरे हिसाब से ये दोनों ही बीज इस कैटेगरी में नहीं आते। मूंगफली वाला तो वह है जो ग्राउंडनट की कैटेगरी में आता है, जो आप और हम मूंगफली खाते हैं वह जर्मिनेट नहीं हो सकती। मेरा यह आरोप है कि

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पिछले समय जब भी यह बीज खरीदा गया, आपने वह बीज खरीदा जिसका कहीं भी जर्मिनेशन नहीं हो सकता था। कहीं न कहीं लैब टैस्टिंग के अन्दर या जिन प्रयोगशालाओं में यह टैस्ट किया गया है, उनकी मिलीभगत से ये बीज खरीदे जा रहे हैं। लाखों-करोड़ों रुपए का नुकसान तो हमारी वित्त व्यवस्था पर, इस राजस्थान सरकार पर पड़ रहा है और काश्तकार खेती में बीज बोने के उपरांत भी अंकुरण न होने से ग्रसित है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात को सदन में उठाया है, निश्चित रूप से खरीफ 2013 में राजस्थान में 16 हजार 5 सौ क्विंटल मूंग का बीज मिनीकिट्स के रूप में वितरित किया गया था। जयपुर में 1180 क्विंटल और शाहपुरा में 80 क्विंटल बीज के मिनीकिट्स किसानों को उपलब्ध कराये जाने के लिए आबंटित किये गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा बीज ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया गया। खास तौर से जो माननीय सदस्य की शिकायत है, ग्राम सेवा सहकारी समिति छारसा, मनोहरपुर और घासीपुरा पर चार किलो बीज के पैकेट उनको दिये गये थे और उसमें बीज के तौल में कमी आई। चार किलो के पैकेट में कहीं एक किलो, कहीं आधा किलो निश्चित रूप से आई है, इसको मैं सदन में स्वीकार करता हूं कि यह वास्तव में कमी हुई है। इसके बारे में हम लोगों ने कमेटी बनाई, जांच कराई। रैंडम उसका तौल का काम भी करवाया गया। तुलाई करने के बाद 38 क्विंटल बीज के लगभग वापस बांसवाड़ा का जो हमारा स्टेट सीड्स कारपोरेशन का संयंत्र है, वहां पर इसका पैकेजिंग हुआ, वहां पर उसको वापस भिजवा दिया गया। वहां का एक व्यक्ति था जिसने पैकेजिंग में लापरवाही बरती थी, उसको 17 सीसीए की कार्यवाही हम लोगों ने प्रारम्भ की थी।

दूसरा, आपने यह पूछा, माननीय, कि बीज की गुणवत्ता के आपके क्या प्रावधान हैं, आप कैसे देखते हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, बीज कृषि का मूल आधार है और बीज की गुणवत्ता और बीज को कम तौलने की बात चिंताजनक है और राजस्थान के किसानों के साथ यह धोखा है। लेकिन मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा, सीड एक बार में नहीं बनता, सीड पांच स्टेज से गुजरता है- पहला स्टेज न्यूक्लियर सीड होता है, दूसर सीड ग्रेडर सीड बनता है फिर तीसरे साल वह सर्टिफाइड सीड होता है, फिर चौथे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

साल फाउण्डेशन सीड होता है और फिर उसके बाद जो बीज आता है उसे आम काश्तकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, ...(व्यवधान) सारी, सारी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीड की टैस्टिंग के बारे में टैस्टिंग पैरामीटर्स बने हुए हैं और तीन प्रकार के सीड को टैस्ट करने के प्रोविजंस होते हैं। पहले जर्मिनेशन टैस्ट होता है, यानी उसकी शुद्धता देखते हैं। दूसरा फिजिकल प्योरिटी और तीसरा है जेनेटिक प्योरिटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वंशानुगत शुद्धता और भौतिक शुद्धता की व्यवस्था राजस्थान में है लेकिन अभी जेनेटिक प्योरिटी की, वंशानुगत जांच की व्यवस्था यहां शुरू नहीं हुई है। जेनेटिक प्योरिटी की जांच डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड जीओटी टैस्ट के आधार होती है। अभी जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के बारे में आपने कहा और एमआरटीपी एक्ट की चर्चा भी आपने की, सैक्शन का हवाला भी दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बीज की गुणवत्ता और अमानकता की जांच के बारे में द सीड एक्ट, 1966 बना हुआ है, द सीड कंट्रोल आर्डर, 1983 बना हुआ है और सीड रूल्स, 1968 बना हुआ है। इसके सैक्शन 21 में यह प्रावधान है, यदि बीज की प्रामाणिकता कहीं कम मिलती है तो इतने छोटे प्रावधान हैं कि उसको पांच सौ रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। माननीय सदस्य मोनोपोली एण्ड द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, 1959 की जो बात कर रहे हैं, एमआरटीपी एक्ट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको गम्भीरता से हम लोग लेंगे और इसमें विधिक राय हम लेंगे कि क्या इसमें उसको कवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लीगल मीट्रियोलोजी एण्ड पैकेजिंग एण्ड द कमोडिटीज रूल्स, 2011, यह भारत सरकार का एक सर्कुलेशन हुआ, इसमें भी इसी प्रकार की बात है- कमोडिटीज के बारे में जहां गुणवत्ता हो, टैग नम्बर हो, जिसकी स्थिति हो, उसकी वैल्यू हो, सारा वैट हो, इन सारे प्रावधानों का उल्लंघन कोई करता है तो उसको सज़ा देने का प्रावधान इसमें किया हुआ है, उसको पैनलाइज करने का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा, इन दोनों कानूनों के बारे में हम विधिक परीक्षण करा लेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो इस कानून में और मजबूती लाने के लिए और बीज की गुणवत्ता कैसे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सुधरे, राजस्थान की हालत कैसे सुधरे, इसके बारे में मैं सदन में आज एक स्टेट सीड विजिलेंस कमेटी की मैं घोषणा करता हूं क्योंकि अभी जिला स्तर पर इसकी जांच ढंग से नहीं होती। इस कमेटी में जाइंट डाइरेक्टर लेवल का एक व्यक्ति होगा, एन्टोलोमोजिस्ट यानी कीटनाशक वैज्ञानिक होगा, पैथोलोजिस्ट होगा, साइल केमिस्ट होगा, ब्रीडर एजेंसी होगी और सीनियर अकाउंट्स आफिसर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज के बारे में जितनी शिकायतें कई बरसों से चल रही हैं, एक माफिया के रूप में बीज का लोग यहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां लापरवाही हुई है निश्चित रूप से हम उनको दिखवाएंगे। इन्होंने जांच करके जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, 2009-10 में ...(व्यवधान) वह आदत है न? 2009-10 में जीजी-20 मूंगफली के सीड के बारे में आपने प्रश्न खड़ा किया उसमें यह कहा गया कि जीजी 20 बीज की गुणवत्ता भी कमजोर थी, उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ, किसानों ने शिकायत की। उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के मुख्य प्रबंधक अमिताभ नारायण पाण्डे को निलम्बित किया है, भैरूंलाल यादव, सहायक कृषि अधिकारी, मुख्यालय, इसके विरुद्ध भी हम लोगों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। लेकिन आज मैं आपको यह कहना चाहूंगा, सदन में माननीय सदस्य ने जो कहा है, जो मूंगफली का बीज था, वास्तव में उसमें गुणवत्ता की कमी थी। हैदराबाद की कम्पनी एपी आयल सीड्स से बीज खरीदा गया था 2010 में। लगभग 2 करोड़ 77 लाख 65 हजार 372 रुपये का बीज खरीदा, सरकार जब बदली हम लोगों ने 93 लाख 33 हजार 121 का उसका भुगतान रोक दिया है। उन किसानों को मुआवजा देने की भी हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। लगभग 45 लाख 94 हजार रुपये की किसानों ने जो कोर्ट में क्लेम्स किये हैं, जो उपभोक्ता कोर्ट में गये हैं, उनके बारे में व्यवस्था की गई है। इसलिए मैं आज सदन को यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान सरकार बीज के प्रति जिस प्रकार की अमानकता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हम सब तैयार हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मेरा एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) एक मिनट, पहले ये, फिर आप, बस उसके बाद नहीं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का उल्लेख किया, एक तो आपने यह बताया कि एक कमेटी का आप गठन कर देंगे। ठीक है, आप करेंगे, इसमें करैक्शन हो जाएगा। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके यहां से ही एक जवाब आया है। हालांकि यह प्रश्न पूछा गया था विगत विधान सभा में, जवाब, अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में आया है। उसमें एक जवाब यह आया कि जिन काश्तकारों को ये कम मात्रा के बीज वितरण किये गये थे, उनकी हमने भरपाई कर दी है। यानी वह बीज ले लिया और सही मात्रा का, सही तौल का बीज दे दिया। 3.1.2014 को यह आपके यहां से वितरण हुआ, प्रश्न लगा था 14.8.2013 को। आदरणीय, जहां से मैं शिकायत कर रहा हूं व जहां से मैंने इस शिकायत के पुख्ता दस्तावेज लिये हैं, उस काश्तकार को तो आज तक बीज का आपने भरणपोषण किया ही नहीं, वे तो थैलियां ही मेरे पास पड़ी हैं। तो एक तो सदन को गलत सूचना देने की वजह से कंटैम्प्ट भी होता है, ब्रीच भी होता है। जिस विभाग के अधिकारी ने यह सूचना विधान सभा के सैक्रेटेरियट के माध्यम से भिजवाई है, उस असत्य सूचना को भेजने के लिए उस विभाग के अधिकारी पर कार्यवाही होना अवश्यंभावी होना चाहिए। एक तो यह मेरा निवेदन है। दूसरा, आदरणीय, सीड एक्ट, 1966 भी तो है, वैराइटी के जर्मिनेशन में 98 परसेंट की गुणवत्ता मानता है और अगर हाई ब्रीड है तो 95 परसेंट की जर्मिनेशन की गुणवत्ता को मानता है। सीड के एक्ट में प्रोविजन होने के नाते आपने जिन अधिकारों का उल्लंघन किया, उसमें तो एक ग्राम सचिव लेवल का व्यक्ति है या आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफिसर है, उसने तो इसकी सूचना दी। सूचना दी तो उसी को बर्खास्त कर दिया। सूचना देना अगर कर्मचारी का अपराध था, तो वह नहीं देता तो भी बर्खास्त होता, दे दी तो भी बर्खास्त कर दिया। और ऊपर के अधिकारी ने यह बैठ कर इतिश्री कर ली कि उसने सूचना लिखित में न देकर टेलीफोन से दी। आदान शिविर से तो वह टेलीफोन से ही देता, लिखित में तो बाद में देता। आपने 13.1.2014 वाले इसी प्रश्न में कहा है कि मनोहरपुर से हमको सूचना दूरभाष से मिली। एक दूरभाष से सूचना मिलती है तो कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती। दूसरा दूरभाष से देता है तो सूचना देने वाले को निलम्बित कर देते हो। इस प्रकार का दोहरा मापदण्ड नहीं चलेगा कि फील्ड का आफिसर तो रगड़ दिया जाए। जिस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अफसर ने बैठकर लाखों-करोड़ों के बीजों का घोटाला किया हो, कम गुणवत्ता का बीज दिया हो, शीर्षस्थ स्तर के अधिकारी जिसने यह सारा गलत काम किया है, उस पूरी की पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उनको प्रताड़ित करने का मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि प्रश्न आया, जिसने सूचना दी, उसे प्रताड़ित किया गया, उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी। मैं सारे विषय को दिखवा लूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी शिकायतें पूरे राजस्थान से इस प्रकार की प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों में जो कर्मचारी, अधिकारी लिप्त पाये गये हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्यवाही भी कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं कि कम तौल जहां मूंग के बीज में हुआ, मूंगफली की गुणवत्ता में जर्मिनेशन की कमी रही, उत्तरदायित्व निर्वहन का अभाव होने के कारण से ऐसा हुआ है। इसलिये इस विषय को बहुत गम्भीरता से लेते हुए, सदन की गरिमा और सबको देखते हुए निश्चित रूप से जो भी दोषी कर्मचारी, अधिकारी होगा, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी होगा, उसको नहीं बख्शा जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संयंत्र प्रबन्धक, बांसवाड़ा को बीजों की गुणवत्ता, सर्टिफिकेशन एवं उनकी टैगिंग को देखना था, उस अधिकारी की लापरवाही बरतने से, श्री दलपत सिंह, आर.एस.एस.सी., हमारे संयुक्त प्रबन्धक, प्रमाणीकरण संस्था, उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी बांसवाड़ा श्री विनीत व्यास, पैकेजिंग, टैगिंग एण्ड वेट, इनका मुख्य काम होता है कि उसकी पैकेजिंग को देखे, उसके वजन को देखे और उसकी टैगिंग, तीन चीजों को वैरीफाई करे, यहां इन्होंने लापरवाही बरती है और इसी कारण पूरे राजस्थान के किसानों को खामियाजा उठाना पड़ा, इसलिये मैं पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने के कारण इन दोनों अधिकारियों को ए.पी.ओ. करने की घोषणा करता हूं। इसकी निष्पक्ष जांच के लिये उच्चस्तर पर कमेटी गठित करूंगा। पूरे राजस्थान में बीजों के क्षेत्र में पर्यवेक्षणीय लापरवाही एवं उदासीनता जहां पर बरती गयी, वह नजरअंदाज हुआ, इतने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

दिनों बाद भी जांच पूरी नहीं हुई, इसलिये मैं सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस के लिये महाप्रबन्धक आर.एस.एस.सी. को भी ए.पी.ओ. करने की घोषणा करता हूं। एक महीने में सारे प्रकरण की जांच करवाएंगे। पूरे राजस्थान में जहां भी शिकायत होगी, उन पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, जवाब आ गया। (व्यवधान) अच्छा, आप कर लीजिये। वैसे जवाब पर्याप्त आ गया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुआवजे की बात नहीं कही मंत्री महोदय ने।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा का नाम आया है, बांसवाड़ा में पिछले पांच साल की पूर्ववर्ती सरकार में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में पिछले पांच साल में जितने भी कार्य हुए, जितने भी घोटाले हुए, उनको उजागर किया जाए और बांसवाड़ा जिले के लिये अलग से टीम गठित की जाए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोल लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कहां बोला?

श्री अध्यक्ष: आ गया ध्यान में।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, इसके बाद आपको चांस दूंगा, फिर नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, उस काश्तकार की क्या गलती थी? आपके प्रमाणित बीज को मानकर अपने खेत के अन्दर ले-जाकर उसकी बुवाई की। उसने पानी भी दिया, खाद भी दिया। उसका जो हर्जाना हुआ है, क्या आप उसकी भरपाई करने का विचार रखते हैं?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: यही है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, दूसरा एक छोटा-सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: इनका भी यही सवाल है। आप कर लो, जवाब आ जाएगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान उपभोक्ता कोर्ट में गये, इन्होंने उनका हर्जाना भरपाई करने का कहा है। आप खुद इस बात को मानते हैं कि उसकी जर्मिनेशन पावर पुअर थी इसलिये उनके खेतों में बीज उगा ही नहीं। इसलिये उन किसानों की जो भरपाई है, उपभोक्ता कोर्ट में गये उनका तो आप कर देंगे। मगर जो कोर्ट में नहीं गये, उन किसानों का क्या करेंगे? उसके लिये मेरा माननीय मंत्रीजी से पूछना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। अब कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रमाणित बीज दिये जाते हैं वे कब दिये जाते हैं? मूंग का बीज दिया जाता है जब मूंग की फलियां लग जाती हैं। चने का बीज दिया जाता है जिस एरिये में चना पैदा होता ही नहीं है। क्या आप समय पर बीज देने की व्यवस्था करेंगे? मूंग जब ऊपर आ जाए, फलियां जब लग जाएं, उस समय बीज का वितरण हो रहा है। कृषि विभाग में पिछले पांच सालों में ये घोटाले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। अब आप जवाब दीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी मंशा मैंने स्पष्ट कर दी है कि हम लोग निष्पक्ष जांच कराएंगे। पूरे राजस्थान की जांच कराएंगे। फिर भी चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य और एक अन्य सदस्य ने यह विषय उठाया कि उन किसानों का क्या होगा जिन्होंने कोर्ट में तो दावा नहीं किया लेकिन उनका नुकसान हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, प्रभावित कृषकों को उनके द्वारा क्रय किये गये बीज की राशि के बारे में 6 करोड़ 33 लाख 424 रुपये का पेमेंट उस कम्पनी का जिसने हमको बीज दिया है, ए.पी. आयल फैड, हैदराबाद रोक लिया गया है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में निश्चित रूप से जो राशि रोकी गयी है, उसके आधार पर किसानों को कम्पनसेट करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह क्वेश्चन तो पहले ही निकल गया।

श्री रमेश (सपोटरा): +++

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ले लेंगे, तो दे देंगे जवाब। यह दूसरे नम्बर का क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रमेश (सपोटरा): आदेश है अध्यक्ष महोदय का।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी बात स्पष्ट कर दूं। इस प्रश्नावली से कहीं से भी अध्यक्ष सवाल उठा सकता है। इसलिये हमेशा हर प्रश्न पर तैयारी करके आना चाहिये। यह दो नम्बर का था, थोड़ी-सी मेरी त्रुटि हुई, लेकिन मैं जनरल जानकारी दे देना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम तो पूरी तैयारी के साथ आये हैं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हमको चिन्ता इसलिये हो रही है कि माननीय सदस्य बैठे हैं, आपने पुकारा नहीं। क्या कारण हुआ?

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

करौली जिले में ट्यूबवैलों की स्थापना में अनियमितता

68. श्री रमेश (सपोटरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्ष में जिला करौली में सिंगलफेस ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प निर्धारित स्थान पर लगाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सिंगलफेस ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प में काम में लिया गया सामान मापदण्डानुसार आई.एस.आई. मार्का है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सिंगलफेस ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो देरी के कारणों एवं दोषी फर्मों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सिंगलफेस ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प निजी भूमि/आवासों पर

(श्री रमेश)

भी लगाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किन नियमों के अन्तर्गत? क्या सरकार इस हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) जी हां। जिला करौली में पेयजल आपूर्ति हेतु विगत पांच वर्षों में 1189 सिंगलफेस नलकूप एवं 1370 हैण्डपम्प स्वीकृति अनुरूप निर्धारित स्थानों पर ही लगाये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) तीन संवेदकों को जारी 5 कार्यादेशों के अन्तर्गत आबंटित 112 सिंगलफेस नलकूप एवं 236 हैण्डपम्प निर्माण के कार्यभार के विरुद्ध 56 सिंगलफेस नलकूप एवं 64 हैण्डपम्पों का ही कार्य पूर्ण किया गया है। इन कार्यादेशों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं करने के सम्बन्ध में संलग्न परिशिष्ट-अ के क्रम संख्या 4 व 5 पर अंकित संवेदकों से क्रमशः रुपये 1.00 लाख एवं रुपये 50 हजार की शास्ति विभाग द्वारा वसूली जा चुकी है। क्रम संख्या 3 व 5 पर अंकित संवेदक का शेष कार्यभार निरस्त कर अन्य संवेदकों से कार्य कराया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो जवाब इन्होंने दिया है, वह सही जवाब नहीं है पैरा संख्या एक का। इन्होंने अवगत कराया है कि फेस नलकूप एवं हैण्डपम्प स्वीकृति अनुरूप निर्धारित स्थानों पर ही लगाये गये हैं, जबकि सैकड़ों हैण्डपम्प व सिंगल फेस ट्यूबवैल निजी खातेदारी पर निजी भूमि में और निजी चारदीवारी के अन्दर लगे हैं। उनका मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, श्री मुरारी लाल फौजी तुडसमपुरा तहसील सपोटरा, इसके घर के अन्दर हैण्डपम्प अभी तीन दिन पहले ही लगा है। श्री भजन मीणा भड़क्या बीजलपुर तहसील करौली में निजी खाते की भूमि पर लगा हुआ है सिंगल फेस। श्री हेमराज मीणा, गांव कैला तहसील करौली के घर के निजी बाड़े में लगा हुआ है। यह सिंगल फेस लगा हुआ है। रामप्रकाश मीणा गांव डेकोली घर की चारदीवारी के अन्दर सिंगल फेस लगा हुआ है।

(श्री रमेश)

देवी सिंह जाट ग्राम मेहमदपुर, तहसील सपोटरा, इसकी दीवार के अन्दर सिंगल फेस लगा हुआ है। कल्लू माली ग्राम गुनेसरा, तहसील करौली, इसमें सिंगल फेस घर के अन्दर लगा हुआ है। पप्पू मास्टर ग्राम सैमरदा, तहसील करौली, घर के अन्दर सिंगल फेस लगा हुआ है। श्री हरविलास मीणा, ग्राम अरोरा, हैण्डपम्प घर के अन्दर लगा हुआ है। श्री भरत लाल मीणा, ग्राम बापौती, तहसील सपोटरा, ये सभी घर के अन्दर सिंगल फेस ट्यूबवैल लगे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय भी जानते हैं कि हैण्डपम्प की कीमत एज पर जी-शिड्यूल बीएसआर एक लाख पच्चीस हजार रुपये है और जो सिंगल फेस लगता है, लगभग सवा तीन लाख के अन्दर लगता है। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने नमूने के तौर पर बताया है।

मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यह है कि मैसर्स रामलखन मीणा को पहले भी ब्लैक लिस्ट किया गया था और फिर उसी फर्म को रीइंस्टेट कर दिया। सारे जिले के टेण्डर सिंगल फेस, हैण्डपम्प उसी के पास रहते हैं। वह समय पर कार्य पूरा नहीं करता है। उसको किस आधार पर रीइंस्टेट किया गया? उसको किस आधार पर काम दिये गये? बिड कैपिसिटी नहीं होते हुए भी उसको कार्यादेश दिये गये। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह नियमान्तर्गत सही नहीं है, इनको लगाने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: हमारे विभाग की जिम्मेदारी है कि वह सर्वे करे। जहां पर पानी निकलने की संभावना हो, वहीं पर हैण्डपम्प और ट्यूबवैल लगाये जाते हैं। कई बार सार्वजनिक जगह पर नहीं मिले और किसी की निजी जमीन में मिले तो खोदा जा सकता है, बशर्ते सबके इस्तेमाल के लिए वह इस्तेमाल करवाए।। जान-बूझकर अगर किसी ने सोर्स उपलब्ध होते हुए भी दूसरी जगहों पर, निजी जमीन के ऊपर एकाधिकार के हिसाब से खोदा होगा, यह जवाब तो विभाग की तरफ से आया है, जो मैंने आपको दिया, पर आपके प्रश्न करने पर मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आप अभी जो बोलेवे पाइन्ट्स मुझे दे देना, इनकी मैं जांच करवा लूंगा एडिशनल चीफ इंजीनियर लेवल के आफिसर से, अगर किसी का मैलाफाइड इंटेंशन होगा तो किसी भी सूरत में सरकार उसको बरदाश्त नहीं करेगी।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी सरकार ने यह काम किया, हमारी सरकार ने किया, लेकिन जो ठेकेदार है दस वर्षों से काम कर रहा है, मनमानी कर रहा है। उसको 09.08.2011 में ब्लैक लिस्ट किया गया, फिर थोड़े समय बाद ही उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। समय पर काम नहीं करता है, मनमर्जी करता है फिर भी उसको कार्यादेश दे दिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी फर्म को काम दिया जा रहा है, पूरे जिले के लोग पेयजल की सुविधा से वंचित हैं तो ऐसी फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी, आप सदन में मुझे बताएं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से माननीय सदस्य बता रहे हैं, यदि यह हैबिचुअल आफेण्डर है, ब्लैक लिस्ट किया है, कुछ दिन के बाद में बहाल करके उसको काम दिया है, ऐसी परिस्थितियां पायी गयीं तो मैं निश्चित रूप से डिबार करूंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं टेबल कर दूं आप कहें तो?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चुनाव के टाइम जब आचार संहिता लग गयी थी, कम से कम सौ हैण्डपम्प खुदे। किसी के घर में खुदे हैं, किसी के खेत में खुदे हैं। मैंने जलदाय विभाग वालों से पूछा अभी, तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है। आज यह हालत है कि वहां खड्डे हो गये हैं, बच्चे गिर सकते हैं, क्योंकि अब वहां पाइप वगैरह कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप भी लिख कर दे दीजिए, जांच हो जाएगी।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो पूछने दो। इन्होंने जिसका जवाब नहीं दिया उसका मैंने पूछा है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने दो सप्लीमेंट्री पूछे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): प्रश्न नहीं पूछा है। इन्होंने जवाब नहीं दिया उसके बारे में बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब आने दीजिए, उसके बाद आप पूछना। उसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, जरा बताएं मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी में 360 हैण्डपम्प खराब हो गये थे, पुराने जो खराब हो जाते हैं उनका ठेकेदार और मिस्त्री को पता ही नहीं है, उनको

(श्री मान सिंह)

खोल-खोल कर ले जाते हैं। जो हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं, जिनको रिकार्ड में खराब बता दिया जाता है, उनका लोहा ले जाकर बेच दिया जाता है, सामान को बेच देते हैं, क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सरकारी सम्पत्ति खराब नहीं हो?

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) इनका जवाब आने दीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे सिंगल फेस खोदे गये हैं और उनका अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया है। जो बिजली के कनेक्शन नहीं हुए हैं, उनको या तो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या निजी बाउण्ड्री में कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि एक्सईएन, एईएन, जेईएन मिल कर निजी काम में ले रहे हैं। मंत्री महोदय, इस पर कोई प्रतिबन्ध होना चाहिए या जांच कमेटी बैठानी चाहिए। या उनको ट्रांसफर किया जाए ताकि लोगों को उसका तुरन्त फायदा मिले।

श्री अध्यक्ष: आप और सवाल करेंगे क्या? मूल प्रश्नकर्ता, आप एक सवाल और कर लीजिए उसके बाद जवाब आएगा। फिर किसी का नहीं।

श्री रमेश (सपोटरा): मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में 01 अप्रैल, 2013 से आज तक 113 सिंगल फेस ट्यूबवैल और 09 ट्यूबवैल खोदे गये लेकिन आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं हुए। इनमें से आधे से अधिक पाइन्ट कालैप्स हो चुके हैं फिर भी फर्म को उन कार्यों का भुगतान कर दिया गया है। इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही का विचार रखती है?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की कि जो हैण्ड पम्प डैड हो जाते हैं या उनमें पानी नहीं निकलता है उनको खोल-खोल कर डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं। ये शिकायतें हमारे पास भी कई बार आयी हैं। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब सरकार की जानकारी में आने और स्टोर में जमा होने तक इसकी निगरानी की जाएगी। कोई भी अगर बीच में गायब करता है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा, ठेकेदार की भुगतान की जो जिम्मेदारी है, ड्रिल होने के बाद

(श्री सांवर लाल)

उसका काम पूरा हो गया। बिजली कनेक्शन होना, नहीं होना यह डिपार्टमेंटल इश्यु है कि कौन कनेक्शन करवाएगा। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी की साठ-दिवसीय कार्य योजना चल रही है, मैं निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी कनेक्शन नहीं हुए हैं, वे सारे के सारे कनेक्शन करवाने की हम कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय मंत्रीजी, आप पूरा कर चुके? (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए। स्थान ग्रहण कीजिए। जवाब आ रहा है। सवाल के माध्यम से इसको सामान्य चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सवाल जरूरी है। हमारे भी सौ कनेक्शन नहीं हुए। कब करेंगे, यह बताइये न? खोद तो दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नागौर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार सिंगल फेस के कनेक्शन सौर ऊर्जा से करने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसी में, एक छोटा-सा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार में एक सदस्य का ही सुन सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि स्थान ग्रहण कीजिए। अब उनका जवाब आ रहा है, सुन लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक ही सैकण्ड का है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अब आप क्या चाहते हैं इसके अन्दर? मैंने बता दिया है। यह सवाल सपोटरा का है, पूरे राजस्थान का नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे अनुमति दी है। आप एक मिनट विराजें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्षजी, हमारा हैण्डपम्प और ट्यूबवैल्स को लेकर जो अनियमितताएं सामने आयीं, मेरा आपसे यह निवेदन है कि डिपार्टमेंट के अन्दर टैक्निकल कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारियों की कमी के रहते यह व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पाती है।

(श्रीमती संजना आगरी)

पी.एच.ई.डी. के अन्दर जितनी भी जे.ईएन. की पोस्ट हैं, मेरे वहां सोजत में भी खाली पड़ी हैं। एक ए.ईएन. है, तो एक ए.ईएन. पूरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पूरी व्यवस्था सुचारु नहीं कर पाते हैं और न ही उनके पास में हैण्डम्प खोदे जाते हैं, उनकी मशीनें होती हैं। तीन-तीन विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मात्र एक मशीन होती है जिससे वो समय रहते अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया है, अब जवाब आने दीजिए। (व्यवधान) अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ठेकेदारों की भी जो बात सामने आयी है, ठेकेदारों को आप पाबंद करें कि जितने हैण्डपम्प हैं वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक दूसरे कार्य की उनके नाम से निविदा नहीं निकालें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी से सम्बन्धित है, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपके बाद आप। आपके बाद आप। हां, पूछ लो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न में आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मैंने सरकार की 60 दिन की कार्य योजना को पूरा पढ़ा है लेकिन एक सेन्टेन्स उसमें मुझे कहीं नहीं मिला कि जो तीन-चार महीने से काम पूरे हो गये थे उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है और कहीं 60 दिन की कार्य योजना में भी नहीं लिखा हुआ है कि, साहब, पैसा नहीं देंगे इन्होंने जो काम करा दिये...

श्री अध्यक्ष: चलिये, स्थान ग्रहण कीजिए। बस स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो पैसा तो मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पैसा तो दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो सैंक्शंड हैं, जो काम कर दिया उनका पेमेंट नहीं। जो आगे सैंक्शन हैं उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो कहीं 60 दिन की कार्य योजना में यह छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है कि पहले से जो स्वीकृत कर दिये उनको पेमेंट नहीं देना है?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। अच्छा, आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो पेमेंट दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। अब एक यह सवाल होगा आखिरी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या दो पर राज्य सरकार ने माना है कि केसिंग फेज ट्यूबवैल/हैण्डपम्पों को काम में दिया गया जी-शिड्यूल के अनुसार ही है, जबकि मैं आपके माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसकी जांच करवा ले, सभी ट्यूबवैल और हैण्डपम्पों में मापदण्डों से हल्की क्वालिटी का केसिंग पाइप व अन्य सामान लगाया गया है जिसके कारण ये काम में आने के कुछ महीने में ही खराब हो जाते हैं। यदि सरकार ने इसकी जांच करायी है तो जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह सवाल केवल सरोटरा विधान सभा का है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, साहब, करौली जिले का है, टोडाभीम ...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अब आप सुनो तो सही, विराज जाओ न आप, पूरा जवाब दे रहा हूं मैं। इसमें जो मेन-मेन बातें थीं वो मैंने बता दी हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी दिक्कत समझता हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अभी एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सामान भारत सरकार के नार्म्स के हिसाब से नहीं लगाया जा रहा। हमारे पास टैक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनकी रिकमण्डेशन से ही हम सामान खरीदते हैं। अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह सामान सब-स्टैण्डर्ड है, उसके हिसाब से नहीं है तो हम इसकी भी जांच करवा देंगे। अगर कोई दोषी पाया गया तो किसी भी हालत में किसी की भी सिफारिश से बख्शा नहीं जाएगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जांच कमेटी जब जाए तो हमें भी सूचित किया जाए हम उसे जांच में बताएंगे।

श्री अध्यक्ष: अब बैठिये, बैठिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मंत्री महोदय, सामान चेंज कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अब आपको बता दिया न, आप और क्या चाह रहे हो? कोई दो-तीन घंटे डिस्कस करोगे क्या एक घंटे के सवाल पर?

दूसरा, माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है कि सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। ड्रिंकिंग वाटर चाहे पशुओं के लिए हो, चाहे आदमियों के लिए हो, चाहे अरबन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, हर जगह आजकल पी.एच.ई.डी. की योजनाएं चल रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के बीस साल पहले ऐसा नहीं था। ऐसे में स्टाफ की कमी होना निश्चित रूप से हमारे कामकाज को प्रभावित करता है।

मैं माननीय सदस्य से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी मुख्य मंत्रीजी से रिक्वैस्ट करना और आपके माध्यम से मैं भी करूंगा कि हमारे इस महकमे के अन्दर स्टाफ की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हर स्कीम को अटैंड करें और लोगों को समय पर शुद्ध पानी मिले।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती गीता वर्मा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराज जाएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह कहा कि मुख्य मंत्रीजी से आप निवेदन करियेगा, हम भी निवेदन करेंगे। आप सक्षम हैं ...

श्री अध्यक्ष: एक सामूहिक निवेदन हो जाए तो अच्छा है, विराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप यह मत करिये, अध्यक्ष महोदय। यह न करें आप, यह न करें आप।

श्री अध्यक्ष: सदन का कोई सदस्य अगर इस तरह निवेदन करे ... (व्यवधान) श्रीमती गीता वर्मा।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री सांवर लाल)

माननीय सदस्य से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करते थे जैसा मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया आपका।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): मुख्य मंत्री सर्वोपरि हैं, सदन की नेता हैं, उनकी जानकारी में विभाग की कोई लिमिटेशन है, कोई कमी है, कमजोरी है तो वो लाने की आवश्यकता है और मैं निश्चित रूप से लाऊंगा आपकी भावना के हिसाब से।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्रीमती गीता वर्मा।

प्रदेश में किसानों को आठ घंटे बिजली देने हेतु कार्य योजना

70. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) एवं डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा की गई घोषणानुसार प्रदेश में किसानों को आठ घंटे बिजली दी जा रही है? यदि हां, तो दौसा जिले की सीएमआरआई रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे सस्ती बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार प्रदेश के किसानों को रात्रि के स्थान पर दिन में बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

ऊर्जा मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) वर्तमान में किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत तंत्र की क्षमता एवं विद्युत उपलब्धता के अनुसार रात्रि के ब्लाक में सात घंटे तथा दिन के ब्लाक में 6.30 घंटे थ्री फेज विद्युत सप्लाई उपलब्ध करायी जा रही है। दौसा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 11 केवीए के 100 फीडरों की सीएमआरआई रिपोर्ट प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को सामान्यत: 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा लघु घरेलू उपभोक्ताओं जिनका औसत उपयोग 50 यूनिट प्रति माह से कम है, को सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के सापेक्ष 43 प्रतिशत की ऊर्जा प्रभार में छूट दी जा रही है एवं बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को यह छूट 72 प्रतिशत दी जा रही है।

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। कृषि कार्य हेतु रात्रि के स्थान पर दिन में ही विद्युत आपूर्ति करना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है अत: दिन व रात के ब्लाक में विद्युत आपूर्ति करना तकनीकी बाध्यता है। तथापि वर्तमान में विद्युत तंत्र एवं विद्युत की उपलब्धता को देखते हुए कृषि कार्य हेतु थ्री-फेज विद्युत सप्लाई दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से पांच घंटे के ब्लाक से बढ़ा कर दिन में साढ़े छह घंटे तथा रात्रि को ब्लाक में सात घंटे उपलब्ध करायी जा रही है। ये ब्लाक साप्ताहिक रूप से बदले जा रहे हैं।

(प्रपत्र पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं, सरकार के द्वारा घोषणा की गयी थी कि किसानों को आठ घंटे बिजली उपलब्ध करायी जाएगी, तो आप आठ घंटे बिजली किसानों को कब से उपलब्ध कराएंगे?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो बात फर्मा रही हैं, बिलकुल सही है कि हमने हमारे घोषणा पत्र में किसानों को आठ घंटे बिजली देने का वादा किया था और हम उस वादे की ओर बढ़ रहे हैं। कोई जादू की छड़ी हमारे हाथ में नहीं है कि हम तुरन्त ही इसको आठ घंटे कर दें। इसका, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कारण भी बताऊंगा ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जादू की छड़ी नहीं तो इनको घोषणा ही नहीं करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले तो घोषणा कर दी, लोगों के साथ छलावा कर दिया और आज इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि जादू की छड़ी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, यह बार-बार खड़े होने की आदत ठीक नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मंत्री जी का जवाब तो सुन लो पहले। पहले जवाब तो सुनो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आठ घंटे बिजली देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताएं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): घोषणा किसलिए की थी?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दे ही नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बार-बार इस तरह डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप सुनोगे जब देंगे न, आप सुन तो रहे नहीं हो जवाब।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): घोषणा पांच साल के लिए होती है, एक महीने के लिए नहीं होती है।

श्री हीरालाल (निवाई): यह आप लोगों का ही तो किया हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो सुधारो।

एक माननीय सदस्य: टाइम लगेगा सुधारने में। सुधर जाएगा, थोड़ा टाइम तो दो।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आठ घंटे का वादा किया था, उसका जो पहला चरण है, हमने जो 60 डेज की योजना बनायी इसमें साढ़े छह घंटे दिन में और सात घंटे रात को 24 दिसम्बर से बिजली देना शुरू कर दिया। इससे किसानों को तुरन्त 24 दिसम्बर से लगभग 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत प्रति दिन बिजली ज्यादा मिलनी शुरू हुई है।

आप पहले सुनिये, थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। आप थोड़ा सुनिये तो सही न। आपको मालूम पड़ेगा कि योजना क्या है, कब मिलेगी। आपको आठ घंटे बिजली हम दे देंगे न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कब दे रहे हैं?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): आप सुनेंगे जब बताऊंगा मैं। आप बीच में टोकने लग जाते हैं तो मैं कैसे बोलूं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय को कोई टोकेगा नहीं, आप जवाब दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जब आयी तो हमने इस विभाग को इतनी खस्ता हालत में इन्हैरिट किया, एक 15 हजार करोड़ रुपये का जो लोन था।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप सुनिए ...(व्यवधान) सुनने की हिम्मत रखें। अब आपके काले कारनामे सुन तो लो।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): आप प्रश्नकर्ता तो हैं ही नहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप लोगों ने क्या किया, वो भी तो सुन लो।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): आपने थोड़े ही प्रश्न पूछा। मैं माननीय सदस्य को जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब नहीं दे रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सदन का जवाब है।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): यह सदन का जवाब है तो पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस तरह से धमकाने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी लैंग्वेज सुधारिए। मंत्रीजी सदन को जवाब दे रहे हैं आप। आप एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा (व्यवधान) इनकी लैंग्वेज क्या कह रही है?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन की प्रापर्टी है, हम पूछ सकते हैं ...(व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय मंत्रीजी सही जवाब दे रहे हैं। आप आपके कारनामे सुन तो लो मंत्रीजी से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां कोई डरने वाला नहीं है आपसे ।

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे नाम लेना पड़ेगा, बैठिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सबसे ज्यादा चोरी आपके कार्यकाल में 2003 से 2008 के बीच में ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसी का भी अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, अंकित नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 291, 292, 293 पढ़ लीजिए। मुझे मजबूर मत कीजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: ऐसे ही चलेगा। इस किताब से चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा, इस किताब से चलेगा। 291 पढ़ लीजिए, चलेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: आप तो मंत्री भी रहे हैं, जवाब भी दिया है, उनको अगर कोई डिस्टर्ब करे और पूरा जवाब नहीं आने दे तो उचित है क्या, आप यह बताइये? माननीय मंत्री महोदय। अब अंकित किया जाए।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का जो जवाब दे रहा हूं मैं, एक इश्यू दूसरे इश्यू से कोरिलेटेड है और ये सुनना नहीं चाहते हैं। अगर ये सुनना चाहें तो इनको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सुनाइये, जारी रखिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): राजस्थान के अन्दर जो बिजली का तंत्र है, जो बिजली ले सकता है, हम अगर आज आठ घंटे बिजली किसानों को देना चाहें भी तो वह तंत्र नहीं ले सकता। आपके बी सी बी मीटर्स, आपके सी टी बी टी मीटर्स, आपके फीडर मीटर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर 15,760 फीडर्स हैं इनके अन्दर 12,272 मीटर्स लगे हुए हैं और 3487 मीटर्स लगे ही नहीं हैं। ये जो 12,272 लगे हैं इनमें से खाली 9354 आपरेटिव हैं और 3918 फाल्टी हैं। ओ सी बी नहीं हैं, सी टी बी टी मीटर्स नहीं हैं, रोस्टर स्विच नहीं हैं जिससे ब्रेक डाउन होता है। हमें तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। अभी हम पांच घंटे से साढ़े छह-सात घंटे ले गये हैं। यह तंत्र मजबूत करने के

(श्री गजेन्द्र सिंह)

लिए दस हजार केबलें कटी हुई हैं, इनको ठीक करने के लिए हमें शट डाउन लेना पड़ेगा। अभी किसान का सीजन चल रहा है, क्या हमारी पोजिशन है इस पीक सीजन के अन्दर शट डाउन लेने की? नहीं है। सीजन जब होली के टाइम खतम होगा, युद्ध स्तर पर हम काम करेंगे। हमारा बिजली का उत्पादन भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें को-रिलेटेड हैं। बिजली हमारे पास होगी जब ही हम देंगे। आपको यह सुनकर खुशी होगी, अध्यक्ष महोदय, कि जुलाई, अगस्त...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर ये घोषणाएं क्यों करते हो? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम भाषण नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) बिजली चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने असत्य घोषणा की है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बैठिए, मंत्रीजी का जवाब सुनिए। (व्यवधान) क्या बात है, कोई जवाब सुनने को तैयार नहीं है। जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आप जवाब सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवसर से माननीय विधायक, मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा, मैं आपको चेतावनी देता हूं। बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक अच्छा प्रश्न आया विधान सभा में, इस प्रश्न पर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए, इस प्रश्न पर जो भी समाधान हो सके वह करना चाहिए, अच्छी राय देनी चाहिए। आपने केवल डिस्टर्ब करने का ठेका ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है। खींवसर से आने वाले माननीय विधायक, अब अगर आप खड़े हुए तो मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा। कह दिया है आपको।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकर खुशी होगी कि माह अगस्त तक राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर ही नहीं हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा और हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचेंगे। यह आग्मेंटेशन की जो स्कीम है जिसमें हमें 33 केवीए, 132, 220 एग्जिस्टिंग सब स्टेशन्स जो हैं उनके ट्रांसफार्मर्स बढ़ाना, केबल रिपेयर करना और पांच-

(श्री गजेन्द्र सिंह)

पांच हजार रोस्टर स्विच, सी टी बी टी स्विच चेंज करने से हमारी पोजिशन आ जाएगी आठ घंटे बिजली देने के लायक।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, मूल प्रश्नकर्ता का दूसरा प्रश्न होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो साढ़े छह-सात घंटे बिजली दे रहे हैं उसके लिए और इधर से 24 घंटे बिजली उपभोक्ता को देने की जो बात है, आपको कितनी बिजली दूसरे प्रान्तों से कितने हजार करोड़, कितने सैकड़ों करोड़ की खरीदनी पड़ी है?

श्री अध्यक्ष: मानिकजी का जवाब आने दें फिर आप सवाल करें। अच्छी सार्थक बहस हो रही है। जवाब आए, सारे सदन को भी मालूम पड़े, देश को, प्रदेश को भी मालूम पड़े।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है यह 8 घंटे, 24 घंटे बिजली और दिल्ली के कम्पेरिजन टैरिफ से रिलेटेड है। माननीय सदस्य को यह बोलना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई-अगस्त के बाद हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें कहीं बाहर बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी खुद की घर में प्रोड्यूस की हुई बिजली सबसे सस्ती होती है तो हमें बाहर दूसरे प्रदेशों से बिजली लेनी नहीं पड़ेगी। अभी पांच, साढ़े पांच रुपए के एवरेज से हम बिजली खरीद रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय लालसोट से आने वाले विधायक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, ग्लोबल छीजत है करीबन छह परसेंट, जो बिजली विभाग की सूचना है उनके हिसाब से अपने यहां छीजत है तीस से चालीस परसेंट। करीबन 360 लाख यूनिट बिजली ये चाहें तो बचा सकते हैं। मंत्रीजी, अगर इतनी बिजली बच जाए तो दिल्ली की तर्ज पर यहां पचास परसेंट कम रेट पर जनरल उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। क्या आप इरादा रखते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर पचास परसेंट कम रेट पर बिजली देंगे?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसमें पूरी सच्चाई है। हमें जो आंकड़े बताये गये थे, हमारी सरकार आयी, कि छीजत 22-23 प्रतिशत है, उसको मैं स्वीकार करता

(श्री गजेन्द्र सिंह)

हूं। उसको मैं मानता नहीं हूं कि 22-23 प्रतिशत नहीं है। मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा अनुमान है कि छीजत 35 परसेंट से ज्यादा है। हमने अभी एक आडिट कम्पनी को हायर किया है और वह कम्पनी इसके पूरे एक-दो महीने में आंकड़े निकालेगी और जो वास्तविक स्थिति है वह हमें मालूम पड़ जाएगी कि एक्चुअल में छीजत कितनी है। हमारी सरकार आयी है, हमें बताया जा रहा है कि 22 प्रतिशत है, फिर 22 से हम कितना नीचे जा पाएंगे? Below 20% is very very good. पर मैं यह मानता नहीं हूं। जो आपने फरमाया कि छीजत जो है वह मच हायर लेवल पर है। इसकी जो सत्यता है, हम लगभग दो-तीन महीने में उसका असैसमेंट करके कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की छीजत अगर हम नीचे ला सकते हैं तो टैरिफ घटाने की गुंजाइश है। लेकिन हमारे सदन में ऐसे सदस्य विराजे हुए हैं, जैसे +++ हजार-हजार ट्यूबवैल ये अवैध चलवा रहे हैं बिना पेमेण्ट के। यह इनका काम है, पैसे बंधे हुए हैं और हजार ट्यूबवैल इनके कार्यकर्ता चला रहे हैं। इनका जो धरना था उसमें यह मांग थी कि अवैध कनेक्शन को वैध किया जाए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, जो यह मंत्रीजी कह रहे हैं न, इनकी बात में अगर सच्चाई हो कि एक ट्यूबवैल भी मेरे अवैध चल रहा है, तो मैं सदन की सदस्यता छोड़ सकता हूं अभी। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अवैध कनेक्शन को वैध किया जाए, यह धरना था इनका और दो महीने तक विजिलेंस का ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने 2003 से 2008 के बीच के कार्यकाल में +++ ...(व्यवधान) 2003 से 2005 के बीच में और उसी +++ को लेकर आये हैं वापस। (व्यवधान)

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, आप +++ और यहां भाषण दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहूंगा कि दोनों ही तो नागौर के।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

ओ. पी. यादव, मेजर, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य मेजर ओ. पी. यादव के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व सदस्य मेजर ओ.पी. यादव का जन्म 1 सितम्बर, 1943 को मेरठ में हुआ। आपने बी.एससी. तथा एफ.एससी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

मेजर ओ.पी.यादव तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में मुण्डावर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, प्राक्कलन समिति 'क', जन लेखा समिति एवं सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। सभापति तालिका के सदस्य रहे मेजर ओ.पी. यादव प्राक्कलन समिति 'क' के सभापति भी रहे।

भारतीय सेना में अधिकारी रहे मेजर यादव को उनकी सैन्य सेवाओं के लिये रक्षा पदक तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय एकता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। आप अलवर चैम्बर आफ कामर्स एवं उद्योग के पदेन सचिव, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष रहे। आप आल इण्डिया एल.पी.जी. एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे मेजर यादव ने दल के विभिन्न पदों पर कार्य किया। समाज सेवा में रुचि रखने वाले मेजर यादव ने अपने क्षेत्र में जन कल्याण हेतु अनेक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया। आप जिला यादव महासभा, अलवर के अध्यक्ष भी रहे।

मेजर ओ.पी. यादव का दिनांक 30 जनवरी, 2014 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत मेजर ओ.पी. यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती शकुन्तला रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कृषकों को अर्द्धरात्रि में सिंचाई हेतु बिजली सप्लाई करने तथा जले हुए ट्रांसफार्मर 15-20 दिन में बदलने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
2. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विद्युत विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा का पेपर आउट हो जाने से परीक्षार्थियों में व्याप्त भारी आक्रोश एवं असंतोष के सम्बन्ध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन के नाम पर चलाये जा रहे अभियान की आड़ में कुछ लोगों को तंग करने एवं बिजली के अवैध कनेक्शनों के नाम पर तंग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

यह दो विभागों से सम्बन्धित है। इन स्थगन प्रस्तावों को निरस्त करते हुए, उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, डा. किरोड़ी लाल एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मैं खींवसर के माननीय विधायकजी से कहना चाहता हूं, दो विभाग से है, केवल एक विभाग के बारे में आप बोलेंगे अन्यथा अंकित नहीं होगा। दो मिनट आपको भी दिये जायेंगे।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वृद्घावस्था पेंशन समय पर दिलाने के सम्बन्ध में।
2. श्री जगसीराम, सदस्य की ओर से नगरपालिका आबूरोड की सफाई व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री अशोक, सदस्य की ओर से राज्य में किसानों को कृषि कार्यों हेतु वर्तमान में आपूर्ति की जा रही विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

4. श्री भीमा भाई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य 60 दिवस की कार्य योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में।

5. श्री शत्रुघ्न गौतम, सदस्य की ओर से जयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग नं. 12 का निर्माण जल्द करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

6. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की कतिपय पंचायत हैडक्वार्टर्स को पथ परिवहन निगम बस या ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने के सम्बन्ध में।

7. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से कस्बा भादरा की सब जेल का मरम्मत एवं सुधार कार्य शीघ्र शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

8. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से उप खण्ड मुख्यालय बायतू में उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिये महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

9. श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम के अन्तर्गत समायोजित व्याख्याताओं को नियम विरुद्ध जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कर देने के सम्बन्ध में।

10. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई व पीपलू शहर को बीसलपुर से पर्याप्त पेयजल सप्लाई कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत ...(आप बिराजिये)

सूचना

आयोगों, निगमों व बोर्डों के पदाधिकारियों को देय सुविधाओं की समाप्ति

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्षजी, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष: जरा जोर से बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जितनी मेरी आवाज है, इसको तेज करवा दो तो बैटर होगा। यह हमेशा मुझे प्राब्लम आती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने को मिला है कि जो स्टेट्युटरी कारपोरेशंस या बोर्ड्स हैं, इनके अध्यक्षों की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी गयी हैं। यह एक राजनीतिक भेदभाव का मामला है। यह बात सही है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, कि बी जे पी के 2003-08 के कार्यकाल में भी कुछ लोग लगे हुए थे, जब कांग्रेस सरकार आयी, दो का तो मुझे ध्यान है जिसमें श्री सरावट जी थे और नि:शक्जन बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी कोई सुविधा मंत्री स्तर के दर्जे या उनकी गाड़ी की सुविधा थी, वह समाप्त नहीं की गयी थी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेट्युटरी कारपोरेशंस के अन्दर समय नियत है, वे स्वत: ही दे देते अपना इस्तीफा तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस प्रकार से उनकी सुविधाएं समाप्त करना, मान लीजिये, वे इस्तीफा नहीं देते तो उन बोर्डस का, कारपोरेशंस का काम तो चलेगा नहीं। बिलकुल ठप हो जाएगा। कहीं जिलों में जा नहीं पाएंगे। इस प्रकार के भेदभाव को मैं अनुचित समझता हूं। सरकार से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री यहां विराजमान हैं- माननीय कटारिया जी मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्रीजी मौजूद हैं, ये इसके ऊपर प्रकाश डालें। इस प्रकार की संस्थाओं को इनइफैक्टिव बनाना, पंगु बनाना, मैं इसको कतई मुनासिब नहीं समझता हूं और परम्परा अच्छी नहीं है। कांग्रेस सरकार ने भी नहीं किया था ऐसा, जो इस सरकार ने किया है। इसके ऊपर अगर सरकार वक्तव्य देती है तो यह मुनासिब रहेगा, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार, सदन के नेता ने...

श्री अध्यक्ष: आपका, बिना अनुमति के बोल रहे हैं। बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कहा था कि बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करेंगे और यह बदले की भावना से...

श्री अध्यक्ष: बिना अनुमति के बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: उन्होंने अनुमति ली है पहले। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। बैठ जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मांगते पहले। आपकी आदत ही पड़ गयी। उन्होंने अनुमति मांगी इसलिये। श्रीमती शकुन्तला रावत। आप बैठिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर में सिंचाई हेतु विद्युत की रात्रि में आपूर्ति व जले ट्रांसफार्मरों के बदलने में विलम्ब

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं, जब मीटिंग्स हुईं पिछले दौर में तो घोषणाएं की गयी थीं कि किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी लेकिन लगातार रात का हफ़्ता दिया जा रहा है। पहले एक वीक दिन में और एक वीक रात में था वह ऐसे चेंज नहीं हो रही है। लगातार रात में बिजली देना उचित नहीं है क्योंकि बहुत ही ठण्ड हो रही है। ट्रांसफार्मर्स भी जब चाहे सिंगल फेस हो, चाहे थ्री फेस हो, 15-15 दिन से 20-20 दिन से। गांव बिलकुल अंधेरे में डूबे हुए हैं। आप चाहें तो गांवों की लिस्ट भी मैं आपको दे सकती हूं कि कौन-कौनसे गांव हैं जहां 15 दिन से सिंगल फेस के और थ्री फेस के ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं, वे नहीं बदले जा रहे हैं जिससे कि फसलों को नुकसान हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आपकी घोषणा के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था? आपने बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी थीं कि 8 घंटे लगातार सिंगल फेस बिजली दी जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 295 सिर्फ पढ़ा जाता है, भाषण नहीं दिया जाता है। जो लिखा है वह सिर्फ पढ़ा ही जाता है, बस।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह 295 नहीं है, यह 50 है।

श्री अध्यक्ष: वह स्थगन प्रस्ताव पर 2 मिनट बोल रही हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सदस्य, आप पहले सुन लेते कि मैं क्या बोल रही हूं। आपके पास कापी भेज दें क्या इसकी?

श्री अध्यक्ष: बोलें, बोलें। गलतफहमी में बोल दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपकी जानकारी में नहीं है तो आप भी तो बोल रहे हैं अभी।

श्री अध्यक्ष: गलतफहमी में थे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको भी शायद मेरे हिसाब से बोलने की आदत पड़ रही है। मैं तो सही बोल रही हूं। जो इसमें लिखा है वही बोल रही हूं। आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बोलिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह 50 का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप अपना वक्तव्य जारी रखिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इसमें पढ़ने का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप अपना वक्तव्य जारी रखिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इसमें बोला गया था कि 3 दिन के अन्दर चेंज होंगे ट्रांसफार्मर्स, लेकिन नहीं हो रहे हैं। डिमांड राशि जमा कराने के बाद भी सिंगल फेस के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ज्यादा अव्यवस्था हो रही है। अगर यकीन नहीं है तो आप सभी जगह से रिकार्ड मंगवा लें और मैं भी आपको यह दे सकती हूं। कई जगह मीटर भी लगे हुए हैं और ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं लेकिन बिल दे रहे हैं। ऐसी अव्यवस्थाएं किसलिए हैं, यह मैं आपसे जानना चाहूंगी?

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति जी।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष जी।

विद्युत विभाग में तकनीकी सहायक परीक्षा का प्रश्न-पत्र आउट होने से उत्पन्न स्थिति

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, सारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दिनों जब से यह सरकार आयी है, तब से बेरोजगारों का भविष्य कुछ अंधकार की तरफ जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हो रहे हैं- 21.12.2013 को जूनियर इंजीनियर्स का पेपर लीक हुआ, उसके बाद कृषि पर्यवेक्षक और आरएएस का पेपर लीक हुआ और अभी 2 फरवरी, 2014 को बिजली विभाग

(डा. किरोड़ी लाल)

द्वारा तकनीकी सहायकों की परीक्षा आयोजित की गयी थी, जोधपुर में भी, अजमेर में भी, जयपुर में भी, उसका पेपर भी आउट हो गया। राठौड़ साहब, पेपर आउट हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप इधर सम्बोधित कीजिये, राठौड़ साहब को नहीं। वह मेरे द्वारा चला जाएगा। आप तो जानते हैं, यहां से चला जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे इम्पोर्टेंट आदमी हैं, बात वहां तक पहुंच जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अंकित हो जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुबह साढ़े 9 बजे ही आउट हो गया। यह जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है, ऐसी चर्चा है मार्केट में कि 2-2, 3-3 लाख रुपये लेकर पेपर आउट किये गये हैं। यह वैसा ही चार्ज नहीं है कोई ऊपर का। एक बहुत बड़ा अख़बार राजस्थान पत्रिका अपने प्रदेश का, उसमें जो पेपर लीक हुआ है वह छपा है। मीडिया के पास और कुछ दूसरे लोगों के पास इस बात की वाइस रिकार्डिंग भी है कि पेपर लीक हुआ है। उसके बावजूद भी ऊर्जा विभाग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। राठौड़ साहब, गजेन्द्र सिंहजी तो चले गये, कृषि मंत्रीजी चर्चा में व्यस्त हैं, मैं सरकार के मंत्रियों से यह पूछना चाहता हूं कि जब पेपर लीक हो गया तो क्या यह राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप जांच कराएं। जो वाइस रिकार्डिंग हुई है, मीडिया के लोगों के पास है और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके पास है। पेपर अख़बार में छपा है ज्यों का त्यों।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा, राठौड़ साहब आप पूछ लें, मुख्य सचेतक जी, अन्दर जाकर पूछ आएं, मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस ढंग से राजस्थान के जवानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। खिलवाड़ होना नहीं चाहिए। हजारों की तादाद में बेरोजगार बच्चे मेहनत करके परीक्षा में बैठे और ऐन टाइम पर पेपर को लीक कर दिया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह आप जैसे व्यक्ति को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये जो पेपर लीक हुए हैं तकनीकी सहायक के, 2 फरवरी, 2014 रविवार को परीक्षा होने वाली थी, और शनिवार रात्रि को ही पेपर लीक हो

(डा. किरोड़ी लाल)

गया। साढ़े 9 बजे इनकी जानकारी में आ गया, मीडिया की जानकारी में आ गया, परीक्षार्थियों की जानकारी में आ गया, मैं इसमें आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इसमें विशेष जांच कराकर दुबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त रूप से आपने ध्यान खींच लिया है। श्री हनुमान बेनीवाल, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक विषय लीजिये दोनों में से, नम्बर एक। और अंकित न करें, यह कहने का मुझे मौका मत दीजिये, नम्बर दो।

अवैध खनन अभियान की आड़ में लोगों को कारित परेशानी

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रदेश में पिछले सोमवार से राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया है, अवैध खनन को रोकने का अभियान।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इन्होंने घोषणा-पत्र में एक बात कही थी कि खनिज नीति में हम बदलाव करेंगे। अच्छा होता कि खनिज नीति में बदलाव के बाद इस अभियान को राजस्थान में चलाया जाता तो लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा नहीं होता और इनकी वाहवाही हो जाती। लेकिन आनन-फानन में विशेष इलाकों में अवैध खनन रोकने के नाम पर पूरे प्रदेश में अभियान चला।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, मेरे इलाके में लाइम स्टोन के अथाह भंडार हैं। वहां सीमेंट कंपनियों के लिए ब्लाक सरकार ने आबंटित कर रखे हैं। नागौर में अंबुजा सीमेंट को मूंडवा के पास 25 साल पहले जमीन अलाट की। लगभग 1600 हेक्टेयर जमीन राजस्थान सरकार की और किसानों से भी सस्ती दर पर आज से 10-15 साल पहले अंबुजा ने जमीन ले ली। लेकिन अंबुजा सीमेंट वाले न तो वहां प्लांट स्थापित कर पाये और न ही वहां उत्पादन शुरू हुआ। 5 बार इन्होंने अपना टाइम बढ़ा लिया। ये दिसम्बर, 2014 तक रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सीमेंट कंपनियों के लिए लैंड सरकार ने रिजर्व कर रखी है। एक सीमेंट कंपनी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

को 9 वर्ग किलोमीटर जमीन सरकार देती है और उसमें 4 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। अगर इन ब्लाक्स पर से प्रतिबंध हटाया जाए और सीमेंट कंपनी के बजाय, जैसे मेरे इलाके में एक ब्लाक, 4 एस को खोला था तो 9 किलोमीटर के इलाके में 1000 चूने के भट्टे लगे और 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि अवैध खनन करने वाले लोग जानबूझकर अवैध खनन नहीं करते हैं, उनके सामने रोजगार का संकट है। सरकार रोजगार दे नहीं सकती तो लोग अपना पेट पालने के लिए अवैध खनन करने को मजबूर हैं। मेरे इलाके में जो 4 ब्लाक सरकार ने रिजर्व कर रखे हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन ब्लाक्स पर से प्रतिबंध हटाया जाए। एक एफएमएस ग्रेड के नाम से भी काफी इलाका इन्होंने रोक रखा है। और चारों ब्लाक के अलावा कई किलोमीटर के अन्दर लाइम स्टोन अथाह मात्रा में है। इन चार ब्लाक के अलावा बाकी पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एफएमएस ग्रेड में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 96 परसेंट है, 99 परसेंट होना जरूरी है। मेरे इलाके का एक जगह का सैम्पल जियोलाजिकल सर्वे हुआ उसमें 60 से 65 परसेंट ही कैल्शियम कार्बोनेट था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे इलाके के अन्दर पुन: जियोलाजिकल सर्वे करवाया जाए। हमारे खातेदार पिछले 36 दिन से नागौर के कलेक्ट्रेट में इसी मांग को लेकर, खाली बिजली की मांग को लेकर नहीं बैठे हैं, वे लाइम स्टोन के खातेदारों को पट्टे देने की मांग को लेकर 36 दिन से बैठे हैं। सरकार के अन्दर अगर संवेदनशीलता होती तो सरकार के मंत्री इस तरह हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाते कि एक हजार ट्यूबवैल चोरी के चला रहे हैं। मेरा तो खुद के कोई ट्यूबवैल ही नहीं है, कहां से चलाऊंगा? दुनिया जानती है कि मंत्रीजी कैसे एकदम आगे बढ़ गये, ऊपर बढ़े हैं, सब जानते हैं सारे लोग। बिना, सीधा-सीधा, ईमानदारी से काम करने वाला कोई आदमी आगे बढ़ा है क्या आज तक, तो बताओ आप, अध्यक्ष महोदय? कुली कितनी मजदूरी करता है रेलवे स्टेशन पर, देखा है? कोई अरबपति हुआ है क्या कुली? दो नम्बर का काम तो करना ही पड़ेगा तभी आदमी आगे बढ़ेगा?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): खींवसर से आने वाले माननीय

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सदस्य, आप स्वीकार करते हो कि आपने दो नम्बर का काम किया है काम चलाने के लिए? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): इनसे पूछो इनका, आये तब कैसी थी माली हालत।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप स्वीकार कर रहे हो कि आप अवैध काम करके थोड़ा बहुत काम बढ़ाने के लिए ... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): बंधी बांधी हुई है ...(व्यवधान)... उठ गये कैसे? दो नम्बर से? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधायक महोदय, विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि मैं दो नम्बर का धंधा कर रहा हूं। यह आरोप है अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोला है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बोला है, मेरे बारे में बोला है कि दो नम्बर के धंधे से बढ़े हैं। प्लीज इट शुड बी एक्सपंज। (व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने कहा, मैंने कब कहा? मैंने इनको नहीं कहा। मैंने कहा, आगे जो भी बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इन्होंने कहा है कि दो नम्बर के धंधे से सब आगे बढ़े हैं, किसी का नाम नहीं लिया है। आप विराजो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने आपका नाम कब लिया? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): इन्होंने बोला है, प्लीज आप रिकार्डिंग देख लीजिये। इनकी आदत है, यह टोपिक पर बोलते नहीं हैं और डाइरेक्ट अटैक करते हैं। यह खुद-खुद का भी देख लें। अपनी पोजीशन देख लो, क्या था। क्या था आपके पास, एमएलए बने थे पहले तक? आपने मकान बना लिया एक्वीजिशन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किस तरह आपने गरीबों की जमीन पर अतिक्रमण किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सीबीआई जांच हो गई तो आप भी वहीं जाओगे जहां महीपाल मदेरणा बैठा है।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): करा लीजिये मेरी जांच। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): महिपाल मदेरणा वाली बैरक में जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं माइनिंग पर बोल रहा हूं। बिजली पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका टाइम हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियमों से चलता है। माननीय सदस्य को अगर आरोप लगाने थे तो 273 में नोटिस देकर आते यह। किस पर बोल रहे हैं यह?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कैसे आरोप लगाया इन्होंने। आरोप आप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न है। आपने बोल लिया सब्जैक्ट पर। 295 के प्रस्ताव। 295 के अन्तर्गत श्री सुशील कटारा। (व्यवधान) अब आप विराज जाइये। (व्यवधान) नहीं, नहीं, हो गया। श्री सुशील कटारा। (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बेनीवालजी और इनका समझौता हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिये। (व्यवधान) एक युवा विधायक अपनी बात कह रहा है, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सदस्य से निवेदन है कि कम से कम टीएसपी क्षेत्र से आने वालों को तो बोलने दिया जाए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं समझता हूं कि दोनों में समझौता हो।

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। माननीय सदस्य, सुशील कटारा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चौरासी में वृद्धावस्था पेंशन का समय पर वितरण

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उपखण्ड सीमलवाड़ा, तहसील सीमलवाड़ा, चीखली में हजारों वृद्ध पुरुष और महिला वृद्धों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाने के कारण लोगों को गुमराह होना पड़ रहा है। जनजाति क्षेत्र में गरीब आदिवासी वृद्धजनों को उप कोष कार्यालय द्वारा समय पर पेंशन स्वीकृत कर तो दी जाती है परन्तु व्यवस्था के अभाव में समय पर लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। डूंगरपुर जिले में पेंशन अलग-अलग विभागों द्वारा दी जाती है- दरियाटी, धम्बोला, चीखली, कुआं, पीठ क्षेत्र के लोगों को पोस्ट आफिस द्वारा पेंशन दी जा रही है। पोस्ट मास्टर द्वारा दो-दो, तीन-तीन माह हो जाने के बाद भी गरीब आदिवासी वृद्धजनों को पेंशन समय पर नहीं दी जाती है। वहां अशिक्षित वृद्धजनों को हर माह मिलने वाली पेंशन की आधी राशि पोस्ट मास्टरों द्वारा हड़प ली जाती है। अत: इस व्यवस्था को, जो जिले में पेंशन अलग-अलग विभागों द्वारा दी जाती है, वह बैंकों के माध्यम से दिलवाई जाए। जो स्थिति विधान सभा क्षेत्र चौरासी की है, अमूमन वही स्थिति पूरे जिले में है। अत: मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये आग्रह है कि लोगों को जो पोस्ट आफिस द्वारा पेंशन दी जा रही है, वह पेंशन सरकारी या गैर सरकारी बैंकों के माध्यम से दिलवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे, माननीय मंत्रीजी?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। पिछली सरकार के दौरान जिस प्रकार से जल्दबाजी में यह पेंशन की स्कीम चालू की गई, उसके पास आधारभूत ढांचा नहीं था, सिस्टम पूरा साथ नहीं था उसके बावजूद इन्होंने शुरू किया। पेंशन की इस व्यवस्था को हम लगातार चला रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है, आपने अनुमति दी है क्या मंत्रीजी को जवाब देने के लिए?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सदस्य, पेंशन का मामला है, आपको तो आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए था।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): 295 में अगर कोई मामला उठाया है, चाहें तो मंत्रीजी जवाब दे सकते हैं। नियमों के अन्तर्गत मंत्रीजी चाहें तो जवाब दे सकते हैं। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप विराजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य सचेतकजी, विराजिये। उन्होंने अनुमति मांगी है और मैंने अनुमति दी है।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): आप नहीं चाहते कि लोगों को पेंशन मिले? जब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किस बात का जवाब?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): आपने जवाब नहीं दिया और अब सुनने नहीं दे रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): दोनों तरफ के माननीय सदस्य सुनने को तैयार रहें।

अभी वर्तमान सरकार इस स्कीम को लगातार चला रही है। नवम्बर तक की पेंशन की जितनी भी स्वीकृतियां सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, दिसम्बर की प्रक्रियाधीन हैं। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। इसमें प्रक्रिया की कुछ चीजें हम पोस्ट आफिस के माध्यम से मनी आर्डर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पोस्ट आफिस में नफरी की कमी के कारण से इसमें विलम्ब तो हो रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ भी ध्यान है। माननीय सदस्य ने जो बैंक के माध्यम से देने का कहा है, वह विकल्प भी हमारे पास है। जल्दी ही इस बारे में नीतिगत निर्णय करके कि यह समय पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने की बात करेंगे।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): मंत्री महोदय का धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जगसीराम। (अनुपस्थित)।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात उठाई, सभी के सभी दो नम्बर के धंधे से आगे बढ़ते हैं, इसको विधान सभा की कार्यवाही से हटाया जाए। सारे के सारे ऐसे नहीं होते। ये शब्द वापस लिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री जगसीराम कोली। (अनुपस्थित)।

श्री अशोक (अनुपस्थित)।

श्री भीमा भाई।

कुशलगढ़ में क्षतिग्रस्त पुलियाओं का मरम्मत कार्य

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गांव धाटा, ग्राम पंचायत सबलपुरा की पीएमजीएसवाई सड़क पर वाकड़ी नदी पर बनी पुलिया पिछले दो वर्ष से पूरी तरह टूट चुकी है। गांव धाटा की आबादी 3000 के करीब है, बारिश के मौसम में ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वहां से आवागमन हो सके। पिछली सरकार के मंत्रियों को कई बार निवेदन करने के बावजूद भी पुल की स्वीकृति नहीं मिली है। आये दिन आम जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव खाकरिना में बनी सड़क पर पिछले दो वर्ष में पुलिया तेज बहाव के कारण पूरी तरह से टूट चुकी है। वहां की जनता को आने-जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह से मिसिंग लिंक के अन्तर्गत बनी सड़क कणजीना बिजोरी से शोभावटी गांव में बनी सड़क पर बनी पुलिया एक वर्ष में ही टूट चुकी है। वह सड़क गारण्टी पीरियड में होने पर भी ठेकेदार नहीं बना रहा है।

अत: मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आग्रह है कि 60 दिवस की कार्य योजना में उक्त कार्य करवाया जाए एवं आम जन को हो रही परेशानी से मुक्ति दिलाई जाए।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। स्थान ग्रहण कीजिये। श्री शत्रुघ्न गौतम।

जयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग सं. 12 का शीघ्र निर्माण

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सन 2009 में जयपुर-भीलवाड़ा के तहत टेण्डर हुए जिसकी लागत 220 करोड़ रुपये थी। जिस फर्म के नाम टेण्डर हुआ वह सुभाष मार्केटिंग कम्पनी के नाम का आदेश जारी हुआ। दिनांक 2 फरवरी, 2012 को कार्य आदेश जारी हुआ। टेण्डर के 2 वर्ष बाद भी देरी इसलिए हुई कि फर्म का नाम बदलकर भीलवाड़ा-जयपुर टोल रोड

(श्री शत्रुघ्न गौतम)

प्राइवेट लिमिटेड हो गया जिसके डाइरेक्टर ओम कोठ्यारी ग्रुप के लोग हैं। यह कार्य दिनांक 4.8.2013 को समाप्त होना था जो कि आज तक भी पूरा नहीं हुआ। कार्य की गुणवत्ता बिलकुल निम्न है। आगे रोड बनती है, पीछे टूट जाती है। इस रोड पर पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई जिसके जिम्मेदार कौन हैं? इस कम्पनी को निर्देश दिया जाए कि सड़क कब तक बन जाएगी। और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बनवायी जाए। जो कम्पनी इसका निर्माण कर रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए जिससे आमजन को राहत मिल सके। यह मार्ग आठ विधान सभा क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, सभी विधान सभा क्षेत्र के लोग इस मार्ग से परेशान हैं। अत: श्रीमान से निवेदन है कि इस मार्ग को जल्द निर्माण करवाकर आमजन को राहत दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) के पंचायत मुख्यालयों पर परिवहन की सुविधा

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ पंचायत हैडक्वार्टर भी अभी तक राजस्थान पथ परिवहन निगम बस या ग्रामीण बस सेवा से वंचित हैं जिनमें ग्राम पंचायत बूटोली, खोवारिसपुर, भैंसडावत, सैंथली, चीडवा, गढी, धनेटा, सेमला खुर्द, दोंगडी, बुटियाना, घाट, खेडा महमूद, ऊंटवाल आदि हैं। अत: मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये विनम्र निवेदन है कि कृपा कर इन पंचायत केन्द्रों एवं इनके ग्रामों में बस सेवा शीघ्र से शीघ्र प्रारम्भ करवाई जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

भादरा उप-कारागार के निर्माण व सुधार कार्य

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि कस्बा भादरा में बन्दियों के लिए काफी पुरानी सब जेल बनी हुई है। वर्तमान में जेल भवन की मरम्मत व सुधार के लिए उक्त सब जेल को बंद किया हुआ है। भादरा जेल के बंद होने की वजह से गत 2 वर्षों से बन्दियों को नोहर सब जेल में स्थानान्तरित किया हुआ है। वित्तीय वर्ष में जेल सुधार हेतु 10 लाख रुपये भी स्वीकृत किये हुए हैं, लेकिन अभी तक मरम्मत एवं सुधार

(श्री संजीव कुमार)

का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। भादरा से नोहर की दूरी करीब 50 किलोमीटर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जेल के बन्दियों एवं अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: निवेदन है कि अतिशीघ्र जेल सुधार हेतु टेण्डर जारी कर निर्माण एवं सुधार कार्य शुरू करवाया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी अनुपस्थित)

श्री दर्शन सिंह (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल (निवाई) (अनुपस्थित)

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री अमराराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जसौल व पचपदरा तहसीलों (बाड़मेर) में भूमि पंजीयन पर रोक

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 महीने से बाड़मेर जिले के जसौल और पचपदरा तहसील की और सरकार के जाते-जाते तहसील पाटौड़ी व कल्याणपुरा की कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कोई गोदनामा निष्पादित नहीं हो रहा है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, रहननामा रखने के लिए, पट्टा लेने के लिए आम आदमी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी करीब एक अरब से ज्यादा की आय का नुकसान हुआ है। वहां छोटे-छोटे स्टाम्प वेंडर, छोटे-छोटे अर्जीनवीस सात महीने से बेरोजगार हो गये हैं, स्थिति बहुत नाजुक है। इसमें राजनैतिक बात नहीं है, हर आदमी परेशान है। यह तत्कालीन सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने पाबंदी लगायी कैबिनेट के अन्दर जिसके कारण से आज 7 महीने से पचपदरा, जसौल तहसील के अन्दर रजिस्ट्रियां बंद हैं, रहननामा बंद है, गोदनामा बंद है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। किसान परेशान हो रहे हैं, ऋण लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह रोक कब तक हट जाएगी? आम आदमी परेशान है, आप इसको जल्दी से जल्दी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं इसके बारे में उत्तर दिलाने का कष्ट करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 11.07.2013 से पचपदरा और जसौल में जमीन के पंजीयन पर रोक है। 1.3.2012 को तत्कालीन सरकार ने रिफाइनरी बाड़मेर के लीलाना में लगाने का तय किया, फिर सवा साल बाद 26.04.2013 को पचपदरा में लगाने का अचानक निर्णय किया। पचपदरा में जब रिफाइनरी लगाने का निर्णय किया उससे पहले वहां बड़ी संख्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त हुई, समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए और इस कारण से वहां एससी, एसटी की जमीन की भी बिना नियमों के खरीद-फरोख्त हुई। 12.07.2013 को तत्कालीन सरकार ने आईजी-स्टाम्प को इसकी जांच दी। जांच रिपोर्ट के अन्दर कई तरह की कमियां-खामियां पायी गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आने के बाद आईजी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 10.01.2014 को तहसीलदार, पचपदरा को, सब रजिस्ट्रार, जसौल तथा तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जसौल को निलम्बित किया है और अभी यह तय किया है कि जो दस्तावेज पंजीकृत हुए थे इनकी इंटरनल आडिट भी करवाएंगे। कलक्टर, बाड़मेर को ये निर्देश भी दिये गये हैं कि उस जांच अवधि में जितने दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं, उनकी विस्तृत जांच करें।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को लेकर कि लम्बे समय से ये पंजीयन बंद हैं, माननीय मुख्य सचिवजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी को प्राप्त हो गई है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, सूचित करना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति के सामने यह पूरा प्रकरण विचारार्थ है, वहां के लोगों की असुविधा को देखते हुए जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह।

ब्यावर में चिकित्साकर्मियों की पूर्ति

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर इस विधान सभा चुनाव से पहले गत सरकार ने जिस प्रकार रेवड़ियां बांटने का काम किया, उसमें ब्यावर में भी कमी नहीं रखी। जहां पर आवश्यकता नहीं थी, हमने जवाजा तहसील मांगी थी और सरकार ने टाटगढ़ को तहसील दे दी। टाटगढ़

(श्री शंकर सिंह)

का विरोध नहीं है, टाटगढ़ अच्छी बात है, उस एरिया में भी अच्छा हुआ, लेकिन वहां किसी प्रकार से पदों की व्यवस्था नहीं की गयी। वहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं और जो सब सेंटर चल रहे हैं, वहां पर स्टाफ की बहुत कमी है, डाक्टरों की बहुत कमी है। पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मुफ्त की दवाई बांटने का ढिंढोरा पीट कर राजस्थान की जनता को गुमराह किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आम जनता उसकी आज पीड़ा सहन कर रही है, उसका नुकसान उठा रही है। हमारे माननीय मंत्री महोदय, जो सजग हैं, पूरा ध्यान रखते हैं जनता के प्रति, मेरा उनसे आग्रह है कि स्टाफ की कमी जल्दी ही पूरी की जाए। नया स्टाफ भर्ती किया जाए तथा जो लोग संविदा पर लगे हुए हैं उनको भी अगर आप स्थायी करने का करेंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा राजस्थान की जनता के अन्दर। डाक्टरों की कमी जो बहुत ज्यादा है, उसमें भी आप जल्दी भर्ती करने का करें तो अच्छी बात होगी। अन्यथा दूसरी जगहों से भी आप डाक्टरों को उस क्षेत्र में देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अमृत कौर अस्पताल राजस्थान का 'अ' श्रेणी का अस्पताल है जहां राजस्थान के चार जिलों के मरीज इलाज कराते हैं। मरीज की कोई जाति नहीं होती है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का और किसी भी जिले का जो आ जाता है तो डाक्टर उनकी सेवा करने के लिए रहते हैं। लेकिन डाक्टरों की कमी की वजह से आज वहां पर काफी मरीज परेशान हैं। पूर्व में चिकित्सा मंत्रीजी वहां आये थे, उसके बाद में वो दुबारा वहां नहीं पहुंच पाये क्योंकि वहां हालत इस प्रकार की थी कि लोगों की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। मरीज तड़पते रहते हैं, और डाक्टर वहां नहीं हैं। वहां पर डाक्टरों की कमी को तुरन्त पूरा किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि मुझे थोड़ा आश्वासन दें। धन्यवाद, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूरे राज्य के अन्दर चिकित्सकों की कमी है और इस कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं में, चिकित्सा व्यवस्थाओं में गतिरोध भी आ रहा है। निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों में 3046 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं और आपके यहां पर भी 16 पद रिक्त हैं। हमने हाल ही में 216 चिकित्सकों की नियुक्ति की है और आगे और भी नियुक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि निजी क्षेत्र के अन्दर भी जो चिकित्सक काम कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं, वो भी सरकारी सेवा में आएं। यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आपके चिकित्सालय में रंग-रोगन, सफाई की सारी व्यवस्था ठीक हो रही है। मैं एक निदेशक स्तर के किसी अधिकारी को भेजकर उस चिकित्सालय के बारे में और जांच करवा लूंगा और जो कमी-खामी हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

फसलों को जंगली जानवरों द्वारा किया जा रहा नुकसान

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूरे राजस्थान में जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की खड़ी फसलों में जो नुकसान किया जा रहा है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। किसान दिन-रात बड़ी मेहनत करके, खून-पसीना बहाकर अपने खेतों में फसल बोता है। उस फसल में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, चाहे उसके बेटे की फीस जमा नहीं होती हो, उसकी फटी हुई कमीज के बजाय नई कमीज नहीं सिला पाता हो। वो सोचता है कि अगर फसल में कोई रोग लग गया तो पहले उसका उपचार करने के लिए रोग की दवा खरीदूं, कमीज बाद में खरीदूंगा, बेटे की फीस तब जमा कराऊंगा जब मेरी फसल आ जाएगी। उसके बेटे की फीस ही नहीं, बेटी के पीले हाथ करने की भी उसकी आकांक्षा रहती है कि जब मेरी फसल पैदा होकर मेरे घर आएगी, तो कहीं न कहीं मेरी बेटी के पीले हाथ करूंगा। उन खेतों की वो दिन-रात रखवाली करता है, अलाव जलाकर इस कड़ाके की सर्दी में पूरी-पूरी रात खेतों पर बैठा रहता है कि कहीं जंगली जानवर मेरी फसल को न खा जाए। इतना प्रयास करने के बाद भी दिन-रात मेहनत करने के बाद अगर उसकी थोड़ी सी आंख लग गई, नींद आ गई तो जंगली जानवर एक-दो घंटे में ही पूरी खड़ी फसल को चौपट कर जाते हैं। स्थिति यह होती है कि किसान जो पूरे साल मेहनत करता है, उसमें खाद-बीज डालता है उस फसल में उसके कुछ भी हाथ नहीं आता। जंगलों के आस-पास, नदी-नालों के पास जंगली सूअर, हिरण, नील गाय वगैरह इतने हो गये कि उनकी रोकथाम की कोई व्यवस्था वन विभाग की नहीं है। वन विभाग अगर कोई बाउण्ड्री करके रोकता भी है तो वो पर्याप्त नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिया है कि हम किसानों के खेत में तारबंदी कराकर उसकी फैंसिंग पर अनुदान देंगे। मेरा माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस फैंसिंग के लिए सरकार जल्दी से जल्दी प्रावधान

(श्री हीरालाल नागर)

करे। उसमें 90 प्रतिशत अनुदान सरकार दे और 10 प्रतिशत से किसान अपनी मेहनत से उसकी बाउण्ड्री करे तो उसकी खड़ी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जहां भी अत्यधिक रूप से जंगली जानवर, रोजड़े वगैरह हैं, उनकी शिफ्टिंग की भी व्यवस्था ऐसे जंगलों में की जाए, जहां पर वो किसानों की खड़ी फसल को नुकसान नहीं कर सके। इस बारे में मैं निश्चित रूप से कृषि मंत्रीजी और वन मंत्रीजी के माध्यम से यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस बारे में शीघ्र उपाय करके किसानों को राहत पहुंचाई जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। आप रेस्पोंड कर रहे हैं? एक मिनट, विराजिये। कृषि मंत्रीजी।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कृषि मंत्रीजी थोड़ा जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो बोला ही नहीं तो जवाब किस बात का दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: पहले वाले का दे रहे हैं। हीरालालजी नागर ने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 340 लाख हैक्टेयर का भू-भाग है और उसका 1/3 भाग वन तथा मरुस्थल से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से रोजड़े, नील गाय या अन्य प्रकार के जो जानवर हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की यह चिन्ता है लेकिन कृषि विभाग में अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है जिसके कारण से उनकी फसलों की सुरक्षा, रक्षा, फैंसिंग या तारबंदी की जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और मेरे विभाग की तरफ से भारत सरकार को इस बारे में निवेदन किया जाएगा। उन्होंने जो नई गाइडलाइन अभी दी है, उसमें बागवानी फसलों को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन ऐसे कार्य,जो स्थायी महत्व के नहीं हों उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन यहां से एक प्रस्ताव हम लोगों ने भारत सरकार को भिजवाया है कि इसको नरेगा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाए। उसमें सामग्री का 40 प्रतिशत पैसा नरेगा

(श्री प्रभूलाल सैनी)

योजना से मिले और उसके अलावा जो पैसा है वो राजस्थान का किसान अपना हिस्सा दे। इस योजना के बारे में प्रस्ताव भिजवाया गया है, सम्भवतया शीघ्र ही कार्यवाही हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

फसल बीमा योजना के कतिपय प्रावधानों से कृषकों को कारित नुकसान

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष जो इस सरकार ने बनते ही 19.12.2013 को एक परिपत्र निकालकर मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2013-14 लागू की है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने आते ही किसानों के हितों पर कुठाराघात करना चालू कर दिया है, इसका एक बहुत बड़ा नमूना मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2013-14 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान गेहूं और जौ बोता है पर इस फसल बीमा योजना के तहत पाले से हुए नुकसान में किसान की ये दोनों फसलें कवर नहीं हो रही हैं। यह किसान के हित पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो नियम बनाये हैं उसमें पाले में गेहूं और जौ तो बीमा में कवर नहीं ही होते हैं और जो चना है उसमें भी यह है कि अगर दो दिन लगातार 0 डिग्री तापमान जाए तब चना कवर होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक दिन ही 0 डिग्री तापमान चला गया तो किसान के पास कुछ बचता ही नहीं है, फिर दो दिन लगातार किया है। तो यह सरकार किसान विरोधी नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य फसल की इकाई इन्होंने पटवार हल्का को मान लिया, लेकिन जो गौण फसलें हैं उनका गिरदावर हल्का मानने का जो काम किया है यह भी किसान के हित पर कुठाराघात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरसों -1 डिग्री तापमान जाए तब बीमा में कवर होता है तो 0 ही पर्याप्त है और उस सरसों की फसल में कुछ बचता ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो किसान को ठगने का काम किया है, कि सभी ऋणी किसानों के लिए बीमा कराना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अनिवार्य कर दिया जो किसान के लिए अहितकारी है। उसके लिए स्वैच्छिक रहना चाहिए। अगर ऋण नहीं ले रहे हैं, अऋणी हैं तो किसान चाहें तो कराएं और नहीं चाहें तो नहीं कराए। लेकिन जो किसान ऋण लेते हैं उनका पैसा तो बैंक पहले ही काट लेती है क्योंकि इन्होंने अनिवार्य कर रखा है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने साढ़े चार-पांच प्रतिशत प्रीमियम कर दिया जो ढाई-तीन-साढ़े तीन से ज्यादा पहले कभी नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, गेहूं है उसमें बीमा 17600 रुपये एक हैक्टेयर, इसका प्रीमियम किसान 845 रुपये देता है जो 4.8 प्रतिशत होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चने का जो 11,000 रुपये का बीमा है एक हैक्टेयर का, उसमें किसान से 528 रुपये प्रीमियम लिया जाता है, यह भी 4.8 प्रतिशत है। जो सरसों है, उसमें 9,350 रुपये के आधार पर किसान से 449 रुपये प्रीमियम लिया जाता है, वह भी 4.8 प्रतिशत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई, तीन, साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा कभी किसान के साथ नहीं हुआ तो अब इस सरकार ने आते ही, जो अपने आपको किसानों की हितैषी बताती है, कि 60 दिन में किसानों का भला कर देंगे, बिजली भी दे देंगे, किसान को निहाल कर देंगे, और इनकी बातों पर विश्वास करके राजस्थान के किसान ने इनको भरपूर वोट दिया है, भरपूर समर्थन दिया है, उसके बावजूद भी ये इस प्रकार का कुठाराघात किसान के हितों के ऊपर कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बढ़ा हुआ किसान का प्रीमियम है इसको कम किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, जो मापदण्ड 19.12.2013 के परिपत्र के द्वारा आपने लागू किये हैं किसान के साथ में, उसमें ऋणी किसानों को स्वैच्छिक होना चाहिए। और जो तापमान की शर्तें हैं, जैसे सरसों का -1 है, उसको 0 रखा जाना चाहिए और चने के लिए दो दिन लगातार 0, .0 डिग्री तापमान है, एक दिन में ही चने की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये किसानों के भले के लिए ही अपने आपको बताकर, वादा करके आये हैं और 60 दिन की कार्य योजना भी बड़ी-बड़ी लेकर आये हैं लेकिन इन्होंने बनते ही किसान के साथ अन्याय करने का काम किया है, किसान को ठगने का काम करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो महामहिम हैं, आप तो बहुत ही

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उदार दिल हैं, आप तो निर्देश भी दे सकते हैं और आप हमारे हितों का संरक्षण भी करते हैं। आप भी किसान परिवार से आते हैं, आपसे निवेदन है कि इस प्रकार से किसान के साथ में भेदभाव नहीं हो, किसान के साथ यह अन्याय नहीं हो। इनका बढ़ा हुआ प्रीमियम कम हो, ऋणी किसानों को भी इसमें स्वैच्छिक आधार पर ही होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय भी किसान परिवार से आते हैं तो किसानों के साथ, उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं करेंगे, ऐसा मानते हुए, आपके आदेश को सर्वोपरि मानते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप रेस्पोंड करेंगे? आप बैठिये। आप विराजिये, विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, पर्ची के माध्यम से मुझे पता लगा कि आप फसल मौसम बीमा पर बोलने जा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा कि एक किसान का बेटा खेती की बात करेगा। लेकिन माननीय सदस्य ने इसको राजनैतिक रूप देने का प्रयास किया है। मैं उनको अपडेट करना चाहूंगा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक नवम्बर, 2013 का यह सर्कुलर देखें, जो पहले किसान दो प्रतिशत प्रीमियम देता था, इस सर्कुलर के द्वारा भारत सरकार ने 4.8 प्रतिशत एक नवम्बर, 2013 से किया है, न कि राजस्थान सरकार ने किया।

मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान में 21 जिले ऐसे हैं जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कवर किये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से ये निर्देश भी दिये गये हैं कि जिन जिलों में प्रीमियम वास्तव में तो ज्यादा आता है, उनको मुआवजा नहीं मिलता है, परीक्षण करके आगामी फसल बीमा के लिए संसूचित फसलें और जिले तय किये जाएंगे, ऐसे जिलों को बदलकर जहां पर किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा हो, उनको संशोधित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हम लोग लेंगे, यह मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तो आप कह दो कि हम केन्द्र सरकार से दुरुस्त करवाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अपनी बात केन्द्र सरकार पर क्यों डालें? आप करो, आपको मैंडेट दिया है 163 का। मंत्रीजी ने कहा है, मैं उनका जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पाइंट आफ आर्डर, सर। पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष: पाइंट आफ आर्डर आने दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर नोटिफिकेशन डाले जाएं, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बजरी पर आधे घण्टे की चर्चा जो आपने कार्यक्रम में रखी है, यदि सारे विधायी कार्य के बाद में होगी, अध्यक्ष महोदय, तो उसका महत्व बहुत ही कम हो जाएगा। आप इस बात को देखें। महंगाई रोकना और बजरी की महंगाई को रोकना, यह सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है और इस पर मेरा निवेदन है आपसे, कि चर्चा पहले कराना सारे राजस्थान के हितों की दृष्टि से ही अधिक उपयोगी होगा। बाकी आपका आदेश है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, हमेशा ये जो विषय लिये जाते हैं, ये बाद में ही आते हैं। पहले विधायी कार्य हो जाने दीजिये, उसको लूंगा मैं, आपको विश्वास दिलाता हूं। श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की 20 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)राज-6/2004/7 दिनांक 8.2.2013, जिसके द्वारा श्री पूरनचंद महेरड़ा को उपखण्ड सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आबंटन सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है ;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/12/8 दिनांक 20.2.2013, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों के प्रभारी अधिकारियों को कतिपय अधिसूचनाओं के द्वारा शक्तियां/शिथिलता प्रदान की गई है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/9 दिनांक 20.2.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या:एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/10 दिनांक 1.3.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/11 दिनांक 13.5.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या:एफ.6(24)राज-6/2001/पार्ट/12 दिनांक 12.6.2013, जिसके द्वारा आज्ञा क्रमांक:एफ.2(244)राज/ग्रुप-3/73 दिनांक 23.1.1974 को तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/2005/13 दिनांक 20.6.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य लोकोपयोगी निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमियों के आबंटन) नियम, 1963 के खण्ड-3 के उपखण्ड (II) में भूमि आबंटन की दरों में संशोधन किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.6(2)राज-6/2001/14 दिनांक 1.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत आधारित पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/15 दिनांक 8.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.6(14)राज-4/81/पार्ट/16 दिनांक 10.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धाराओं के अन्तर्गत श्री रतनलाल ताम्बी को 4 वर्ष के लिये राजस्थान भू-दान यज्ञ बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

11- अधिसूचना संख्या : एफ.6(24)राज-6/2001/17 दिनांक 15.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आबंटन) नियम, 2007 के नियम 6(3) के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के कतिपय क्षेत्रों को लवणीय क्षेत्रों से वापस लिया गया है ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/05पार्ट/18 दिनांक 5.8.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के खण्ड-1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित भूमि को छोड़कर राजकीय विभागों को राज्य सरकार के अनुमोदन बिना आबंटन हेतु आबंटन अधिकारियों को दिनांक 31.3.2014 तक अधिकृत किया गया है ;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.6(7)राज-6/95/19 दिनांक 23.8.2013, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी (प्रशिक्षु) सुश्री अनुपमा जोरवाल को अलवर जिले में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.6(24)राज-6/01/20 दिनांक 18.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आबंटन) नियम, 2007 के नियम 6(3) के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के ग्राम सांभरा के विभिन्न खसरों को लवणीय क्षेत्रों से वापस लिया गया है ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.6(4)राज-6/2001/21 दिनांक 20.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के खण्ड-2 एवं 3 में संशोधन किया गया है ;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.2(4)राज-6/2001/22 दिनांक 26.9.2013, जिसके द्वारा ग्रामदानी गांव भागू का गांव, जिला-जैसलमेर में विभिन्न खसरों को ग्राम सभा के प्रबन्धन से निर्निहित करती है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.9(79)राज-6/2011/23 दिनांक 3.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त भूमि आबंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.6(12)राज/06/99/पार्ट/24 दिनांक 3.10.2013, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005 में संशोधन किया गया है ;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

19- अधिसूचना संख्या : एफ.6(2)राज-6/2001/25 दिनांक 4.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित पावर प्लान्ट स्थापना हेतु भूमि आबंटन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ; एवं

20- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट/26 दिनांक 4.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह। गजेन्द्र सिंहजी, अधिसूचनाएं रखिये।

ऊर्जा विभाग

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ऊर्जा विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि 97 दिनांक 10.5.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 विरचित किये गये हैं ;

2- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि 98 दिनांक 4.6.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनि 99 दिनांक 5.7.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनियम 100 दिनांक 8.8.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बन्धित मामले) (दशम् संशोधन) विनियम, 2013 विरचित किये गये हैं ;

5- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनियम 101 दिनांक 28.10.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का सम्पादन) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है ; एवं

6- अधिसूचना संख्या : राविविआ/सचिव/विनियम 102 दिनांक 11.11.2013, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (याचिकाओं हेतु शुल्क) (सातवां संशोधन) विनियम, 2013 विरचित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभू लाल सैनी।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा व लेखे (वर्ष 2011-12)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

व्यवस्था का प्रश्न

पूर्व सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों के अनुसरण में पेश किये गये विधेयकों में किये गये नामकरण दल की विचाराधारा के अनुकूल नहीं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने रखना चाहता हूं जिसमें सदन की मर्यादाएं जुडी हुई हैं और हम सबकी नैतिकता भी जुडी हुई है। उसको अगर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हम सोचेंगे तो यह विधायी कार्य के लिए पुर:स्थापित करने वाले विधेयक हमारे लिए आवश्यक होंगे और अगर हम उनको क्षीण-क्षीण और तार-तार ही कर देंगे तो फिर इस प्रकार के विधेयक आना हमारे लिए उचित नहीं है।

मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं और हमारे तीन महारथी-आदरणीय पंचायती राज मंत्रीजी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्रीजी और माननीय कालीचरणजी सराफ और मैं, मैं तो अभी रथी भी नहीं हूं, ये महारथी हैं, ये जो तीन बिल यहां पर आ रहे हैं, उन तीन बिलों का हम सब लोग यहां बहुत जोर से विरोध कर चुके हैं। उनका विरोध कर चुके, उनके लिए मत विभाजन मांग चुके, उनके लिए हाउस को एडजोर्न करा दिया और वही बिल, उसी लैंग्वेज में हम आज सदन में पेश कर रहे हैं। सदन में कुछ बातों का महत्व है। संसदीय परम्पराओं में वाकआउट का एक महत्व दिया हुआ है कि हम वाकआउट क्यों करते हैं। संसदीय परम्पराओं में मत विभाजन का महत्व है कि हम मत विभाजन क्यों करते हैं। और सदन मिसलीड करने के लिए नहीं है, सदन समस्याओं का समाधान करने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मंत्रीगणों से कि हम इन विधेयकों के बारे में पुनर्विचार करें ताकि सरकार की प्रतिष्ठा रहे, हमारी विचारधारा की प्रतिष्ठा रहे और हम जो कुछ बोलें, उसकी प्रतिष्ठा रहे। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 माननीय जितेन्द्र सिंहजी ने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करते समय, मैंने भाषण दिया, उप नेता था। गुलाबजी कटारिया ने दिया, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ने दिया और कालीचरणजी सराफ ने दिया। उस समय हमने जबरदस्त विरोध किया, यह कहकर कि ये जो आ रहे हैं, निजी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति के नाम, पद्धति, पदाभिमान का उपयोग किया गया है। महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 4-5 जनवरी को आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन में यह मत प्रकट किया गया कि इनकी जगह चेयर पर्सन, प्रेसीडेंट और प्रो-प्रेसीडेंट का नामकरण कर दिया जाए।

(13.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, जब इस पर चर्चा प्रारम्भ हुई तो श्रीमान गुलाबचन्द जी कटारिया बोले, पदनामों को बदल सकेंगे। और बदलें, इसका परिणाम क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होगा? सारे राजस्थान के विद्यार्थी बेरोजगार होंगे, उनकी डिग्री की मान्यता खत्म हो जाएगी। और मैं समझता हूं, अगर बिलकुल ही तय कर लिया। कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, तो इस अटपटे नाम की बजाय तो कम से कम ठीक नाम लें जिससे लोग पहचान भी सकें, हमें पता लगे। कोई अनपढ़ आदमी हो तो उसको भी पता लगे कि यह नाम क्या है। प्रेसीडेंट तो समझ में आता है लेकिन प्रो-प्रेसीडेंट क्या होता है? और एक नीचे प्रो-वोस्ट है, यह प्रो-वोस्ट क्या है? यह समझ में नहीं आता, प्रो-वोस्ट होता क्या है। मैं सोचता हूं कि नाम को समझने के लिए डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े, ऐसी जिद्द करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। और इसके आगे भी और बहुत-सी बातें बोली हैं माननीय गुलाबजी कटारिया ने। उसके बाद में श्रीमान राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, वह बोले- मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार का लापरवाही से और इस तरह से पूरे सदन का मजाक करने वाला बिल नहीं देखा। एक, और उसके बाद में हमारे जो मंत्री हैं कालीचरणजी सराफ, जो पेश कर रहे हैं, वह बोले- हिन्दी का इतना समृद्ध कोष है, हिन्दी का इतना विस्तृत शब्द कोष है, यदि आपके पास शब्द नहीं हैं तो मेरे से ले लें। उसके आगे फिर बोले, अब चांसलर को चेयर पर्सन, वाइस चांसलर को प्रेसीडेंट, प्रो वाइस चांसलर को प्रो प्रेसीडेंट, ये कौन से शब्द हैं, यह शब्द ही हमने तो पहली बार सुने हैं। आप इनकी जगह कुरकुल कह सकते थे, कुल प्रमुख कह सकते थे, कुल आचार्य कह सकते थे, कई शब्द हैं इस प्रकार के हिन्दी में। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। आप कोई विकास के काम में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएं, धारीवालजी, तो आप के लोग गुण गाएंगे और इतनी-सी बात भी के आप प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएंगे तो लोग आपकी बात पर धिक्कारेंगे। हमने यह कांग्रेस पार्टी को कहा कि इन शब्दों के साथ हम धिक्कारेंगे। अब हम जो ये आज चारों बिल ला रहे हैं, उन चारों बिलों में एक ही शब्द है, चेयर पर्सन, प्रेसीडेंट, प्रो प्रेसीडेंट, प्रो-वोस्ट। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन की मर्यादा के हिसाब से, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे कोई बिल नहीं हैं जिन बिलों को आज पारित करना जरूरी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इन शब्दों को जैसा हमने मांग की, उसके बाद इतना ही नहीं रूके हम। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, हमने मत विभाजन की मांग की। मत विभाजन नहीं हुआ, उसके बाद हाउस एडजोर्न हुआ आधा घंटे, उसके बाद एक घंटे तक हाउस एडजोर्न हुआ। हम वैल में आये, हमने नारे लगाये और उसके बाद में हमने इन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सब का विरोध किया। आज, जिन चीजों का हमने विरोध किया, उन चीजों को, उन्हीं शब्दों को हम लेकर आएंगे तो क्या हम राजस्थान की जनता के प्रति, हमारी विचारधारा के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति न्याय करेंगे? इसलिए मैं तीनों महारथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर, जब हम बिल लाते हैं तो पार्टी के हिसाब से नहीं लाते हैं, अगर बिलों की अपरिहार्यता है तो आप 19 तारीख तक ये नाम चेंज करके बिल ला सकते हैं। और मैं आग्रह करता हूं कि इस सदन की मर्यादा की रक्षा के लिए, संसदीय मर्यादाओं की रक्षा के लिए हमको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब हम, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उस पर प्रतिपक्ष में यह कह सकते हैं कि जनता आपको धिक्कारेगी, तो आज हम पास कर लेंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, अगर इधर से कोई बोलेंगे, हां। (व्यवधान) इसी विषय पर, पाइण्ट आफ आर्डर पर?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, इसी विषय पर। अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग की बात माननीय सदस्य सांगानेर से आने वालों ने रखी है और जिस ढंग की परम्पराएं सदन की रही हैं, आप कल अपोजीशन में थे, आज यहां ट्रैजरी बैंच में पहुंच गये। आपने मत विभाजन की मांग रखी, आप वैल में भी गये, आपने बहिर्गमन भी किया और बार-बार हाउस स्थगन किया, और जैसा राजेन्द्र राठौड़जी का बयान इन्होंने पढ़ा है, कि विधान सभा के इतिहास में ऐसा बिल, हमने नहीं देखा जो शर्मनाक है, तो ऐसे बिल को ही वह ला रहे हैं, यह, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार से संसदीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। ये नहीं रखे जाने चाहिए। नहीं लाये जाने चाहिए। घनश्यामजी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य के हिसाब से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गवर्नर के अभिभाषण पर। एतराज किस बात का था? अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करना। यहां तो आपने पूरी की पूरी ग्रामर इस्तेमाल कर ली अंग्रेजी की।, ये जितने भी शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है, they are nothing but part and parcel of the English grammar. महामहिम को तो आप बोलने नहीं दें क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पूरे का पूरा विश्वविद्यालय खड़ा करने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जा रहे हैं अंग्रेजी की वोकेबुलरी और ग्रामर पर और उन्हीं के नामों पर। आखिर कम से कम सैद्धांतिक फैसला तो करवाइये। अध्यक्ष महोदय, आप जिस आसन पर विराजे हुए हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है, परम्पराओं का निर्वाह करते हुए ऐसी परम्परा नहीं पड़े कि हम अपनी ही बात को वापस गलत साबित कर दें और उसकी परम्परा बन जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सचेतक बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है। मैं तो बार-बार यह कहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, यह दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, इनका कोई चरित्र नहीं। (व्यवधान) दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपका पाइण्ट आफ आर्डर क्या है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है, आपका क्या लेना-देना है? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पाइण्ट आफ आर्डर क्या कहता है, आप बताइये? आप भाषण देने खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम बार-बार कहते हैं कि आपकी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बात-बात पर आपका भाषण देना, इसलिए हम यहां थोड़े ही आये हैं....(व्यवधान) आप विराजिये पहले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अपने पूर्व के किये गये कथनों को नहीं मानते ये। (व्यवधान) आप विराज जाओ, माननीय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पाइण्ट आफ आर्डर कुछ आता नहीं है आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए, उनको मैंने इजाजत दी है, बोल लेने दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए मैं निवेदन करना

चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे पूरी आशा है, हमको सब को आशा है कि आप इसमें निर्देश प्रदान करेंगे सरकार को। इनकी कथनी और करनी सब के सामने आ गई है, दोहरे चरित्र वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, अब विराजिये आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह पाइण्ट आफ आर्डर में है क्या, कथनी और करनी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाओ न, सरकार।

श्री अध्यक्ष: अब विराजो, हो गया आपका। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप व्यवस्था के बारे में कुछ बोलेंगे या मुख्य सचेतक महोदय से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जी। अध्यक्ष महोदय, जिन विधेयकों के बारे में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, ये विधेयक वे विधेयक हैं जो आर्डिनेंस के रूप में हमें मिले हैं। 25 सितम्बर, 2013 को इन विश्वविद्यालयों के बारे में राजपत्र में आर्डिनेंस जारी हुआ। अब हमारे सामने दो ही बातें थीं, अध्यक्ष महोदय, या तो इस आर्डिनेंस को हम रिप्लेसिंग बिल के रूप में यहां लाते नहीं। अगर रिप्लेसिंग बिल के रूप में नहीं लाते तो ये सारी यूनिवर्सिटी और इस एक्ट के नाम, इस आर्डिनेंस के नाम से जो कार्यवाही वे कर रहे थे, वे अवैध हो जातीं। कई विश्वविद्यालय ने एकेडेमिक कार्य अपने प्रारम्भ कर दिये, इसलिए हमारे सामने यह मजबूरी थी कि हम इन आर्डिनेंस को जो पूर्ववर्ती सरकार ने जारी किये, इन्हें रिप्लेसिंग बिल के रूप में लाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो और बिल हैं, वे बिल वह बिल हैं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं। और मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद भी दूंगा, आपने उस वक्त भी यह कहा था कि अगर अलवर के अन्दर विश्वविद्यालय खुले तो उसके साथ महाराजा भर्तृहरि का नाम होना चाहिए। आप ही ने कहा था कि अगर भरतपुर में विश्वविद्यालय खुले तो वहां महाराजा सूरजमल का नाम होना चाहिए और पंडित दीनदयालजी के नाम से विश्वविद्यालय में तो आपका एतराज ही नहीं होना चाहिए। ये समग्र बातें जो आज उठी हैं उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए। और मैं आप ही को कहूंगा कि आप तो एक विचारधारा से बंधे हैं, जहां दीनदयालजी का नाम आ जाए वहां आप और माननीय सामने बैठे हैं, डाक्टर किरोड़ी लालजी नतमस्तक हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्डिनेंस के रूप में हम इस आर्डिनेंस में से कुछ चीजों को निकाल कर अगर लाते तो विलम्ब हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाता। उसके बाद भी संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, अगर ऐसी कोई बात होगी, माननीय सदस्य से हम मिल लेंगे, इनकी जानकारी ले लेंगे, कुछ शब्दों पर अगर आपत्ति होगी, और माननीय सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने जिन्होंने आर्डिनेंस जारी किया, उनको भी अगर कुछ आपत्ति होगी तो पूरी जानकारी इनसे बातचीत करके और संशोधन की आवश्यकता होगी तो विधान सभा में संशोधन प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, न तो यहां सरकारों का और उनका मैटर है, यह बिल का मैटर है, इसको घुमाने की भी जरूरत नहीं है। इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महाराजा सूरजमल और भर्तृहरि के नाम से घुमाने की जरूरत नहीं है, वह तो प्रस्ताव मेरा ही था और मेरा ही नहीं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन तीन नामों से किया था। इन्होंने बदला और अब हम इसको वापस लाये, इसका हम स्वागत करते हैं। मूल बात यह है कि ये जो प्रो-वोस्ट, चेयर पर्सन और तीन नामों के बारे में हमने यहां पर भाषण दिया, उस भाषण में हमने कहा कि लोग हमको, आपको धिक्कारेंगे, आज इन्हीं नामों से हम लेकर आये हैं। इसलिए मैं यह नहीं कहता, बिल जरूर लाइये, हम इन बिलों का सब का समर्थन करते हैं लेकिन इस बिल को प्रवर समिति को भेज कर इन नामों को चेंज कर लीजिये, कल ही कर लीजिये, परसों कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आपने व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर यह विषय उठाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मर्यादा का।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मर्यादा और नैतिकता।

श्री अध्यक्ष: देखिए, मर्यादा और नैतिकता हम सब को पालन करनी चाहिए लेकिन वह मर्यादा और नैतिकता शब्द इसमें कहीं नहीं है, माननीय विधायक, मैंने इसको पढ़ा है और इसलिए मैं कह सकता हूं...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): परम्पराएं तो हैं। (व्यवधान)

व्यवस्था

पूर्व सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों के अनुसरण में पेश किये गये विधेयक एक सामान्य प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: इन्होंने कहा कि मुझे व्यवस्था देनी है और व्यवस्था जब देनी है तो इस पोथी के अन्तर्गत मुझे व्यवस्था देनी है। इसलिए यह सही है कि सरकारें बदलती हैं, सरकार में सोच होती है और सत्ताधारी जब रहते हैं और प्रतिपक्ष में जब रहते हैं तो कुछ ऐसे मतभेद होते हैं कि जो उस समय भाषण के आधार भी बनते हैं और सदन के सामने रखे भी जाते हैं अपने वक्तव्य में।

लेकिन जब स्थितियां बदल जाती हैं, सत्ता पक्ष जब प्रतिपक्ष हो जाता है और प्रतिपक्ष जब सत्तापक्ष हो जाता है, और अपने यहां की व्यवस्थाएं हैं कि आर्डिनेंस के आधार पर हम कुछ बिल लाते हैं, कुछ संशोधन लाते हैं। वो आर्डिनेंस सरकार को मिलते हैं और दो महीने के अन्दर-अन्दर उनको एडाप्ट किया जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो माननीय सांगानेर से आने वाले विधायक ने एक सवाल उठाया मर्यादा और नैतिकता के आधार पर, यह मर्यादा और नैतिकता कई बार हमारी शासन चलाने की प्रणाली में कई बार उलटी-सुलटी हो जाती है। जब हम इधर रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब उधर रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। ऐसी स्थिति में आपका जो यह शब्दावली का भी है और मर्यादा और नैतिकता के आधार पर आपने जो बिन्दु उठाया है इसको मैं निरस्त करता हूं और सत्ताधारी पार्टी को इन बिल को इन्ट्रोड्यूज करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर मैम्बर आदरणीय सांगानेर से आने वाले जो सदस्य ने यह कहा है वह सही है, लेकिन....

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, कारण भी रखेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्या-29) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार लाई थी अध्यादेश और इसने कारण बता दिये थे- चुनाव का समय कारण थे। आप यह जानकारी सदन को दे दें कि वो जो कारण बताये थे उन कारणों में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से सरकार ने कितने काम इस आर्डिनेंस को जारी करने के बाद किये? जो कारण गिनाये थे कि इन कारणों से यह आर्डिनेंस ला रहे हैं, तो वो कितने काम इस सरकार ने कर दिये थे, वह बता दें ताकि आपको बिल रखना पड़ा यह?

श्री अध्यक्ष: इस परम्परा पर आप प्रश्न नहीं कर सकते, यह इंट्रोड्यूज होने की स्टेज है। श्री कालीचरण सराफ।

पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कारण भी रखिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत पेसेफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्या-28) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014, श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पुर:स्थापित करता हूं।

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 श्री कालीचरण सराफ

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014, श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर: स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014, श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर जनमत जानने के लिए मेरा जो प्रस्ताव है, उस पर मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक 2014 का संख्या-5 हिन्दी में मूल एक्ट है और अंग्रेजी में इसका रूपान्तरण है। मैं दो चार-बिन्दु आपके सामने रखूंगा और उस आधार पर निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु भेजा जाए। सबसे पहला, इसके एम्स और आब्जेक्ट में भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 (ख) और (ग) का हवाला दिया गया है। यदि हम इसके एम्स और आब्जेक्ट को पढ़े, आर्टिकल 39 को ध्यान से देखें और इसकी जो मूल भावना है उसको ध्यान से देखें तो यह पाएंगे कि इन दोनों में कतई समानता नहीं है। इस विधेयक में एम्स एण्ड आब्जैक्ट में लिखा गया है ''पिछले कुछ समय से यह

(श्री जोगाराम पटेल)

देखा गया है कि जमाखोरी और वैसे ही क्रियाकलापों द्वारा माल की कृत्रिम कमी सृजित की जाती है जिससे कि माल की कीमतें बढ़ें जो सामान्य जनता के लिए अहितकर है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नाम से संसद की एक विधि है किन्तु यह केवल खाद्य पदार्थ, चारा, कपास, जूट और औद्योगिक नियंत्रण के लिए उत्पादों जिन्हें संघ की संसद द्वारा घोषित किया गया है, के साथ ही संव्यवहार करती है। यहां तक कि खाद्य पदार्थ की चीजों में उपरोक्त अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से समाविष्ट नहीं होती है।'' इसको मैन आधार बनाते हुए और आर्टिकल-39 का हवाला देते हुए इसे बनाया गया है। आर्टिकल-39 का ख और ग यानी बी और सी आप देखेंगे तो बी रिलेट करता है, ''that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to sub-serve the common good." यह इसका कोई लेना-देना नहीं है। न वृद्धि से लेना-देना है न नियंत्रण से लेना-देना है न जमाखोरी से लेना-देना है। और सी relates to ; "that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment." ये दोनों ही जो प्रोविजन्स हैं आर्टिकल-39 के बी एण्ड सी, इनका एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए मैं पहला जो निवेदन कर रहा हूं वो यह है कि जिस कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन को आधार बनया गया हैं, वो आधार ही गलत बनाया गया है क्योंकि ये दोनों ही आधार इसमें नहीं हैं।

(13.21 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है, इस एक्ट की हिन्दी की जो भाषा है उस भाषा में, इसकी शब्दावली में...

श्री सभापति: आर्टिकल-39 का जरा स्पष्टीकरण और कर दो थोड़ा-सा आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट में जो लिखा है...

श्री सभापति: मंत्रीजी, जरा नोट कर लें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 'पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि जमाखोरी और वैसे ही क्रियाकलापों द्वारा माल की कृत्रिम कमी सृजित की

(श्री जोगाराम पटेल)

जाती है जिससे कि माल की कीमतें बढ़ें जो सामान्य जनता के लिए अहितकर है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के नाम से संसद की एक विधि है किन्तु यह केवल खाद्य पदार्थ, चारा, कपास, जूट और औद्योगिक नियंत्रण के लिए उत्पादों जिन्हें संघ की संसद द्वारा घोषित किया गया है, के साथ ही संव्यवहार करती है।' आर्टिकल-39 में मेन जो प्रोविजन्स हैं वो प्रोविजन्स इससे कहीं रिलेट नहीं करते हैं। उन प्रोविजन्स में ''ownership and control of the material resources of the community." है आर्टिकल-बी में। आर्टिकल-सी में ''operation of the economic system does not result in the concentration" तो ये दोनों ही इससे रिलेट नहीं करते हैं।

और तीसरा जो मैं आधार लेकर आया हूं, माननीय सभापति महोदय, इसकी लैंग्वेज को लेकर आया हूं। अनेक त्रुटियां हैं, शब्दों का गलत उपयोग किया गया है और सेंटेंस जो बनाया गया है वो भी गलत है। मेन जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो यह है कि इसमें सीजर के पावर किसके पास हैं, यह कहीं भी नहीं लिखा है। इस एक्ट में नियम बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। प्राय: सभी एक्ट में पाया जाता है कि नियम बाद में बनाये जाते हैं और उन नियमों में जो कुछ भी कमी हो, वो पूर्ति की जाती है। लेकिन इसमें कहीं भी नियम बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। जो कुछ भी है यह अपने आप में सैल्फ कंटेंड है। जुडीशियल सिस्टम में सैल्फ कंटेंड कोड जिसको कहते हैं, वह सैल्फ कंटेंड कोड है, जो कुछ भी है इसके अन्दर ही है। अब नियम हैं नहीं तो सैक्शन-5 में या सैक्शन-8 में सीजर के पावर किसके पास रहेंगे, यह कहीं नहीं लिखा है। कौन सीज करेगा, किस अधिकार के तहत सीज करेगा, कब सीज करेगा, सीज करने के बाद क्या रखेगा, सीजर मीमो बनेगा कि नहीं बनेगा, सीजर मीमो में क्या लिखा जाएगा, उस माल को वह कहां रखेगा, किसकी कस्टडी में रखेगा, कितने दिन तक रखेगा, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उस पर खर्चा कौन करेगा और वह कहां ले जाएगा- यह कोई प्रोविजन इसमें नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, और देखें, सीजर का पावर जिसके भी पास है, उस व्यक्ति को, कलक्टर को डिफाइन किया गया है सब सैक्शन 3 क में, ''Collector includes an Additional Collector and Sub-Divisional Officer." और इसी कलक्टर को वापस सीजर के पावर दिये गये हैं। सीजर के बाद यही कलक्टर जो सीज करने वाला है, ले जाकर वापस उसके सामने ही पेश किया जाएगा। जब उसके पास में पेश किया जाएगा तो कलक्टर ही उस वक्त का

(श्री जोगाराम पटेल)

कन्फिस्केशन आफिसर बन जाएगा। माल के डिस्पोजल का अधिकार इसी कलक्टर को एज ए कन्फिस्केशन आफिसर दिया गया है। वो ही व्यक्ति अगर माल को सीज करता है और वो ही व्यक्ति अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है तो फिर कैसे सम्भव होगा? उसी को तो सीज करना है और उसी को जस्टिफाई करना है तो वो कब कहेगा कि मैंने गलत किया है?

श्रीमान्, इतना ही नहीं, एक अनरीजनेबल डिले के तहत गवर्नमेंट के सामने पेश करना है। अब यहां कहीं नियम नहीं बनाये गये हैं कि गवर्नमेंट के सामने कौन पेश करेगा, कब पेश करेगा, कितने दिनों में पेश करेगा। और ऐसी कोई अति आवश्यक नेचर की वस्तु है जो पांच दिन में या दो दिन में या चार दिन में खराब होने वाली है, प्याज हो सकता है, टमाटर हो सकता है, और भी कई वस्तुएं हो सकती हैं जो खराब होने वाली हैं, उनको कहां रखा जाएगा? मैं दस उदाहरण और आपके सामने दूंगा जिससे यह लगेगा कि Act itself is not only contradictory but it is defective - in language, in provisions and in contradiction to the Constitution also. कांस्टीट्यूशन का जो आब्जेक्ट है उसके अनुसार देखेंगे तो कहीं नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीसरा आपके सामने निवेदन करूंगा, एक प्रापर वर्ड आया है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 धारा-2 लागू नहीं होना। यह प्रोविजन माना कि धारा-2 लागू नहीं होगी। जहां यह माना गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो सीजर होते हैं, जो प्रोविजन्स हैं, जो कार्यवाही होती है उसमें यह लागू नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो आर्टिकल्स हैं वो आवश्यक वस्तु अधिनियम से गवर्न हो जाएंगे, तो आखिर वो कौन-कौन से आर्टिकल हैं, इस एक्ट के तहत ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसे कौनसे जिन्स हैं जिनके लिए बनाया जा रहा है? नियम तो बनेंगे नहीं और इसमें लिखा नहीं। नियम बनेंगे नहीं, इसमें लिखा नहीं, तो फिर आखिर हम ऐसा कानून...

श्री सभापति: इन बातों को आप जरा नोट कर लें, बातें महत्वपूर्ण हैं सब की सब। ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन बातों को सबको नोट कर लें और आप वरिष्ठ जो मंत्री बैठे हैं वो भी इस बात पर सोचें कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है और इस बिल में जो मुद्दे माननीय सदस्य उठा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए आप इनको जरा एक बार पूरा देख लें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आभारी हूं आपका।

दूसरा थोड़ा-सा मेरा निवेदन रहेगा कि सैक्शन-2 का सब क्लाज-2 देखें, आप ख देखें- संसद द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण। तो संसद द्वारा जो भी आदेश पारित किये जाते हैं, संसद द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किये जाते हैं, संसद द्वारा जो भी एक्ट बनाये जाते हैं वो तो विधि अनुसार ही होते हैं। इसको पढ़ लें तो यह लगेगा, संसद द्वारा विधि द्वारा Either it may be a 'vidhi dwara'। तो all 'vidhi' passed by the Parliament. तो मतलब इसका यही है। कैसे कोई पढ़ेगा, किसी कोर्ट में जाएगा और किसी के सामने पेश किया जाएगा तो वो कहेगा कि क्या किसी ने पढ़ा ही नहीं क्या इसको।

तीसरा लेवें आप- संसद द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक वस्तु, तो ऐसे कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं, डिफैंस के परपज के लिए जरूरी हैं जो इसके अन्दर आएंगे? तो फिर डिफैंस जो एक्ट है 1956 का उसका क्या होगा? वो तो इसमें सेव ही नहीं किया गया है। उसमें अलग प्रोविजन्स हैं या ओवरराइडिंग प्रोविजन्स जो होते हैं, जुडीशियरी सिस्टम जहां ला बनता है, वहां ओवरराइडिंग प्रोविजन्स देने पड़ते हैं, तो ओवरराइडिंग प्रोविजन्स भी नहीं दिये गये हैं कि ये एक्ट फलां-फलां एक्ट को ओवरराइड करेगा या सारे जनरल एक्ट को ओवरराइड करेगा General law override is the special law. Special law can't over-ride a general law. तो जो रक्षा एक्ट है वो तो जनरल ला है, उसको यह ओवरराइड नहीं कर सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम को ओवरराइड नहीं कर सकता। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम को ओवरराइड कर दिया गया है, That is a general low. How can be a override it?

सर, अगला मेरा श्रीमान् जी से निवेदन है कि कलक्टर को डिफाइन करने के बाद एक प्रापर वर्ड आया है माल की घोषणा के लिए। अब आप देखेंगे धारा-3 ख में घोषित माल। अब घोषित माल क्या होगा, इसमें लिखा है, धारा-4 के अधीन घोषित माल है। अब धारा-4 आप पढ़ेंगे तो इसमें घोषित माल कहीं है ही नहीं। इसमें लिखा है, 'राज्य सरकार यदि उसका समाधान हो जाए कि लोकहित में और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक है, ऐसे माल, यहां वर्ड है ऐसे माल, और वहां वर्ड है घोषित माल, तो which Mall? की घोषणा कर सकेगी जिस पर

(श्री जोगाराम पटेल)

इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। उप धारा-1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल ...' विधान मण्डल किया जाता है और किसी के लिए यहां जो प्रक्रिया और नियम है उसमें वो वर्ड नहीं है।

फिर भी इसको मान लें कि यह सदन के समक्ष रखी जाएगी और तदुपरांत राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 की धारा 26 क की उपधारा (1) के उपबंध में ऐसी अधिसूचना पर यथावश्यक परिवर्तन की जाएगी। अब आप इसमें भी देखें, घोषित माल-घोषित माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां। सर, उत्पादन को नियंत्रण कैसे कर देंगे? मैंने अपने खेत में टमाटर बोया, आलू बोया है, वह पैदा होगा, उसको मैं रोकूंगा कैसे, मैं कंट्रोल कैसे करूंगा? बाकी सारे आर्टिकल किसी न किसी एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड हैं कि आपको अफीम बोना है 100X100, कि इतने स्क्वायर में ही आप बोओगे, लेकिन उसमें कितना पैदा होगा यह तो नेचर पर डिपेंड करता है।

श्री सभापति: इसमें किसान को यह भी प्रतिबंधित कर सकते हैं क्या कि आप बाजरा इतना बोओगे, गेहूं इतना बोओगे? यह है इसमें आगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यस, यह कह सकते हैं, यह आर्टिकल के अगेंस्ट है, यह मेरा प्रोपर्टी राइट है, यह कैसे हो सकता है। मेरा नम्र निवेदन है कि मैं जहां से आता हूं, मेरा धर्म बनता है। कहीं न कहीं यह एक्ट कोर्ट में जाएगा और मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूं, जब यह कोर्ट में जाएगा और हम से कोई पूछेगा कि आप वहां थे तो आप क्या करते रहे, आपने क्यों नहीं आब्जेक्ट किया। क्या कभी कोई किसी किसान को बाजरा उत्पादन से या किसी भी जिंस के उत्पादन से रोका जा सकता है? उसे बांधा जा सकता है?

श्री सभापति: इसमें तो है। आप बताएं, एक बार ध्यान कर लें, माननीय मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसमें आगे देखें आप, ''यदि राज्य सरकार की राय हो कि किसी घोषित माल का प्रदाय बनाये रखने या उसे बढ़ाने के लिए या उसका साम्यपूर्ण वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता की जाए।'' माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि धारा 4 की सब धारा (1) का जो उत्पादन था, वह कहां चला

(श्री जोगाराम पटेल)

गया? 5 में कहां चला गया? अगर उत्पादन को 4 में प्रोहिबिट कर रहे हैं तो 5 में भी तो उसको प्रोहिबिट करने के लिये लाओगे, उसकी पैनल्टी लाओगे 8 में। वहां यह नहीं है। घोषित माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां, यदि राज्य सरकार की राय हो जाए, What do you mean by 'Rai'? Who gives the 'rai' and in which provision he gives the 'rai'? Rai determines what? Quality, control, specification, 'Rai' means what? राय हो कि किसी घोषित माल का प्रदाय बनाये रखने या उसे बढ़ाने के लिए या उसका साम्यपूर्ण वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबन्ध कर सकेगी। सर, आप देखेंगे, सरप्राइज करेंगे, धारा 5 के (ग) में लिखा है, ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु..., आवश्यक वस्तु को इसमें डिफाइन ही नहीं किया है कि किस वस्तु को आवश्यक वस्तु कहेंगे। आपने आवश्यक वस्तु शब्द लिख दिया है, इसमें आवश्यक वस्तु कहीं भी डिफाइन नहीं है।

श्री सभापति: क्या शब्द है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा। आवश्यक वस्तु कौनसी? जो आप इसमें लिख रहे हो कि राज्य सरकार द्वारा समाधान हो जाए कि लोकहित में प्रकाशित सूचना के कारणों के ऐसे किसी माल की घोषणा..., माल की घोषणा कौन है, घोषित माल कौन है और आवश्यक वस्तु कौन है? इसके अलावा और देखें आगे, नैक्स्ट प्रोविजन में जाएंगे, घोषित माल का अधिहरण। आप इस प्रोविजन को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई भी एसडीएम किसी किसान को कुछ भी कर सकता है। मान लो, उसके टमाटर है, वह एक पर्टीकुलर टाइम में ही उपयोग होना चाहिए वर्ना उसके खराब होने की सम्भावना रहती है। और ऐसे कई आर्टिकल हैं उनके खराब होने की सम्भावना रहती है। जहां कोई घोषित माल उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, अयुक्तियुक्त, यह रीजनेबल वर्ड है- वर्ड ऐसा यूज किया है कि कोई भी सामान्य आदमी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अनेक माननीय सदस्य भी एक

(श्री जोगाराम पटेल)

दम तो नहीं समझें, दो बार विचार करने के बाद समझें- अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना उस जिले के कलक्टर को, जिसमें ऐसे घोषित माल का अभिग्रहण किया जाता है, की जाएगी। अब वह लाएगा कौन? कलक्टर तो अभिग्रहण कर रहा है, तो कलक्टर अभिग्रहण करके किस कलक्टर के पास ले जाएगा? को की जाएगी, और चाहे ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए अभियोजन संस्थित किया जाता है या नहीं, यदि कलक्टर ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह इस प्रकार अभिग्रहित घोषित माल को अपने समक्ष निरीक्षण के लिए पेश किए जाने का निदेश दे सकेगा। वह माल मेरे सामने निरीक्षण के लिए पेश करो, जैसे थैली में किलो दो किलो माल है। वह पेश कैसे करेगा? कैसे पासिबल होगा? वह निरीक्षण के लिए पेश किए जाने का निदेश दे सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि आदेश का उल्लंघन हुआ है तो वह ऐसे अभिग्रहित घोषित किए गए माल के जिस पैकेज, आवेष्टक या पात्र में ऐसा घोषित माल पाया जाए, उसके और ऐसे घोषित माल को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशुयान, जलयान या अन्य प्रवहण के अधिहरण का आदेश कर सकेगा। अब वह अधिहरण कर देगा और मान लो जलयान है, जलयान के लिए उसके पास अलग वस्तु है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं यह कह रहा हूं कि जलयान जो हो, एक बार मुझे विधान सभा की याद आ रही है जब जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी का बिल पेश किया गया था, आपने पेश किया था। हिन्दुस्तान में पहली बार बाम्बे डवलपमेंट अथोरिटी बनी थी और जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी का बिल पेश किया गया था तो हू-ब-हू नकल की गई। तो नकल में लिख दिया कि जयपुर के आस-पास समुद्र में कचरा डाल कर जमीन रीक्लेम की जाएगी। मैंने विरोध किया था, सरकार आपकी थी और फिर आपने संशोधन कर लिया। विराजिए, हां, ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने भी विरोध किया था ...(व्यवधान) यूडीएच मंत्री मैं नहीं था, मैंने कहा, यह क्या किया।

श्री सभापति: उसी प्रकार से यह है। इसमें अधिकारियों ने पढ़ा तो है नहीं, जलयान राजस्थान में चलते ही नहीं हैं, राजस्थान में जल कहीं है ही नहीं। बिना पढ़े इसको लिख दिया है। वैसा ही है, नकल किया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, फिलहाल की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भौगोलिक परिस्थिति में हो सकता है कि जलयान यहां नहीं आए लेकिन अगर हम कच्छ से ड्रेन करके कैनाल ले आएं तो बाड़मेर में जलयान आ सकता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, पढ़ने से ऐसा लगता है कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, राजस्थान की आवश्यकता, राजस्थान की जनता की उपयोग की वस्तुएं और जिस भावना, एम्स एण्ड आब्जेक्ट के साथ लाया जा रहा है। उसका कहीं मेल-मिलाप इस एक्ट के प्रोविजन में नहीं है। अब यह जो अभिग्रहण कर लेंगे उसका आगे होगा क्या? प्रोविजन जो लगाया है- परन्तु इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न, खाद्य, तिलहन जो उनके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिग्रहित किए गए हों, यदि अभिग्रहित खाद्यान्न या खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गए हों, इस धारा के अधीन अधिहृत नहीं किए जाएंगे। तीन शब्द आप पढें, ऊपर तो कर दिये वे सब और यहां नीचे अभिग्रहित खाद्यन्न तिल ही किया बस। टमाटर वगैरह, वगैरह नहीं आते, इसमें वे सब हटा दिये गये। अब विशेष प्रोविजन क्या किया गया है, जिसको मैं डैस्ट्रक्टिव ला कहता हूं।हमारे यहां प्रिंसिपल आता है डैस्ट्रक्टिव ला There is a difference between in law and destructive law. यह डैस्ट्रक्टिव कैसे हुआ, परन्तु यह और कि भाडे पर माल या यात्रियों को ले जाने, अब यात्रियों का क्या लेना देना है इसमें, यात्री जाएंगे तो भी क्या इस एक्ट के तहत कार्यवाही होगी उसके खिलाफ। भाडे पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन की दशा में ऐसे पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन के स्वामी को, उसका अधिहरण किये जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन द्वारा ले जाये जाने वाले घोषित माल के अभिग्रहण की तारीख को जुर्माना जो उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदत्त करने का विकल्प दिया जाएगा। मैं ट्रक चलाता हूं। मेरे से किसी ने कहा कि मेरा जो यह फलां माल है वह कलकत्ता पहुंचाना है, मैं कलकत्ता लेने चला गया। मुझे नहीं पता कि वह प्रोहिबिटेड आर्टिकल है या नहीं है। मुझे नहीं पता, ऐसा कोई है कि नहीं है। अब अगर मैं पकड़ा गया, मेरी बैलगाड़ी पर हो गया, मेरे जलपोत पर हो गया, मेरे किसी वाहन पर हो गया तो मुझे यह कहेंगे कि आपकी पांच लाख की ट्रक है तो पांच लाख तो पहले जमा कराओ, फिर आपकी गाड़ी ले जाओ। उस मालिक का

(श्री जोगाराम पटेल)

क्या होगा यह तो इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है। पर भाड़े पर जिस बेचारे ने लिया है उसको कहेगा कि आप पांच लाख रुपये लाओ, दस लाख लाओ, जो भी उसकी कीमत होगी। तो वह कहां भुगतेगा? हां, उसकी ट्रक सीज करोगे आप। पूछा जाएगा, उसकी क्या गलती है। परिवहन तो प्रतिबंधित है नहीं। इसी एक्ट में व्हीकल को प्रोहिबिट किया गया है कि आप परिवहन भी नहीं करोगे। परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें परिवहन तो प्रतिबंधित है नहीं। फिर आप उस मालिक पर कोई कार्यवाही करो तो समझ आती है बात, लेकिन उस किराये वाले के, वाहन वाले के खिलाफ कार्यवाही करो तो वह कहां तक भुगतेगा? वह अनकांस्टीट्यूशनल की तरह से नहीं होगा।

इतना ही नहीं? इससे आगे देखे आप, परन्तु यह कि भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन की दशा में ऐसे पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन के स्वामी को, उसका अधिहरण किये जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ऐसे पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन द्वारा ले जाये जाने वाले घोषित माल के अभिग्रहण की तारीख को जुर्माना, उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदत्त करने का विकल्प दिया जाएगा। उप धारा (1) के अधीन किसी घोषित माल के अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त करने या उसके निरीक्षण पर कलक्टर की राय है कि घोषित माल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो माल के स्वामी द्वारा ऐसा निवेदन किया गया है वह, उसका विक्रय उस नियंत्रित कीमत पर यदि कोई हो, किये जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसे घोषित माल के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गयी हो, जहां कोई ऐसी कीमत नियत नहीं की गयी है वहां लोक नीलामी द्वारा उसका विक्रय किये जाने का आदेश दे सकेगा। उसको वापस नहीं देंगे, नीलामी कर दो उसकी। तो क्या कान्स्टीट्यूशनल और मूलभूत अधिकार नाम की कोई चीज भी हिन्दुस्तान में है कि नहीं है? मेरी प्रापर्टी है, मैं आपसे वापस ले जाता हूं, आपका जुर्माना ले लीजिए, मुझे आप प्रोजीक्यूट कर दीजिए, मुझे जेल कर दीजिए। लेकिन यह प्रोहिबिटेड आर्टिकल वह नहीं है जो एक्सआई एक्ट में है कि आप इसे कर ही नहीं सकते, एनडीपीएस एक्ट में है। वहां वह आर्टिकल ही प्रोहिबिटेड है, उसे कर ही नहीं सकते आप। मैं कर तो सकता हूं लेकिन कीमत ज्यादा नहीं ले सकता, पर्टीकुलर अमाउण्ट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, तो मेरा माल कैसे नीलाम कर दोगें आप? मुझे किसी

(श्री जोगाराम पटेल)

पर्टीकुलर आफेंस के लिए आप प्रोसीक्यूट कर सकते हो, यहां समझ में आती है बात। मुझे उसके लिए प्रोहिबिट कर सकते हो कि सौ किलो से ज्यादा माल नहीं रख सकते, बात समझ में आती है । लेकिन 100 किलो से मैंने 101 किलो रख दिया और माल ही नीलाम कर दोगे? तो फिर मेरा जो व्यापार का फण्डामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, उसका क्या होगा? इसीलिए यह जो आर्टिकल 13 है वह ऐसे ला को प्रोहिबिट करता है। "The laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights." वह नहीं बनेगा, यह आर्टिकल 13 है, कान्स्टीट्यूशन का ''all the laws in force in the territory of India immediately before the…" फलां-फलां जो भी है आसानी से, इसके हैंडिग से ही क्लीयर है आर्टिकल 13 I माननीय सभापति महोदय, "The laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights." डेरोगेशन आफ दा फण्डामेंटल राइट है। लास्ट में..

श्री सभापति: यह पाइंट जरा नोट कर ले गुलाबजी, आर्टिकल 13 वाला।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लास्ट में तीन चीजें मैं नोट करा देता हूं कि इसमें प्रोसीक्यूशन के प्रोविजन हैं और सात साल की सज़ा तक के प्रोविजन है तो क्या कमप्लेंट होगी, प्राइवेट कमप्लेंट होगी, इस्तगासा होगा, कौनसे मजिस्ट्रेट को सुनने का अधिकार है, कौन कमप्लेंट करेगा, किसके सामने करेगा, ये तीनों ही फण्डामेंटल राइट जो सीआरपीसी के प्रोविजंस के लिए हैं, कांग्जीबल आफेंस है कि नान कांग्जीबल आफेंस है, कुछ नहीं लिखा। कमप्लेंट होगी या प्राइवेट कमप्लेंट होगी, कुछ नहीं लिखा। कमप्लेंट कौन करेगा यह नहीं लिखा और कम्पलेंट कौन सुनेगा यह भी नहीं लिखा। तीन साल से सात साल की सज़ा के प्रोविजन बना दिये, लेकिन तीन साल की सज़ा के कौनसे प्रोविजन एप्लाई होते हैं और सात साल की सज़ा के कौनसे प्रोविजन एप्लाई होते हैं, यह भी नहीं लिखा। इससे भी अधिक...

श्री सभापति: इसका उद्गम क्या है ? इसका उद्गम कहां है कानून का ? यह प्रधान मंत्रीजी का, मंहगाई रोकने का है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बजरी, मंहगाई, एम्स एण्ड आब्जेक्ट में लिखा है, सभापति महोदय, देखें आप।

श्री सभापति: बोलने दीजिए, वह बहुत अच्छे वकील हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसमें लिखा है, पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि जमाखोरी और वैसे ही क्रियाकलापों द्वारा माल की कृत्रिम कमी सृजित की जाती है जिससे कि माल की कीमतें बढें। तो यह बजरी कभी भी माल नहीं हो सकती। वह तो स्टेट का माल है, वह स्टेट की प्रापर्टी है, वह कोई भी व्यक्ति एक पर्टीकुलर राइट के तहत ले जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टिनेंसी एक्ट में काश्तकार को सिर्फ सरफेस राइट हैं। अगर एक फुट नीचे, एक इंच नीचे भी कोई भी आर्टिकल निकलता है, सोना है, चांदी है, जिप्सम है , सैण्ड स्टोन है, वह प्रापर्टी उस काश्तकार की नहीं है। हमारे घर में भी हमारा प्रोपर्टी राइट है, हमारा सरफेस राइट है। हमारे मकान के अन्दर भी अगर चांदी निकलेगी, सोना निकलेगा, बजरी निकलेगी, वह हमारी नहीं है, वह स्टेट की प्रापर्टी है। इसलिए आपका कहना है कि यह बजरी के लिए है, तो बजरी के लिए कोई जमाखोरी नहीं होती है। आपकी परमीशन से वह माल वहां से ले जाएगा। लीज होगी तो ले जाएगा, लाइसेंस होगा तो ले जाएगा। वह जमाखोरी कहां से हो जाएगी? जमाखोरी तो मेरे द्वारा उत्पादित माल की, या मैं खरीदकर इकट्ठा करता हूं वह जमाखोरी होती है। यह जमाखोरी का कहीं नहीं है। लगता है कि कहीं न कहीं प्याज की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत आभास है कि प्याज की कीमतों को रोकने के लिए होगा। या और कोई ऐसे आर्टिकल हैं जो आम जनता के डेली उपयोग की चीजें हैं, उसको रोकने के लिए होगा। लेकिन या तो इसकी किसी से नकल कर दी है, या नकल में अक्ल नहीं है, या प्रोविजन बनाते समय ला डिपार्टमेंट ने इसको देखा ही नहीं है। इन तीन में से कोई न कोई एक बात।

श्री सभापति: यहां एडीशनल चीफ सैक्रेटरी रैंक के लोग तो इस डिपार्टमेंट के सैक्रेटरी हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत मर्यादा के साथ कह सकता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी विद्वता का भी सम्मान करता हूं लेकिन इससे तो नहीं लगता कि उनमें विद्वता है। अब आप देखेंगे, धारा 9 में और भी खतरनाक चीजें है- किसी घोषित माल का अधिहरण करने वाला कोई भी आदेश धारा 8 के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस घोषित माल, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन के स्वामी को या उस व्यक्ति को जिससे वह अभिग्रहित की जाती है क्या मांगेगे उन आधारों की जिन पर उस घोषित माल पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन को अधिहृत किया जाना प्रस्तावित है, उसे जानकारी देने वाली एक

(श्री जोगाराम पटेल)

लिखित सूचना नहीं दी जाएगी। कितने दिन की? कितने घण्टे की? माल तो आप उसका सीज कर रहे हैं, भाडे वाले का, उसको कोई अपर्चुनिटी है कि नहीं? इसमें माल वाले को अपर्चुनिटी आप हियरिंग तो है। फण्डामेंटल प्रिसिंपल है नैचुरल जस्टिस का कि आप अपर्चुनिटी आफ हियरिंग दोगे। किसी के खिलाफ कोई भी सज़ा दो, कितना भी आफेंस किया पर उसके पहले है अपर्चुनिटी आफ हियरिंग दोंगे। तो जो माल किराये वाला, वाहन वाला है, उसको अपर्चुनिटी आफ हियरिंग कहां है? माल के आनर को तो अपर्चुनिटी हियरिंग नोटिस दे रहे हो, उसका क्या है? इसके अलावा अधिहरण के आधारों के विरुद्ध उसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो, लिखित अभ्यावेदन करने का अवसन नहीं दे दिया जाता। अब वह कहीं टाइम बाउण्ड नहीं है। एक दिन का, एक महीने का, एक साल का, कुछ भी हो सकता है। और कौन देगा, यह भी नहीं है। उपधरा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 8 के अधीन किसी पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन का अधिहरण करने वाला आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जब उस पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन का स्वामी कलक्टर को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि घोषित माल को ले जाने में उसका प्रयोग उस पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन के स्वामी या अभिकर्ता, यदि कोई हो, और भारसाधक व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती थीं। उसको तो आप नोटिस ही नहीं दे रहे हो और यहां एम्सपेंसिव उससे भी ले रहे हो Without giving any notice to the owner of the vehicle. उससे यह पूछा जा रहा है कि वह समाधान कर देगा तो उसके खिलाफ आर्डर नहीं करेंगे। उसको नोटिस दोगे तब होगा, वह आएगा कैसे? How does he appear before you and how you pass an order against him? यदि ऐसी सूचना देने में उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों का पर्याप्त रूप से पालन कर दिया गया है तो किसी घोषित माल, पैकेज, आवेष्टक, पात्र, पशुयान, जलयान या अन्य परिवहन का अधिहरण करने वाला कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि उस खण्ड के अधीन दी गयी सूचना में कोई त्रुटि या अनियमतिता रह गई है। कोई भी गलती, त्रुटि या अनियमितता होगी तो उसके लिये ये तो कोई जिम्मेदार नहीं हैं, वे सब जिम्मेदार हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

लास्ट में मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपील का प्रोविजन दिया है कि गवर्नमेंट में आप अपील कर सकते हो। इसमें नियम नहीं बनाये। अब गवर्नमेंट शब्द जो है, 'कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की अपने को संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा'। अब राज्य सरकार में कहां जाएगा? राज्य सरकार शब्द में समाहित है बहुत बड़ा स्वरूप। अनेकों विभाग हैं। या तो कहीं न कहीं नियम बना लेते कि इसमें होगा। प्रिंसीपल सैक्रेटरी होगा, चीफ सैक्रेटरी होगा, एडिशनल सैक्रेटरी भी होगा। फलां डिपार्टमेंट में जाएगा। कौनसे डिपार्टमेंट में जाएंगे हम और किसके पास अपील लेकर जाएंगे? प्रोविजंस क्या होंगे अपील के? वैदर एनी लायबिलिटी, कोर्ट फीस वगैरह, लिमिटेशन वगैरह, कुछ होगा कि नहीं होगा? पर्सनल अपीयरेंस होगी या कोई किसी का असिस्टेंस ले सकेंगे ? इन सबका भी कोई, कोई भी सैल्फ कंटेंड कोड में कुछ भी नहीं है।

श्री सभापति: जो प्राधिकृत अधिकारी होंगे वही राज्य सरकार बन जाएंगे इसमें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वही कलक्टर, आपने मुझे याद दिला दिया। सपोज मैं किसी पर्टीकूलर डिस्ट्रिक्ट का कलक्टर हूं और मैंने सीजर मीमो किया, सब कुछ हुआ। महीने भर बाद मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं यहां आकर बैठ गया। मेरे सामने अपील आएगी, मैं ही फैसला कर दूंगा। ऐसे-ऐसे ला का भी अगर हम इस स्टेज पर स्क्रूटनाइजिंग नहीं करें, जन विरोधी और जन भावना के अनुकूल कानून नहीं हो इसका विश्लेषण नहीं करें तो यह गम्भीर विषय है।

अन्त में मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि वर्ड जो लिखा है- मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिन्दी के शब्द में मुझे बहुत जोर आता है, सैक्शन 10 है- "Any person aggrieved by an order of confiscation under section 8 may, within one month from the date of the communication to him of such order, appeal to the State Govt. and the State Govt. shall after giving an opportunity to the appellant to be heard, pass such order as it may think fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against. उस आर्डर के बाद में सपोज वह कलक्टर का आर्डर सैट असाइड हो जाता है तो क्या प्रोविजन बना है? वह इन्ट्रेस्ट नहीं देगा। "Where an order under section 8 is modified or annulled by the State Govt. or where in a prosecution instituted in contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under section 8, the person concerned is acquitted and in either case it is not possible for any

(श्री जोगाराम पटेल)

reason to return the declared goods seized, such person shall, except as provided by sub section (3) of section 8, be paid the price therefor as if the declared goods had been sold to the Govt. with reasonable interest calculated from the day of the seizure of the declared goods and such price shall be determined in accordance with the provisions of sub section (3), or, as the case may be, sub section (4) of Section 5." अब वह जो माल है, बिलकुल कोई गलती नहीं थी तो उस माल की उसको साल, छह महीने, दो साल बाद में वह कीमत मिलेगी जो एक गवर्नमेंट वाला सैक्शन 4 में तय करेगा। बस। मुझे मार्केट में अपना प्राइस बेचने का राइट था। अपना प्रोडक्ट था, मुझे बेचने का राइट था। ओपन मार्केट है मेरे लिये, मुझे पैसा मिलने वाला था। वह सारा का सारा राइट गया मेरा और इल्लीगल आर्डर हुआ उसका कुछ नहीं। साल भर भुगता, उसका कुछ नहीं। मेरा माल खराब हुआ, उसका कुछ नहीं। साल भर बाद में कह दें, कोई बात नहीं, आप अपने माल की, 100 टन आलू थे, इस भाव से ले जाओ, आप घर जाओ। मेरा 100 टन आलू गया, मेरा इतना साल खराब हुआ। मेरी बेइज्जती हुई, मुझे जेल जाना पड़ा। मुझे डिटेल देना पड़ा। वे सारे के सारे कुछ नहीं। तो ऐसा जो एक्ट है, इस पर मेरा नम्र निवेदन है आपके मार्फत इस ऐतिहासिक विधान सभा में कि इस पर पुनर्विचार किया जाए।

और पैनल्टी को आप देखें। लास्ट में मेरा यह है बस। पैनल्टी आप देखें, सैक्शन 13 सब क्लाज 1, "in the case of an order made with reference to clause (h) or clause (i) of sub section (2) of that section, with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine." Which fine? What amount of fine?

श्री सभापति: जो मन में आ जाए इनके।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जो मन में आ जाए वह। मन में आएगा।

एक लाख, एक करोड़, दस करोड़, बीस करोड़, दस लाख, सौ रुपये, दो सौ रुपये। अब आगे और देखें आप, "in the case of any other order, with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine" सैवन ईयर्स में फाइन कौनसा? "any property in respect of which the order has been contravened shall be forfeited to the State Govt. (b) any package, covering or receptacle in which the property is found and any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying the goods shall, if the Court so orders, be forfeited to the State Govt." अब यह कोर्ट कहां से आया? एक्ट में कहीं कोर्ट नहीं है...

श्री सभापति: मंत्रीजी बता देंगे सारा आपको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पूरे एक्ट में कोर्ट नाम की चीज कोई है ही नहीं और यहां कोर्ट वर्ड यूज कर दिया।

लास्ट में सब क्लाज 2- "if any person to whom a direction is given under clause (b) of sub section (5) of Section 5 fails to comply with the direction, he shall be punbishable with the imprisonment for a term which shall not be less than three months." कोई भी डायरेक्शन, कलक्टर साहब ने कह दिया कि आप सीधे-सीधे चलना, कहीं भी टेढ़े-मेढ़े मत चलना और टेढ़े-मेढ़े मान लिया तो तीन महीने की सजा। अपने खेत में सौ टन आलू पैदा करना, एक सौ पांच टन पैदा हो गये तो आपको सज़ा। अब कोर्ट को यह एक्सप्लेनेशन देना है कि तीन महीने से कम की सजा क्यों दे रहे हो आप ? मेरे और भी अनेक ऐसे उद्धरण हैं, पाइंटस हैं जिन सबके आधार पर मेरा नम्र निवेदन है, माननीय सभापति, कि इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के विषय पर।

माननीय सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक के एक-एक खण्ड का विस्तारपूर्वक विवरण सदन की मेज पर रखा है। इस अधिनियम को लाने के पीछे सरकार की मंशा महंगाई, कालाबाजारी, जमाखोरी और माल की जो कृत्रिम कमी आती है, उस पर नियंत्रण करने की हो सकती है। सरकार का यह सद्‌भावपूर्ण आशय तो ठीक है, पर इसमें जिस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं। वे व्यावहारिक नहीं हैं। आपने अभी आसन से ही, माननीय सभापति महोदय, फरमाया...

श्री सभापति: पूछा था मैंने तो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): पूछा कि क्या इसमें किसान को इस बात के लिये पाबन्द किया जाएगा कि वह अपने खेत में किस प्रकार का माल पैदा करेगा ? माननीय सभापति महोदय, इस अधिनियम की धारा 5 की उप धारा 2 के ख में इस बात का उल्लेख किया गया है, 'किसी बंजर भूमि या कृष्य भूमि को, चाहे वह किसी भवन से अनुलग्न हो या न हो, उस पर सामान्यत: खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिये खेती के अधीन लाना और सामान्यत: फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाये रखना या बढ़ाना'... सभापति महोदय, मैं...

श्री सभापति: अफीम के भी तो पट्टे मिलते हैं। आपके इलाके में तो अफीम होती है न !

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सवाल अफीम का नहीं है...

श्री सभापति: पट्टे देती है सरकार उसके भी कि इतने बीघा में अफीम पैदा करो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अफीम के पट्टे राजस्थान सरकार तय नहीं करती, यह भारत सरकार और उसका एक मंत्रालय है वह सीमित किसानों को सीमित उत्पादन के पट्टे देता है। भारत कृषि प्रधान देश है, हम किसी भी सूरत पर किसान को विशेष खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये, मैं समझता हूं, पाबन्द नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो इससे बड़ा अव्यावहारिक फैसला राजस्थान के इतिहास में दूसरा कोई नहीं होगा।

(14.00 बजे)

आपने कलक्टर को पावर दे दिया, कलक्टर के थ्रू एस डी एम को पावर दे दिया कि वह फसल की पूर्ति बनाये रखने के लिये किस प्रकार की फसल किसान पैदा करेगा, उस प्रकार का आदेश जारी कर सके। माननीय सभापति महोदय, कितने कलक्टर और कितने एस.डी.एम. हैं जिनको इस आशय का ज्ञान है कि इस जिले की भौगोलिक परिस्थिति क्या है और वहां पर किस प्रकार की फसल होती है? इस आर्थिक युग में माननीय सभापति महोदय, किसान अपने विवेक से, जहां पर उसको दो पैसे का मुनाफा होता है चाहे, सरसों हो, चाहे तिलहन हो, किसी प्रकार की फसल हो, सोच कर अपनी फसल बोने का निर्णय करता है। अपन उस पर इस कानून को लाकर सरकार की मंशा के अनुरूप फसल बोने का निर्णय नहीं थोप सकते। यह तर्कसंगत और युक्तियुक्त कानून नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, धारा-5 में तो आपने 'घोषित माल के उत्पादन, प्रदाय वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां' दे दीं और धारा-8 में 'घोषित माल का अधिहरण' में उल्लेख करते समय आप साफ तौर पर कह रहे हैं, 'परन्तु इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई खाद्यान्न, खाद्य, तिलहन, जो उनके सम्बन्ध में धारा-5 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी उत्पादक से अभिग्रहित किए गए हों, यदि अभिग्रहित खाद्यान्न या

(श्री प्रहलाद गुंजल)

खाद्य तिलहन उसके द्वारा उत्पादित किए गए हों, इस धारा के अधीन अधिहृत नहीं किए जाएंगे।' माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि किसान जो पैदा करता है खाद्यान्न, उसको अभिग्रहित नहीं किया जाएगा और दूसरी तरफ आप किसान को इस बात के लिए पाबंद कर रहे हैं कि कलक्टर और एस.डी.एम. खाद्यान्न संतुलन बनाने के लिए आपको जो निर्देशित करेगा, आप उसी प्रकार का खाद्यान्न पैदा करने के लिए बाउंड रहेंगे। ये दोनों चीजें बिलकुल कांट्राडिक्टरी हैं, अव्यावहारिक है।

मैं धारा-9 में वर्णित उस बात का उल्लेख करूंगा जिस पर काफी विस्तार से लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रभाव डाला है। आपने कह दिया, '(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध उसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो, लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दे दिया जाता; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।'

माननीय सभापति महोदय, किसी माल को डिटेन कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, अभिग्रहीत कर रहे हैं और आप इसमें यह उल्लेख कर रहे हैं कि उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देंगे, उसको सूचना देंगे। कितने समय में देंगे, इसकी कोई टाइम अवधि नहीं। आपने इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगा दिया और इसमें अगर किसान का या ट्रांसपोर्टेशन करने वाले व्यक्ति का सारा माल खराब हो गया तो उसमें किसकी जिम्मेदारी तय होगी, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, धारा-10 के अन्दर लिखा है,- 'अपील', 'धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, उनके लिए कीमत उस घोषित माल के अभिग्रहण के दिन से संगणित ब्याज सहित इस प्रकार संदत्त की जाएगी मानो सरकार को उस घोषित माल का विक्रय किया गया हो।'

माननीय सभापति महोदय, मैंने माल पैदा किया है, मेरा माल है और सरकार यह मानकर, जैसे उसको बेच दिया सरकार ने, उसको नीलाम कर देगी, यह मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। मेरे राइट्स का हनन है। आपने इस सामान्य बिल के माध्यम से मेरे सारे राइट्स को, अधिकार को खतम करके राज्य सरकार के हाथों में दे दिया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

धारा-12 में जो है, आपने यह भी लिख दिया, 'कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन', आपने एक कानून लाकर इंस्पैक्टर राज कायम कर दिया। कहीं आपने कोई प्रावधान नहीं किया कि कौन शिकायत करेगा, माल कौन ले जा रहा है, किन बढ़ी हुई कीमत का है, कहां इसके परिवहन से कीमतों पर और सार्वजनिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जिस इंस्पैक्टर, एस.डी.एम. की मर्जी आएगी, माल को जब्त कर लेगा। इस व्यावहारिक कानून के खिलाफ आपने तय कर दिया कि कलक्टर के फैसले के खिलाफ आप गवर्नमेंट में आओ। गवर्नमेंट में आने की प्रक्रिया कितनी लम्बी होगी? वह तत्समय किसी न्यायालय में जाकर अगर रिलीफ लेना चाहेगा कि, साहब, मेरे बेसिक राइट्स हैं जिनका हनन हो रहा है, तो आपने वर्जित कर दिया कि यह मामला कलक्टर के बाद सीधा राज्य सरकार के अधीन विचार के लिए आएगा। आप इसको किसी न्यायालय में विचार के लिए नहीं ले जा सकते। आपने बिलकुल ही अव्यावहारिक तरीके से एक आदमी के कानूनी अधिकारों का हनन कर दिया। धारा-12 के अन्दर- 'कतिपय मामलों में अधिकारिता का वर्जन,- वितरण के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी'... अगर, आपने इस प्रक्रिया में कोई लीगल खामी रख दी है या कोई प्रतिकूल बात रह गई है... 'विधि में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को ऐसी अधिकारिता नहीं होगी।' आप न्यायालय में नहीं जा सकते। किसी को और अधिकार नहीं होंगे। यानी, राज्य सरकार ने ऐसा कानून बनाकर सारे कानूनी अधिकार तो व्यक्ति के छीन लिए और शास्तियां जो आपने धारा-3 में वर्णित की हैं, जिसमें आपने जिसको दोषी माना है, उसके विरुद्ध 3 माह से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया कि 3 माह से लेकर 7 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, व्यवहारी के खिलाफ तो आप सजा का प्रावधान कर रहे हैं लेकिन धारा-21 के अन्दर 'लोक सेवकों का अभियोजन', उसमें आप यह तय कर रहे हैं कि कलक्टर ने गलती कर दी, एस.डी.एम. ने गलती कर दी या राज्य सरकार के स्तर पर कोई गलत फैसला हो गया, या किसी अधिकारी के द्वारा स्टेट लेवल पर, और अगर व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय में जाना चाहता है तो अधिकारियों के बचाव के लिए आपने तय कर दिया कि राज्य सरकार इसकी परमिशन देगी, तब ही जाकर आप जुडीशियल

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्रोसेस में जा सकते हो। यह पूरा का पूरा जो बिल आप लाये हैं, आपकी मंशा ठीक है कि कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी पर मार पड़ रही है। आम आदमी ऐसा महसूस करने लगा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कोई कानून-व्यवस्था का, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहां तक इस आशय से तो यह ठीक है। लेकिन, आप इस दायरे में जिस प्रकार से लोगों को ले रहे हैं, वह किसी भी कीमत पर व्यावहारिक नहीं है। अगर आपको इस कानून को लाकर व्यावहारिक रूप से राजस्थान में लागू करना था तो। माननीय सभापति महोदय, आपको दो प्रकार की सूचियां जारी करनी चाहिए थीं। एक सूची तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, बार-बार कहने के बाद भी कि वक्ता और आसन के बीच में से निकल कर न जाएं, यह अच्छा नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, एक सूची में आप उन खाद्यान्नों को जोड़ते जो दैनिक उपयोग में आते हैं और दूसरी सूची में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या कोई कानून बनाकर कोर्ट में जाने से किसी को रोक सकता है क्या न्यायिक प्रक्रिया से?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसमें लिखा हुआ है।

श्री सभापति: लिखा हुआ है लेकिन रोक नहीं सकता।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): रोक तो नहीं सकते। आपने अगर कानून में कर दिया तो आप रिट में जा सकते हैं, अपील में नहीं जा सकते फैसले के खिलाफ। आप अपील में जाएंगे तो कोर्ट भी आजकल सामान्य प्रकृति से बोल देती है। आपको इसमें प्रिविलेज है गवर्नमेंट के पास जाने का, लेकिन यह निर्णय सुनाते समय कोर्ट के प्रसंज्ञान में यह नहीं रहता कि कलक्टर का फैसला अगर एडिशनल चीफ सैक्रेटरी या सैक्रेटरी के पास जाता है तो ब्यूरोक्रेसी का नजरिया नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग समान होता है। आपने उसके लीगल राइट्स को तो मार दिया।

सामान्यत: जहां पर इस प्रकार के कानून बने हुए हैं कि आपको अपील की एक आथोरिटी स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर मौजूद है, न्यायालय में प्रकरण जाते ही सबसे पहले न्यायालय में फैसला होता है बिना सुने और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

विचार के कि आपके पास एक लिबर्टी है, आप जाइए। आप स्टेट गवर्नमेंट में जाइए, आप ट्रिब्यूनल में जाइए। लेकिन, क्या स्टेट गवर्नमेंट कलक्टर के इस फैसले के बाद, जैसा कि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की कि आज माल जब्त किया है, कल कलक्टर का इस्तीफा, प्रमोशन हो गया, वे फूड सैक्रेटरी बन गये, उन्हीं के सामने विचार के लिए वह मामला आ गया, क्या वह अपने फैसले को बदलेगा? जो लिबर्टी उसको तुरन्त कानून से मिलनी चाहिए थी, न्यायालय से मिलनी चाहिए थी, न्यायालय में जाने के बाद भी, विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायालय उसी कानून से चलता है। आपको एक लिबर्टी दी हुई है। आप जाइए, सैक्रेटरी के पास जाइए, आप मंत्री के पास जाइए। एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके पास जाइए। इस पूरे प्रोसीजर में अगर उसका माल खराब हो गया, उसके माल की कीमत खतम हो गई तो उस व्यक्ति को जिस प्रकार का आर्थिक नुकसान होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपने उसके अपराध पर उसको दण्ड देने का प्रावधान तय कर दिया। लेकिन अगर उसको गलत तरीके से इंस्पेक्टर राज की मंशा से या कोई पोलिटिकल दुर्भावना से उसके माल को जब्त किया है या किसी राजनीतिक विद्वेष के या किसी अन्य कारणों से उसके साथ प्रशासनिक कार्यवाही हुई है तो जो व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही के लिए दोषी है, आपने इसमें उसके खिलाफ किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया। धारा-21 में अगर कोई व्यक्ति जाना भी चाहे तो यह तय कर दिया कि दुर्भावनावश मेरा यह माल पकड़ा गया है, राजनीतिक विद्वेष की बात है तो आपने धारा-21 में साफ-सुथरे शब्दों में कह दिया कि-सरकार जब परमिशन देगी, 'कोई न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।' राज्य सरकार अनुमति देगी कलक्टर के खिलाफ, सैक्रेटरी के खिलाफ? उसके जो मूल अधिकार हैं, यह उसके खिलाफ है और इसीलिए ऐसा कानून लाने से पहले तय करें और कम से कम किसान को तो आप इसमें से निकाल दें। उत्पादनकर्ता को और उत्पादनकर्ता की श्रेणी में अगर कोई ऐसी चीजें जो बाजार की कीमतों को, मंहगाई को प्रभावित करती हैं, आप उसको शामिल करो। लोहे को शामिल करिये, सीमेंट को शामिल करिये, अन्य चीजों को शामिल करिये। लेकिन किसान...(व्यवधान) आपने धारा 5 में जो राइट दिये हैं, उसमें आपने उत्पादन की जो परिभाषा दी है, सारा का सारा आपने किसान को कवर किया है, अन्य किसी प्रोडक्शन करने वाले का आपने बहुत अधिक इसमें जिक्र नहीं किया है। इसीलिये ऐसा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लगता है कि सरकार की मंशा ठीक होते हुए भी यह जो कानून एप्लाई होगा, निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा किसानों के खिलाफ एप्लाई होगा और मैं समझता हूं कि इस स्थिति में यह कतई व्यावहारिक नहीं है। निश्चित रूप से इस कानून को इस विधान सभा में पारित करने से पहले एक बार जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये। राजस्थान की जनता की खुलकर राय जानने के बाद, कि क्या राजस्थान की जनता के प्रति हम सबकी जवाबदेही है कि हम ऐसा लीगल और व्यावहारिक कानून लाएं, जो जनता के माथे पर इंस्पेक्टर राज थोपने के बजाय उसके सामने कानूनी पेचिदगियां दूर करते हुए उसको सहायक सिद्ध हो, यह सारा जनमत जानने के बाद ही इस सदन में इसको पारित किया जाए। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि इसको पारित करने के बजाय जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित (अनुपस्थित)। श्री ओम बिरलाजी (अनुपस्थित)। श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, जिस विधेयक पर सदन में चर्चा हो रही है, उसका नाम है राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियन्त्रण) विधेयक, 2014, अभी सदन के दो माननीय सदस्यों- एक लूणी से आने वाले और कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बिल के विभिन्न प्रावधानों को पढ़कर सदन से निवेदन किया है कि जनमत जानने हेतु इस बिल को भेजने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं यह बिल किस पर लागू नहीं होगा, सबसे पहले उस बात पर आऊंगा। धारा-2 कहती है कि यह बिल असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो भारत सरकार का है, और उसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं, उन पर लागू नहीं होगा।

श्री सभापति: अनुसूची में भारत सरकार और भी कुछ जोड़ सकती है, जितना जोड़ना चाहे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जी। सभापति महोदय, असेंशियल कमोडिटी एक्ट की सारी अनुसूची इससे बाहर है। सैकण्ड, जहां संसद द्वारा, विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियन्त्रण लोक हित में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

समीचीन घोषित किया जाता है, वहां ऐसे उद्योगों के उत्पादों और ऐसे उत्पादों के रूप में उसी प्रकार के आयातित माल। मैं अर्ज करता हूं कि इंडस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड रैगुलेशन एक्ट भारत सरकार का बनाया हुआ है, माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट भारत सरकार का बनाया हुआ है। माइन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट बनाते वक्त भारत सरकार ने कहा है कि माइन्स का कंट्रोल हमारे लिये लेना आवश्यक है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट बाहर हो गया, इंडस्ट्रीज डवलपमेंट एण्ड रैगुलेशन एक्ट में जितने वर्णित उद्योग हैं, वे बाहर हो गये, माइन्स एण्ड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट बाहर हो गया और चौथे में लिखा है, 'ऐसे माल जिसके विनिर्माण, विक्रय, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टियों के आधार पर संसद को विधि के निर्माण की शक्ति है' यानि भारत सरकार जिन कानूनों को बना सकती है, सैवन शिड्यूल के फर्स्ट लिस्ट में और सैवन शिड्यूल के थर्ड लिस्ट में। वे भी इससे बाहर हैं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान असेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो अनुसूची है, उसकी तरफ आकर्षित करूंगा। आखिर उन्होंने यह कहा है कि ये-ये माल असेंशियल कमोडिटी एक्ट की परिधि में आ रहे हैं। सबसे पहले, सभापति महोदय, ड्रग्स, फिर फर्टिलाइजर्स, वैदर आर्गेनिक और इन-आर्गेनिक और मिक्स्ड, और मैं तीसरे आइटम पर हूं, फूड स्टाम्प्स, इनक्लूडिंग एडिबल आयल सीड्स और आयल। सभापति महोदय, इस बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह लिखा गया है कि खाद्य पदार्थ की चीजें भी उपरोक्त अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से समाविष्ट नहीं होती हैं। मैं अर्ज करता हूं, कैसे नहीं होती है? फूड स्टफ्स इसमें लिखा हुआ है और उसमें एडिबल आयल्स और सीड्स भी लिखे हुए हैं। तो फूड स्टफ्स सम्पूर्ण रूप से भारत सरकार के कानून में वर्णित है और असेंशियल कमोडिटी एक्ट उस पर लागू है।

श्री सभापति: उनको बाहर कर दिया इसमें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): तो जब फूड स्टफ्स पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, माननीय सभापति महोदय, शायद यह परिभाषा जो माल की है सैक्शन तीन में, इसको इन्होंने बहुत विस्तृत कर लिया है। माल में समस्त चीजें, वस्तुएं और सामग्री सम्मिलित हैं। अब आप गौर फर्माएं, खण्ड-2 से जो चीजें बाहर हो गयीं उसके अलावा दुनिया में जितनी चीजें बच गयीं, चीजें, वस्तुएं और सामग्री, अंग्रेजी में है कमोडिटीज, थिंग्स एण्ड

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आर्टिकल्स, वे सब इसकी परिधि में हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह भारत सरकार ने शिड्यूल दिया है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, आप अपना मानस तो बताएं कि आपको किन-किन वस्तुओं पर इस एक्ट को लागू करना है।

जहां तक मंहगाई का प्रश्न है, सभापति महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि 1955 में असेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया उसके बाद आज तक मंहगाई रुकी नहीं। न आज तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वस्तुओं का हुआ। परपज क्या है आपका? आप यदि मंहगाई को रोकना चाहते हैं तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हश्र क्या हुआ, इसको तो देखिये। सभापति महोदय, सन् 1981 में हमारी लोक सभा एक नया एक्ट लायी। अशेंसियल कमोडिटीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, 1981 और उसमें कहा, ''In spite of extensive amendments made to the principal Act in 1976, experience has shown that some of the existing provisions of that Act have not been adequate and effective for expeditious disposal of case as well as for ensuring the availability of essential commodities at fair prices" यानी 1955 में कानून आया, 1981 में संशोधन नये एक्ट को लाकर कर रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, साम्यपूर्ण वितरण का काम पूरा नहीं हुआ और फेयर प्राइस का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। सभापति महोदय, यदि ये उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट से भी नहीं हो रहे हैं, मैं तो राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उसी एक्ट की नकल करके, प्राय:-प्राय: जो नकल की गयी है, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रावधानों की की गयी है, और उसके मार्फत राज्य सरकार ने अपना स्कोप बहुत वाइडन कर लिया है। निश्चित रूप से अपन इसमें बजरी को ला सकते हैं, निश्चित रूप से किशनपोल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि अपन इसमें प्याज को ले सकते हैं। आप इसमें जिन चीजों को लेना चाहते हैं, आप अपनी 20-25-30 चीजें तो बताएं। मैं कहता हूं, इसमें फल और सब्जी को ले लीजिये, क्योंकि आपकी डेफिनिशन तो बहुत वाइड है। (व्यवधान) नहीं, वे होंगे, पर यह माल में तो आ ही गया न, माननीय। यह माल की परिभाषा में तो आ ही गया। माल की परिभाषा में आ गया। माल क्या है? धारा 4 कहती है, 'राज्य सरकार यदि उसका समाधान हो जाए कि लोक हित में और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक है, ऐसे माल की घोषणा कर सकेगी, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एक नोटिफिकेशन की जरूरत है। आप सब्जी को ले लीजिए, टमाटर को ले लीजिए। आप कहिए तो सही कि दस रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, पन्द्रह रुपये किलो बेचना पड़ेगा। पचासों आइटम हैं। मैं अर्ज करता हूं कि होर्डिंग जिसको आप कह रहे हैं, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन, वे सिर्फ चने के बारे में हैं, दालों के बारे में हैं, मोठ, मूंग, दाल और चने के बारे में हैं। ढाई हजार क्विंटल का नोटिफिकेशन है कि आप ढाई हजार क्विंटल से ज्यादा का स्टाक नहीं रख सकते। दूसरी चीजों के बारे में नोटिफिकेशन नहीं है। आप किसको जमाखोर कह रहे हैं? आप पहले नोटिफिकेशन तो जारी करिए कि इससे अधिक नहीं रख सकते। इससे अधिक रखे तब जमाखोर होगा। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइज का है कि हम फेयर प्राइज पर बेचेंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि यह सरकार या कोई भी सरकार असेंशियल कमोडिटीज की नकल करके कानून बनाए और सारी महंगाई को रोक दे।

मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं जो इसके इंचार्ज हैं, कि यह बिल जो आप ला रहे हैं, आप यदि इसको पास करवाते हैं तो अगले वर्ष ही हम पूछने वाले हैं कि आपने कितनी वस्तुओं को इसमें घोषित किया और कितनी महंगाई रोकने का काम किया। आप बता दें जो तौर-तरीके फेल हो गये उन तौर-तरीकों पर चलने से महंगाई और होर्डिंग, होर्डिंग तो जिसको आप कह रहे हैं वह एक दिमागी उपज है कि होर्डिंग है, आप पहले नोटिफिकेशन नोटिस जारी करिए सब चीजों में, कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते। उनकी लिमिट में भी वह 75 दिन में बेचने की उनकी पाबन्दी है कि आप 75 दिन में बेचें। उससे ज्यादा वे रख नहीं सकते।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप जवाब देते समय यह भी ध्यान कर लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या?

श्री सभापति: आपकी बात मंत्रीजी को कह रहा हूं कि किस-किस चीज की होर्डिंग से महंगाई बढ़ी है। अब हम उसको नियंत्रण करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, मैं कहता हूं कि यही कानून 55 में आया, यह की यह लैंग्वेज है। इस असेंशियल कमोडिटी एक्ट में, 32 बी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में, "For bringing under cultivation any waste or arable land whether appurtenant to building or not..." यह सारा अनुवाद ही तो है उसका। किसी मकान या भवन से संलग्न है या नहीं है? "... for creating thereon of food crops generally or of specified food crops and for otherwise maintaining or increasing the cultivation of food crops generally or of specific food crops." मैं अर्ज करता हूं कि 55 को गये 58 साल हो गये, अब तो आप सबक लेते। इस क्लाज को डिलीट करते। इसकी उपयोगिता न तो भारत में कहीं हुई है और न वहां जहां 25 स्टेट्स में यह लागू है। आपको कौनसी वस्तु का कृषि में उत्पादन करना है, कौनसे स्पेसीफाइड गुड्स उत्पादन करने के लिए आप लालायित हैं, आप बताएं तो सही। नहीं बताएं तो उसको डिलीट करें। इसलिए यह जनमत जानने का जो प्रस्ताव है, बहुत न्यायसंगत है।

सभापति महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि कृषि से सम्बन्धित एक बिना मतलब का प्रावधान इसमें डाला गया है जिसकी कभी क्रियान्विति भी नहीं होगी और न यह कहीं आवश्यक है कि आप किसान को कहें कि तू यह पैदा कर और यह न कर। आपकी जो जमीनें पड़ी हैं उनके लिए आप आदेश दें तो सही कि क्या चीज उगाई जाए। पचास सालों में अब तक तो दिया नहीं और अब देना चाहें तो दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि सबसे बड़ा लैकूना लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें रूल्स बनाने का प्रावधान ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं और जानकार भी हैं, क्या असेंशियल कमोडिटी एक्ट के सैक्शन में जो कृषि के बारे में निर्देशित किया गया था, भारत सरकार किसी भी राज्य में ये निर्देश देने में सफल हुई है क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नोटिफिकेशन नोटिस नहीं हुआ। मैं यही अर्ज कर रहा हूं। सभापति महोदय, आप दूसरा प्रावधान देखें। असेंशियल कमोडिटी एक्ट में सैक्शन 3 है और इसका सैक्शन 5, हूबहू अनुवाद कर दिया। वह अंग्रेजी में है और यह हिन्दी में है और अंग्रेजी ट्रांसलेशन साइड में है ही, इसको हम पढ़ सकते हैं।

श्री सभापति: वह तो सारे भारतवर्ष के लिए है। इसमें जलयान लिखा गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, 5 (2) (ग) ऐसी कीमत नियंत्रित करना, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा। करें आप। माल जिसको आप कह रहे हैं और जिसकी डेफिनिशन बहुत वाइड है, आप कीमतें नियंत्रित करें। जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सके।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं है, एक प्रावधान है, स्पष्टीकरण। इसे मैं पढ़ रहा हूं। च का सैकण्ड है। 'इसे ऐसे माल की दशा में जिसका वह सम्भवत: उत्पादन करेगा या जिसे वह सम्भवत: प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर वह सम्पूर्ण माल या उसके विनिर्दिष्ट भाग, यानी सरकार को बेचेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से जो किसी घोषित माल के स्टाक में रखता है या उसके उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय में, कारोबार में, लगा हुआ है, यह अपेक्षा करना कि वह उस सम्पूर्ण मात्रा या उसके निर्दिष्ट भाग का जिसे वह स्टाक में रखता है या जिसका उसने उत्पादन किया है या जिसने उसे प्राप्त किया है या किसी ऐसे माल की दशा में जिसका वह सम्भवत: उत्पादन करेगा या जिसे सम्भवत: वह प्राप्त करेगा- उसके द्वारा उत्पादन करेगा या उसे सम्भवत: वह प्राप्त करेगा, उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने पर उस सम्पूर्ण माल या उसके विनिर्दिष्ट भाग का राज्य सरकार को, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी परिस्थितियों में विक्रय करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।'

सभापति महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि नाफेड के द्वारा फण्डेड है राजस्थान में मूंगफली की खरीद। रुपया जिसका भारत सरकार से आ रहा है। नियम 295 के तहत मैंने एक मैटर पढ़ा था मूंगफली की खरीद के बारे में, मैं अर्ज करता हूं कि उस मूंगफली की खरीद का रुपया भारत सरकार का है और, माफ कीजिए, पिछली सरकार में उसका सैलिंग राइट गंगानगर की 15-20 आदमियों की कोआपरेटिव सोसायटी को दे दिया गया। उसके माध्यम से बीकानेर, लूणकरणसर और डूंगरगढ़ में जो खरीद हो रही है, राज्य सरकार जांच करवाए। सीमित व्यापारियों को लाभ हो रहा है। किसान को तो 20 परसेंट लाभ और 80 परसेंट लाभ व्यापारियों को हो रहा है। हम व्यवस्था नहीं कर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सकते जब तक कि रुपया बाहर से आ रहा है, उसकी, कि वह प्रापर खरीद हो? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप बिल लाएं तो लाएं पर समर्थन मूल्य पर किसान का माल खरीदा जाएगा, यह उसको आश्वस्त तो करें। उसका तंत्र बनाएं। आपने जो घोषणा पत्र में लिखा है कि हम समर्थन मूल्य का तंत्र बनाएंगे, किसान की बहबूदी उस पर निर्भर है कि हम समर्थन मूल्य का तंत्र बनाएं। किसान की बहबूदी ही नहीं। यदि किसान को चार हजार रुपया क्विंटल मिलना है, उसको मिला है 2800, 2900 और 3000, कितना गेप है, आप देखें। 25 परसेंट का गैप है समर्थन मूल्य और जो किसान को प्राप्त हो रहा है उसमें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यक चीजों पर आवश्यक ध्यान दें। ये जो अनावश्यक चीजें हैं, यह मात्र असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिन्दी अनुवाद है, उसको आप हमसे पास करवाना चाहते हैं।

इसमें एक और प्रावधान है। मूल बात यह है कि महंगाई जिससे जनता त्रस्त है और जनता ने दुःखी होकर प्रचण्ड बहुमत वर्तमान सरकार को दिया है, उसकी उम्मीद निश्चित है कि आप महंगाई के लिए सक्षम कदम उठाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट और उसके प्रावधान फेल हैं, आप उसकी नकल करके आगे नहीं चल सकते। आप नई बात सोचें और 20-25 चीजें चिन्हित करें कि इनकी महंगाई को रोकना है। उन कदमों को अपन करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता में महंगाई सरकार रोक रही है, इसका मैसेज जाएगा और उस मैसेज का अच्छा असर आम जनता और किसानों पर पड़ेगा। किसान को आप अलग से समर्थन मूल्य का तंत्र बनाएं और उसको आश्वस्त करें कि तुम्हारी पैदावार और उसका समर्थन मूल्य सीधा तुम्हारे घर में आएगा।

माननीय बहुत महत्वपूर्ण मंत्री विराज रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. का जो सिस्टम है हरियाणा में और पंजाब में ...

श्री सभापति: सभी मंत्री महत्वपूर्ण हैं, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभी हैं, सभी हैं। कुछ मंत्री हैं कुछ विधायक हैं तो मैंने उस दृष्टि से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है।

एफ.सी.आई. का जो सिस्टम है हरियाणा और पंजाब में, आज माल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गेहूं आढतिये के यहां जमा हुआ, दो दिन में उसका पेमेंट एफ.सी.आई. से उस आढ़तिये को मिला और वो सारा किसान को मिला। वो सिर्फ आढ़त काटने का अधिकारी है। जितने भी सिस्टम हैं उनको आप एग्जामिन कराएं और समर्थन मूल्य का तंत्र बनाएं और जो बहुत बड़ी मांग है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद हो, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद हो, उसको साकार रूप देने का काम करें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल में रूल्स बनाने की जहां पावर नहीं है, सभापति महोदय, और रूल्स बनाने का कोई सैक्शन नहीं है तो बिना रूल्स के यह कानून बिलकुल पंगु होगा।

अपील का जो प्रावधान है, कुछ बातें जो पूर्व में माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं सहमत नहीं हूं। कलक्टर की परिभाषा में चूंकि एस.डी.एम. दे दिया गया है, एडीशनल कलक्टर दे दिया गया है, हो सकता है, बहुत-सी सुनवाई वो करेंगे। और एस.डी.एम. के फैसले पर सीधी राज्य सरकार ही सुने, यह बिलकुल उपयुक्त नहीं है, आपको बीच का माध्यम बनाना चाहिए कि कोई न कोई अपील डिवीजन या जिले के बड़े अफसर सुनें और उसके बाद में राज्य सरकार उस बात को सुने। एक कलक्टर के आर्डर से सीधी अपील राज्य सरकार को होगी तो ढेर सारी अपीलें भी होने की सम्भावना रहेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपील का जो अभी प्रावधान बनाया हुआ है कि कलक्टर के आर्डर की, जिसमें एडीशनल कलेक्टर शामिल है एस.डी.एम. शामिल है, उसके आर्डर की अपील सीधी राज्य सरकार को होगी, राज्य सरकार कौन है? यह बहुत निश्चित है।

(14.31 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

आखिर खाद्य विभाग यह बिल ला रहा है तो खाद्य विभाग और उसके प्रिंसिपल सैक्रेटरी को या माननीय मंत्रीजी को अपील दी जा सकती है। इसमें कोई वेगनैस नहीं है। लेकिन जो वेगनैस है वो इस बारे में है कि आज भी तीन महीने से सात साल तक की सज़ा, पैनल्टीज का प्रोविजन है सैक्शन 13 में कि तीन महीने से लगाकर सात साल तक का कारावास दे सकेगा। अनेक प्रोविजन में यही भाषा आयी है। खास तौर से, सभापति महोदय, उप-धारा (2) के खण्ड (ज) और (झ) में, 'ज' और 'झ' का मतलब है सूचना इकट्ठी करना,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रिकार्ड लेना और उसके आधार पर सरकार की नीति बनाने में सहयोग लेना। उसमें तीन-तीन साल की सज़ा और अनेक मैटर्स में तीन से सात साल की सज़ा। जो सजाएं असैंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 में लिखी हुई थीं, वो की वो सजाएं और वो का वो प्रावधान लिख दिया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपील के प्रावधानों में, सज़ा के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है और राजस्थान के व्यापारियों से और राजस्थान की आम जनता से इस बिल पर व्यापक राय लेने की जरूरत है और इसलिए मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और यह निवेदन करने के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, वैसे तो मैंने लिखित रूप में अमैंडमेंट नहीं दिया है, अगर आसन की अनुमति हो तो मैं अपने विचार इस सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी अनुमति हो तो।

श्री सभापति: आपने लिखित में नहीं दिया इसलिए नहीं। (व्यवधान) श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी को सौंपा जाए जो अपनी रिपोर्ट अगले सत्र में देगी। जनमत जानने का, सलैक्ट कमेटी का प्राय:-प्राय: यही मतलब है कि इस पर काफी गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है क्योंकि अपने आप में जल्दी में लाया हुआ विधेयक और बिना सोचे-समझे लाया हुआ बिल मैं इसको मानता हूं।

लूणी से आने वाले सदस्य ने, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत व्यापक इसके ऊपर प्रकाश डाला है।

मेरा मूल स्ट्रैस असेंशियल कमोडिटीज ई.सी. एक्ट के ऊपर है। ई.सी. एक्ट के तहत बहुत वाइड स्कोप है जिसमें हैं गेहूं, चावल, दालें, दलहन, एडिबल आयल, सीमेंट कंट्रोल आर्डर। सभापति महोदय, मुझे इसलिए ज्ञात है कि 1977 में मैं सबोर्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी का मैम्बर था, स्वर्गीय मेजर फतेह सिंहजी इसके चेयरमैन थे, he was a very hard taskmaster, बोले, लो भाई, इसका अध्ययन करो, बैठो यहां पर, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उस वक्त किया। तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सारे कंट्रोल आर्डर्स उसके सामने, सभापति महोदय, हम लोगों के सामने आये थे, हमने उसका अध्ययन किया, तब से मुझे कुछ चीजें ध्यान में पड़ी हुई हैं। इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने एक नकल कर ली असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत।

यह बात सही है कि आज की तारीख में महंगाई है। देखिये, महंगाई को आप इस कानून के द्वारा नहीं रोक पाएंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। इसके वर्डिंग्स- किसान को बाध्य करना, सीजर, अपील की पावर नहीं, तीन महीने से लेकर सात साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान करना, यह सब अपने आप में गहन चर्चा का विषय है। बिना उसके करे आपने सारे व्यापारियों को बेइमान करार दे दिया। आप इसकी भाषा देखिये, अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। इंग्लिश में तर्जुमा दूसरा है, इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में अगर आप देखें, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, खाद्य मंत्रीजी, और आप से भी कह रहा हूं। बहुत्से ऐसे माल हैं जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं और समुचित विनियमन के अभाव में बेइमान व्यापारी, कहते कतिपय बेइमानी व्यापारी कहते, कुछ बेइमान व्यापारी कहते, आपने सारे व्यापारियों को बेइमान करार दे दिया! It's shocking. It's shocking. आपने सारे को बेइमान कर दिया। आप कह सकते थे कुछ, कतिपय कह सकते थे, प्रापर वर्डिंग होता उसमें। (व्यवधान) हां, यह है नहीं। बेइमान व्यापारी- आपने सारे व्यापारियों को बेहमान कह दिया, आपने सारे व्यापारियों को बेइमान कर दिया।

मैं आपको एक-एक कर के बताता हूं, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का आप अध्ययन करें। मैं ला डिपार्टमेंट वालों से पूछना चाहता हूं, पिछले सालों के अन्दर कितने कंट्रोल आर्डर इश्यू हुए? इनको खुद ही ध्यान नहीं होगा। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत State Government is empowered to issue different types of control orders. जब मैंने नयी-नयी वकालत की थी तब मैं गया था, एक सीमेंट कंट्रोल आर्डर का मामला आ गया। तो अब सीमेंट कंट्रोल आर्डर कहीं मिला नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मैं कानून वाले की दुकान पर गया, उसने दु:खी होकर सारे कंट्रोल आर्डर लाकर सामने रख दिये, कहा, साहब, आप छांट लो, आपसे छांटे जाएं तो आप छांट लो। मेरे काबू नहीं, मैं आपको कहां से छांट कर दूं सीमेंट कंट्रोल आर्डर। छांटता रहा।

जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एडिबल,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खाने की चीज है, कैरोसीन कंट्रोल आर्डर, आप इतनी सारी चीजों का इसके अन्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिये, मूल रूप से मैं समझा हूं, इसको लाने का इनका मकसद प्याज का है, प्याज और बजरी। चलो मैं बजरी को लेता हूं। आपने इसमें बजरी में लिखा है, आपने इसके अन्दर नैचुरल रिसोर्सेज की बात की है। बजरी में जब आप नीलाम करेंगे, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के तहत बजरी नीलाम कर रहे हैं, जब आपकी रिजर्व प्राइस से बीस गुना, पन्द्रह गुना, दस गुना प्राइस मिलेगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं? डीजल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट बढ़ रही है, वीयर एण्ड टीयर बढ़ रहे हैं तो आप कैसे प्राइस फिक्स करोगे? या तो आप छोटी लीज दें, अपनी पालिसी को बदलें जिसके ऊपर एप्रूवल हो। उसके बाद आप कह सकते हैं कि यह कास्ट आएगी, आपने सरकार को इतना पैसा दिया, इतना ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा। वो ट्रैक्टर भी ला रहे हैं, कहीं बैलगाड़ियां उसको भर कर ला रही हैं। बहुत से लोग तो ऊंट के ऊपर और गधों के ऊपर लादते हैं भर-भर के जो गांव के अन्दर डालते हैं, जिसकी छोटी-मोटी आवश्यकता हो। इसके लिए इतना बड़ा कानून, इतने स्वीपिंग पावर, इतने असीमित अधिकार, स्वीपिंग पावर्स आप कलक्टर्स को देने जा रहे हैं।

जिस प्रकार के आपके एस डी एम हैं,, जिस प्रकार के आपके कलक्टर हैं, माननीय कटारियाजी गृह मंत्री थे, पुलिस एक्ट जब बना रहे थे तब तत्कालीन डी जी पी से मैंने एक सवाल किया था कि क्या आप इस बात का सर्टिफिकेट दे सकते हो कि आपके सारे सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस ईमानदार हैं। चुप होकर बैठ गये। याद होगा, कटारियाजी, आपको। उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्ट के अन्दर प्रावधान आपकी सहमति से हुए थे उस समय बैठकर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इतने स्वीपिंग पावर्स सबको देने जा रहे हैं एक प्याज की खातिर!

प्याज की स्थिति सुन लीजिए। लाल प्याज की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा तीन महीने है। लाल प्याज राजस्थान के अन्दर कम पैदा होता है, महाराष्ट्र से सारा लाल प्याज आता है। दो तरह की प्याज होती है, जो अपने यहां होती है उसकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती, सफेद प्याज, मीठी प्याज कहते हैं। आप ले आएंगे यहां पर, कीमत फिक्स कर देंगे। वहां प्राइस क्या होती है, उस प्राइस पर दुकानदार यहां मंगाएगा, आप प्याज के लिए तरस जाओगे। जो बाहर से प्याज आएगा वह मिलेगा ही नहीं आपको, व्यापारी मंगाएगा नहीं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बहुत सोच-विचार कर लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर विवेचना की यहां पर, तो मेरा कहना है कि एक प्याज के लिए, बजरी के लिए सात साल की सजा दोगे क्या आप? पहले आप अपनी नीति तो बदलो। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप क्या-क्या चीज डालना चाहते हो इसमें, स्पेसिफाई कर शिड्यूल तो बनाओ आप। जो उसमें कवर नहीं होते वो इसके अन्दर आएंगे। तो शिड्यूल तो आप लगाओ कि हम इन-इन चीजों को कवर करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कोई नाक का सवाल सरकार न बनाए कि हमको आज ही इस बिल को पारित कराना है। कानूनी बिन्दु लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये, फिर आप किसान को बाध्य करेंगे। आप करने की स्थिति में हैं क्या किसान को बाध्य? कोई सरकार आज हिन्दुस्तान में किसान को बाध्य कर सकती है? जिस प्रोड्यूस से, जिस चीज से उसको मुनाफा ज्यादा होगा वो वो चीज पैदा करेगा You can't force him. एक तरह का बवाल पैदा हो जाएगा, आंदोलन शुरू हो जाएंगे।

आज आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की, उस पर आप खरीद नहीं पाते हैं। जब प्याज दो रुपए किलो बिकता है, टमाटर एक रुपए किलो बिकता है, सड़ा हुआ बिकता है, लोग फेंकते हैं। गन्ने को लोग इस देश के अन्दर जलाते हैं, टमाटर को सड़क पर फेंक देते हैं जब उसकी कीमत नहीं मिलती। उस समय आपकी क्या स्थिति बनेगी? कोई भी सरकार हो, हमारी पार्टी की सरकार हो, आपकी सरकार है प्रान्तों के अन्दर, कहीं कोई कुछ नहीं कर पाता है।

तो मेरा आपसे निवेदन है, इसको आनन-फानन में आप पास करने की बात मत करिए। इसको सलैक्ट कमेटी में भेजिए। आपकी पार्टी में बहुत विद्वान हैं, लूणी से आने वाले सदस्य हैं, बड़े अनुभवी वकील हैं हमारे मानिक चन्दजी सुराना, और लोग हैं, आप बैठिए, इस पर चर्चा कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। आप मानकर चल रहे हैं कि सारा व्यापारी जगत बेइमान है, दलाल बेइमान हैं, सब बेइमान हैं। किसान को आप मजबूर करना चाहते हैं। तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा आप ठोकना चाहते हैं। जहां आपका असेंशियल कमोडिटीज एक्ट फेल हो गया तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इस्तेमाल तो कीजिए पहले आप। आपको यही नहीं मालूम होगा कि कितने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

असेंशियल कमोडिटीज एक्ट हुए। कितने कण्ट्रोल आर्डर्स निकले हुए हैं, आपको यही नहीं पता होगा।

ला डिपार्टमेंट वालों से कहिए, अध्ययन करें। इसके अन्दर कहीं आप अपील का प्रावधान डालिए। कलक्टर को स्वीपिंग पावर मत दीजिए भगवान के लिए, इसका दुरूपयोग होगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी। आप हैं, हम थे, आप आये। आना-जाना लगा रहेगा लोकतंत्र में। जो कानून बन जाता है यह पीढ़ियों के लिए और सदियों के लिए होता है। तो ऐसे कानून को मत बनाओ। ऐसे पचासों कानून हैं रिडन्डेंट, जो आज फोर्स में हैं लेकिन जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। बहुत सारे कानून हैं। कई दफा तो बात चलती थी कि ऐसे कानून को ढूंढ कर, छंटवा कर निकलवाया जाए जो रिडन्डेंट हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है स्क्रैप कर दिया जाए ऐसे कानूनों को।

तो मेरा, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि इस एक्ट को गहन अध्ययन के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाए जो अपनी रिपोर्ट दे और सरकार इस प्रस्ताव को लेकर आए। एक तकनीक के आधार पर हमने कहा है कि सदस्यों के नाम हम दे देंगे। आप ही इसको स्वीकार कर लीजिए और आप अपनी तरफ से सलैक्ट कमेटी में भेजिए, उसके ऊपर चर्चा हो जाए। शिड्यूल लगाइये कि आप कौन-कौनसे आइटम्स इसके तहत इनक्लूड करना चाहते हैं। यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, थैंक यू।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री उत्तर दें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय सभापति महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उनका जिन माननीय सदस्यों ने इस राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) अधिनियम पर जिज्ञासा जारी की और अपने-अपने विचार प्रकट किये। हमारे सीनियर सदस्य भी हैं, लर्नेड भी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस अधिनियम पर अपने-अपने विचार प्रकट किये, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी मंशा और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि आम जन, आम जनता और जनहित के लिए यह बिल लाया जाए।

माननीय सदस्यों ने इस बात का एतराज भी किया कि यह बिल असंवैधानिक है। सातवीं अनुसूची के जरिए सैक्शन-26, आर्टिकल 33-34 के तहत जब-जब भी किसी बिल की आवश्यकता होती है, बिल लाया जाता है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

निश्चित रूप से इस बिल के पीछे यह मंशा है कि आज आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का बना हुआ है उसके अलावा बहुत-सी ऐसी वस्तुएं है जो इससे बाहर रह गयीं और वे राजस्थान सरकार के दायरे में हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा 1955 में एक्ट बनाया गया, उसकी अनुसूची से बाहर जैसे उसमें खाद्य पदार्थ हैं, तेल हैं, दवाइयां हैं, बीज है, पटसन है, उसके अलावा बहुत-सी ऐसी वस्तुएं जिन पर सरकार तुरन्त निर्णय लेकर मूल्य-वृद्धि, नियंत्रण कर सके। जब मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है और वह माल किसी व्यक्ति या किसी फर्म के पास स्टाक किया हुआ है, उस माल को रोकने के लिए सरकार की मंशा है कि आम व्यक्ति, आम उपभोक्ता भी उस वस्तु का अपनी दैनिक कमाई में से उपयोग कर सके।

आम आदमी, आम-जन के लिए बहुत अच्छा यह बिल है। अब इसमें माल की परिभाषा माननीय सदस्यों ने पूछी कि आपने माल को घोषित क्यों नहीं किया। गुड्स के अन्दर तीनों चीजें हैं। माल की जो परिभाषा बताई गई है, वस्तु, सामग्री, इन वस्तुओं के अन्दर कौन-कौनसी आएंगी वह इस माल के अन्दर बताया गया है लेकिन हम उसी माल को घोषित करेंगे जिन पर प्राइस कंट्रोल रहेगा, जिस माल की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। हम इसको बांधना नहीं चाहते जैसे केन्द्र सरकार ने सब चीजों को बांधा हुआ है। केन्द्र सरकार की धारा-2 में भी फर्स्ट और सैकण्ड में किसी भी माल को अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इस एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन घोषित माल वो होगा जिसकी बाजार में इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ गयीं कि वे कीमतें आसमान छू रही हैं और आम उपभोक्ता तक नहीं आ रहीं और उनका स्टाक वहां पड़ा है। उस माल की प्राइस का नियंत्रण करने का काम आम जन के लिए सरकार करेगी।

दूसरी बात, इस अधिनियम में यह भी प्रोविजन दिया हुआ है कि यह एक्ट मात्र नब्बे दिन, तीन माह के लिए होगा और नब्बे दिन तक जब भी जो घोषित माल होगा, उसका नोटिफिकेशन विधान सभा के अन्दर रखा जाएगा। बहुत लम्बा नहीं है, तीन महीने की अवधि है और तीन महीने में अगर उस पर कण्ट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद आगे उसका एक्सटेंशन ले लेते हैं। जैसा अभी शाहपुरा से आने वाले सदस्य ने बताया कि नियम और बिल पीढ़ियों के लिए बनते हैं, चंद क्षणों के लिए नहीं बनते हैं। 1955 के आवश्यक वस्तु

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

अधिनियम की धारा-3 के (2) में जो बताया हमारे कोटा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने इस बात की चिंता जाहिर की कि किसान पर लागू होगा, किसान को कैसे बाध्य करोगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बिल किसी किसान विरोधी नहीं है, व्यापारी विरोधी नहीं है। 1955 से आज तक आवश्यक वस्तु अधिनियम द्वारा उपयोग नहीं किया गया। सही बता रहे हैं हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने बताया है कि यह का यह प्रोविजन, तो हमने वह रखा है जब कृषि का 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिया गया है, इससे बाहर जो वस्तुएं रह गयीं, उनको राजस्थान सरकार किस तरह से कमाण्ड करे। राजस्थान के अन्दर भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, राजस्थान में ऐसी बहुत-सी वस्तुएं हैं, ऐसी बहुत-सी चीजें हैं, बहुत-सी सामग्रियां हैं जो कि दूसरे राज्यों में नहीं हों। उनका पूरा केन्द्र का कानून है, वह सब पर लागू नहीं हो। इसके तहत हमने उन्हीं वस्तुओं को लिया है, जिससे राजस्थान उस पर सर्वाइव कर सके।

नये, आगे इन्होंने शक्तियों के बारे में कहा है कि इसका उपयोग व्यापारियों के लिये होगा। व्यापारियों के लिये नहीं होगा। यह आम-स्टोर, 'एक्स' एक स्टोर है, बाजार में उसकी कीमत कम है और आपने उसको स्टोर कर रखा है, उस पर लागू करने के लिये काम करेगा। यह व्यापारी विरोधी नहीं है।

अभी माननीय मानिक चन्दजी सुराना ने कहा कि आप इसमें समर्थन मूल्य तय करो। समर्थन मूल्य तय करना केन्द्र सरकार का, वह क्रय मूल्य होता है और हम तो इसमें कण्ट्रोल मूल्य तय कर रहे हैं, बेचने का मूल्य तय कर रहे हैं कि आप इस वस्तु को बाजार में इतने में बेचेंगे। तो यह क्रय मूल्य में समर्थन मूल्य और कण्ट्रोल मूल्य विक्रेता पर लागू होता है, जबकि वह खरीददार पर लागू होता है।

अब न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया। माननीय लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की कि आप न्यायालयों की पावर छीन रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जब्ती के अन्दर, माल जब्ती और माल की डिलिवरी, माल जब्ती और वाहन की जब्ती, उन शक्तियों के कलक्टर को पावर दिये गये हैं। बाकी तो कोई आफेंस हुआ तो उसका ट्रायल निश्चित रूप से जहां उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जहां वह घटना घटित हुई है उसके अन्दर ही चालू होगा।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

तीसरा इन्होंने कहा जलयान, सम्भावनाएं हैं, हमारे अन्दर नाव से भी लेकर जाते हैं राजस्थान में, जलयान की परिभाषा में वह भी आता है। जलयान में चम्बल है और बहुत-सी ऐसी योजनाएं आ सकती हैं। भविष्य को देखते हुए सुरक्षित रखा गया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हमारे घोषणा-पत्र में भी यही है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं आ रहा हूं। हमारे घोषणा पत्र में 23 नम्बर पर है, सुशासन के अन्दर सैकण्ड नम्बर पर यह लिखा है कि हम जमाखोरी और मूल्य विक्रय को कण्ट्रोल करेंगे। इसी के तहत हम इस विधेयक को लेकर आये हैं। मैंने एक-एक चीज आज ...(व्यवधान) अभी देखा आपने, प्याज है जिसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पिछली सरकार तो प्याज के कारण गई भी है। आम व्यक्ति त्रस्त था। आप लोगों ने देखा, प्याज की जो कीमतें आसमान छू रही थीं। प्याज कुछ व्यक्तियों को छोड़कर आमजन उपयोग में लेता है।

एक माननीय सदस्य: बजरी पर बोलें, बजरी पर।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): बजरी का भी स्टाक होता है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजरी के अन्दर लीज होती है। बिलकुल लीज होती है। लेकिन आज सामान्यतया देखने को मिलता है कि दो हजार का ट्रक 20-20 हजार रुपये में बिक रहा है, जिस पर आज सदन में चर्चा होने की बात सब कह रहे थे। किस व्यक्ति के मन में नहीं है, कौन सदस्य नहीं चाहता कि यह मूल्य-वृद्धि बढ़ रही है इस पर कण्ट्रोल हो? कौन व्यक्ति यह नहीं चाहता कि आज राजस्थान का काश्तकार भी उस श्रेणी में खड़ा हो जहां हमसे अग्रणी लोग खड़े हैं। वे सामान का उपयोग कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति मकान नहीं बना सकते हैं क्या? गरीब व्यक्तियों को भी आवश्यकता है मकान बनाने की। गरीब व्यक्ति को खाना खाने की भी आवश्यकता है। तो ये शंकाएं सारी निर्मूल हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे सदन को कि यह जो विधेयक है, यह आम जन के लिये है। सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी का आदर्श गुड गवर्नेंस देने का राजस्थान का जो संकल्प है उसके तहत ही है, आम व्यक्ति के लिये, आम जन के लिये है। जमाखोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने स्टाक करके अपने यहां रखा है, इस विधेयक को लाने की मंशा यह है। जनमानस जानने की जो अभी सदस्यों ने

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

बात रखी, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। हमारी अवाम ने जनमत जमाखोरी के खिलाफ दिया है, तभी हम 163 का बहुमत लेकर आये। प्रवर समिति की जो बात कर रहे हैं इसमें विलम्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इलाज की आवश्यकता है। आप उसको कह रहे हो कि डाक्टर को जाओ, दिखाकर आओ, फिर आना, इलाज करेंगे। इस बिल की आज अभी आवश्यकता है तो यह बिल तुरन्त रूप से पारित होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान) कह दिया, जनमत जानने और प्रवर समिति के प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 से 21, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 21 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री हेमसिंह भड़ाना, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का अभी जवाब आया और हमारे सुराज-संकल्प का जिक्र करके उन्होंने पढ़कर सुनाया कि हम उसके हिसाब से कार्यवाही कर रहे हैं। धन्यवाद आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपने बनाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं था उस कमेटी में। इसीलिये तो कह रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन मेरी कुछ शंकाएं हैं, मैं चाहूंगा कि आप वे शंकाएं देखें और उन शंकाओं के समाधान की बात आप सदन में कहें।

भारतीय जनता पार्टी मंहगाई के खिलाफ है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार ने एक नियम बना लिया, सारी मंहगाई का नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में है। पैट्रोल और डीजल की कीमत भारत सरकार बढ़ाती है, आयात-निर्यात पर छूट भारत सरकार देती है, शुगर लाबी के दबाव में भारत सरकार आती है, सारे काम भारत सरकार करती है और मरा हुआ सांप राज्यों की सरकारों के गले में डाल देती है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रधान मंत्रीजी ने जब यह बैठक की और मंहगाई बहुत बढ़ गयी तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि हमारे ऊपर लेने के बजाय, पाप हम कर रहे हैं लेकिन इसका दण्ड राज्य सरकार को भोगाएं, उन्होंने वहां पर एक आदेश जारी कर दिया कि राज्य सरकारें कालाबाजारी और इसको रोकने के लिये कानून बनाएं। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार सारे का सारा पाप राज्य सरकारों पर डालना चाहती है। राज्य सरकारें उस पाप को झेलने के लिये तैयार हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि सारी मंहगाई भारत सरकार के कारण से बढ़ी। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम यहां बना हुआ है। कौनसी चीज आयात होगी, कौनसी निर्यात होगी, अभी प्याज की बात कर रहे थे, किसके हाथ में है प्याज? जब भारत के कृषि मंत्री चाहेंगे और जब नासिक में प्याज बहुत पैदा हो जाता है तो एक मिनट में उसको एक्सपोर्ट की अनुमति दे देते हैं और दूसरे मिनट में रोक देते हैं। इससे सारे देश में प्याज के नाम पर लूट हो जाती है। राज्य सरकार उसको रोक सकेगी, राज्य सरकार उस पर नियंत्रण कर पाएगी? इसलिये यह कहना कि हम इस प्रकार का काम करेंगे, दूसरी बात यह है कि सारा का सारा दोष सरकारी नीतियों का हम किसी वर्ग पर डालना चाहें, यह बहुत बुरी बात है। क्या मंत्रीजी बता पाएंगे कि यह जो महंगाई बढ़ी है वह क्या किसी चीज की कमी के कारण से बढ़ी है? स्टोरेज के कारण से बढ़ी है? किसी चीज को रोकने के कारण से बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम या अन्य कई अधिनियम हमारे पास हैं, पिछली सरकार ने एक भी मुकदमा इस मामले में दर्ज किया क्या? आप कैसे कह सकते हैं?

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, कुछ अधिकारी अभी-अभी दिल्ली से आये हैं। वे अभी दिल्ली के प्रभाव में हैं, दिल्ली वाले जो कह रहे हैं उसके हिसाब से कार्यवाही कर रहे हैं। फिर आपने इसमें एक शब्द लिख दिया, बेइमान व्यापारी और दलाल। मैं समझता हूं कि सारे व्यापारियों को बेइमान बताना और दलाल बताना, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। आप इस सदन में बताएं कि कौनसे व्यापारी हैं जिनके कारण से महंगाई बढ़ी है? कौनसी चीज का स्टोरेज हुआ? कौनसी चीज की ब्लैक मार्केटिंग हुई जिस पर पिछली सरकार ने कार्यवाही करके उनको जेल में डाला? एक पर तो कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सभापति महोदय, सारा का सारा दोष अगर है तो सरकारों का दोष है। भारत सरकार का दोष हम हमारे माथे क्यों लेना चाहते हैं? कानून बनाइये, लेकिन इस कानून के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, भगवान अच्छा करे। हम राज्य में कालाबाजारी नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि कानून बनाने में अक्ल का काम लेना ही चाहिए। मैंने बाम्बे डवलपमेंट अथारिटी का उदाहरण दिया था। यह कहकर अगर हम मजाक में टालना चाहें तो टाल दें कि कांडला बंदरगाह से ड्राई पोर्ट के लिए एक नहर निकालेंगे और वह गंगा में जाकर मिल जाएगी। फिर उसमें जलयान चलेंगे और हम जलयान जब्त कर लेंगे। जवाब है इसका?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब जयपुर डवलपमेंट अथारिटी का कानून बना था और स्वर्गीय श्रीरामजी गोटेवाला उस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे, तो अधिकारियों ने ऐसा का ऐसा बाम्बे डवलपमेंट अथारिटी के कानून का रूपांतरण करके जयपुर में रख दिया। यहां पर जब उसका पारण हो रहा था, तो उसमें लिखा कि जयपुर के आसपास समुद्र में कचरा डालकर जमीन रीक्लेम की जाएगी। मैंने कहा, जयपुर के आसपास समुद्र कहां है? बाद में पता लगा कि बाम्बे डवलपमेंट अथारिटी का है, वहां बम्बई में आसपास समुद्र है, समुद्र में कचरा डालकर वहां पर रीक्लेम करते हैं जमीन को। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि बांद्रा जो रीक्लेमेशन ग्राउंड था, जहां कचरा डालकर जमीन निकाली गयी थी, भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन वहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयीजी ने उद्घोष वहीं किया था, कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छंटेगा और कमल खिलेगा। हम तो समुद्र में से निकाली हुई जमीन में से पैदा हुए आदमी हैं। लेकिन यहां राजस्थान में आप कौनसे जलयानों को जब्त करेंगे? थोड़ा-सा अधिकारियों को, मंत्रीजी, आप कह सकते हैं। हर चीज में अधिकारियों का संरक्षण करना जरूरी नहीं है।

सभापति महोदय, अगर राजस्थान में जल का यातायात नहीं होता है और इन्होंने हूबहू नकल करके रख दी है तो उसको परिवर्तन किया जा सकता है। हम खड़े होकर भी परिवर्तन कर सकते हैं। शब्द के साथ भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमको अगर हर बात में इसी प्रकार करना पड़ेगा तो फिर हमको ब्यूरोक्रेसी ने जो कुछ भी लिखकर दे दिया, उसके संरक्षक बन जाएंगे। आपको तो एक्शन लेना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसको पढ़ा नहीं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? किस बात का वेतन ले रहे हैं? जलयान, पशुयान, वायुयान, पुष्पक विमान भी लिख देते, कि बिना आवाज वाले विमान में जो लेकर जाएगा, प्याज जाएगी उसमें। मंत्रीजी, यह गलत लिखा हुआ है।

सभापति महोदय, दूसरा किसानों के बारे में जो लिखा हुआ है वह बिलकुल गलत है। असैंशल कमोडिटी एक्ट में हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनसंघ के रूप में हमने लेवी का विरोध किया था। हम लेवी के खिलाफ लड़े थे। हम इंस्पेक्टर राज के खिलाफ लड़े थे। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सफर तक हम इंस्पेक्टर राज और लेवी वसूली के कानूनों के खिलाफ रहे हैं। यह इंस्पेक्टर राज को कायम करेगा। आप कलक्टर को इतना अधिकार क्यों दे रहे हो? अगर अधिकार देना चाहते हो तो इसमें संशोधन करके जोड़िये। नियम बनाने का प्रावधान जोड़िये। वह सैक्शन नहीं है इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सैक्शन 5 में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह जोड़िये उसमें। नहीं है उसमें। उसको जोड़कर करिये आप, नम्बर एक। दूसरा, इसमें से किसानों को निकालिये। आप किसान को पाबंद नहीं कर सकते, कि आपके दाल की कमी है तो आप किसान को कह दें कि आप दाल पैदा करो। किसान वह चीज पैदा करेगा जिसमें उसको मुनाफा होगा। आज किसान सबसे ज्यादा घाटे में है। आपको अगर किसान को करना है तो प्रोत्साहित करें। उसको समर्थन मूल्य दें। आपने कहा कि समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। भारत सरकार नहीं करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार के अलावा ऊपर से 200-300 रुपये गेहूं के दिये हैं। हमारी सरकार ने भी दिये हैं। कोई चीज की अगर कमी है तो हम किसान को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप टोकिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आप सही कह रहे हैं कि इसमें सैक्शन 5 ख में बंजर भूमि के उपयोग की सारी बात लिखी है। यह इसलिए लिखा गया है कि राजस्थान सरकार के पास बहुत-सी भूमि बंजर भूमि है। राजस्थान सरकार के पास बहुत-से कृषि फार्म भी हैं। कई बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऐसे जिंस, चाहे प्याज की बात ले लो, अगर प्याज कम हो गया, प्याज की पैदावार कम होने से भाव बढ़ गये, सरकार अपनी बंजर भूमि का उपयोग करना चाहे और सरकार यह कहे कि इस बंजर भूमि में अमुक फसल बोओ। कृत्रिम रुप से जो कमी आयी है, उसके लिए लाया गया है यह तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मंत्रीजी, बंजर भूमि या और कोई भूमि जिसमें सरकार का स्वामित्व है, उस पर तो आप स्वत: ही कर सकते हैं। उसमें आपको कौन रोकने वाला है? आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप किसको बाध्य करना चाहते हैं? जो सरकार की सम्पत्ति की जमीन है, उस पर तो स्वयं आप कर सकते हैं। यह जो आप तर्क दे रहे हैं, यह मेरी समझ के परे है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, हमारा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्रीजी की जगह वह हस्तक्षेप करके हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि सुबह भी आपने गलत उदाहरण दिया था। मैं बोला नहीं था। तीनों विश्वविद्यालय जो हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी वाला, भर्तृहरि और वह, तीनों सरकारी हैं। सरकारी में चेयर पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट नहीं हैं। लेकिन आपने मेरी उस बात को उससे जोड़ दिया। आप मत जोड़ा करो। मैं तो कम से कम आपकी बात समझ जाता हूं, और कोई समझे नहीं समझे।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस कानून के पक्ष में तो वोट दूंगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन मेरी सरकार में कोई कानून ऐसा बने जो न्यायालय में चला जाए, जो रुक जाए और जिसका लाभ नहीं हो, यह जो किसानों वाली बात है, उसको आप देख लें। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह ठीक है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं उस बात को छोड़ देता हूं। यह किसानों के लिए नहीं है, केवल सरकार की बंजर भूमि पर करने के लिए है तो बहुत बढ़िया बात है। यह रिकार्ड में आ ही गया है आपके कहने का।

सभापति महोदय, दूसरा इसमें नियंत्रण पूरा जिला कलक्टर के पास होगा। जिला कलक्टर इसमें सब कुछ हो गया है। इसमें इतने लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे कि जिस लाइसेंस राज को हम समाप्त करने की बात करते थे, उस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लाइसेंस राज का इस बिल से उद्गम होगा। हम लाइसेंस राज के हमेशा खिलाफ रहे हैं। इंस्पेक्टर राज के भी हमेशा खिलाफ रहे हैं। इसलिए मंत्रीजी बिल पारित कराएं लेकिन इसमें व्यवस्था करें कि इंस्पेक्टर राज नहीं हो और उसके कारण से हमको नुकसान नहीं हो।

सभापति महोदय, 1955 का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसके अन्तर्गत महंगाई को रोकने के लिए कितने नोटिफिकेशन जारी हुए? पिछली सरकार ने 5 सालों में कितने नोटिफिकेशन जारी किये? उनसे कितना माल जब्त किया गया और कितने माल का लाभ हुआ? यह अगर आप बता देंगे तो पता लगेगा कि कानून बनने से किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। एक माल को विक्रय करने पर इसमें प्रतिबंध किया गया है। आप फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते हैं। माल को विक्रय करने के लिए प्रतिबंध करने की जो बात है वह आप नहीं कर सकते, कि 100 क्विंटल हो गया, 105 क्विंटल हो गया या 120 क्विंटल हो गया तो आप बेच नहीं सकते। किसान को प्रतिबंधित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

उत्पादकों के सम्पूर्ण माल अथवा किसी भाग को नियंत्रित करने की इसमें व्यवस्था की गयी है। उत्पादक व्यापारी नहीं है। उत्पादक किसान है या इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री आपकी परिधि में नहीं आती है क्योंकि इंडस्ट्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चली जाती है। हमारे पास ले-देकर उत्पादन करने वाला केवल किसान ही बचता है। इसलिए मैं आग्रह करुंगा कि नियम बनाते समय या इस कानून में संशोधन करते समय आप इस प्रकार का संशोधन करें कि किसानों का उत्पादन, किसानों का विक्रय इस कानून से नियंत्रित नहीं हो। किसान स्वतंत्र रहना चाहिए, यह मेरा कहना है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार कृषि भूमि पर किसानों को कोई चीज पैदा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। हम अफीम कर सकते हैं। उसके पट्टे जारी कर सकते हैं। हम ऐसी चीज हो जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वह जारी कर सकते हैं। इस एक्ट से एक आभास होता है कि आप यह कर दोगे कि गेहूं ज्यादा पैदा हो रहा है, गोदाम नहीं हैं तो गेहूं पैदा नहीं करके यहां पर दूसरी चीज पैदा करो। किसान के इस मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें।

बाजार दर और घोषित माल का अधिग्रहण, ये दो और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका मंत्रीजी ध्यान करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब इस बिल की जो बड़ी बात है वह यह है, ब्रिटिश काल में एक बिल आया था, आपको ध्यान होगा, कि इण्डिगो की खेती करना आवश्यक कर दिया गया था। (व्यवधान) नील की खेती करना आवश्यक किया गया था। उसके खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष हुआ था इस देश में, गांधीजी ने आंदोलन किया था बहुत बड़ा। इसलिए यहां पर अपन खेती में किसी चीज को प्रतिबंधित करें, यह चीज अच्छी नहीं है। चीनी पर लेवी सिस्टम लागू किया गया था, दोहरा मूल्य तय किया गया था वह भी इसी प्रकार के कानून के अन्तर्गत किया गया था। लेवी का हमने विरोध किया था। यह भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(15.10 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

भारतीय जनता पार्टी के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। मैं यह समझता हूं कि लाइसेंस राज, इंसपेक्टर राज, किसान से लेवी, किसान की जमीन पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण, यह जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारी नीति का अंग रहा है, उस नीति पर कहीं यह बिल आघात न करे, इसको आप देखें।

श्री अध्यक्ष: बहुत चर्चा कर चुके, माननीय सदस्य, आप। बहुत चर्चा कर चुके व्यापक स्तर पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं समाप्त कर रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह पार्टी की आर्थिक नीति है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बिल की थर्ड स्टेज पर कोई भी बोल सकता है।

श्री अध्यक्ष: एक समय सीमा भी तो है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पारित की स्टेज पर तो किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आप भी बोलिये, मैं मना कहां कर रहा हूं? मैं उनसे कह रहा हूं कि आप बहुत समय ले चुके।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो निश्चित रूप से बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: और वह समाप्त कर ही रहे हैं। आप बीच में कैसे आ गये? वह समाप्त कर ही रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके कहने से सब कुछ समाप्त कर दूं।

श्री अध्यक्ष: सब कुछ समाप्त मत कीजिये, गजब हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो पूर्ण समर्पित कर रहा हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, गजब हो जाएगा सब कुछ समाप्त कर देने से। आप यहां आने का अधिकार अपने पास रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि पहली बार पहले ही दिन बिल पर बहस हो रही है और यह विधान सभा है, बहुत सारे नए सदस्य भी हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, दूसरे भी तो बोलेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। इसलिए अब आप समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए बिल की प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, बिल का जैसा मंत्रीजी ने उद्देश्य बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सुराज संकल्प में हमने तय किया कि कालाबाजारी को रोकें, यह बिल इसमें सहायक है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने बताई हैं...

श्री अध्यक्ष: उन बातों पर ध्यान दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उन बातों का उलटा असर भी जा सकता है इसलिए सरकार उनके लिए व्यवस्था करे और इस बिल को इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: और कोई माननीय सदस्य?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात। बिल में जो वर्चुअल टाइटल है, टाइटल में मैं आपका ध्यान कई बार आकर्षित कर चुका हूं। आपका यह बिल यहां से एक्ट के रूप में जायेगा वह आर्टिकल 348 के तहत इण्टरप्रेट होगा। टाइटल जब यहां से जाएगा तो इण्टरप्रिटेशन का वह वर्जन जाएगा जो अंग्रेजी में होगा। 348 कहता है, सुप्रीम कोर्ट या जहां भी आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वह इसका अंग्रेजी वर्जन करेगा। इसका टाइटल है, ''Control of production, supply, distribution and trade and commerce" सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इकोनोमिक सैस में कामर्स की परिभाषा

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

क्या है। मैं आपके लिए उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने साइंस कांग्रेस में एक उदाहरण पेश किया था, शायद यह किसी को विदित है या नहीं है कि जो हमारा एलसीडी टीवी है इसका सबसे पहले आविष्कार अपने भारत में हुआ था। लेकिन क्योंकि हम इसको कमर्शियली वायबल नहीं कर पाये इसलिए इसका कामर्शियली जो फायदा उठाया वह जापान ने उठा लिया। So the concept of business rests only on the commercial aspects of any trade that they explain. आप उस ट्रेड प्रैक्टिस के मूल इकोनोमिक प्रिंसीपल को कोडीफाई करने जा रहे हैं While Economics says an activity or a service unless it is translated into an opportunity of profit or a benefit, can not be termed as an economy.

मुझे आप यह बताइये, इस बिल में आपने कमोडिटी को गुड्स के नाम से तो आइडेंटीफाई कर लिया लेकिन सपोज एज ए ट्रेडर मैं कमोडिटी एक्सचेंज से सर्विस एक्सचेंज कर रहा हूं, I am neither producing nor I am diverting but through open commodity exchange I am trading, how will you control this? यह ओपन कमोडिटी एक्सचेंज से जो ट्रेडिंग होगी जो फिक्टिशियस ट्रेडिंग होती है, जिसको किसी जमाने में जाबर्स और ब्रोकर्स हुआ करते थे, हम जाबिंग के रूप में देखते थे, और फारवर्ड ट्रेडिंग होती थी, वह फारवर्ड ट्रेडिंग कई बार फिक्टिशियस होती थी, और होल्डिंग इसको हम कनसन्ट्रेट करने के बाद में आर्टिफिशल प्राइस क्रियेट कर देते और किसी न किसी व्यक्ति या इन्स्टीट्यूशन या कम्पनी को बेनिफिट करते थे। इसी सदन में विगत शासन काल में आपने अरबन सीलिंग एक्ट अमैंड कर दिया और अरबन सीलिंग एक्ट अमैंड करने के बाद में आपने नान एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए लैंड सीलिंग की सीमा को भी समाप्त कर दिया। अब आप मुझे बताइये, अगर लैंड होल्डिंग में मैं नान एग्रीकल्चर यूज का 500 एकड़ का गोल्फ कोर्स मेंटेन कर रहा हूं, तो गोल्फ कोर्स तब तक नहीं बन सकता जब तक वह कल्टिवेल न हो। कल्टिवेबल होना चाहिए गोल्फ कोर्स तब तक मेंटेंन नहीं हो सकता जब तक वह इर्रिगेटेड न हो, क्योंकि उसके असेंशल पैरामीटर्स को पूरा करना है। तो क्या आप इस अधिनियम के तहत ऐसे प्रोड्यूस को आम जनता के पास पहुंचाने के लिए जो प्रोड्यूस या वह एक्टिविटी सिर्फ लैण्ड से रिलेटेड हो, आप उन लैण्ड ओनर्स को भी बाध्य कर देंगे कि अमुक कमोडिटी की आवश्यकता है? जिस प्रदेश में यह कानून लागू कर रहे हैं उस प्रदेश का दो-तिहाई भाग रेगिस्तान से ग्रस्त है, इसलिए एक-तिहाई भाग में कोई भी कल्चरेबल लैण्ड

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहे रेवेन्यू शिड्यूल में किसी भी नाम से परिवर्तन क्यों न हो गया हो, अगर उससे प्रोड्यूस लिया जा सकता है और उस प्रोड्यूस की आवश्यकता है तो वह ओनर, वह कल्टीवेटर या इन्स्टीट्यूशन इस एक्ट के तहत आएगा। आपने डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स की बात कर ली, डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स के अन्दर आप एंश्योर कर दीजिये कि बिजली की सर्विस एक असेंशल कमोडिटी है और उन सर्विसेज को आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाध्य कर देंगे डिस्काम्स को कि अगर जयपुर शहर में चौबीस घण्टे बिजली आ रही है तो यह सर्विस बाकी प्रदेश की दूसरी जनता, आम आदमी को भी प्रोवाइड होगी। How can commerce be only related to a commodity? Commerce is also a service and when you relate a commodity to a service then you are infringing on somebody's personal right. फण्डामेंटल राइट्स आफ रिड्रैसल भी आप इसमें इन्फ्रिज कर रहे हैं। I am not going into those details, जो कि सैक्शन्स को आपने डिस्कस कर लिया। राइट टू रिड्रैसल कहां होगा? ट्रिब्यूनल कहां होगा? वहां हमारा एक फण्डामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे उसमें नहीं जाना। मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं जिस चीज की मेरे मन में आशंका है। जिस सिंसियरिटी के साथ और जिस प्रिंसीपल के ऊपर आपने इस बिल को आरिएण्ट किया है उस प्रिंसीपल का सबसे बड़ा कारण यह है कि कमोडिटी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाने का नियम नहीं बनाया तब तक आपके यहां प्राइस राइज और आर्टिफिशल होल्डिंग्स नहीं रुकेंगी और जो व्यवस्था आम जनता को देना चाह रहे हैं उस व्यवव्था की नींव तक भी नहीं पहुंचे हैं श्रीमान, आप अभी। व्यापक जन हित में अगर इस कानून के स्वरूप को मान्यता प्रदान करना है तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई चीज रह गई है तो you can further edit. जिस प्रारूप में आप लेकर आए हैं, हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी जिससे आम जनता को नुकसान होता हो, जो जनहित में न हो, उसे तो आप रोकना चाहते हैं लेकिन जिस कारण से यह चीज हो रही है उस पर यह कानून लगाम नहीं लगा रहा है। तो सारी समीक्षाओं के बाद यह एक ऐसा विषय था जो रह गया था, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है।

मैं आपको बता दूं, आपने जिस संकल्प पत्र से कालाबाजारी का पढ़ लिया, मैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताऊंगा, इसमें एक और भी है। बाड़मेर को बंदरगाह बनाने वाली बात है इसलिए जलयान की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब बनेगा तब पड़ेगी, ऐसे नियम की कोई बात है। इसमें अगर आप गुड्स को डिफाइन करके आइडेंटिफाई कर देते तब भी बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा है कि 90 दिन के भीतर-भीतर या तीन महीने के भीतर-भीतर हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर देंगे, मैं मानता हूं, किसी भी इकोनोमिक टर्म को रिडिफाइन करने के लिए रिअलाइन करने के लिए आपको एक फ्लैट प्लेटफार्म की आवश्यकता है, अदरवाइज नो एक्टीविटी। आज आप बता दीजिए, आपके पास अगर खेती की जमीन है और आप स्वयं खेती नहीं करना चाहते तो आप नरेगा के मजदूर से करवाएंगे क्या? कल को आम काश्तकार की गर्दन किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में मत दो जो आपके कानून का दुरुपयोग कर सके। सदुपयोग करेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुरुपयोग करने के पैरामीटर्स की अथोरिटी क्रीएट मत करिए। एक आशंका के रूप में मैंने यह बात व्यक्त की है, इसको आप किस तरीके से लागू करेंगे, यह उसकी सिंसियरिटी और आनेस्टी पर डिपेंड करेगा जो इसको एक्जीक्यूट करने की अथोरिटी है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद आपको। आप बोलेंगे? आप तो बोल चुके पहले बहुत।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह भी मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: यह अधिकार तो है, पहले बोल चुके आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मना करेंगे तो नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष: आप बहुत बोल चुके। बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दो बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दो बात कहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा आभास होता है माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनने के बाद, मैं पुन: अपील करूंगा, हम इसके खिलाफ नहीं हैं आप जरूर लाएं, अगर सरकार का प्रयत्न होता है, और हमारा भी है कि महंगाई रूके, लेकिन आप दो महीने, तीन महीने डिले कर दें। आज तो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इमिडिएट प्राइसेस कोई हैं नहीं, प्याज की कीमतें कोई आसमान छू नहीं रही हैं। सब्जियों को आप डाल नहीं सकते, फ्रूट्स को आप डाल नहीं सकते इसके अन्दर। ले-देकर प्याज की खातिर यह कानून आप ला रहे हैं।

बजरी का जहां तक सवाल है, मैंने आपसे कहा कि बजरी के लिए जब तक सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी, बजरी की कीमतों को आप बढ़ने से रोक नहीं सकते। वैसे भी माइन्स एक्ट के तहत सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बड़े पालिसिंग कांसीक्वेंसेज होंगे। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, सबने कहा, किसान के सिर के ऊपर तलवार लटक जाएगी। कोई जरूरी नहीं है, कोई सिरफिरा कलक्टर होगा He will force, कि करो यह काम। और सिरफिरा हो, हर शासन में रहे हैं, हर काल में रहे हैं, रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसको जिद का सौदा, नाक का सौदा मत बनाइए कि आज ही पारित करना है। यहां पर संसदीय कार्य मंत्रीजी बजरी का जवाब दे रहे थे, चर्चा भी हुई थी, पंचायती राज मंत्रीजी ने कहा था शायद, If I am not mistaken, कि पुन: समीक्षा कर रहे हैं बजरी नीति की, इसमें छोटे-छोटे प्लाट्स बनाएंगे। तो इमिडिएटली बजरी के ऊपर भी करने की स्थिति में नहीं हैं। प्याज की इमिडिएट प्राइसेज है नहीं। बाकी ऐसे ही असेंशल कमोडिटी एक्ट के तहत जो आइटम्स आलरेडी कवर हैं, उनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। दाल, दलहन, तिलहन, तेल, खाद्य वस्तुएं, सीमेंट सारी की सारी कवर हैं। अगर आप उनको इसमें डालेंगे तो कंट्राडिक्शन होगा, क्योंकि आप खुद कहते हैं, EC Act is a Central Act. You will not be able to do anything. इसको एक्ट में पास मत करिए। दो-तीन महीने की बात है, आप विचार-विमर्श कर लें, सलैक्ट कमेटी बना लें, उसके अन्दर रखें। Heavens are not going to fall. पुन: अपील करता हूं कि इसको आप जरूर पारित करें, पर कमोडिटीज आइडेंटिफाई करें, आइटम्स आइडेंटिफाई कर लें। इसके बारे में सलैक्ट कमेटी दो-तीन महीने के अन्दर अगर आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ मंत्री सरकार के बैठे हुए हैं, यहां इतने अनुभवी हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, शाहपुरा के बड़े अच्छे वक्ता हैं, मानिकचंदजी हैं, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य हैं, कांग्रेस की तरफ से मैं ही बोला हूं, तो मेरा फिर अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि इसको सलैक्ट कमेटी में डाल दें, दो-तीन महीने में चर्चा हो जाएगी, कहां दिक्कत आ रही है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आप बोलेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहते हुए, मैं जिस सीट पर बैठा हुआ हूं उससे मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं सरकार से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ऐसी कौनसी कमोडिटी है जिस पर आपने 90 दिन में कंट्रोल नहीं किया तो आसमान गिरेगा? केवल इसके कारण से आप इतने अधिकार ले रहे हैं। इसको सलैक्ट कमेटी में भेजकर विदिन टाइमफ्रेम कर लो, 10 दिन का कर लो, 8 दिन कर लो 20 तारीख को फिर मिल रहे हैं, 7 दिन में हो जाए, इसमें इस प्रकार का प्रोविजन हो। जो हमारी मंशा है उसकी तो पालना हो। उसके बारे में कोई भी न कह नहीं सकता कि गलत काम करने वाले लोगों को प्रश्रय मिले, होल्डिंग करने वालों को मिले। संकल्प पत्र में डाला, वह कमिटमेंट है हमारा। लेकिन उसके आधार पर इस प्रकार का कानून लाकर सबको ही झटक देना, मैं व्यक्तिगत रूप से भी इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर गया और इसकी जो सज़ा होगी वह मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि आंख बंद करके हम बहुमत में हैं इसलिए इसका समर्थन ही करेंगे। ऐसा कम से कम मैं तो ...(व्यवधान) ऐसा कौनसा आसमान कल पड़ रहा है जिसमें अपन निर्णय नहीं कर सकते। आपने तो सारे ही व्यापारियों को बेइमान, चोर बता दिया, सारे किसानों को आपने इसमें लपेटकर रख दिया। कानून बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी कि यह किस प्रकार से कानून बनाया। कानून की मंशा, जिस बात के लिए करना चाहते हैं वह करें, उसमें तो हम आपके साथ हैं, और इस कारण से जो सज़ा मुझे मिलेगी वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह से इस लोकतांत्रिक स्टेज पर बैठकर केवल समर्थन करना है इसलिए समर्थन करें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्यमंत्रीजी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हम कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी के नाते इस मंत्रिमण्डल में हैं, माननीय मंत्रीजी भावुक हैं, उन्होंने कुछ अपनी भावनाएं व्यक्तिगत तौर पर प्रकट की हैं। अध्यक्ष महोदय, इस कानून को लाने के पीछे किसी को चोर और बेइमान बताना नहीं था, यह प्रोग्रेसिव कानून था। राजस्थान में जबसे हमारी सरकार आयी है, बजरी की कीमत को लेकर तमाम प्रयास के बावजूद, अध्यक्ष महोदय, आप जब मंत्रिमण्डल में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, उस समय आपने भी कोशिश की- कलक्टर्स की मीटिंग बुलायी, डिवीजनल कमिश्नर को निर्देशित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया, हमने कोशिश की, परन्तु एक कमी-खामी यह रह गई थी कि जिस वक्त यह आक्शन हो रहा था तब हमने इसके मूल्य पर नियंत्रण करने का कोई प्रोविजन नहीं डाला था। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, 46 करोड़ की रिजर्व प्राइस 467 करोड़ पर गयी। जो भी व्यक्ति इसका काम करेगा वह अपना मुनाफा भी लेने की सोचता है, परन्तु इस मुनाफे के चक्कर में आम उपभोक्ता जब पिसता नजर आया, जयपुर के अन्दर मैन्यूफैक्चर के साथ जुड़े हुए भवन निर्माण के काम बंद होने लगे, राजस्थान में हाहाकार होने लगा, तमाम चीजों को खोजने के बाद जब लगा कि अब कोई ऐसा रास्ता बचा नहीं तब असेंशल कमोडिटी एक्ट, 1955 का बना हुआ है उसमें शिड्यूल 2 के अन्दर कुछ चीजों को सम्मिलित किया गया है। सही बात है। लेकिन उसके अन्दर हमने खोजने की कोशिश की कि क्या इसी प्रोविजन के माध्यम से हम बजरी पर नियंत्रण कर सकते हैं या दूसरी चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब यह लगा कि इसके लिए अलग से कानून लाना पड़ेगा और जब मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम सैक्शन 3 के तहत इस सारी चीज के अन्दर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, विधान सभा में नोटिफिकेशन को रखेंगे, नोटिफिकेशन की तिथि तीन महीने होगी और उसके बाद दुबारा उसका मूल्यांकन करने के बाद आगे बढ़ायी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, मैं उस पूरे वाक्य को अगर पढ़ दूं तो सदन की शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये जवाब दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जवाब नहीं मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। मेरे माननीय जो मुझसे वरिष्ठ हैं, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके आदर्श की दुहाई देकर हम राजस्थान के अन्दर सत्ता में आये हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं। अगर पूरा पढ़ दूं तो सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य शायद यह बात यहां उठाते नहीं। यह उद्देश्यों और कारणों के अन्दर पैरा दो है, अध्यक्ष महोदय, ''बहुत-से ऐसे माल जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं और समुचित विनियमन के अभाव में बेइमान व्यापारी और दलाल स्थिति का लाभ उठाते हैं और कृत्रिम कमी सृजित करके अपना अधिकतम फायदा उठाते हैं।'' इंगित उन लोगों को है जो समाज के अन्दर कृत्रिम अभाव पैदा करें, जो समाज के अन्दर होर्डिंग करें, जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एकाधिकार कर लें कई प्रकार के व्यापार पर। उन्हें हम बेइमान न कहकर क्या पुरस्कृत करने की बात करें?

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के तहत बाकी चीजों का उत्तर माननीय मंत्री महोदय देंगे। मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो मेन उद्देश्य था, असेंशल कमोडिटी एक्ट में गुड्स की जो डेफिनिशन है, अध्यक्ष महोदय, गुड्स में गुड्स मैटीरियल, कमोडिटी और आर्टिकल्स हैं, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा। जब मैटीरियल इसमें आता है तो इसमें बजरी भी आ जाएगी, सीमेंट भी आ जाएगी, मार्बल भी आ जाएगा, लोहा भी आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज आपने आधे घंटे की चर्चा भी रखी है, हमारे मन में भी यह बात थी कि आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से राजस्थान के अवाम् के पास यह बात जाए कि राजस्थान में जो सरकार आई है, वो बजरी माफिया को प्रश्रय देने के लिए नहीं आई है, उन पर शिकंजा कसने के लिए आई है। यह जो कानून आया है इसको जल्दी लाने के पीछे मकसद भी यही था। 28 फरवरी आपके सामने तारीख है, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो कि इस बार बजरी के खनन के लिए जो वर्किंग परमिशन मिली है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिली है और 28 वो तारीख है जिसके बाद में निश्चित तौर पर हमें लाइसेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसी तरह से उनको बढ़ाते हैं, खनन के लिए परमिशन और देते हैं और वो ही शर्तें रहती हैं, नया कोई कानून इनैक्ट हम करते नहीं हैं तो ये बाजार छूती कीमतें कहां चली जाएगी, यह पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी नेता का कहना है कि हम राजस्थान की जनता के ट्रस्टी हैं। हम कोई सत्ता में नहीं हैं, हम राजस्थान की जनता के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी के नाते क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि वो इस तरह का प्रोविजन लाए? यह जो बजरी का कृत्रिम अभाव पैदा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, दो महीने बजरी का खनन बन्द रहा तो कितना बड़ा स्टाक कितने लोगों ने कर लिया। अध्यक्ष महोदय, यह बजरी की बात नहीं है, इस प्रकार की और भी आ सकती है। आज सरकार में बैठे लोग, यह नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन का जिक्र इन्होंने किया असेंशल कमोडिटी एक्ट, उसमें केन्द्र सरकार अगर शिड्यूल में परिवर्तन करे तो क्या हमें कोई चिंता नहीं? आप शंका क्यों कर रहे हैं? उस सरकार पर शंका क्यों कर रहे हैं जिस सरकार में आप और हम हैं? सुशासन देने की बात हम लोगों ने की है। इसलिए मैं समझता हूं इसमें कोई लम्बी बात नहीं है और बाकी मंत्री महोदय को आप अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: यहां इसको बहस का विषय बनाया जाए क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजरी के खनन का सवाल है, उसकी वैलिडिटी है वो 28 तारीख को वैसे ही समाप्त हो रही है। बजरी का होर्डिंग करके किसी ने पहाड़ लगा दिया क्या? जब हमने उनको ओपन टेण्डर में देकर ज्यादा पैसा लिया तो स्वाभाविक है कि वो उसको वसूल करेगा। कोर्ट के द्वारा उसकी सीमा 28 तारीख को समाप्त हो रही है। उसके बाद राज्य सरकार छोटे-छोटे होल्डिंग कर दे और छोटी-छोटी टेंडरिंग कर दे। केवल बजरी के कारण से इस कानून को अगर लाना पड़ रहा है तो या तो बजरी के नाम से ही कानून ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको स्वीकार कर लेंगे कि बजरी के कारण से कानून आ रहा है और वह समझ में आ सकता है। लेकिन आपने तो इतना ओपन रखा कि ये डिपार्टमेंट और सरकारी अधिकारी आदमी को लूट खावें। रोज नये-नये कानून बनाएं, इसके लिए थोड़े ही है। अगर बजरी की समस्या है तो बजरी की समस्या के हल के लिए क्या सरकार के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? उसके कारण से इस तरह का एक्ट लाकर सारे व्यापार जगत को, किसान को, सबको लपेटने का प्रयास किया है। अगर बजरी समस्या है तो आज 6 तारीख हो गई, 22 दिन की ही तो समस्या है, 22 दिन के बाद माइंस डिपार्टमेंट नई नीति तय कर दे। नई नीति के तहत जो-जो छोटे पट्टे हों, पंचायत के अनुसार पट्टे हो सकते हैं तो उसका निपटारा हो सकता है। केवल बजरी के कारण से इस कानून को लाकर आप राजस्थान को यह मैसेज देना चाह रहे हो कि व्यापारी बजरी के कारण से दलाल और चोर है। कौनसे व्यापारी ने होर्डिंग किया? वो तो कोई न कोई राजनेताओं के चहेते लोगों ने किया होगा जो 82 पट्टे लेकर कब्जा करके बैठे हैं। उन 82 लोगों के कारण से हम सारे राजस्थान के व्यापार जगत को बेइमान और चोर बनाना चाहते हैं। होर्डिंग को जरूर रोका जाए लेकिन केवल बजरी का बहाना बनाकर इस प्रकार का कानून लाना, यह ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट के दिमाग में यह बैठा है कि किस तरह से व्यापारी को रोज चूसा जा सकता है, कैसे परेशान किया जा सकता है और कैसे उसको रोज कानून का डर बताकर भयभीत किया जा सकता है। आपके पास इतने कानून बने हुए हैं, असेंशल कमोडिटी एक्ट बना है, साल भर में पांच तो प्रयोग बताते कि यहां होर्डिंग हुई और होर्डिंग के कारण से हमने इसको यह सज़ा दे दी। उसको आप सज़ा नहीं दे सकते और एक नया कानून लाकर आप जबरदस्ती हौवा पैदा करना चाह रहे हो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिये। आपको भी अवसर दूंगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मुझे परमिशन दी है।

श्री अध्यक्ष: पहले उनको दी है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मूल्य वृद्धि के लिए बिल लाया गया है इसमें मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। इसके स्पष्टीकरण में यह बिलकुल स्पष्ट किया गया है कि 'ऐसे क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा नियत की जा सकेगी', मतलब किसान को इस तरह से बाउण्ड करने की कोशिश की जा रही है। मात्रा नियत की जाएगी, और उसके अलावा 'जोत के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए भी नियत की जा सकेगी', मतलब उसकी जोत के लिए भी उसको बाध्य किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उसमें उत्पादन की मात्रा को नियत किस तरह से करेंगे? जिस तरह से वायदा बाजार चलता है, कांग्रेस सरकार ने वायदा बाजार पर जो टैक्स लगता था वो माफ करके इस राजस्थान में खुला जुआ खेलने की छूट दे रखी है, क्या उसको भी कंट्रोल करने का आप कोई कारगर उपाय करेंगे? वायदा बाजार में ग्वार जितना पैदा नहीं हुआ उतना 30 और 32 हजार रुपये क्विंटल बाजार में बिका, क्या उसको अपन कंट्रोल कर पाये? आप यह कानून ला रहे हो तो ठीक है, मगर उसके अलावा किसान को पाबंद करना कतई ठीक नहीं है। किसान की कितनी पैदा होगी और कितनी नहीं होगी, वायदा बाजार में टनों मण ग्वार पैदा हो गया, टनों मण गेहूं पैदा हो गया, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। इस स्टेज पर इस विषय पर व्यापक चर्चा नहीं की जा सकती इसलिए मैं प्रभारी मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो बहस का उत्तर दें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी बिल के बारे में चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने शंका जाहिर की कि यह किसान विरोधी है, व्यापारियों को बेइमान बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। यह विधेयक आमजन के लिए आम जनता के लिए और आम राजस्थान की जनता के हित के लिए लाया जा रहा है। किसान विरोधी बिल की जो हम बात कर रहे हैं, इसको गलत रूप से किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसान

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

विरोधी बिल होता तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (क) के भाग 2 के (ख) में स्पष्ट वो ही शब्द लिखे हैं जो हमने इस अधिनियम में लिये हैं। स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में माननीय केसारामजी जो बात बता रहे हैं, धारा 3 के स्पष्टीकरण के फर्स्ट में वो ही लिखा है खाद्यान्न और तिलहनों का। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम जब जारी हुआ तब उसमें ज्यादातर खाद्य पदार्थ आ गये। उसके बाद आज तक किसान को हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट में बाध्य नहीं किया गया तो आज इस एक्ट में कहां है? वो तो पहले ही प्रोविजन है। इसी एक्ट में पहले क्लीयर लिखा हुआ है, फण्डामेंटल लिखा हुआ है, प्रद्युम्न सिंहजी ने पढ़कर बताया है। आज हम नया नहीं ला रहे हैं, यह तो हिन्दुस्तान में 1955 से केन्द्र सरकार द्वारा लागू है। जब केन्द्र सरकार ने आज तक किसी किसान को, काश्तकार को पाबंद नहीं किया तो फिर आज आपको कैसे शंका हो रही है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के किसान को पाबंद करेगी?

दूसरा, पांचवें में लिखा है, उसमें कम्पलीट लिखा हुआ है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा...(व्यवधान) आप बैठ जाओ, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपका जो बिल है वो किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, किसान विरोधी है इसके लिए हम वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, माननीय मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो बात माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं मैं उससे सम्बन्धित कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी का जवाब सुनिये, हस्तक्षेप मत कीजिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, हस्तक्षेप मत कीजिये, मैं आपसे निवेदन करता हूं। माननीय मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस बिल के विरोध में वाकआउट करते हैं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है, 5 के पैरा 7 में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राजस्थान राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाएगा। जब सारी प्रक्रियाएं, सारे प्रोसेस, लाइसेंस देने की प्रक्रियाएं, जब्ती की प्रक्रियाएं, क्या-क्या हुआ उन सबके प्रोसेस को विधान मण्डल में रखा जा रहा है तो फिर माननीय सदस्यों को किस तरह की शंका है, यह मैं नहीं समझ पा रहा।

दूसरा, शाहपुरा से आने वाले सम्माननीय माननीय सदस्य ने कहा कि वायदा बाजार संविधान की 7वीं अनुसूची केन्द्र की अनुसूची के बिन्दु हैं तथा यह विधान सभा वायदा बाजार पर कानून नहीं बना सकती। निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो शंका माननीय सदस्यों ने जाहिर की, वो बिलकुल गलत है। जन हित में, किसान हित में, आम हित में और जो गुड गवर्नेंस हमारी सरकार देना चाहती है उसके तहत यह बिल लाया जा रहा है। राजस्थान की जनता के हित के लिए और जो मुनाफाखोरी है, स्टाक प्रवृत्ति है, इस पर दबाव बने, अंकुश लगे, इसके लिए है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

अगला, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014, इसका प्रस्ताव कीजिये।

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल आप कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का नाम परिवर्तन का लेकर आ रहे हैं, जहां तक इसके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स की बात है, नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में पिछली बार सदन में व्यापक चर्चा हुई थी और एकमत से सदन इस राय का था कि जिस मनस्वी जीव ने इतना कुछ इस महाविद्यालय के नाम से किया हो और जिसको हमने बाद में विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया, उनके नाम से इसका नामकरण होना चाहिए। मेरा विषय आज नामकरण से सम्बन्धित नहीं है। जिस आर्डिनेंस के तहत इस नाम में परिवर्तन किया गया, उसमें एक सैक्शन-53 भी था। सैक्शन-53 के अन्दर गवर्नर के आर्डिनेंस के माध्यम से वाइस चांसलर का जो कार्यकाल था, इसको तीन वर्ष रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जितने भी विश्वविद्यालय आप उठाकर देख लीजिये, सारे विश्वविद्यालयों में हमने वाइस चांसलर की कार्यावधि का समय तीन साल रखा, लेकिन यह अमेंडमेंट आर्डिनेंस के उस सैक्शन पर साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है कि अगर वह एक्ट का प्रारूप नहीं ले पाएगा और सदन की स्वीकृति नहीं ले पाएगा तो एक वर्ष का कार्यकाल जो उनका उस वक्त निहित था, उस तक सीमित रह जाएगा। एक्ट के रूप में आज हम वाइस चांसलर का एक वर्ष का कार्यकाल करने जा रहे हैं, यह इसकी वास्तविकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं और कृषि विश्वविद्यालय की जब बात कर रहे हैं तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल इस राज्य के अधिकतर वे लोगबाग करने वाले हैं जो अपने जीवन यापन करने के संसाधनों के लिए कृषक के रूप में कृषि पर आधारित हैं। ऐसी गतिविधियों को साइंटिफिक इनोवेटिव प्रमोशन के लिए ज्ञान के सृजन के आविष्कार का क्षेत्र मानते हैं। A university is not only an Institution for dispensing the knowledge but it is also an Institution of research which creates knowledge. जब क्रिएशन की बात आती है तो इनोवेशन की बात आती है। जब इनोवेशन की बात आती है तो इन्वेंशन की बात आती है। अब मुझे आप बता दीजिये कि कृषि विश्वविद्यालय में जहां रिसर्च का काम चल रहा हो, वहां ऐसा कौनसा बुद्धिजीवी विद्यमान साइंटिस्ट आएगा जिसका कार्यकाल सिर्फ एक वर्ष का होगा? यह जरूर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बाध्यता नहीं है, उसका कार्यकाल रिन्यू हो सकता है। लेकिन यह रिस्क लेकर कौन आएगा कि मेरा कार्यकाल रिन्यू हो या नहीं हो? हम जब बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में तीन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वर्ष का कार्यकाल रखे हुए हैं तो सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय में क्यों नहीं? यह कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय का संशोधन तो इसलिए आया क्योंकि हम नाम परिवर्तन कर रहे थे। बाकियों में जिनमें नाम परिवर्तन नहीं हो रहा, वहां भी यह एक वर्ष का होने जा रहा है क्योंकि वह आर्डिनेंस स्वत: ही अपनी एक निश्चित नैचुरल डैथ को, लीगल डैथ को प्राप्त हो जाएगा।

मैं आसन से यह निवेदन करना चाहता हूं, आखिर बाकी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के लिए तीन वर्ष की कार्यावधि और रिसर्च जैसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की यूनिवर्सिटी के लिए हम एक साल करना चाहते हैं। जिस प्रकार के रिसर्चेज यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, खासकर कृषि विश्वविद्यालयों में, आप यह बताइये, हाई टैक एग्रीकल्चर, स्पेशलिटी एग्रीकल्चर, डिसैक्शन एग्रीकल्चर, कन्वर्जन एग्रीकल्चर एण्ड सैकण्डरी एग्रीकल्चर, ऐसा कौनसा सब्जैक्ट है जिसमें वाइस चांसलर 12 महीनों में आकर इस फैकल्टी को रिसर्च की तुलना में उस आयाम तक पहुंचा देगा जिसकी आपको और हमको इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से कल्पना है। कि वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक स्तर पर इनोवेटिव नालेज और साइंस एण्ड टैक्नोलोजी के माध्यम से एग्रीकल्चरल की ग्रोथ को बढ़ाना हमारा और आपका प्रथम कर्तव्य है। इतने बड़े भू-भाग का प्रदेश होने के उपरान्त भी जो हमारा प्रोडक्शन एवरेज है, वह बाकी प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से हमको वह चीज उपलब्ध हो सकती है जो बाकी और किसी इण्डस्ट्री से या किसी कारखाने से नहीं मिल सकती। यूनिवर्सिटी, और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वह है जो इस राष्ट्र के सबसे बड़े भू-भाग जिसको हम राजस्थान प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसकी मरुभूमि में उन्नत किस्म की फसल उगाने के लिए अपनी रिसर्च के माध्यम से वह सारी इनोवेटिव टैक्नोलोजीज और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के माध्यम से हमें वे सारी व्यवस्था प्रदान करे जिससे हमारा कृषक और हमारा किसान एक उज्ज्वल भविष्य की ओर, स्वर्णिम भविष्य की ओर देख रहा हो। इसको एक वर्ष तक सीमित रखना और बाकी जनरल यूनिवर्सिटीज में तीन वर्ष तक के उनके कार्यकाल को करना, ये दो अपने आप में विरोधाभासी चीजें क्यों हैं? यह मेरा आपसे निवेदन है और यह मेरा अमैंडमेंट कार्यकाल के माध्यम से है क्योंकि अगर यह कार्यकाल रहा तो कोई भी रिनाउण्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और पर्सनैलिटी जो अथोरिटी हों और जो राजस्थान को अपनी सर्विसेज देना चाहते हों, चुनौती के रूप में देना चाहते हों,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वे किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में आने में असमर्थता व्यक्त करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (अनुपस्थित)। शंकरसिंह राजपुरोहित नहीं हैं? प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पर चर्चा हो रही है और यह चर्चा इसलिए हो रही है कि दिनांक 21 सितम्बर, 2013 को कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन एवं संशोधन) अध्यादेश, 2013 जारी किया गया था। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य धारा 53 की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बता रहे थे कि वाइस चांसलर का कार्यकाल जो तीन साल किया गया है, उसका इसमें अमैंडमेंट लेकर नहीं आये।

(15.44 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

राजपत्र 14 सितम्बर, 2013, इसकी जो मूल धारा थी, उसका उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूंगा, ''Transitive power of the first Vice-Chancellor. The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the Government for a period not exceeding one year or until such time as the Board…whichever is earlier and exercise all or any power conferred on by the Board by this Act.”

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, हम थोड़ी देर के लिए भोजन में चले गये थे, हमें आने के बाद पता लगा कि एक मंत्रीजी रूठ कर चले गये। तो थोड़ी जानकारी तो मिले कि यह रूठा-झगड़ी किस बात पर हुई।

श्री सभापति: ऐसी कोई भी बात नहीं है, माननीय मंत्रीजी अपना उत्तर दे रहे हैं, देने दीजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): कोई उलटी-सुलटी बात नहीं हुई है, माननीय सदस्य, और बिल पास हो गया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आप बोलें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया सैक्शन 53, सरकार ने यह विचार किया है कि जो एक वर्ष की अवधि वाइस चांसलर की है, उसमें वृद्धि नहीं की जाए, उस पर पुनर्विचार किया जाए और इसलिए आज इस सदन में मात्र नाम परिवर्तन विधेयक पर ही चर्चा हो रही है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय सभापति महोदय, ऐसे शिक्षाप्रेमी और ऐसी शख्सियत, एक भामाशाह के रूप में, शिक्षाप्रेमी के रूप में और समाजसेवी के रूप में जिन्होंने राजस्थान में अपना अलग वर्चस्व स्थापित किया। जोबनेर पहला कृषि महाविद्यालय था राजस्थान का जिसने राजस्थान की कृषि व्यवस्था को, राजस्थान के उन छात्रों का जिन्होंने कृषि विषय का अध्ययन जोबनेर में किया, आज पूरे देश और विदेश में उनका नाम है। यह सब ने जाना है सभापति महोदय, इसके बारे में गत सत्र में विधान सभा में काफी चर्चा हुई थी। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य यह चाहते थे, और यहां तक कि शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, राजनैतिक, सामाजिक संगठन और विधान सभा के माननीय सदस्य यह चाहते थे कि ऐसे व्यक्तियों का नाम हो जिन्होंने राजस्थान में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। 7 जुलाई, 1947 को कृषि विद्यालय, जोबनेर की स्थापना उन्होंने की और 2100 एकड़ भूमि कृषि महाविद्यालय के लिए उन्होंने दान की थी। इसलिए यह कोई ज्यादा गम्भीर विषय नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह सब का फैसला है, जनता चाहती है, विधान सभा के सारे सदस्य चाहते हैं। निश्चित रूप से स्वर्गीय श्री कर्ण नरेन्द्र सिंहजी की स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम से किये जाने के पुनर्विचार का विधान सभा में काफी चर्चा होने के बाद फैसला हुआ था। आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि पूरा इतिहास गवाह है। यह कोई पहला अवसर नहीं है जिसमें किसी विश्वविद्यालय का किसी के नाम से नामकरण किया जाता होगा। महान शिक्षा संत स्वामी केशवानन्दजी महाराज कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम भी स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर है क्योंकि उन्होंने एक संत होते हुए भी पूरे देश और प्रदेश को दिशा देने का काम शिक्षा के क्षेत्र में किया था। विधान सभा के द्वारा इस प्रकार उसका नामकरण हुआ। राणा प्रताप का स्वाभिमान भारत माता की पूंजी है, यदि हम उसका उल्लेख देखें तो। ऐसे पराक्रमी महाराणा प्रताप के शौर्य, बलिदान, धैर्य और त्याग को कायम करने वाली मेवाड़ की धरती पर स्थापित कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम भी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर रखा गया है। इसलिए मेरा आप से इस सदन के माध्यम से यही निवेदन होगा कि जो विधेयक नाम परिवर्तन का लेकर आये हैं वह एक समाजसेवी, शिक्षाविद्, शिक्षाप्रेमी के नाम से किया जाना उचित है। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्यजी ने जिस प्रकार की बात कही है,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

यह सतत प्रक्रिया है। वैसे भी अगर हम इसको देखें, जो अध्यादेश जारी हुआ, उसमें उन्होंने लिखा है, "Section 53 is the temporary arrangement notwithstanding anything in the Section 25, the first Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor with the advice of the State Government." एक साल से तीन साल करने का जो हुआ, एक टैम्परेरी अरेंजमेंट के रूप में इस अध्यादेश में, भी लिखा है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन होगा, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विधेयक है, इसीलिए इसको इस सत्र में पुर:स्थापित किया गया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है ...(व्यवधान) आप बोलना चाह रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, बोलना चाह रहा हूं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं बोलूं मोहन लालजी। सभापतिजी, यह जो विश्वविद्यालय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार अपना स्थान ग्रहण करें, थर्ड रीडिंग में हम आपको मौका देंगे बोलने का।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 5 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

अनुसूची - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियम सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रभुलालजी सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए। आप बोलना चाह रहे हैं? (व्यवधान) पहले प्रस्ताव रख लें माननीय मंत्रीजी, उसके बाद आप।

विधेयक का पारण

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन पर चर्चा हुई, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो आप कहना चाह रहे हैं, एक-एक करके। आप बैठें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, यह जो जोबनेर विश्वविद्यालय में नाम परिवर्तन किया जा रहा है, उसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा। उस व्यक्ति ने उस जमाने में इतना बड़ा दान किया-2100 बीघा जमीन, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर यह सब दिया। इसी संदर्भ में कुछ बातें कहना चाहूंगा, जयपुर जिले में यह सबसे पहला महाविद्यालय बना था, उसके बाद में बीकानेर बना था, उसको तो विश्वविद्यालय बना दिया गया था लेकिन देर से ही सही, इसको करैक्ट किया गया और जोबनेर को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जो इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर था। मैं जयपुर जिले से आता हूं, जयपुर जिले में एक एग्रीकल्चर फैकल्टी और है चिमनपुरा, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, वह सबसे पहले स्थापित हुआ। वहां पी.जी. खुला लेकिन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पी.जी. एक साल बाद बंद हो गयी क्योंकि उसको किसी विश्वविद्यालय से एफिलिएशन नहीं था और आई.सी.ए.आर. सैपरेट कालेज की मांग करती है। इस कारण से जयपुर जिले में विश्वविद्यालय हो गया और चार ऐसे महाविद्यालय हैं राजस्थान सरकार के नेतृत्व में, जो चारों के चारों पी.जी. नहीं हैं और वे इस कारण से नहीं हैं कि वे केवल फैकल्टी है। सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर में सैपरेट बिल्डिंग है, सैपरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वहां भी लेकिन संकाय है, चिमनपुरा में भी वैसा है। और जहां से मंत्रीजी स्वयं विधायक रहे हैं, वहां तो अजब हुआ कि दो साल से वहां महाविद्यालय है लेकिन उसके एडमिशन नहीं किये गये क्योंकि वह बीकानेर के अन्डर में आता है। बीकानेर विश्वविद्यालय ने छात्र उपलब्ध नहीं कराये इसलिए दो साल से टीचर बैठा है। ऐसी विसंगतियां हैं, इस कारण से मैं इसके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सरकारी क्षेत्र को स्ट्रांग बनाने के लिए फैकल्टी से नहीं, एग्रीकल्चर महाविद्यालय को स्थापित करके उनको सैपरेट किया जाए। केवल

(16.00 बजे)

सैपरेट किया जाए। और जोबनेर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत उनको लाया जाए, न कि बीकानेर में रखा जाए। चिमनपुरा ऐसा महाविद्यालय है जो वर्ल्ड के सबसे छोटे स्थान का सबसे बड़ा कालेज है। जहां छह हजार विद्यार्थी हैं। जहां एग्रीकल्चर की पांच फैकल्टी हैं। मैं आपके माध्यम से इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि जो चार कालेज हैं- लालसोट में है, उनियारा में है, सवाई माधोपुर में है और चिमनपुरा में है, इन चारों कालेजों में एग्रीकल्चर फैकल्टी है। राजस्थान के गरीब छात्र प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो पैसा लगेगा। गरीब छात्रों को पीजी की पढ़ाई सस्ती मिले इस कारण से यह जरूरी है कि पीजी खुले और पीजी खुलने के लिए जरूरी है कि उन फैकल्टीज को सैपरेट कालेज का दर्जा दिया जाए। चिमनपुरा और सवाई माधोपुर में 13-13 पोस्टें हैं, वे पूरी की पूरी भरी हुई हैं। अगले बीस साल तक खाली नहीं होंगी। इनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, केवल वहां एक सीनियर प्राध्यापक को प्रिंसीपल बना दिया जाए तो सैपरेट कालेज बन जाएंगे। आईसीएआर का करोड़ों का बजट हमें मिलेगा क्योंकि उनकी शर्तें हैं सैपरेट कालेज और पीजी फैकल्टी। इस कारण से पीजी कालेज भी गवर्नमेंट सैक्टर में होंगे। यह अवसर है, जोबनेर को जिसने कुछ दिया, जिस महापुरुष ने सब कुछ दिया, उसके नाम पर हम नाम परिवर्तन करें तो बहुत अच्छा है। इसमें और सैटअप को भी ठीक करें। राजस्थान में जो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

एग्रीकल्चर शिक्षण है, उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि प्राइवेट सैक्टर के साथ पब्लिक सैक्टर भी चले। गवर्नमेंट विश्वविद्यालय तो चार हो गये और अब तो पांच हो गये हैं। लेकिन कालेज तो पांच ही नहीं है सरकारी क्षेत्र में? ये जो विसंगतियां हैं चार कालेज और पांच विश्वविद्यालय, इसको भी ठीक करे। कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे भरतपुर क्षेत्र है या जिस क्षेत्र में एग्रीकल्चर कालेज नहीं है। जैसे कोटा क्षेत्र है उसमें एग्रीकल्चर कालेज नहीं है अब शायद डिक्लेयर हुआ है। कुछ कालेज बढ़ाये जाएं, सैपरेट एग्रीकल्चर कालेज बढ़ायी जाएं, और जो वर्तमान में सरकारी कालेज हैं उनको पीजी किया जाए। हमारी शिक्षा महंगी है एग्रीकल्चर की।

जो दूसरी बात शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, यह निश्चित बात है कि सेमेस्टर लागू होने के बाद में, मैं टीचर रहा हूं, कभी भी बारह महीने में पूरा नहीं हुआ सेमेस्टर सिस्टम का एक वर्ष और यहां वाइस चांसलर एक वर्ष में पूरा हो रहा है। वाइस चांसलर का कार्यकाल एक वर्ष का है। किसी व्यक्ति को देने के लिए पिछली सरकार में, 62 वर्ष का कार्यकाल था उसको एक ही आर्डर में 70 वर्ष कर गये। 70 वर्ष तक तो वह आदमी काम करेगा, लेकिन एक स्थान पर एक वर्ष से ज्यादा काम नहीं करेगा। मिट्टी का ही चक्र पूरा नहीं होता है एक साल में। मौसम का हमारा चक्र बारह महीनों में बदलता है। जब मौसम चक्र ही नहीं बदलता और वाइस चांसलर बदल जाएगा बारह महीने में, तो कैसे पार पड़ेगी? शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य है का जो सुझाव है, निश्चित तौर पर आज ही मंत्रीजी घोषणा करे कि अन्य जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके बराबर तीन वर्ष का कार्यकाल किया जाए। मैं तो यह कह रहा हूं कि उसका तो और पांच वर्ष किया जाए। हम अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। हमें अच्छा बीज बनाने का केन्द्र दुर्गापुरा को बनाने में 26 साल लग गये। हालांकि बीच में कोशिश हुई थी कि वह व्यावसायिक बना दिया जाए। कि कृषि जैसे संस्थान में केवल मैट्रो का कार्यालय खोल दिया जाए। 26 साल हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को बट्टा लगाने का प्रयास किया था, हालांकि वह रूका हुआ है। एग्रीकल्चर में आप हर प्रकार से परीक्षण करें, क्योंकि जितनी और चीजें हैं, बारह साल में मौसम बदलता है लेकिन एग्रीकल्चर का ट्रेड साइकिल तीन वर्ष में बदलता है, तो एक ट्रेड साइकिल तक तो वाइस चांसलर होना चाहिए ताकि वह हमारे ट्रेड साइकिल को देख सके, इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान मंत्रीजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और वास्तव में इसकी जरूरत भी थी कि दानकर्ता के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाए। इसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आप तो एग्रीकल्चर सैक्टर के बड़े ज्ञाता हैं, विश्वविद्यालय में आर्गेनिक खेती की आजकल बड़ी चल रही है। रासायनिक खादों के कारण हमारे उत्पाद विदूषित हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं इसलिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को आर्गेनिक खेती करना सिखाया जाए। उसके प्रोडक्शन किस प्रकार से बनाये जाते हैं, उनको सिखाया जाए। कीटाणुरहित और रसायन रहित गोबर की खाद के आधार पर जो पुरानी खेती पद्धति थी, उसके आधार, इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो। माननीय सभापति महोदय, गंगानगर में मैं एक-दो जगह गया था, वहां पर पुराने तरीके से खेती होती है। पुराने तरीके से खेती का मतलब उसमें बरसात की आवश्यकता नहीं है ज्यादा। केवल गोबर और गुड़ और थोड़ी-सी बरसात और पानी मिलाकर वो बहुत अच्छी खेती करते हैं। उस खेती का उत्पादन भी बढ़िया होता है। हरियाणा के बार्डर पर ही वो खेत हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इस तरह से, यह विधान सभा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप विराजो, आपको ज्ञान नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौनसी खेती कर रहे हैं? यह विधान सभा है, यहां चाहे जो बोल रहे हो आप? मर्जी आए जो भाषण दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह जो बोल रहे हैं उसको समझ गये हैं ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको ज्ञान नहीं है, आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मोहनलालजी, खेती का आपको कहां से ज्ञान हो गया? आपको नमकीन, पापड़ इनका ज्ञान है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, आपको ज्यादा ज्ञान है क्या? बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपसे ज्यादा ज्ञान है। गुड़ और गोबर बताओ क्या बोल रहे हैं? गुड़ और गोबर को मिलाकर खेती की जाए, यह क्या भाषण दे रहे हैं, बताइए?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इनकी बात आपके समझ के बाहर की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कंटीन्यू रखिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): चलिए, देखिये, किस प्रकार से खेती होती है वहां।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बड़े-बड़े पेड़ों के आधार पर वहां खेती हो रही है बढ़िया और आपकी अंध खेती से बढ़िया खेती हो रही है।

श्री सभापति: आप अपनी बात को कंटीन्यू रखिये, मोहनजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): गोबर से रसायन नहीं होता है क्या? आज जिस प्रकार से रसायन मिलाये जा रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी खेती प्रदूषित हो रही है, मैं समझता हूं कि गोबर और उसके साथ-साथ आर्गेनिक खेती इसको निश्चित रूप से हमको बढ़ावा देना चाहिए, इसके स्पेशलाइज कोर्स होने चाहिए। स्पेशलाइज कोर्स होने के बाद में एग्रो बेस्ड जो चीजें हैं, इनको हम इण्डस्ट्री के आधार पर डवलप कर सकते हैं। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मण्डी में जाता है, मण्डी के आसपास ही एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्री भी लगनी चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय में इस प्रकार की एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को हम बढ़ावा दें। अचार चटनी और मुरब्बे, विभिन्न प्रकार के कानफ्लैक्स, विभिन्न प्रकार की चीजें, हनुमानजी, आप सुन लो, ये भी एग्री बेस्ड हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करके अपनी बात कहें और अपनी बात पूरी करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आज 50 परसेंट सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इस बात के लिए कि एग्रो बेस्ड आप इण्डस्ट्री लगाएं और इण्डस्ट्री लगाकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचें। आज किसान अपना रा-मैटीरियल बेच रहा है, लेकिन रा-मैटीरियल बेचने में उसको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन यदि भण्डारण की व्यवस्था होगी, इण्डस्ट्रीज की

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

व्यवस्था होगी, वहां इन्वैस्टमेंट होगा। विश्वविद्यालयों में इन चीजों को पढ़ाया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को इंट्रोड्यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश भी अमेरिका के बराबर पहुंच सकता है कृषि के मानकों में। विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर की, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। गरीब किसानों के नाम पर हम केवल रोटी सेकें, इससे काम नहीं चलेगा। गरीब किसान को हम किस प्रकार से आवश्यक सेवाएं दे सकते हैं, टैक्निकली सुविधाएं दे सकते हैं, आधुनिकतम सुविधाएं दे सकते हैं, इस बात पर निश्चित रूप से विचार करके विश्वविद्यालय के छात्रों को ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना चाहिए। यही मेरा इस विषय पर सुझाव है, धन्यवाद।

श्री सभापति: कोटा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 स्वागत योग्य और ऐतिहासिक कदम है। माननीय सभापति महोदय, मुझे इसमें कुछ बहुत अधिक नहीं कहना। जिस महान व्यक्ति ने 1947 में 2100 एकड़ जमीन इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दान की हो, उस व्यक्ति की स्मृति को चिर-स्थायी बनाने के लिए सदन ने एक विधेयक पारित किया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक विधेयक इसलिए बन गया कि यह दो प्रकार की परम्पराएं बाहर समाज में डालेगा। एक महान व्यक्ति के योगदान को सदन 1947 के 66 साल बाद याद कर रहा है, इससे प्रोत्साहित होकर राजस्थान के दानदाता और भामाशाह लोकहित में अपना समर्पण करने के लिए तैयार होंगे। सभापति महोदय, एक संदेश और जाएगा। राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में परिवार विशेष के नाम पर सरकारी बिल्डिंगों और सरकारी योजनाओं के नामकरण संस्कार का सिलसिला चल गया था, उसके खिलाफ एक जनमत तैयार होगा। यह विधेयक अपने आप में केवल विश्वविद्यालय का कानून नहीं बनेगा, राजस्थान में नई परम्पराएं डालने वाला एक विधेयक बनेगा। इस ऐतिहासिक कदम का मैं स्वागत करता हूं और इसका सकारात्मक संदेश राजस्थान भर में जाएगा। सदन एक ऐतिहासिक परम्परा और राजस्थान के हित में उदारता बरतने वाले लोगों का 66 साल बाद भी सम्मान करता है, यह व्यापक संदेश समूचे राजस्थान की जनता में जाएगा इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय। बेनीवालजी, आपको तो गर्व होना चाहिए कि एक गुप्ता एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। यह आपके लिए सौभाग्य की बात है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) यह स्पष्ट करना आप क्या चाह रहे थे ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह आपकी आदत क्यों बन गई है हर चीज के अन्दर मूसल ठोकना? (व्यवधान) नाम परिवर्तन के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो इस बात पर बोल रहा हूं कि मंत्रीजी को, मंत्रिमंडल को और मुख्य मंत्रीजी को और इस सरकार को...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, धन्यवाद भी थोड़ा बहुत नहीं, डोटासरा साहब, बहुत ज्यादा। कि जिस आदमी ने इतना बड़ा त्याग किया, तपस्या की, जिसकी सोच ऐसी। आज अपनी जमीन, डोटासरा साहब, आपसे एक बीघा जमीन मांगें तो आप आधी भी न दो और उस इंसान ने इस देश को बनाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए इक्कीस सौ एकड़ जमीन दान दे दी। उस आदमी का एक-एक आदमी, राजस्थान का एक-एक बच्चा, हम विधायक ही नहीं, एक-एक बच्चा ऋणी है। जितनी सरकार की तारीफ कर सकें। यह ठेका ले लिया क्या कि अच्छा काम करें, उसमें भी सरकार की बुराई करो। यह आप भी कर सकते थे। आप लोगों की सोच है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह हमने ही किया था न। हमने ही किया है। वो तकनीकी कारणों से नहीं आ सका, बाकी हमने ही किया है। आप तो मेजें थपथपा रहे हैं, बाकी किया तो हमने ही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने नाम हटाया था। माननीय सदस्य, आपने नाम हटाया था उनका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, हमने ही किया था।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नाम हटाया था। आंदोलन हुआ था। जनता ने आंदोलन किया था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पिछली विधान सभा में थे नहीं। आपके ध्यान में नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपसे ज्यादा जानकारी है, आपने नाम हटाया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें अपने स्थान पर। वो अपनी बात कह रहे हैं, सुनिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हम सब लोग किसान हैं, क्यों, डा. किरोड़ी लालजी, इस बात पर तो वसुन्धराजी की तारीफ कर सकते हैं। इस बात पर तो कृषि मंत्री की तारीफ कर सकते हैं कि इतना बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया। या अपन ने बुराई का ही ठेका लिया है?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपको इसका बैकग्राउंड ध्यान नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप किसान हैं मैं आपसे हां भरवा रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठें। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): किसान हैं तो इनको हां करनी चाहिए। आज से तो इनको वसुन्धराजी की स्तुति करना शुरू कर देना चाहिए कि वाकई में किसान के पक्ष में हैं। कहीं तो सोचो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं तो उनकी बात को इसलिए रेस्पोंड कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने 2100 एकड़ जमीन दी सरकार को, उसके लिए जोबनेर की जनता को आंदोलन करना पड़ा था। महीने भर तक धरने पर बैठे थे। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बात आज की है, आज तो आंदोलन नहीं करना पड़ा? वसुन्धराजी को तो आपको भी याद दिलाना नहीं पड़ा। वो तो किसानों के लिए देवी बन गईं आज। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह मेहरबानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप अपनी बात को जारी रखें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक पार्टी से, दल से ऊपर उठ कर कही जा सकती हैं, तो मैं आज डा. किरोड़ी लालजी से वसुन्धरा जी की बड़ाई करवा कर रहूंगा, अगर ये किसान हैं तो। और अगर किसान विरोधी हैं तो जैसे गाली देते हैं

(डा. जसवंत सिंह यादव)

अपनी, देते रहें। एक बार तो जय बोल दो आज तो वसुन्धराजी की, अच्छा काम किया है। एक किसान का नाम इतने बड़े इतिहास में लिखा जा रहा है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): देखो, आज ही इन बिलों के नाम पर झगड़ा हो गया, रूठ-रूठ कर मंत्री जा रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जाने दो कोई जाता है तो। बात आपकी हो रही है, आप लोगों की, विपक्ष वालों की। जब सरकार अच्छा काम करे ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): डा. साहब की या मेरी भी हो रही है?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बेनीवालजी, पता नहीं, आपने तो क्या ठेका ले लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, अगर हमारी तारीफ करने से आपको मंत्री बनाएं तो हम कर सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बीच में न बोलें। माननीय सदस्य। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बात मंत्री की नहीं है, बात है राजस्थान के किसान के मान-सम्मान की।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): तारीफ करने में क्यों कंजूसी करते हो, वो तो कर दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): देखिये, बात सुनिये। बात मंत्री और बिना मंत्री की नहीं है। वसुन्धराजी ने जो काम किया है, चपरासी भी बनाएं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तरह नहीं हूं मैं। मैं संस्कारित आदमी हूं। सभापति महोदय, वाकई में देखिये, आज हम लोग खेती की शिक्षा लेने के लिए इजराइल जाते हैं, कहीं और जाते हैं। मैं कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि जिस दानदाता ने इतना बड़ा काम किया था, अब उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस तर्ज पर इसको विकसित करें कि पूरी दुनिया इजराइल के बजाय राजस्थान के जोबनेर में आना पसंद करे। कर्ण नरेन्द्रजी की इच्छा थी, जो उनका त्याग था, जो उनकी तपस्या थी, मंत्रीजी उस त्याग और तपस्या को भी साथ में पूरा करें। इतना हाई स्टैण्डर्ड करें कि एक तो किसान को आज सही डवलप्ड, जैसे गुप्ताजी कह रहे हैं और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं बेनीवाल

(डा. जसवंत सिंह यादव)

जी, आपसे तो लाख दर्जा अच्छा वो ही रहे क्योंकि किसान के हित की बात कर रहे हैं। अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी टैक्निकल खेती होगी, टैक्निकल हर चीजें होंगी, उसी से देश आगे बढ़ेगा। जितना हम कह सकते हैं, डाक्टर किरोड़ी लालजी, आप सोओ मत देखो इस मामले में तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये सो नहीं रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप इस सरकार की एक बार तो वाहवाही कर दो। एक बार तो मेरे कहने से ही कर दो किसान के हितैषी हो तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वसुन्धराजी की जय है न?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वैरी गुड। अब तो मेज बजा दो। मैं मंत्रीजी से यही कहूंगा कि चीज के हर पहलू के ऊपर ध्यान रखा जाए। हम लोग इजराइल जाते हैं, इजराइल में जिस तरह का डवलपमेंट है, इजराइल के रेगिस्तान में जिस तरह की खेती होती है, इसी तरह से हमारा राजस्थान भी इजराइल के पैटर्न पर यहां भी अकाल पड़ता है रेत के टीले हैं, यहां भी कम पानी में खेती हो। हम और ही लोगों पर डिपेंड करते हैं, अब जोबनेर की इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम कर्ण नरेन्द्रजी के नाम करने जा रहे हैं, उनकी इच्छानुसार इतना बड़ा इसका डवलपमेंट करें कि वाकई में वर्ल्ड देखें और वर्ल्ड में एक कहावत बन जाए कि खेती करने की सीखने की कहीं साइंस डवलप है कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो यहां है जैसे हिसार का एक बार नाम हुआ था देश में, उससे भी ज्यादा इसके मापदण्ड हायर बने तब तो हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि है, उससे उनका नामकरण भी है और हमने खाली नामकरण करके छोड़ दिया तो शायद हमारे वो सपने पूरे नहीं होंगे। माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, मन तो बहुत है। अब इनसे भी कह दो कि ये भी मुझे मंत्री बनाएंगे अब। वाकई में आपकी जितनी तारीफ करूं, उतना कम है। हकीकत में एक किसान का बेटा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना और वसुन्धराजी ने एक किसान के बेटे को मंत्री बनाया। किसानों का सपना आपने ही साकार किया है। इन्हीं के पास परमानेंट रहे तो ठीक रहे। पिछली सरकार ने तो किसानों को धो दिया था। आप लोगों ने मार दिया था सब तरह से। अब सब मिलकर जितनी वाहवाही कर सकते हैं, उतनी कम है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 का मैं समर्थन करता हूं और सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि माननीय ठाकुर साहब श्री कर्ण नरेन्द्र सिंहजी की सोच को सार्थक करने का काम सरकार कर रही है। इसी के साथ दो विषय भी मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य और विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने विषय उठाया कि प्रथम कुलपति की जो पदावधि है, उसका जो कार्यकाल है वो अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर किया जाए। मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें।

इसी के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो सारा सदन जानता है, कृषि के लिए हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं और यह यूनिवर्सिटी भी इसीलिए आयी है, विस्तार के लिए, परन्तु वहां पर काफी खामियां हैं। वहां पर रिसर्च तो दूर की बात है, पीने के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसे यूनिवर्सिटी का तो हमने दर्जा दे दिया परन्तु उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है या नहीं है, इसका भी सरकार आकलन करे। विशेष तौर से पेयजल और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए वहां पर पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वह चाहे बीसलपुर से आए या अन्य किसी योजना से आए, उसके लिए भी सरकार साथ के साथ कदम उठाएगी तो मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल रूप से जो काम होना है वो भी वहां चालू हो जाए, केवल कागजों में ही नहीं हो। मैं यह आशा करता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, नाम परिवर्तन जो किया है। निश्चित रूप से दानदाता लोग यह भावना रखते हैं, हमारे कांस्टीट्यूशन में भी कालम है कि हम हमारी सोशल रेस्पांसिबिलिटीज को महसूस करें। विधेयक के पास होने के बाद में कर्ण नरेन्द्र सिंहजी को सम्मान देने का जो काम किया है, मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हर व्यक्ति यह महसूस करे कि मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्य करूंगा। यह एक प्रेरित करने वाला कार्य है। उनके सम्मान में सरकार ने उनके नाम से जो किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए माननीय

(श्री मान सिंह)

मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप संसाधन बढाने के साथ-साथ इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार का कोर्स शुरू कराने का काम करें जिस प्रकार से फ्रांस में कृषि रिलेशन का कोर्स है। उसमें बच्चों को किसान के घर पर जाकर 5-5, 7-7 दिन रुकने का सिस्टम है, ट्रेनिंग का सिस्टम है। फ्रांस में शहर का आदमी किसान के घर-घर जाता है मैं चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय का नाम इस प्रकार से हो। फ्रांस का जो सिस्टम है उसको एक कोर्स के रूप में हम शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से किसान को और इस कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को एक नया अनुभव और इस कृषि प्रधान देश को एक नया आयाम मिलेगा। यह मेरी आपसे विनती है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनूठा विश्वविद्यालय होगा। इसका समर्थन करते हुए मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी। एक सैकण्ड, माननीय सदस्य कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): सभापति महोदय, जोबनेर यूनिवर्सिटी के नाम परिवर्तन बिल का मैं समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात है, कोई व्यक्ति दानदाता है तो उसकी स्मृति बनी रहनी चाहिए। इतनी बडी जमीन है, अगर इसका सार्थक उपयोग हो तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसानों का बहुत भला इसमें हो सकता है। वर्तमान में हम इजरायल जाकर आये हैं। हर साल गवर्नमेंट जाती है और वहां हम सीखने के लिये जाते हैं, लेकिन ऐसा संस्थान अगर यहां खड़ा हो जाए। राजस्थान का किसान, इस देश का किसान बहुत मेहनती है लेकिन संसाधनों की दृष्टि से जो यहां रिसर्च होनी चाहिए, उस रिसर्च की बहुत बड़ी कमी है, बजट का अभाव है, साइंटिस्ट नहीं हैं। हमारा प्रदेश डैजर्ट प्रदेश है और इसमें अनेक आविष्कार हो सकते हैं। जैसे हमारे यहां तुंबा होता है इसके बीज से आयल निकलता है और सबसे ज्यादा वह काम आता है। हमारे पंजाब में एक कांटो वाली कोली होती है उसमें से जबरदस्त तेल निकलता है। हमारे यहां एक काजरी यूनिवर्सिटी है लेकिन उसमें जो रिसर्च होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। इसका एक ही कारण है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास वैज्ञानिकों की बहुत बडी कमी है। वैज्ञानिकों के अभाव में आज की लेटेस्ट टैक्नोलोजी को हम राजस्थान में लागू नहीं कर पाये। पिछली सरकार ने दो बहुत बड़ी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी खोलीं कि जिंस थिरैपी से किसी भी पौधे को बीमारी नहीं लगे, वह रोग ग्रस्त नहीं हो, फंगस नहीं लगे।

(श्री सुरेन्द्र सिंह पाल)

आज लाखों एकड़ में फंगस की बीमारी से फसल बर्बाद हो जाती है। जिंस थिरैपी ऐसी पद्धति है जिसमें टेस्ट ट्यूब में उगा कर ऐसे पौधों की वैरायटी तैयार हो जाती है जिनको कभी फंगस नहीं लगती, कभी कोई रोग नहीं लगता। हमारे यहां दो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी खुली थीं- एक माननीय वसुंधराजी के झालावाड में और एक गंगानगर में। गंगानगर में हमने उसमें डेढ लाख पौधे पैदा कर लिये। उसमें केवल एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक के ट्रांसफर के कारण वे डेढ़ लाख पौधे और उस वैज्ञानिक की जो एक साल की मेहनत थी, वह बेकार हो गयी। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया, बहुत बढ़िया है जिसने दान दिया लेकिन उस जमीन का सार्थक प्रयोग तभी हो पाएगा जब उसमें अलग-अलग, जिस तरह से आजकल मेडिकल डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन हो गया, गुर्दे से लेकर हर चीज का अलग है, ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी है लेकिन उसके उतने वैज्ञानिक होने चाहिए। वैज्ञानिकों का इतना अभाव है कि उसके कारण आज जो लेटेस्ट टैक्नोलोजी है उसको नहीं अपना पा रहे हैं। इजरायल में हम गये, वहां का सेब, वहां का टमाटर बगैर प्रोसेसिंग के 2-2 महीने, 6-6 महीने खराब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिंस थेरेपी से उसको ऐसा बना दिया कि स्टोरेज करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें यहां सम्भव है और यह बहुत बड़ा उपयुक्त स्थान है। बडे शहर के पास इतनी बडी जमीन मिली है, मैं समझता हूं कि इसको लेटेस्ट टैक्नोलोजी का सेंटर बना दें। पूरे राजस्थान से किसान आएं और इसमें ट्रेनिंग ले। हमारे यहां लुधियाना में पूरे इंडिया से लोग आते हैं जब मेला लगता है। वहां पर लोग मेले का भी आनंद लेते हैं और वहां से सारी टेक्निक भी लेकर जाते हैं, बीज लेकर जाते हैं। उससे आज पंजाब ने कितना डवलप कर लिया। यह भी एक ऐसा केन्द्र बन जाए। जैसा बड़ा यह दान है उसी रूप में यह सेवा का केन्द्र बने। आने वाले समय में राजस्थान के हर कोने से यहां चार-पांच हजार किसान आएं, टैक्नोलोजी यहां उपलब्ध हो, वे प्रैक्टिकली इस जमीन में देखें। वैज्ञानिक केन्द्रों में साधन होते हैं, लेकिन बडे लेवल पर जब कोई चीज होगी तो यह राजस्थान के लिये एक उपलब्धि होगी। यह बहुत बड़ा काम हुआ है कि इतनी बड़ी जमीन में कृषि महा विश्वविद्यालय खुला है, लेकिन वैज्ञानिकों के माध्यम से इसको रिसर्च सेंटर बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा सदुपयोग होगा। मैं इसका समर्थन करता हूं, यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नाम परिवर्तन के साथ-साथ कई माननीय सदस्यों ने कृषि के बारे में कई अमूल्य सुझाव भी दिये। कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो जिंदगी के खूबसूरत लमहों के रूप में यादगार बन जाते हैं, शायद वह दिन आज है जब पक्ष और विपक्ष के सभी लोग कृषि के बारे में इतनी चिंता ...(व्यवधान) अभी किशनपोल और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिये, निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के साथ उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ है, कृषि के बारे में, किसानों के बारे में उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही हैं। मैं एक निवेदन आपको करना चाहूंगा, राजस्थान की कृषि व्यवस्था निश्चित रूप से वर्षा आधारित जुआ है और एक चैलेंज है राजस्थान के लिये, किसान के लिये, सरकार के लिये। अभी हमारे माननीय टीटी साहब ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों में कृषि विषय, नवाचार, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ये सारे सब्जैक्ट हों जिससे कि पूरे राजस्थान के किसान को एक नवाचार मिले। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में 2003 से जब से माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा जी आई हैं, पहले यहां एग्रीकल्चर होता था, धीरे-धीरे हम लोगों ने एग्रीकल्चर से फ्लोरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, ओलेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, हर्बीकल्चर, यानि कृषि के हर क्षेत्र में काम करने का काम किया। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इजरायल की तर्ज पर राजस्थान में भी प्रोडक्टिविटी एनहांस, सेफ साइज इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, प्रोटीन एण्ड न्यूट्रिएंट्स की मात्रा फल और सब्जी में कैसे हो, फल सब्जी में सेफ साइज इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे हो, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए यह सरकार विचार करेगी। जिन विद्यालयों में कृषि विषय चल रहे हैं, खास तौर से छात्राओं को कृषि विषय में प्रोत्साहन देने के लिये, सभापति महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम कृषि हायर सैकण्डरी वाली छात्रा को 5000 रुपये और बीएससी एजी, और एमएससी एजी करने वाली जो छात्राएं थीं, उनको 10000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दें ताकि महिलाओं की रुचि भी कृषि की ओर बढे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज बहुत खुशी है इस शानदार माहौल में मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर नाम परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

विधेयक पर विचार

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, श्री ओम बिरला।

श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, वैसे तो कमप्लेंट की डेफिनिशन देने के लिए यह संशोधन लाया गया है, पर एक बात आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना बहुत जरूरी हो गया है कि किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट किसी भी प्रोविजन में किया जाता है तो मात्र वह अमेंडमेंट सैक्शन ही हाउस में नहीं रखा जाता है, ओरिजनल सैक्शन भी उसी के साथ रखना आवश्यक होता है। इसमें परिवाद की या कमप्लेंट की डेफिनिशन जोड़ी जा रही है और उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है। पर वे ओरिजनल प्रोवीजंस क्या हैं, वे हाउस में नहीं रखे गये। यह ठीक है, मैं एक्ट उठाकर ले आऊंगा, पढ़ लूंगा, देख लूंगा लेकिन वह प्रोपर प्रोसीजर नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन था, मैं विशेषकर माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि एम्स एंड ओब्जेक्ट्स...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह निर्देश दिया जाना जरूरी है आसन की तरफ से कि जिस चीज को प्रतिस्थापित करने के लिए अपन दूसरी डेफिनिशन ला रहे हैं तो पहले वाली डेफिनिशन का एक्सट्रेक्ट भी उस बिल में आना चाहिए। यह आसन की ओर से निर्देश जाना चाहिए, इसमें कमी है।

श्री सभापति: इसमें जो एक्सट्रेक्ट की बात की जा रही है उसको हम लोग इसके अन्दर पेश कर रहे हैं, ला रहे हैं। इसको मैं यहां से, आसन से कह रही हूं। आप अपनी बात कहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा मेरा माननीय मंत्री महोदय से विशेष निवेदन है, एम्स एंड आब्जेक्ट्स का जो सैकण्ड पैरा है उसकी ओर, महोदय, आपकी मार्फत ध्यान दिलाऊंगा, ''To ensure that complaints under the aforesaid Acts are also received at the Facilitation Centres i.e. Lok Sunwai Sahayata Kendras established under the Rajasthan Right to Hearing Act, 2012 and the citizens may be provided hearing in all cases." 'Hearing' is emphasized. "…provided hearing in all cases of failure in functioning or violation of any law except in cases in which any Court or Tribunal has jurisdiction or where any appeal is pending before a quasi-judicial authority, the definition of complaint was proposed to be amended suitably." Meaning thereby कि किसी भी कम्प्लेंट जिसकी कोर्ट में सुनवाई पैंडिंग है, अपील पैंडिंग है या क्वासी जुडीशियल अथोरिटी के सामने मैटर पेंडिग है वह कम्प्लेंट में इनक्लूड नहीं होगी, यह एम्स एंड आब्जेक्ट्स है। I repeat it; "citizen may be provided hearing in all cases of failure in functioning or violation of any law except.." The exception is; "…in cases in which any Court or Tribunal has jurisdiction or where any appeal is pending before a quasi-judicial authority" अब जो अमैंडमेंट प्रोविजन लाया जा रहा है वह इससे बिलकुल इनकंसिस्टेंट है। आप देखें, कम्प्लेंट की डेफिनिशन, "complaint" means any application made by a citizen or a group of citizens to a Public Hearing Officer for seeking any benefit or relief relating to any policy, programme or scheme run in the State by the State Govt. or the Central Govt. or in respect of failure or delay in providing such benefit or relief, or regarding any matter arising out of failure in the functioning or violation of any law, policy, order, programme or scheme in force in the State by a public authority but…" Here is 'but'. ....But is a proviso. Not a separate proviso but including 'but'. "…does not include grievance relating to the service matters of a public servant…" Exception according to the definition is 'the matter relating to service matter' but in aims and objects, the exception is; "except in cases in which any Court or Tribunal has jurisdiction or where any appeal is pending before a quasi-judicial authority. .

यह तो इसमें है ही नहीं कहीं! Either aims and objects is wrong or either definition is wrong. If aims and objects is to exclude the matter relating is pending in court or appeal a quasi-judicial matter then it must be included in the definition. But this matter is not included in the definition. The definition matter included; "…..scheme in force in the State by a public authority but does not include grievance relating to the service matters of a public servant whether serving or retired, or relating to any matter in which any court or Tribunal has jurisdiction or relating to any appeal pending before the quasi-

(श्री जोगाराम पटेल)

juridical authority.” Public servant either may be in a service or may be a retired. उसकी कोई ग्रीवेंस है, वह कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या कान्स्टीट्यूशनल ट्रिब्यूनल में पैंडिंग है तो उसके लिए कम्प्लेंट वह नहीं कर सकेगा। लेकिन एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में है, वह कमप्रेंट कोई भी नहीं कर सकता, वह कम्प्लेंट जिसका कोर्ट में कोई मैटर पैंडिंग है, अपील में पैंडिंग है और क्वांसी जुडीशियल तो इसमें है भी नहीं। क्वासीं जुडीशियल में पेंडिग है। तो मेरा निवेदन है कि यह एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स के अनुसार यह प्रपोज डेफिनिशन नहीं है। यह प्रपोज्ड डेफिनिशन एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स के अनुसार नहीं है Either there is an inconsistency which may be amended accordingly.

(16.36 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

तीसरा, सभापति महोदय, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से रिलेटिंग कोई डिस्प्यूट को एक्सक्लूड करना ही था तो एम्स एण्ड आब्जेक्टस में यह बताना आवश्यक था कि उस डेफिनिशन में यह चीज नहीं थी इसलिए हमको यह अमेंड करना अकार्डिंगली जरूरी हो गया। मेरा सब्मिशन है कि इन एम्स एण्ड आब्जेक्टस में इनकंसिस्टेंसी है और प्रपोज्ड डेफिनिशन, जिस आब्जेक्ट के साथ यह लाया गया है उसे सर्व नहीं करता है, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको एकोर्डिंगली जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजें। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 राजस्थान सुनवाई का अधिकार संशोधन अध्यादेश, 2013 द्वारा संशोधित किया गया। अधिनियम संख्या 22 की धारा (2) क को संशोधित किया गया जिसमें लिखा गया है, में बीच का आधा पढ़ रहा हूं, ‘‘किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त के सेवा मामलों से सम्बन्धित या किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो या, ...’’ इसके आगे उल्लेखित है, ‘‘...सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011, निश्चित रूप से इन दोनों को हटाकर इसमें एक पैरा और जोड़ दिया कि जो

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मामला न्यायालय में विचाराधीन होगा वह इस एक्ट के तहत कवर नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं यह मान सकता हूं कि राजस्थान सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम और सूचना के अधिकार की गारण्टी को इसमें से हटाकर इस एक्ट के क्षेत्राधिकार को, इसके दायरे को बढ़ाने का काम तो सरकार ने किया है, निश्चित ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत अधिक बात नहीं कहते हुए आपके माध्यम से इतना निवेदन करना है, आपने इसमें लिखा है, ''किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत हो, के सेवा मामलों से सम्बन्धित या किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो...'', मेरे यह समझ में नहीं आया, सभापति महोदय, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो, ऐसा कौनसा विषय है? जब आपका यह जन सुनवाई अधिनियम नहीं होगा तब भी पीड़ित व्यक्ति किसी न किसी न्यायालय में अपनी बात अधिकरण के सामने लेकर गया होगा। आपने न्यायालय और अधिकरण का प्रिविलेज इसमें दे दिया। इसको आधार बनाकर वे अधिकारी जो सुनवाई के मामलों को टालना चाहते हैं, इस मामले को लेकर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है या अधिकरण में जा सकता है। एक प्रिविलेज आपने सुनवाई करने वाले अधिकारी को दे दिया। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको इसको व्यापक स्वरूप प्रदान करना था, इसके दायरे को बढ़ाना था तो फिर इस आशय का संशोधन भी साथ में ही करना था कि न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो। कोई भी आदमी कोई सुनवाई लेकर जाएगा, निश्चित रूप से किसी भी सब्जैक्ट को कोई भी परिवादी किसी भी न्यायालय में ले जा सकता है। किसी न किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हर बात आती है, हर मामला आता है, हर इश्यू आता है। इसलिये अगर हम इसको इस अधिनियम में जीवित रखेंगे तो हम निश्चित रूप से यह मानकर चल सकते हैं कि सुनवाई करने वाले अधिकारी के पास यह प्रिविलेज होगा कि वह पीड़ित व्यक्ति को सुनने का अवसर देगा या नहीं देगा या टालेगा। इसलिये निश्चित रूप से इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए। जिस तरीके से हमने सूचना के अधिकार को और लोक सेवा की गारण्टी को हटाया है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार और अधिकारिता, इस शब्द को भी अगर संशोधनों के साथ हटा दिया जाता तो इसका दायरा व्यापक होता। सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की परेशानियों की सुनवाई होती। निश्चित रूप से आम आदमी को इस कानून के, इस अधिनियम के विधान सभा में लाये जाने का लाभ होता। लेकिन अब इस अधिनियम को आधे-अधूरे संशोधन के साथ, जो पिछली गवर्नमेंट आर्डिनेंस लेकर आई, हम लाएंगे और इसमें यह क्लाज जिन्दा रहेगा कि किसी न्यायालय की अधिकारिता, यह तो समझ में आता है कि किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो उसमें न हाउस में चर्चा होगी, न किसी बोर्ड के सामने उसकी सुनवाई होगी। लेकिन अधिकारिता का संदर्भ? माननीय सभापति महोदय, अधिकारिता तो न्यायालय की सार्वभौमिक है। किसी भी प्रकार के लीगल, इल्लीगल मैटर्स होंगे, व्यक्ति का यह स्वैच्छिक अधिकार है कि वह न्यायालय में ले जा सकता है। आप न्यायालय की अधिकारिता को किस सीमा -दायरे में बांध रहे हैं? किस सब्जैक्ट की सीमा दायरे में बांध रहे हैं? कौन-कौन सा सब्जैक्ट न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आता, यह परिभाषित करने का भी एक बहुत बड़ा सब्जैक्ट है। हर मामला जिस पर व्यक्ति पीड़ित है, वह निश्चित रूप से किसी न किसी न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। किसी न किसी अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब वह आता है और सुनवाई करने वाले अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है, वह मामले को लम्बित करना चाहता है, उसको सुनना नहीं चाहता तो इस क्लाज को आधार बनाकर कि जो सम्बन्धित मामले को लेकर पीड़ित मेरे पास सुनवाई के लिये आया है, यह न्यायालय की अधिकारिता का मामला है, किसी प्राधिकरण की अधिकारिता को का मामला है, निश्चित रूप से उसकी सुनवाई के अधिकार का हनन किया जा सकता है। हमारी मंशा थी, हम इस कानून के तहत सुनवाई के क्षेत्र के अधिकार के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। आम आदमी सुनाने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो, उसका क्षेत्राधिकार बढ़े, यह सरकार की मंशा है। लेकिन उसका एक क्लाज मात्र, एक लाइन मात्र, कि वह ऐसा मामला जो किसी न्यायालय के अधिकारिता में आता हो। माननीय सभापति महोदय, कोई ऐसा मामला बता दो जो किसी न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता हो। जो परिवाद से सम्बन्धित हो और किसी न्यायालय की क्षेत्र में नहीं आता हो। तो यह एक बहुत बड़ा संशय पैदा करेगा। क्या हमारी लोक सुनवाई का दायरा बढ़ाने की मंशा है लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, इस प्रकार की मंशा है? उसके बावजूद भी हम एक छोटे-से क्लाज को न हटाकर उस सुनवाई करने वाले अधिकारी को इतना बड़ा प्रिविलेज दे रहे हैं कि वह एक जरा-सी नोटिंग

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में कि उक्त परिवाद न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आता है, इसमें व्यक्ति न्यायालय में भी जाकर राहत प्राप्त कर सकता है, निश्चित रूप से हमारे कानून में जो लोगों को राहत देने की मंशा है, उस पर पानी फेर सकता है। इसलिये इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को संशोधित करने का जो विधेयक लाया गया है, उसमें सिर्फ एक छोटी-सी बात है। जो संशोधन लाये हैं, वह अच्छा लाये हैं। परिवादी किसी भी लोक सेवक के पास में परिवाद को लेकर जाता है, सुनने का अधिकार है, उसको कहने का अधिकार है। लेकिन इसमें लिखा है कि एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक को स्थानान्तरित कर देता है। इसमें देखा गया है, मतलब अपने सिर से टालना। यह समय-सीमा है कि चार दिन में इसका निस्तारण किया जाए। लेकिन अपने से बला निकालने के लिये दूसरे को भेज दिया, इसके लिये क्या करेंगे, यह इस बात में क्लीयर नहीं है। यह इसमें कहीं न कहीं जोड़ा जाए, यही मेरा कहना है। बाकी, मैं इस संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी। जनमत जानने के लिये वे ही सदस्य बोल सकते हैं, माननीय सदस्य, जिन्होंने संशोधन दिया है। आप विराजें, आपका संशोधन नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा अमैण्डमेंट क्लाजेज में है।

श्री सभापति: तो उसमें आएंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उस पर तो आएंगे। पर यह जो जनरल बात है, वह पहले ही कह दी जाए तो...

श्री सभापति: नहीं, पहले नहीं। आप उस समय कहें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अच्छा, ठीक है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक अगस्त, 2012 में हमने 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार' अधिनियम इस सदन में पास किया था। इस सदन में जब इसकी चर्चा हुई थी तब कुछ विषय खड़े हुए थे। उन विषयों में जो माननीय सदस्यों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ने अभी कहा है, वे विषय थे। उनको ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार का संशोधन इसमें समाहित किया है। बिल के आगे वाले में हमने दे रखा है कि पहले क्या प्रावधान था। यह है आपका 2012 का सैक्शन दो-परिभाषा – '(क) 'परिवाद' से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के सम्बन्ध में, या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से उद्‌भूत किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से सम्बन्धित, या किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकरिता हो' ... यहां जो दो पहले थे, पहला था सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) के अधीन और, दूसरा 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी' अधिनियम, 2011, (2011 का अधिनियम संख्या 23) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से सम्बन्धित शिकायत सम्मिलित नहीं थी। पहले वाला जो एक्ट हमने पास किया था, उसमें ये दोनों समाहित नहीं थे। इनके अन्तर्गत जो मामले थे, लोक सेवा गारण्टी नियम के तहत कोई पूछताछ नहीं कर सकता था। इस समय जो अमैण्डमेंट लाये हैं, इन दोनों को हटाने का ही काम किया है। अगर इसको आपने पढ़ा हो तो इसमें ... सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से सम्बन्धित या किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता', इन दोनों बातों को छोड़ते हुए, 'अधिकारिता हो या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अपील से सम्बन्धित कोई शिकायत मिले...'' केवल इस समय पैंडिंग कोर्ट में कोई केस है, उसको छोड़ करके ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, जिनको हमने पहले समाहित नहीं किया था, उनके बारे में नहीं सुन सकते थे। यह विषय इस विधान सभा में उठा था कि उनको आपने क्यों छोड़ा। उनके बारे में भी यदि कोई सूचना के अधिकार के तहत सूचना लेना चाहे तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ले सकता है। इस बात को ही ध्यान में रख करके इस प्रोविजन को हटाने का काम किया। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने इसमें कोई न्यायालय की अवहेलना की, नहीं, ये जो दोनों प्रोविजन थे, लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, इसको हमने इसमें से हटाया है। आज इसके तहत इसमें कोई रोक नहीं है किसी सूचना के अधिकार को मांगने के लिये। फिर इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जो भारत विकास केन्द्र बने हैं उनमें भी बहुत डिटेल किया है। अबकी बार अप्रैल, 2013 में, जितनी भी भारत विकास की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें जब भी पंचायत की कोरम होती है तो उस कोरम के दिन पर वहां पर सुनवाई होती है। प्रत्येक शुक्रवार के दिन बी.डी.ओ. हैडक्वार्टर है वहां पर सुनवाई होती है। जिला कलक्टर के यहां पर प्रत्येक शुक्रवार को उसकी सुनवाई होती है। पहले एक बार पिछली विधान सभा में उठा था कि इसकी समय सीमा तो तय कोई है ही नहीं, तो समय सीमा को भी इसमें हमने जोड़ा है। The Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011, हमने 153 सेवाएं इसमें समाहित की थीं, 18 डिपार्टमेंट की। उनकी सूचनाओं को लेने का अधिकार भी इसमें समाहित किया है। हो सकता है, माननीय सदस्य, इसके बाद भी कुछ चीज ऐसी रह गई हो जिसकी सूचना समाहित न हो, तो समय पर अगर ध्यान में आएगा तो निश्चित रूप से, केवल न्यायिक प्रकरण को छोड़कर, बाकी सबकी सूचना लेने का अधिकार उस सर्व सामान्य व्यक्ति को है, उस पर अब किसी प्रकार की रोक नहीं है। सिम्पल कागज पर भी वह अगर अपनी दरख्वास्त लिखकर देगा तो उसे 21 दिन के अन्दर उसको सुनवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद भी वह असंतुष्ट है तो पहली अपील में वह जाएगा। पहली अपील का भी निश्चित कर रखा है कि 21 दिन में उसको अपील का फैसला करना पड़ेगा। उससे भी अगर संतुष्ट नहीं होगा तो सैकण्ड अपील में जा सकता है। सैकण्ड अपील में जाएगा और फर्स्ट अपील में अगर अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई कमी-खामी रखी है तो व्यक्तिगत रूप से 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक उसके ऊपर दंड करने का अधिकार भी इसमें समाहित है। तो यह प्रयास तो किया है कि सूचना के अधिकार के तहत सामान्य नागरिक अगर किसी भी विषय में जानकारी लेना चाहे तो वह सारे सरकारी रिकार्ड की जानकारी ले सकता है।

श्री सभापति: समय बढ़ाइए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): काहे का हां?

श्री सभापति: दुबारा पूछ लेता हूं। आपको 'हां' कहने की आदत है तो दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार(संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, अभी खण्ड-2 में मेरा एक जो संशोधन है उसको मैं सदन के समक्ष मूव करता हूं। अभी माननीय मंत्रीजी ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 के द्वारा इसके स्कोप में अपन वृद्धि कर रहे हैं, उस बारे में काफी कुछ कहा है।

मैं, माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाने जो पुरानी परिभाषा सर्कुलेट हुई है, उसके नीचे की तीन लाइनें पढ़ता हूं- 'किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से सम्बन्धित, या किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो', ऐसे प्रसंग सुनवाई के अधिकार में नहीं आएंगे। माननीय मंत्रीजी, इसमें है, 'जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो', उससे आगे चलें, 'या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन किसी मामले या राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से सम्बन्धित शिकायत सम्मिलित नहीं है।'

यह जो मूल प्रावधान था 2(क) में, अब 2 (क) का जो संशोधित रूप है, मैं उसको देख रहा हूं तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अपन ने यह कहा हो कि नहीं, अब यह सम्मिलित हो गया। कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन किसी मामले या राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 के अधीन पहले जैसे प्रतिबंधित था, 'के अधीन अधिसूचित सेवाओं से सम्बन्धित शिकायत सम्मिलित नहीं है।' आज भी स्पष्ट नहीं है कि यह सम्मिलित है या नहीं है। अब अपन ने आगे जो संशोधन किया है वह यह है, 'या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अपील से सम्बन्धित, कोई शिकायत सम्मिलित नहीं है।'

मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि The Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act आया 2011 में।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

देश में सूचना का अधिकार आया 2005 में। इनके भिन्न-भिन्न प्रावधान हैं, इनके भिन्न-भिन्न प्रावधान जो हैं उनमें अपील का समय अलग-अलग निर्धारित है, माननीय मंत्री महोदय। जब इनमें अपील का प्रावधान है तो मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि तीनों ही एक्ट में, इन्फार्मेशन एक्ट की धारा-18 में सी.पी.सी. के प्रावधान लागू हैं और सी.पी.सी. के प्रावधान वे, किसी डाक्यूमेंट को मंगवाने, सर्च करने और उसमें दस्तावेज मंगवाने और शहादत लेने का जो अधिकार है, वह पावर सूचना के अधिकार अधिनियम में है। वही पावर धारा 6(6) में सुनवाई के अधिकार में यहां पर है और गारंटेड सर्विसेज में वह धारा 7(8) में है। जहां पर सी.पी.सी. के प्रावधान हैं, माननीय मंत्री महोदय, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह क्वासी जुडीशियल आथोरिटी है, उसकी साइटेशन मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ए.आई.आर. 99, सुप्रीम कोर्ट, पेज-1786, उसका जो रेलेवेंट पोर्शन है, मैं पढ़ देता हूं, "….quasi-judicial function stands between the judicial and administrative function. A quasi-judicial is required to act according to rules by the authority which acts administratively and is dictated by policy and expediency, power to summon witness and force their attendance, examine them on oath, discovery and production of documents indicate quasi-judicial function."

तीनों एक्ट्स में क्वासी जुडीशियल फंक्शंस हैं और उनकी अलग-अलग धाराएं हैं, माननीय मंत्री महोदय।

(16.57 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

आपने अभी जो संशोधन प्रस्तावित किया है, उसमें पहले तो न्यायालय या अधिकरण को अधिकारिता हो, वहां पर ही प्रतिबंधित था। अब,- 'या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अपील से सम्बन्धित, कोई शिकायत सम्मिलित नहीं है।' जब अपील से सम्बन्धित शिकायत सम्मिलित नहीं है तो आप इन सुनवाई केन्द्रों पर उनकी दरख्वास्तें लेकर क्या करेंगे? वहां पर भी अपील है- इन्फार्मेशन एक्ट में अपील है, गारंटेड सर्विसेज के एक्ट में अपील है और अपील से सम्बन्धित प्रावधान क्वासी जुडीशियल फंक्शन है तो मेरा निवेदन यह है कि न तो इसमें सूचना का अधिकार सम्मिलित हो रहा है और न इसमें सीमित समय में जन सुनवाई का अधिकार एक्ट, 2011 सम्मिलित हो रहा है। जैसे ही आपने क्वासी जुडीशियल आथोरिटी के लिए लिख दिया न कि उसकी अपील, यहां की कोई सुनवाई नहीं होगी, वह भी प्रतिबंधित है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तो मैं निवेदन यह करता हूं या तो आप साफ लिखें इसमें कि सुनवाई के अधिकार और लोक सेवाओं के सुनवाई के अधिकार भी इसमें सम्मिलित हैं। अपन ने यह जानबूझकर ही नहीं लिखा है क्योंकि अपील से सम्बन्धित कोई प्रकरण यहां आ नहीं सकता है सुनवाई के अधिकार में। माननीय मंत्रीजी, जो यह सुनवाई का अधिकार है, मैं अर्ज करूंगा कि उसमें जो 18 विभाग आपने बताये हैं, उन 18 विभागों के अलग-अलग, राजस्व विभाग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बारे में लिखा है, और 18 विभागों की जो सूची है वह बहुत एग्जास्टिव है। पर राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार तो इस बात में सीमित है कि यदि किसी स्कीम से, या किसी योजना से किसी व्यक्ति को कोई लाभ होना था, चाहे नरेगा से होना था, चाहे अन्य किसी योजना से होना था, और उस लाभ से उसको वंचित किया गया है, या उसके तहत वह लाभ लेना चाहता है तो हमारा यह कानून बहुत स्पष्ट है नीति, कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिये। मुख्य बात तो यह है- पालिसी, कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिये, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के सम्बन्ध में, या किसी लोक-प्राधिकारी के कृत्यकरण या फंक्शनिंग के सम्बन्ध में, फंक्शनिंग में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, आदेश या कार्यक्रम, या स्कीम के अतिक्रमण से उदभूत किसी मामले के सम्बन्ध में।

मेरा निवेदन यह है कि अपने सुनवाई का अधिकार अधिनियम का जो स्कोप है, वह स्कोप लिमिटेड है और सब वही प्रार्थना पत्र आएंगे जो किसी नीति, कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिये है। इसलिये इसके तहत अब सुनवाई के अपन अलग-अलग सेंटर्स बना रहे हैं, उनमें इन्फोर्मेशन सूचना के अधिकार के कानून के तहत आप ले भी लेंगे तो जहां 60 दिन में अपील करनी है और आपने 60वें दिन ले ली, और 10 दिन लगी अपील को पहुंचने में, चाहे हम लिख दें कि यह इतने दिन बाद होंगे वहां कागज पहुंचने में, लेकिन यह इतना ढेर सारा काम होगा आपकी सुनवाई के अधिकार में। यह लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी का मैटर है, जहां अपीलें पैंडिंग हैं, वहां आप लेकर करेंगे क्या? और वह प्रतिबन्धित भी है नये संशोधन से। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारा जो उद्देश्य है कि सूचना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

के अधिकार और लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम की दरख्वास्तें भी हमारे ये सेवा केन्द्र ले लेंगे, वह बात किसी भी प्रकार से न तो व्यावहारिक है, और न कानून सम्मत है। जिनको जाना है लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी में, उनको वहीं जाना पड़ेगा और जिनको जाना है सूचना के अधिकार में, उनके लिये फोरम बने हुए हैं। 25-25 हजार की पैनल्टी रोज सूचना के अधिकार में लगाई जा रही है और सुनवाई के अधिकार में तो 500 से 5000 की पैनल्टी है। मेरा निवेदन है कि वह दोनों एक्ट को मूल रूप से सही रूप से ही प्रतिबन्धित किया गया था कि वे इसमें नहीं आएंगे और क्योंकि उनके फोरम अलग हैं। वे अपने-अपने फोरम में जाएं और अपने फोरम में बात करें। मैं हालांकि यह मूव कर रहा हूं कि यह पोर्शन डिलीट कर दिया जाए, 'क्या किसी न्यायिककल्प...', यह पहले नहीं था माननीय मंत्री महोदय, ''...क्या किसी न्यायिककल्प प्राधिकारी के समक्ष लम्बित किसी अपील से सम्बन्धित...'' मेरा संशोधन है कि इस हद तक इसको आप डिलीट करेंगे तो सूचना के अधिकार और लोक सेवाओं की गारण्टी के अधिकार का कानून तो इसमें आएगा, अन्यथा वह नहीं आ पाएगा। इतना ही निवेदन करके मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात को कहा, मैंने स्पष्ट किया था कि पहले 2012 में हम जो एक्ट लाये थे, उसमें 2005 के कारण से भी प्रतिबन्ध था और 2011 का जो एक्ट था, उसके तहत भी प्रतिबन्ध था। अब इसको समाप्त कर दिया। अब न 2005 की रोक इस पर रहेगी, न 2011 की रहेगी। वह इसके बाहर भी अपने केस को दे सकता है, अपने सूचना के अधिकार ले सकता है। फिर जो समय सीमा थी कि इस समय सीमा के बाहर हुआ तो केस उससे आउट है, उसको भी समाप्त कर दिया। सूचना के अधिकार के तहत अपनी फर्स्ट अपील, अगर मान लो किसी ने दो साल पहले की हो और उसकी फर्स्ट अपील नहीं हो पाई किसी कारण से, तो आज भी वह फर्स्ट अपील करने के लिये अधिकृत है। इन बातों को ही ध्यान में रखकर यह अमैंडमेंट लाये थे जिसके कारण से किसी को यह न रहे कि मेरा समय निकल गया, मैं फर्स्ट अपील नहीं कर सका। फर्स्ट अपील की यह पाबन्दी थी। जहां तक फर्स्ट अपील और सैकण्ड अपील का प्रोविजन है, उसमें वैसे जुडीशियली ही है। यह अपील का जो प्रोसेस है, यह जो काम है, वह एक तरह से न्यायालय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के रूप में ही है और इसके कारण से इसकी तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे सेवारत कर्मचारी या ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसका कोई केस किसी कोर्ट में आज की तारीख में पैंडिंग चल रहा है, या उसकी हियरिंग चल रही है, उसको सूचना के तहत हम कवर नहीं कर पाएंगे। बाकी सब प्रकार की सूचना जैसी भी चाहें सरकार के काम-काज के बारे में, वह हमको लेने का पूरा अधिकार है। ये दो प्रोविजन जो हमको 2005 और 2011 से रोक रहे थे जिसके कारण से उन केसेज की सूचना नहीं ले सकते थे, अब हमने इसको हटा दिया, ताकि इनसे सम्बन्धित जो प्रकरण है, सूचना के अधिकार के तहत अपन सूचना मांग सकते हैं और किसी कारण से अपील समय पर नहीं हुई, टाइम बार्ड हो गयी तो भी उसको अपील करने का अधिकार इसमें दिया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री मानिक चन्दजी सुराना, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

श्री गुलाबचन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2014

आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2014, श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सब एक साथ ही करा लो न। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह पेश तो एक कर देंगे, बहस सब पर हो जाएगी। फिर एक प्रकृति के हैं, तो उनको पारित कर देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (अनुपस्थित) । श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 से 48, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये जाएं?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 48 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गईं।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के बिल एक-एक करके हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको पारित कर रहे हैं। इस सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। अगर राजस्थान में उच्च शिक्षा के बारे में हम देखें तो 66 वर्षो में हम सिर्फ 144 सरकारी कालेज बना पाये। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने प्राइवेट कालेज और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने का एक बिल पारित किया था जिसके कारण से आज दो हजार प्राइवेट कालेज हमारे हैं। अगर आज वे प्राइवेट कालेज नहीं होते तो राजस्थान में पढ़ाई की क्या स्थिति होती, राजस्थान के बच्चे कहां पर पढ़ते होते? आज राजस्थान का अपन अन्दाज करते हैं तो उच्च शिक्षा का 90 प्रतिशत काम प्राइवेट सैक्टर में है। सरकार केवल 10 परसेंट में काम करती है। 10 परसेंट काम भी सरकार की बहुत बड़ी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कमी है, उसमें तो मैं नहीं जाता हूं। सभापति महोदय, जो प्राइवेट बिल आने लगे हैं इसका भी एक इतिहास है। छत्तीसगढ़ में अजीत जी जोगी जब मुख्य मंत्री थे, 110 विश्वविद्यालय एक साथ खोल दिये गये। प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज करते हुए तीन बातें बतायीं कि इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय खोल सकता है, व्यक्ति नहीं, एक। नम्बर दो, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए इतनी सारी फैकल्टीज होनी चाहिए, ये संसाधन होने चाहिए। वह सारा काम उन्होंने किया। वह बिल आया। उसका इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि इन बिलों को पारित करने के बजाय केवल एक बिल पारित करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमने एक पूरा बिल बना कर यहां पारित किया था। बिल एक बार पारित हो गया उसके बाद में केवल अनुसूची में जो विश्वविद्यालय बनेगा, वह जुड़ जाएगा। वह बिल राजस्थान की विधान सभा से पारित होकर चला गया। उस बिल को राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर बैंच में चुनौती दी गई और ढाई साल तक वह पैण्डिंग रहा। ढाई साल के बाद में सरकार के पक्ष में उसका फैसला हुआ। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गये। सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख ही नहीं पड़ी तो मजबूर होकर सरकार को एक-एक करके विश्वविद्यालयों के बिल लाने पड़े और वे शुरू किये गये। बिल लाये तब उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद में एक कोडिफाइड कानून हम इसके लिए बना देंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, आज इतने सारे विश्वविद्यालय हमारे बन गये हैं, एक संयुक्त विश्वविद्यालय का बिल हम किसी न किसी समय हम यहां पर लेकर आएं ताकि राजस्थान की विधान सभा बार-बार इन बिलों पर ही चर्चा नहीं करती रहे। एक आदमी रहेगा, एक करोड़ रुपया एनरोलमेंट का फण्ड जमा करवाएगा, थोड़ी-सी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करेगा, लेकिन उसके लिए हमको विधान सभा में बैठ कर बिल पारित करना पड़ेगा। अब जबकि न्यायपालिका से क्लीयर हो चुका है, सरकार इस प्रकार का एक बिल लेकर आए जिस बिल के आधार पर हम यह काम कर सकें और उसके बाद उसमें जुड़ जाए।

सभापति महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा। पिछले पांच सालों में उच्च शिक्षा की हमारी इतनी दुर्गति हुई है, उसकी ओर आप ध्यान केन्द्रित करें। एक भी सरकारी महाविद्यालय की राजस्थान में ए प्लस की ग्रेडिंग नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। दुनिया की 226 यूनिवर्सिटीज में हिन्दुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। केवल 227 नम्बर पर पंजाब के एक विश्वविद्यालय का नाम है। सिर्फ 97 महाविद्यालय ही ऐसे हैं जिनकी नैट की ग्रेडिंग है, बाकी 47 सरकारी विश्वविद्यालय तो नैट के ग्रेडिंग सिस्टम में ही नहीं हैं। अधिकांश राजकीय महाविद्यालय बी और सी श्रेणी की ग्रेडिंग में हैं। जयपुर के जो प्राइवेट कालेज हैं, केवल वे ही ए श्रेणी की ग्रेडिंग में आते हैं। हमारी सरकारों के ये हालचाल हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि धीरे-धीरे करके हमारी उच्च शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप उच्च शिक्षा के स्तर के बारे में सोचें। बार-बार बोलने की बजाय मूल रूप में इतनी बात करके खतम करना चाहूंगा कि हम तीन विश्वविद्यालयों का नाम परिवर्तन का बिल लेकर आये, वह बहुत बड़े सोचने की बात है। महाराजा सूरजमलजी ने जो बड़ा काम किया था, उनके नाम से विश्वविद्यालय का जो नाम कर रहे हैं, वह उनकी एक थाती है और थाती को सुरक्षित करने का काम हम कर रहे हैं। एक हम अलवर में भर्तृहरि विश्वविद्यालय का नाम कर रहे हैं। राजऋषि भतृहरिजी के बारे में आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि सात आदमी अमर थे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च, विभीषणः, कृपः, परशुरामस्य सप्तई ते चिरजीवी। ये सात चिरंजीव थे, लेकिन इस कलियुग में केवल एक मात्र गोरखनाथजी की कृपा से भर्तृहरि आठवें अमर व्यक्ति हुए। हमारे शास्त्र मानते हैं कि वह आठवें अमर हैं। एक व्यक्ति जो अपने काम-काज से अमर हो गया और जिसका पूजा का स्थल वहां पर है, हम वहां पर भर्तृहरिजी के नाम से कर रहे हैं। यह समझने की बात है इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

तीसरा, शेखावाटी विश्वविद्यालय का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के नाम से कर रहे हैं। यह हम केवल इसलिए ही नहीं कर रहे हैं कि वे जनसंघ के स्थापक सदस्यों में से थे, हमारे महामंत्री थे। उनका अगर चिन्तन करें तो एक बिलकुल सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुए होकर, उनके मां-बाप चले गये थे। मामा धानक्या में रेलवे में काम करते थे, उन्होंने उनको पाला पोसा। सीकर के एस के कालेज में उन्होंने पढ़ाई की। उनके साथ पढ़ाई करने वाले मोहम्मद साहब मुझे बता रहे हैं कि वह इतने गरीब थे कि उनके पास सर्दी के लिए कपड़े नहीं थे, तो वे रात को जब पढ़ते थे तो रज़ाई को ढक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर उसमें लालटेन रख कर पढ़ते थे। ऐसी पढ़ाई करके उन्होंने इण्टर की क्लास में हिन्दुस्तान भर में पांच विषयों में गोल्ड मैडल प्राप्त किया, सीकर में रह कर। इसलिए शेखावाटी में उनके नाम से पं. दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय करने का आपने पहले भी तय किया था और आज कर रहे हैं। वे दीनदयालजी, भारत के राजनैतिक इतिहास में दो विचारधाराएं थीं जिनमें सारा राष्ट्र बंट रहा था, एक जा रहे थे पूंजीवाद की ओर और एक साम्यवाद की ओर, उसके बीच उन्होंने एक चिन्तन दिया, भारत का मूल चिन्तन, एकात्म मानववाद। उस एकात्म मानवतावाद के आधार पर भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का पौधा बढ़ा। मैं समझता हूं, पंडित दीनदयालजी उपाध्याय हो, डाक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चौधरी चरण सिंहजी हों, कांग्रेस के भी सब वरिष्ठ नेतागण हैं, वे पार्टियों से बंधे हुए नेता नहीं हैं। उन लोगों ने एक पीरियड में बहुत बड़ा काम करके राजनैतिक ढांचे को खड़ा किया और इसलिये उनके नाम से इन विश्वविद्यालयों का नाम करना समीचीन होगा।

ऐसे अवसर पर, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को उच्च शिक्षा के बारे में बहुत बड़ा ध्यान करना पड़ेगा। आज उच्च शिक्षा में जो हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है, यह देखना पड़ेगा। अब कुलपति का तो, सभापति महोदय, ऐसा हो गया- कुलपति का मतलब क्या था और कुलपति नियुक्ति कौन होने चाहिये। सरकार देखे कि किस-किस प्रकार के लोग कुलपति हो गये। वैसे कुलपति सब विदेश से नहीं आये हैं। कुलपति के पहले शब्द का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम् में आता है। कालिदासजी ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम् लिखा है दुष्यन्त और शकुंतला का, उसमें वर्णन आता है कण्व ऋषि का। उस नाटक में आता है कि कण्व ऋषि कुलपति थे। मनु स्मृति में कुलपति के लिये लिखा है कि जो व्यक्ति जंगल में दस हजार विद्यार्थियों को अपने आवासीय विद्यालय में रखकर उनका लालन-पालन और पढ़ाई कराए, वह कुलपति के पद पर होगा। अब यहां तो एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, कुलपति और कुलाधिपति के नामों से हम उनको अलकृंत कर रहे हैं। इसलिये कुछ नामों के बारे में, कुछ धारणाओं के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में हम सोचें, योग: कर्मसुकौशलम् के सिद्धान्त को। हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी बहुत समझदार हैं और, मैं समझता हूं वह पहले भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपका स्वागत योग्य बिल है। लेकिन विश्वविद्यालयों के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बारे में आप विचार करें कि एक ही विधि बना लें तो बार-बार हम को यह बिल लाकर नहीं करना पड़े।

मैंने आपसे एक विनीत आग्रह किया था कि जो हम लोगों ने बातें की थीं उन बातों को आज, कल कभी भी हम लागू करें ताकि जनता में एक इस प्रकार की इमेज जाए कि हम जो कुछ कहते हैं वो करते हैं, केवल राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम काम नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, हम निजी विश्वविद्यालयों का हर सत्र में पारण कर रहे हैं। अभी छह-सात दिन पहले एक दैनिक में छपा कि अजमेर का विश्वविद्यालय बने हुए आठ वर्ष हो गये, अभी भी भवन नहीं बना लेकिन विश्वविद्यालय चल रहा है। ऐसे विश्वविद्यालय राजस्थान में क्या संदेश दे पाएंगे? अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा स्तर गिरा है, जब खुद के भवन नहीं हैं। हमारा उद्देश्य तो निजी इन्वैस्टमेंट को लाने के पीछे भी यही था कि शिक्षा में हम कमजोर हैं। हालांकि कमजोर नहीं हैं, 2003 से 2008 के बीच में जो राष्ट्रीय लेवल था, उससे आगे राजस्थान निकल गया उच्च शिक्षा में। उसके लिए यहां बैठे हुए सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और मालवीय नगर से आने वाले पहले मंत्री रहे, लेकिन जो स्तर का मामला है, प्राइवेट सैक्टर के कारण से ज्यादा गिरा है।

आज जिस प्रकार के विश्वविद्यालय ला रहे हैं, विश्वविद्यालय तो एक आदर्श देने का विषय था, लेकिन प्रेसिडेंट, छात्रसंघ का प्रेसिडेंट भी होगा और विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट भी होगा, ऐसी शब्दावली का हम उपयोग कर रहे हैं। वो तीन साल के लिए होगा, पुन: तीन साल के उसके लिए छूट है, और जगह छूट नहीं। इसी प्रकार के प्रावधान हम निजी क्षेत्र को दे रहे हैं। निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ मापदण्ड तय करने चाहिए। उलटा मापदण्ड नहीं, सारे मापदण्ड प्राइवेट सैक्टर के लिए समाप्त कर दिये गये।

गवर्नमेंट के जितने विश्वविद्यालय होंगे, एम.एल.एज. भी होंगे, कुछ शिक्षाविद् भी होंगे जिनको सरकार नियुक्त करेगी, लेकिन यहां तो कोई नहीं होगा। सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए चार-चार हमारे सैक्रेटरीज या उनके नोमिनी होंगे, ऐसा प्रावधान पिछले सत्र में हमने किया है, लेकिन निजी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

विश्वविद्यालय में हमने एक भी प्रावधान नहीं किया कि कोई सरकारी नियंत्रण होगा। केवल इस कारण से कि स्व:वित्त पोषित हैं, इसलिए सारी छूट दे देंगे, मुझे शिक्षा के फ्यूचर के हिसाब से सही नहीं लगता कि हर प्रकार से हम स्वायत्तता दे दें। केवल पैसा खुद का लगा रहे हैं, इस कारण से दे दें? उनके परिणाम का मूल्यांकन करने वाली कोई संस्था भी होनी चाहिए कि हमने इनको दिया है, कई विश्वविद्यालयों को सस्ती दर पर जमीन भी दी है, और भी सुविधाओं का वो उपयोग कर रहे हैं, जो सैटअप है उसका भी वो उपयोग कर रहे हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय का कर रहे हैं, फिर इस प्रकार पूरी तरह उनको मुक्त करना। उसका विधेयक हम पास करें। इस सदन का कोई नियंत्रण नहीं, इस सदन के द्वारा संचालित कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं और फिर हम विश्वविद्यालयों की स्थापना करते चले जाएं। चेयरपर्सन, यह कौनसी शब्दावली है? चेयरपर्सन प्रेसिडेंट की नियुक्ति करेगा और दूसरा एक सहायक प्रेसिडेंट भी होगा। वो कितने समय के लिए होगा, कैसे होगा? 70 साल की उम्र होगी। एक तरह से यह घरेलू दुकानें बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अभी जिस पर विचार किया जा रहा है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना में नाम भी हमने शार्ट में किया है, पूरा नाम भी नहीं दिया है- पांच-छह अक्षर हैं जिनको शार्ट करके नाम दे दिया गया। आखिर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का एक स्टैन्डर्ड था। यहीं की बात है, इस सदन के नेता स्वर्गीय मोहन लालजी सुखाड़िया ने जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने की इच्छा जाहिर की, सैक्रेटरी ने फोन किया। उसके बाद में दोबारा आदमी भेजा वहां सैक्रेटरी ने कि, नहीं, सुखाड़ियाजी खुद ही आ रहे हैं। आज हम दुकानों की तरह चाहे जिस को स्वीकृति देते जा रहें हैं, चाहे जैसे एक्ट पास करते जा रहे हैं। यह तो इसी राजस्थान का विषय है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने के लिए सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे, वो गये थे। यह रिकार्ड की बात है।

किस-किस प्रकार की स्थिति शिक्षा में चल रही है? इस कारण से उच्च शिक्षा में हम राष्ट्रीय लेवल से आगे निकल गये। राष्ट्रीय लेवल तो पिछले दशक में 84 हजार जनसंख्या पर एक कालेज था, हम तो 47 पर ले आये। मैं बधाई दूंगा चूरू और झुन्झुनूं के लोगों को कि वो तो 23 हजार पर ले आये, कभी यहां एक भी शब्द नहीं कहा गया। उच्च शिक्षा को प्राइवेट सैक्टर और

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

आदर्शवादी संस्थाओं के माध्यम से इतना ऊपर ले गये कि इंडिया में कहीं भी नहीं है कोई जिला जहां 23 हजार की आबादी पर एक कालेज हो। यहां है झुन्झुनूं, सीकर में। उसको पांच साल तक तो हमने ओ.एस.डी. बनाये रखा, तनख्वाह देते रहे, विश्वविद्यालय था ही नहीं और अब भी हम उनके साथ वो कर रहे हैं।

जयपुर में महारानी कालेज, महाराजा कालेज, कामर्स कालेज ये तो कांस्टीट्युएंट कालेज होंगे लेकिन सीकर के कालेज कांस्टीट्युएंट कालेज नहीं होंगे, अजमेर के कालेज कांस्टीट्युएंट कालेज नहीं होंगे, बीकानेर के कालेज कांस्टीट्युएंट कालेज नहीं होंगे। कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर? वो डिग्री कालेज चलाएंगे नहीं, विश्वविद्यालय का नियंत्रण में होगा नहीं और वो वैसे ही चलता रहेगा।

मैंने पिछली बार भी एक बार तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया था कि तीस एकड़ जमीन की बात करते हो, भरतपुर के अकेले कालेज में तीन एकड़ जमीन है, वहां दो कालेज मौजूद हैं, अलवर में तीन कालेज मौजूद हैं गवर्नमेंट के, उनको कांस्टीट्युएंट कालेज जैसे महारानी, महाराजा, कामर्स हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाया जा सकता? शिक्षा का स्तर उससे नहीं सुधरेगा? निश्चित सुधरेगा, लेकिन एक मापदण्ड तय करना पड़ेगा। हमारी दिशा तय होनी चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था कि अगर पैसे की कमी है तो माननीय सांसद, माननीय विधायक पैसे दे देंगे लेकिन आप चालू करो। भरतपुर में था, सीकर में था। सीकर के एस.के. कालेज को चेंज कर देते, वो ही पूरा कैम्पस तीस एकड़ जमीन का हो जाता। लेकिन कभी शिक्षा पर सोचा ही नहीं जाता, उच्च शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं जाता। कभी भी नहीं सोचा जाता।

मेरी प्रार्थना है कि उच्च शिक्षा को देखें, क्योंकि राजस्थान का लेवल पहले भी अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा रहा है। राजस्थान में नवलगढ़ का ऐसा कालेज था, प्राइवेट कालेज था, सारे दक्षिणी भारत को नवलगढ़ के कालेज ने प्राध्यापक और सी.ए. दिये। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में पी.जी. कालेज नहीं था तब नवलगढ़ का कालेज था। आज उसको तहस-नहस कर दिया गया। स्वैच्छिक प्राइवेट सेवा के आधार पर हमने कर दिया।

अभी मेरे कालेज में तो आश्चर्य हुआ। सरकार बदलने के बाद में मैं कालेज में गया तो 23 लोग 13 महीने से क्या कर रहे थे, जयपुर में नौकरी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कर रहे थे। किस के यहां नौकरी कर रहे थे? मैंने पूछा, उस दिन अख़बार में भी छपा। मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा, भाई, मेरी कालेज में कैसे हो सकता है। 30 दिन तक वो यहां रहते हैं, 31वें दिन जाकर दस्तखत करते हैं और फिर आकर तनख्वाह उठा लेते हैं। मैं चाहता हूं इसको रिकार्ड पर तो लो कि कौन आदमी कहां रहता है। उसी दिन पांच बजे ग्यारह लोगों ने वहां जाकर जाइन कर लिया। कहां से आ गये लोग? अख़बार में तो ऐसे छपा जैसे मैं किसी प्राध्यापक का ट्रांसफर कराने गया था।

उच्च शिक्षा ऐसे नहीं सुधरेगी। उच्च शिक्षा तब सुधरेगी जब कोई मापदण्ड, कोई दिशा हो। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा कि सबसे ज्यादा पेन उच्च शिक्षा को दें, राजस्थान का शिक्षा का माडल और शिक्षा का स्वरूप तब बढ़िया लगेगा। जिस समय सुखाड़ियाजी थे उस समय राणावत आयोग लागू हुआ, राजस्थान के प्राध्यापक को 375 का ग्रेड दिया गया, सारे देश के लोग सोचते थे। बिहार और यू.पी. में 200 का वेतन पाने वाला प्रिंसिपल गजेटेड आफिसर था, जबकि हमारा प्राध्यापक गजेटेड आफिसर था। आज हमारी स्थिति बदतर हो गयी। पांच-पांच एस.एल.पी. सुप्रीम कोर्ट में लग गयीं, सरकार हार गयी लेकिन प्राध्यापकों को कुछ देना नहीं चाहती। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये कुछ बातें ऐसी कहीं जो उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सांगानेर से आने वाले हमारे वरिष्ठ विधायक ने कुछ बातें, कुछ सुझाव रखे हैं। इन्होंने एक तो कहा कि अब कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हो गयी हैं तो एक इसका कंसोलिडेटेड बिल हो। तो मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि यू.जी.सी. की गाइडलाइन संख्या 3.1 के अनुसार प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को पृथक से अधिनियम द्वारा गठित किया जाएगा, यह कम्पलशन है।

जहां तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर गिरावट का मामला है, यह बात सही है, मैं आपसे सहमत हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले पांच साल

(श्री कालीचरण सराफ)

में जिस तरीके का अराजकता का वातावरण हमारे प्रदेश में हुआ, उसका परिणाम है कि आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर गिरावट आती जा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब पांच साल हम निश्चित रूप से उच्च शिक्षा का स्तर किस प्रकार से सुधरे, किस प्रकार से गिरावट रुके, इसके बारे में गम्भीर हैं। जिन-जिन माननीय सदस्यों की शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होगी उनसे राय लेकर, किस प्रकार से स्तर को सुधारा जा सकता है इसका हम प्रयास करेंगे।

आपने तीन विश्वविद्यालयों के बारे में बताया, बात सही है। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने अलवर, भरतपुर और शेखावाटी तीन विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया था। परन्तु क्या पता क्या राजनीतिक कारण रहे कि पिछली सरकार ने तीनों विश्वविद्यालयों की घोषणा को ठंडे बस्ते में रखा। जब चुनाव होने वाले थे उसके पहले आनन-फानन में उन्होंने तीनों विश्वविद्यालयों की घोषणा की- ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में, मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में और शेखावाटी विश्वविद्यालय शेखावाटी क्षेत्र में। उनका जो हमने नामकरण किया था, हर विश्वविद्यालय के पीछे एक महापुरुष का नाम हमने जोड़ा था। इसलिए कि उन महापुरुषों की जो महानता थी, उसको भी लोग याद करें। महाराजा सूरजमलजी को हमने ब्रज विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा था, राजऋषि भर्तृहरि को अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा था और पंडित दीनदयालजी उपाध्याय जो एक आर्थिक चिन्तक थे, जिन्होंने मूल दर्शन एकात्म मानववाद इस देश को दिया, उनके नाम को हमने शेखावाटी विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा। परन्तु राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार ने तीनों नामों को हटा कर विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की। अब पुन: भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी इसलिए हमने पुन: जो उस समय निर्णय किया था ...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आसन की तरफ देखकर बोलिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): तीनों का नाम जोड़ने का हमने तय किया है। सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने यह भी कहा जो पदों के नाम हैं। यह बात बिलकुल सही है कि प्रेसीडेंट, चेयर पर्सन इस प्रकार के नाम अभी हैं, पर चूंकि चालीस निजी विश्वविद्यालय प्रदेश में बन गये और अलग-अलग एक्ट के हिसाब से बने हैं, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं, जो चालीस से ज्यादा यूनिवर्सिटीज

(श्री कालीचरण सराफ)

बनी हैं उनके अधिनियमों में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नाम परिवर्तित करने के लिए हम विचार करेंगे और सभी माननीय सदस्यों से सुझाव लेकर अच्छे से अच्छे क्या नाम हो सकते हैं, उसका निश्चित रूप से विचार करके निर्णय लेंगे।

इसी प्रकार से हमारे चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश किस प्रकार से लगे, इसके लिए नियामक आयोग गठन करने का विचार सरकार कर रही है और निकट भविष्य में हम निश्चित रूप से नियामक आयोग का भी गठन करेंगे। विराट नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों के कारण शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि सरकार कोई-सी भी हो, सरकार के अपने वित्तीय संसाधन सीमित रहते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कल्पना थी, सात प्रतिशत जो आज उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं देश के नागरिक, उसकी जगह पन्द्रह प्रतिशत का लक्ष्य उन्होंने रखा था। उसके अनुरूप राजस्थान में पचास-साठ विश्वविद्यालय होने चाहिए और पचास-साठ विश्वविद्यालय सरकारी संसाधनों से सम्भावित नहीं हैं। इसलिए हमने निजी विश्वविद्यालयों को पिछली बार जब हमारी सरकार थी, इंट्रोड्यूस किया राजस्थान में।

जहां तक निजी विश्वविद्यालयों का मामला है, आप देख रहे होंगे, आज चाहे वनस्थली विद्यापीठ हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ का मोदी इन्स्टीट्यूट हो, चाहे बिट्स पिलानी हो, इन्होंने विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो ऐसा नहीं है कि निजी विश्वविद्यालय के कारण शिक्षा का स्तर गिरा हो। मेरा मानना है कि निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने से नये-नये सब्जैक्ट, नई-नई फैकल्टीज हमारे राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुई हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाते थे, वे आज रुक गये। हमारा यह सोच है कि एजुकेशन हब के रूप में राजस्थान का निर्माण हो और यहां बाहर के बच्चे आकर पढ़ें। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि आज राजस्थान में बाहर के बच्चे भी माइग्रेट होकर आ रहे हैं और यहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इसलिए मैं अब आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अब इस बिल को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 पारित किया गया।

बजरी खनन लीज धारकों से समझौता विषयक तारांकित प्रश्न का उत्तर जो 27 जनवरी, 2014 को दिया गया था से उत्पन्न मुद्दे पर मानिक चन्द सुराना एवं डा. किरोड़ीलाल मीणा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, हमारा भी था।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): समय देना, साहब, हमारे को भी।

आधा घंटे की चर्चा

(तारांकित प्रश्न संख्या 18 दिनांक 27 जनवरी, 2014)

बजरी खनन लीज धारकों से समझौता विषयक तारांकित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति जी, मंहगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बी जे पी ने अपने घोषणा पत्र में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना मंतव्य व्यक्त किया है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बजरी एक ऐसा आइटम है जिसकी मंहगाई आसमान पर चढ़ गयी और मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी त्राहि-त्राहि मची हुई है। हर स्तर पर मची हुई है- चाहे वह बजरी निकालने वाला है, चाहे वह ट्रैक्टर वाला है, चाहे ट्रक वाला है, चाहे वह उपभोक्ता है, हर तबका त्रस्त है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बजरी की निकासी पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। यह बजरी का गोरखधंधा माफियाओं के हाथ में चला गया। जब तक माफियाओं के हाथ से इस गोरखधंधे को आप छुड़ाओगे नहीं या नियंत्रण नहीं करोगे, तब तक इसकी त्राहि-त्राहि मची रहेगी। गरीब व्यक्ति को तो मकान बनाना सपना देखने के बराबर हो जाएगा, अगर सरकार ने समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया।

मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की रोक से पहले 400 फीट बजरी का ट्रक 2060 रुपये में जयपुर आ जाता था टोंक से। उसमें एक हजार रुपये भराई में लगता था और करीबन 1060 रुपये

(डा. किरोड़ी लाल)

रायल्टी में लगते थे। आज उसकी स्थिति, सभापतिजी, क्या हुई है? वही 400 फीट बजरी के ट्रक की भराई का 4470 रुपया लिया जा रहा है और रायल्टी ली जा रही है 530 रुपये। मंत्रीजी, रायल्टी कम हो गयी पहले की बजाय, लेकिन भराई हो गई दस गुना।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से दस चक्का के ट्रक की भराई 1200 रुपये हाई कोर्ट के स्टे से पहले और रायल्टी थी 1690 रुपये। आज दस चक्का ट्रक की भराई 7230 रुपये। 1200 थी पहले और अब हो गयी 7230 रुपये, एक तरह से सात गुना? और रायल्टी हो गयी मात्र 770, यह स्थिति है। इसमें जो रायल्टी वगैरह की रसीद दी जा रही है, मेरे पास एक ज्ञापन आया था, मैंने मंत्रीजी से भी समय लिया है कल मिलने का। टोंक, देवली से बजरी लोडिंग सप्लायर्स ट्रक आनर्स वैलफेयर एसोसिएशन देवली, टोंक की तरफ से, जिनका कहना यह है कि बजरी के पट्टेधारी द्वारा प्रति ट्रक 10,500 रुपये वसूले जाते हैं जिसमें 720 रुपया यानी कि छह परसेंट राजकोष में जमा होता है, 950 रुपये यानी कि नौ प्रतिशत भराई व रास्ता खर्चा होता है और शेष 8850 रुपये यानी कि 85 परसेंट राशि, सभापतिजी, बजरी माफियाओं की जेब में जा रही है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

मैं रसीद तो ढेर सारी लेकर आया हूं लेकिन दो तरह की रसीदें दी जा रही हैं, सभापति महोदय। एक रसीद तो रायल्टी की है ट्रक की। ट्रक का नम्बर भी इसमें है। ट्रक का नम्बर है आर जे 29 जी ए 1779, रसीद है 09/01/2014 की। रायल्टी की राशि है 650 । और दूसरी इस पर तो खान विभाग की सील भी है। मंत्रीजी, इस पर तो खान विभाग की सील भी है। इस पर तो कुछ भी नहीं है। एक सफेद कागज है जिस पर लिखा है मंजीत चावला और यह भराई के नाम पर ले रहा है 6 हजार। ये जो रसीदें हैं, सभापति महोदय, किसी में 6 हजार, किसी में 7 हजार, किसी में 58 सौ, किसी में 8 हजार। एक रसीद मैं और आपको बताऊंगा, यह सवाई माधोपुर की है। यह मैंने टोंक की बतायी। इसमें ट्रक की भराई 8,230 रुपये, रसीद लेकर आया हूं और रायल्टी है 770 रुपये। तो यह जो ट्रक की भराई है इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जंचे जो ले रहे हैं ट्रक वालों से, ट्रैक्टर वालों से। लुटाई हो रही है जनता की। सत्ताधारी दल के हमारे टोंक के विधायक यहां हैं कि नहीं मेहताजी? वह खुद जब उनको शिकायतें मिलीं तो नदी को देखने गये। नदी का पूरा स्वरूप बिगड़ गया। मैं भी देखकर आया हूं। मैंने सवाई माधोपुर की देखी।

(डा. किरोड़ी लाल)

यह टोंक का देखकर आये थे। अगर कभी बरसात ज्यादा आ गयी तो नदी अपना रास्ता भी मोड़ सकती है। टोंक की सारी ट्यूबवैल्स सूख गयीं जो ड्रिंकिंग वाटर की थीं। पर्यावरण के नाम से पैसा लेते हैं 5 रुपये पर रायल्टी, पर पर्यावरण के नाम से कोई काम नहीं। यह सत्ताधारी दल के विधायक का बयान है, आप चाहो तो मैं पढ़कर बता दूं। रसीदें दो तरह की हैं।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, क्या सरकार बजरी खनन लीज पर दे रही है उसको फीट के हिसाब से देना चाहेगी? दूसरा, भराई तय कर रायल्टी लेगी और क्या सरकार का भराई पर नियंत्रण होगा? आखिर ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है? खान विभाग के नियम के अनुसार प्रति टन रायल्टी है 25 रुपये और पर्यावरण की फीस है 5 रुपये, 80 रुपये है फण्ड परमिट फीस, इससे ज्यादा सरकार की तरफ से कोई कुछ लिया नहीं जा रहा। उसके बावजूद भी मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि दस चक्के का ट्रक आज की तारीख में जयपुर में 15 हजार से 18 हजार रुपये में बिक रहा है। आखिर में इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? सरकार ही जिम्मेदार है।

आपने 80 लीज दी हैं। सभापति महोदय, खान विभाग के खान निदेशक ने माना है, उनका कहना है कि ये जो माइनिंग लीज होल्डर्स हैं इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वह क्या कहते हैं? रोक से पहले भराई और रायल्टी ली जा रही थी, अब लीज होल्डर्स ने टेण्डर के जरिये ठेका छुड़वाया है। इसके बदले करोड़ों रुपये जमा कराये हैं। ऐसे में जमा कराये रुपये भी बजरी के माध्यम से ही निकालेंगे। इसमें विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। वैसे आपसी समझौते के तहत रेट कम करने की कवायद चल रही है। यह जो कम करने की कवायद चलाएंगे, यह कौनसा समझौता किया? सुना था, मुख्य मंत्रीजी ने एक बार बुलाया, 100-200 रुपये कम हुए भी बताये। लेकिन, सभापति महोदय, एक ट्रक की भराई 6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, यह भराई की रेट क्या सरकार ने तय की है? मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूंगा मोटा-सा सवाल कि इतनी ज्यादा भराई लेने का कारण क्या है? बेशुमार एल एण्ड टी चल रही हैं। जो मजदूर भरता है उसका धंधा भी छिन गया। बेरोजगारी वहां पर फैल गयी। पर्यावरण को खतरा हो गया। ड्रिंकिंग वाटर की ट्यूबवैल वहां पर सूख गयीं और नदी का सारा स्वरूप बिगाड़ डाला।

(डा. किरोड़ी लाल)

इसके अलावा जो सबसे बड़ा चार्ज इसमें है वह यह है कि इस राज के आने के बाद भाव आसमान छूने लगे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति और कुछ अधिकारी मिलकर राजस्थान की जनता को लुटवा रहे हैं। इस पर नियंत्रण होना चाहिये।

मैं सरकार से मांग करूंगा, सभापति महोदय, आपके जरिये। आप रिपोर्ट मंगा लेते हैं, विधान सभा का सवाल आ जाता है, उसका जवाब आ जाता है। मैं भी बोलूंगा उसका कुछ न कुछ जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी कोई व्यवस्था दें कि राजस्थान विधान सभा के एम एल एज की एक कमेटी जाए और टोंक की नदी को देवली से, टोंक से सवाई माधोपुर तक देखे तो आपको अचम्भा होगा कि उस पावन नदी का स्वरूप कैसा कर डाला। पूरी नदी की बजरी को लूट-लूटकर ले गये।

सभापति महोदय, इसके अलावा, जो नदी का किनारा है, किनारे पर जो काश्तकार का खेत है, काश्तकार उस खेत में से बजरी नहीं निकाल सकता। बजरी का माफिया निकालकर ऊटपटांग पैसे ले सकता है लेकिन माइंस वाले, फारेस्ट वाले मिलकर उस किसान को बजरी नहीं निकालने देते। काश्तकार का अधिकार भी उन बजरी माफियाओं ने पूरी तरह से छीन लिया है। नदी को लील लिया है। राजस्थान की जनता को लूटने का प्रायोजित तरीके से एक कैम्प चल रहा है, यह मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं। इससे सरकार को बाहर आना चाहिये। अब 28 फरवरी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीयरेंस फिर दुबारा लेनी है। 90 दिन में, मैं 4 लीज आपको बता रहा हूं, मात्र 4 लीज-देवली, टोडारायसिंह, टोंक और पीपलू, जिनसे 90 दिन के लिये सरकार को मिलेंगे 35.2 करोड़ रुपये। इन चारों लीजों में 4 करोड़ रुपये रोज की कमाई हो रही है। प्रभावशाली व्यक्ति जिनका नाम मैं यहां गिनाना नहीं चाहूंगा, कहना नहीं चाहूंगा, 70-80 परसेंट ठेका एक ही आदमी को दे डाला, सभापति महोदय। आप क्यों नहीं छोटे-छोटे आदमी को देना चाहते हैं ? आप क्यों नहीं पंचायतवाइज देना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप क्यों नहीं एम्प्लायमेंट जनरेट करना चाहते हैं ?

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, अगली 20 तारीख से पहले कमेटी इस नदी को देखकर आए के हालात और

(डा. किरोडी लाल)

सदन में उसकी रिपोर्ट दी जाए, ताकि नदी तो बचे ही, राजस्थान की जनता भी लुटने से बचे। ऐसा मैं आपके जरिये मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्रीजी, ला एण्ड आर्डर की स्थिति और बिगड़ने जा रही है। कई जगह जिनको यह ठेका मिला है, ये बजरी नहीं भरते। बजरी ट्रैक्टर वाला भरता है। ट्रैक्टर वाला जैसे ही सड़क पर चढ़ता है वहां लट्ठ लेकर बैठे रहते हैं बाहुबली, जो उससे भराई का पैसा ले लेते हैं। भरता ट्रैक्टर वाला है और भराई का पैसा बजरी के माफिया लड़-झगड़कर उससे ले लेते हैं- गरीब किसान से, धंधा करने वाले गरीब से। इसलिये ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ने की भी पूरी सम्भावना है। सरकार ला एण्ड आर्डर की स्थिति का भी ध्यान रखे, लुटेरापन भी बन्द करे और बजरी माफियाओं से नदी को मुक्त करे, यह मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना। एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस सैक्शन में आप यह चर्चा कर रहे हैं उसमें एक शब्द लिखा हुआ है संक्षिप्त, कि चर्चा संक्षिप्त होनी चाहिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सभापति महोदय...

श्री सभापति: मैंने आपको तो इजाजत ही नहीं दी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, काफी कुछ अभी लालसोट से आने वाले माननीय विधायक ने बजरी के बारे में तथ्यात्मक स्थिति का ब्यौरा दिया है। मेरा जिला बीकानेर है और बीकानेर में बजरी के भाव वर्तमान में हैं 5 सौ क्यूबिक फीट जो 6 चक्के वाला ट्रक लाता है 2000-2200 रुपये और 2000-2200 के अलावा उसका भाड़ा है। कोलायत से जहां से बजरी आती है, वहां से वह भाड़ा करीब 7-8 सौ रुपये और है। कुल मिलाकर उपभोक्ता को 500 क्यूबिक मीटर की बजरी 3000 रुपये से कम में प्राप्त नहीं होती है। 10 चक्कों का जो ट्रक है जिसमें 1000 क्यूबिक मीटर बजरी आती है, उसकी कीमत 6000 से कम नहीं है। हमारे यहां कोलायत में क्ले की माइन्स बहुत हैं। क्ले का ओवरबर्डन बजरी है। जो बजरी ऊपर है उसका भी अलग-अलग लोगों को रायल्टी कलेक्शन कांट्रेक्ट दिया हुआ है। कुल मिलाकर बीकानेर जिला ऐसा जिला है जो राजस्थान के जयपुर शहर की आवश्यकताओं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की पूर्ति कर सकता है। राज्य सरकार किसी भी प्रकार से सस्ते में व्यवस्था करे तो जयपुर शहर को सस्ती बजरी बीकानेर से मिल सकती है।

सभापति महोदय, मैट्रो में भी जब बजरी की आवश्यकता हुई तो बीकानेर शहर ने ही उसकी पूर्ति की थी। मैं माननीय मंत्रीजी का जो उनका स्वयं का भाषण विधान सभा में दिया गया था, उसकी तरफ ध्यानाकर्षित करता हूं।

श्री सभापति: विराजें आप।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय चर्चा पूरी होने तक और सरकार का जवाब आने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय चर्चा पूरी होने और सरकार का जवाब आने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सरकार का जवाब आने तक के लिए बढ़ा दिया गया।

आधा घंटे की चर्चा

(तारांकित प्रश्न संख्या 18 दिनांक 27 जनवरी, 2014)

बजरी खनन लीज धारकों से समझौता विषयक तारांकित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उच्चतम न्यायालय के फैसले दीपक कुमार वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान, 27.02.2012 को जिसका निर्णय हुआ और जिसका आपने अपने भाषण में जिक्र किया है, उसके फलस्वरूप जो केन्द्रीकरण की नीति चली है और बजरी की लीज देने का आदेश हुआ है, उसके बाद आपने 1986 के माइनर मिनरल रूल्स में रूल 93 को डिलीट किया है। रूल 8 में पूरे राजस्थान में बजरी की लीज पर ठेके देने का जो नीतिगत फैसला पूर्व सरकार ने किया है और उसके कारण जो केन्द्रीकरण हुआ है, एक-एक जिले का रायल्टी कांट्रेक्ट एक या दो आदमियों के पास चला गया है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपके स्वयं कहा है कि 128 खनन पट्टों में से 99 पट्टों की नीलामी हुई और जिसकी रिजर्व प्राइस 96 करोड़ थी वह रूपया 467 करोड़ तक पहुंच गया। माननीय मंत्रीजी, लीजेज दी गयी हैं और उन्होंने उसकी कीमत 467 करोड़ रुपये दी है। उसके बावजूद आज तो आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। इस विधान सभा ने आज ही पास किया है राजस्थान माल उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और उसका नियंत्रक एक्ट, मैं निवेदन करता हूं कि उसकी धारा 5 (2)(च) के अन्दर आप तो विक्रय मूल्य तय करें कि इसका क्रय मूल्य यह होगा और विक्रय मूल्य यह होगा। जिनको काम करना है केन्द्रीकृत लीजेज में, वे करेंगे और जिनको नहीं करना है, वे अपने घर जाएं। आप तो उपभोक्ता के अनुसार जो उसकी कीमत मुफीद हो सकती है वह तय कर दे जिससे कंस्ट्रक्शन के काम में, मकान निर्माण के काम में किसी तरह की बाधा नहीं आए और सुगमता से मकान बन सकें, लोगों को आवास मिल सकें। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि केन्द्रीकरण जो खनन पट्टों में हुआ है लीजेज के द्वारा, उसको समाप्त करने का कोई न कोई प्रभावी कदम आप राज्य सरकार की ओर से उठाएं। बजरी माफिया को बड़ा सबक सिखाने का दायित्व आप पर है।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि जो विधेयक आज पास हुआ है, उसका पहला एक्सपेरिमेंट आप बजरी पर करें और बजरी माफिया को राजस्थान में सबक सिखाने का काम करें। मैं इसी निवेदन के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, इतना बड़ा घोटाला है राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इसमें मेरा भी क्वेश्चन है ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आसन पांवों पर है, विराज जाएं। (व्यवधान) आसन पावों पर है विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आसन पावों पर है, विराज जाइये। (व्यवधान) पहले आसन क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, यह सुन लीजिये आप। जिस रूल। के तहत आप यह चर्चा लेकर आये हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसने नोटिस दिया है और अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों ने नोटिस दिया है तो माननीय अध्यक्ष ने जिन दो व्यक्तियों का नाम उल्लेखित करके इस नोटिस को स्वीकार किया है, उसके अलावा सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। मंत्रीजी, आप अपना जवाब दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, एक सैकण्ड, हमारी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी, जवाब दीजिये और अगर सदन जवाब नहीं सुनना चाहता तो मंत्री का लिखा हुआ जवाब पटल पर रख दिया जाएगा। पहले मंत्रीजी का जवाब तो सुन लीजिये, हो सकता है मंत्रीजी के जवाब से आप संतुष्ट हो जाएं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन नियमों से बंधा हुआ है ...(व्यवधान) अगर अन्य कोई सदस्य बोल रहा है तो अंकित नहीं होगा। सिर्फ मंत्रीजी की ही बात अंकित होगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है फिर भी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: मंत्री महोदय, जवाब दें (व्यवधान) इसके अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान गुड्स कंट्रोल आफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एंड कामर्स बिल, 2014 का पारण हुआ है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंट्रोल करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पिछली सरकार ने बजरी माफियाओं को संरक्षण देकर ...(व्यवधान) कानून यह सरकार लायी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम क्लियर करेंगे। इसके सैक्शन 4 के अन्तर्गत और सैक्शन 5 (2) के अन्दर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बजरी का अधिकतम विक्रय मूल्य क्या होगा, यह तय करेंगे, बजरी नीति के अन्दर संशोधन करके। (व्यवधान) आम व्यक्ति को सस्ती बजरी मिले, इसका प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.58 बजे दिनांक 20 फरवरी, गुरुवार प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगंज/शाहबाद सहरिया परियोजना क्षेत्र में कराये गये विकास कार्य

71. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2013 तक सहरिया परियोजना क्षेत्र में क्या–क्या विकास के कार्य कराये गये तथा इस हेतु विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सहरिया परियोजना क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद के कौन–कौन से गांवों में सहरिया परिवारों के लिये आवासों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वच्छ संस्था द्वारा आवासों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो एक आवास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई तथा कुल कितने आवास निर्माण हुए?

(4) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उक्त निर्मित आवासों का निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो इसमें क्या–क्या अनियमितता पाई गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2009 से 2013 तक सहरिया परियोजना द्वारा विभिन्न विकास के कार्य कराये गये तथा इस हेतु विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए वर्षवार आबंटित धनराशि की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) सहरिया परियोजना क्षेत्र किशनगंज शाहबाद के जिन गांवों में सहरिया परिवारों के लिए आवासों का निर्माण कराया गया उनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) हां। यह सही है कि स्वच्छ संस्था द्वारा आवासों का निर्माण किया गया है। एक आवास हेतु राशि रु. 87,250/- आबंटित की गई तथा कुल 858 आवास निर्माण हुये हैं।

(4) जी हां। प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अतिरिक्त कलक्टर, शाहबाद एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.4.2012 को स्वच्छ परियोजना द्वारा निर्मित कराये जा रहे आवासों का अवलोकन किया गया। इनमें अनियमितता नहीं पाई गई। अतिरिक्त कलक्टर, शाहबाद के द्वारा प्रस्तुत भ्रमण का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर कार्यवाही

72. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं पेनल्टी लगाने का क्या प्रावधान है? सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में कार्यादेश जारी होने के उपरांत किन-किन सड़कों को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर किस-किस ठेकेदार पर कितनी राशि की पेनल्टी लगाई गई एवं किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संवेदकों द्वारा सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किये जाने पर अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के अनुसार कार्यवाही करने एवं पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

केन्द्र परिवर्तित योजना सी.आर.एफ. में अनुबन्ध की धारा 49.1 एवं 49.2 के अनुसार कार्यवाही करने एवं पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। सम्बन्धित प्रावधानों/ नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों में अनुबन्ध की धारा 44.1 एवं 44.2 के अनुसार कार्यवाही करने एवं पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) सीकर जिले में वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में कार्यादेश जारी होने के उपरान्त निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं होने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(3) समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर ठेकेदार पर लगाई गई पेनल्टी का विवरण परिशिष्ट-4 के कालम संख्या 12 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिये सम्बन्धित संवेदकों के विरुद्ध अनुबन्धानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। कार्यों में विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना से लाभान्वित गांव

73. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के तहत बाड़मेर जिले में क्रमश: प्रथम चरण, भाग अ व भाग ब के तहत कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है तथा उक्त परियोजना से बाड़मेर जिले के कितने राजस्व गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना के प्रथम चरण के भाग अ व भाग ब की तकनीकी स्वीकृति कब जारी हुई व कार्यादेश कब व किस कम्पनी को जारी हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार प्रथम चरण के भाग अ व भाग ब के तहत स्वीकृत कार्यों को कब तक पूरा करने का विचार रखती है?

(4) परियोजना के प्रथम चरण के भाग स में कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं इससे बाड़मेर जिले के कितने गांवों को लाभान्वित किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी कैनाल स्थित मोहनगढ़ से स्वीकृत बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के प्रथम चरण (योजना पूर्ण एवं बाड़मेर शहर लाभान्वित) एवं द्वितीय चरण के भाग-अ, ब एवं स में बाड़मेर जिले के कुल सम्मिलित 524 ग्रामों हेतु स्वीकृत की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना के प्रथम चरण में भाग-अ व ब नहीं हैं। द्वितीय चरण के भाग-अ व ब के सम्बन्ध में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है ।

(3) प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(4) परियोजना के द्वितीय चरण के भाग-स में बाड़मेर जिले के 286 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 700.00 करोड़ तथा दिनांक 23.09.2013 द्वारा तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 583.87 करोड़ की जारी की जा चुकी है।

परिशिष्ट-अ

इंदिरा गांधी कैनाल स्थित मोहनगढ़ आर.डी.-1434.75 से बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों का विवरण

(अ) प्रथम चरण (मुख्य ट्रांसमिशन लाइन एवं अन्य इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कार्य विकसित कर बाड़मेर शहर तक पानी पहुंचाने का कार्य) की योजना– संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति माह फरवरी, 2007 में राशि रुपये 688.65 करोड़।

प्रथम चरण की योजना भौतिक रूप से पूर्ण कर बाड़मेर शहर को दिनांक 30 अगस्त, 2012 से नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस योजना से वर्तमान में बाड़मेर शहर को पूर्ण रूप से तथा शिव, निमला व भाड़खा आफ-टेक से पाइप लाइन के रास्ते के 60 गांवों (शिव तहसील के 25, बाड़मेर तहसील के 29 एवं रामसर तहसील के 6 ग्राम) को विद्यमान वितरण तंत्र से जोड़ा जाकर आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(ब) द्वितीय चरण के भाग-अ (भाड़खा-चौखला-बांदरा-ईस्ट परियोजना) में सम्मिलित 171 गांवों (बाड़मेर तहसील के 40, बायतू तहसील के 128 व

पचपदरा तहसील के 3 ग्राम) हेतु योजना-प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह सितम्बर, 2011 में राशि रुपये 202.36 करोड़ की तथा दिनांक 8 नवम्बर, 2011 द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 194.75 करोड़ की जारी की गई।

भाग-अ की योजना के क्रियान्वयन हेतु माह अग्रस्त, 2012 में राशि रुपये 168.00 करोड़ का कार्यादेश मैसर्स प्रतिभा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को जारी किया जा चुका है तथा योजना को कार्यादेश तिथि के 10 दिन पश्चात् से आगामी 30 माह में (दिनांक 1 मार्च, 2015 तक) पूर्ण करना लक्षित है।

(स) द्वितीय चरण के भाग-ब (बाड़मेर-रावतसर-खारन्टिया परियोजना में सम्मिलित 67 गांवों (बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर के 50 एवं बायतू तहसील के 17 ग्राम) को कलस्टर योजना से जोड़ने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.08.2012 द्वारा राशि रुपये 125.00 करोड़ की तथा दिनांक 21.12.2012 द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 109.69 करोड़ की जारी की गई।

भाग-ब की योजना के क्रियान्वयन हेतु माह मई, 2013 में राशि रुपये 128.07 करोड़ का कार्यादेश मैसर्स प्रतिभा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को जारी किया जा चुका है तथा योजना को कार्यादेश तिथि के 10 दिन पश्चात् से आगामी 30 माह में (25 नवम्बर, 2015 तक) पूर्ण करना लक्षित है।

(द) द्वितीय चरण के भाग-स (केकडी-शिव-भाडखा-बाड़मेर परियोजना) में सम्मिलित 286 गांवों (बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर के 121, बायतू तहसील के 3, शिव के 132 एवं रामसर के 30 ग्राम) को कलस्टर योजना से जोड़ने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 तक राशि रुपये 700.00 करोड़ तथा दिनांक 23.09.2013 द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 583.87 करोड़ जारी की गई।

भाग-स की योजना के क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु आमंत्रित संशोधित निविदा की प्री-क्वालिफिकेशन बिड दिनांक 10 मार्च, 2014 को प्राप्त की जानी है। निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त सफल संवेदक को कार्यादेश दिया जाकर इस योजना को कार्यादेश तिथि के 10 दिन पश्चात् से आगामी 36 माह में पूर्ण करना लक्षित है।

सिवाना के विद्युतीकरण से वंचित गांव/ढाणियां

74. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक गांव एवं ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितनी ढाणियां, आबादी बस्तियां या गांव हैं, जिनको अभी तक बिजली से नहीं जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ढाणियां, कृषि भूमि पर निवास करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व की भांति 5 या 3 के ग्रुप में आबादियों के विद्युतीकरण करने की नीति बनाकर उक्त वंचित ढ़ाणियों व आबादियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक आबाद ग्राम एवं 300 से अधिक आबादी वाली ढाणियों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया जा रहा है।

राज्य में जयपुर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ एवं बाड़मेर जिलों के अतिरिक्त सभी जिलों में 100 व 100 से अधिक की आबादी वाली ढाणियों की पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। जिनका कार्य आगामी वर्षों में पूर्ण किया जावेगा।

100 व 100 से कम आबादी वाली राष्ट्रीय हेबिटेशन सर्वे-2003 में चयनित ढाणियों के साध्य आवेदकों को "मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना" (संशोधित) के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के सभी 171 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है एवं राष्ट्रीय हेबिटेशन सर्वे-2003 में चिन्हित 523 ढाणियों में से 367 ढाणियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं 156 ढाणियां अविद्युतीकृत हैं जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्तमान में कृषि भूमि के निवासियों को स्व-वित्त पोषित

(ऊर्जा मंत्री)

योजना में (अधिकतम पांच आवेदकों के समूह में भी) सम्पूर्ण राशि वहन करने पर, विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में छितराई हुई ढाणियों में पूर्व स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में अधिकतम 5 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त 100 व 100 से कम आबादी वाली राष्ट्रीय हेबीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चयनित ढाणियों के लिये 5-5 आवेदकों के समूह में विद्युतीकरण कर विद्युत कनेक्शन हेतु "मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित)" के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

साथ ही उक्त योजना में शिथिलता प्रदान करते हुये एक ही ढाणी में पांच आवेदकों के समूह में एक से अधिक समूहों को आपसी सहमति से सम्मिलित कर योजना का लाभ देने हेतु छूट प्रदान की गई है।

योजना को अधिकाधिक व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से यह भी प्रावधित किया गया है कि राष्ट्रीय हेवीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चिन्हित 100 व उससे कम आबादी वाली कृषि भूमि (अरूपान्तरित भूमि) में स्थित ढाणियों में स्थाई रूप से निवास करने वाले परिवारों को भी इस योजनान्तर्गत योजना के अन्य सभी मापदण्ड पूरा करने पर विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(3) वर्तमान में चालू "मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना (सशोधित)' के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय हेवीटेशन सर्वेक्षण-2003 में चिन्हित ढाणियों में 5-5 आवेदकों के ग्रुप में कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। स्व-वित्त पोषित योजना के तहत एक व एक से अधिक एवं अधिकतम 5 आवेदकों के समूह में भी सम्पूर्ण राशि वहन करने पर, विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गोवंश के संरक्षण हेतु चारे पर दिये जाने वाला अनुदान

75. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश के पालन व पोषण हेतु नौ माह के चारे पर अनुदान देने की योजना के तहत प्रतिवर्ष रुपये 350 करोड़ का बजट आबंटन करने के प्रावधान की घोषणा की गई है? यदि हां, तो

(श्रीमती सोनादेवी)

इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

जी नहीं ।

प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा पशु शिविरों में उपलब्ध पशुओं को चारे-पानी एवं पशु शिविरों के आयोजन के लिये तथा चारा डिपो के संचालन हेतु क्रय किये जाने वाले चारे के परिवहन के लिये सहायता दी जाती है।

इसके साथ-साथ वर्ष 2013-14 में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गौवंशीय पशुओं हेतु पशुपालन विभाग के माध्यम से माह अप्रैल से जून तक तीन माहों हेतु नियमानुसार अनुदान जारी किया गया है। अपंग/अपाहिज गौवंशीय पशुओं के लिये वर्ष पर्यन्त अनुदान आबंटन किया जा रहा है।

हाइवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने के मानदण्ड

76. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हाइवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सिकराय से अलवर हाइवे पर कहां-कहां कितनी-कितनी दूरी पर स्पीड ब्रेकर बने हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त हाइवे पर आवश्यकता से अधिक स्पीड ब्रेकर बनाये गये हैं? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार हाइवे पर चयनित स्थल (जहां सुरक्षा की दृष्टि से गति नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है) पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाता है। आई.आर.सी. मानक की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सिकराय से अलवर हाइवे के स्थान पर यह सिकन्दरा से अलवर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हाइवे है, जो रिडकोर द्वारा विकसित है। सिकन्दरा से अलवर हाइवे पर वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 41 गति अवरोधक बने हुये हैं। स्पीड ब्रेकरों का स्थान व चैनेज का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क मार्ग पर आवश्यकता से अधिक गति अवरोधक नहीं बनाये हैं।

कुछ स्थानों पर स्पीड ब्रेकरों का निर्माण जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार ट्रैफिक सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर आई.आर.सी. मानकों के अनुरूप किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर की पेयजल योजना

77. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गावों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब? योजना का विवरण व प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां । जवाई पाइप लाइन परियोजना (आधारभूत संरचना के कार्यों हेतु स्वीकृत) की माह अक्टूबर, 2007 में जारी संशोधित स्वीकृति में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कुल सम्मिलित 148 ग्रामों में से 103 ग्रामों को उक्त परियोजना अन्तर्गत जवाई बांध से पूर्व में लाभान्वित किया जा चुका है । इन 103 ग्रामों में से 25 ग्रामों की पेयजल प्रणाली तंत्र में आवश्यक सुधार हेतु स्वीकृत एवं प्रगतिरत योजना का कार्य माह सितम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र के उक्त परियोजना से वंचित शेष 45 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली तंत्र से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत एवं प्रगतिरत योजना का कार्य माह अगस्त, 2014 तक पूर्ण कर उक्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है ।

उक्त दो योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर में स्वीकृत जी.एस.एस.

78. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में विगत 5 वर्षों में 33 के.वी. के जी.एस.एस. कहां-कहां एवं कब-कब स्वीकृत हुए तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या-क्या है? ग्रामवार, वर्षवार, खर्च राशि वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जी.एस.एस. स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक पूर्ण हुई? प्रत्येक ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना में जैसलमेर जिले में कितनी ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया व उक्त योजना में कितने आवेदन पत्र वर्तमान में लम्बित हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जैसलमेर जिले में वर्तमान में विभिन्न उर्जा स्रोतों से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? क्या उक्त उत्पादन में से जैसलमेर जिले में आमजन के उपयोग हेतु कोई निश्चित विद्युत मात्रा तय व निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में दिसम्बर, 2008 से नवम्बर, 2013 तक स्वीकृत 33 केवी के सब स्टेशनों का ग्रामवार, वर्षवार, खर्च राशि का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित) के तहत जैसलमेर जिले में विद्युतीकृत ढाणियों का ढाणीवार, वर्षवार एवं खर्च का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। उक्त योजना के तहत लम्बित आवेदन का ढाणीवार संख्या विवरण प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(4) वर्तमान में जैसलमेर जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा रामगढ़ गैस तापीय परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता 223.5 मेगावाट, सोलर ऊर्जा परियोजनाओं से 114 मेगावाट एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं से 2181.32 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

उक्त परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का उपयोग ग्रिड के माध्यम से पूरे राज्य के आमजन के लिये विद्युत आपूर्ति की जाती है। राज्य के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उपलब्धतानुसार समान रूप से विद्युत उपलब्ध कराई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहौर के पशु औषधालयों में रिक्त पद

79. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पशु औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में एक पशु औषधालय गोदन में संचालित है।

(2) पशु औषधालय गोदन में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद का नाम	स्वीकृत पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या	रिक्त पद की दिनांक
पशु चिकित्सा सहायक	1	1	03-03-2011
पशुधन परिचर	1	1	03-03-2011

प्रश्न संख्या-80

(स्थगित)

जैतारण में जवाई पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति

81. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैतारण को जवाई पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2008 में योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां । पाली जिले के 561 ग्राम एवं 9 शहर तथा सिरोही जिले के एक शहर को जवाई बांध से पाइप लाइन द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जवाई पाइप लाइन परियोजना (आधारभूत संरचना के कार्यों हेतु) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 को राशि रुपये 634.79 करोड़ की जारी की गई।

उक्त स्वीकृत परियोजना में विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सम्मिलित 125 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली योजना से लाभान्वित करने हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30 मई, 2013 को राशि रुपये 214.50 करोड़ की जारी की गई। कार्यादेश अनुरूप (दिनांक 4.10.2013 को जारी) उक्त ग्रामों को जवाई बांध से माह अप्रैल, 2017 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

अलवर जिले में विद्युत ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

82. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में गत पांच वर्षों में विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री की चोरी की घटना बढ़ी है? यदि हां, तो उक्त जिले में पांच वर्षों में कितने विद्युत ट्रांसफार्मर/विद्युत सामग्री की चोरी हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चोरी हुए सामान का मूल्यांकन किया जाता है? यदि हां, तो अलवर जिले में उक्त अवधि में चोरी हुये सामान का मूल्य कितना था? सहायक अभियंता कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चोरी हुये सामान की सम्बन्धित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई हैं? यदि हां, तो अलवर जिले में गत पांच वर्षों में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई हैं? पुलिस थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(4) क्या सरकार उक्त चोरी को रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में गत 5 वर्षो में विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सामग्री की चोरी की घटनाएं हुई हैं। उक्त पांच वर्षो में जिला अलवर में विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सामग्री चोरी की घटनाओं का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	ट्रांसफार्मर	केबल
2009-10	510	-
2010-11	560	-
2011-12	1052	-
2012-13	1161	-
2013-14	1009	2083 मीटर
योग	**4292**	**2083 मीटर**

(2) अलवर जिले में उक्त चोरी हुए विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सामग्री चोरी का मूल्यांकन किया गया है जिसका सहायक अभियन्ता कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट - 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। अलवर जिले में चोरी हुये सामान की गत 5 वर्षों में सम्बन्धित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। पुलिस थानेवार विवरण परिशिष्ट - 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) पुलिस अधिकारियों से सतत सम्पर्क कर एफ.आई.आर. दर्ज कराने के अलावा गश्त के दौरान विशेष निगरानी के लिये भी समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। सामान्यत: विद्युत ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं के खेतों में व उनके निवास के आसपास ही स्थापित किये जाते हैं। अत: उनसे भी इस विषय में सहयोग करने के लिये अनुरोध किया जाता है।

परिशिष्ट-अ

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(अलवर वृत्त)

गत पांच वर्षों में चोरी हुए सहायक अभियन्ता कार्यालयवार ट्रांसफार्मरों एवं सामग्री का मूल्यांकन

(लाख रुपयों में)

1.	सहायक अभियन्ता (अ-द्वितीय) अलवर	1.73
2.	सहायक अभियन्ता (अ-चतुर्थ) अलवर	70.22
3.	सहायक अभियन्ता (अ-पंचम) अलवर	7.68
4.	सहायक अभियन्ता (पवस) एम.आई.ए. अलवर	87.98
5.	सहायक अभियन्ता (पवस) मालाखेड़ा	133.71
6.	सहायक अभियन्ता (पवस) रामगढ़	196.80
7.	सहायक अभियन्ता (पवस) थानागाजी	155.56
8.	सहायक अभियन्ता (पवस) गोविन्दगढ़	28.00
9.	सहायक अभियन्ता (पवस) बहरोड़	29.20
10.	सहायक अभियन्ता (पवस) मुण्डावर	238.68
11.	सहायक अभियन्ता (पवस) नीमराणा	54.59
12.	सहायक अभियन्ता (पवस) बानसूर	73.71
13.	सहायक अभियन्ता (पवस) लक्ष्मणगढ़	89.28
14.	सहायक अभियन्ता (पवस) खेडली	148.60
15.	सहायक अभियन्ता (पवस) कठूमर	40.89
16.	सहायक अभियन्ता (पवस) खैरथल	24.89
17.	सहायक अभियन्ता (पवस) किशनगढ़ बास	105.14
18.	सहायक अभियन्ता (पवस) कोटकासिम	219.33
19.	सहायक अभियन्ता (पवस) तिजारा	180.95
20.	सहायक अभियन्ता (पवस) भिवाड़ी	0.73
21.	सहायक अभियन्ता (पवस) राजगढ़	109.83
22.	सहायक अभियन्ता (पवस) रैणी	55.73
	योग	**2053.23**

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)

जयपुर डिस्काम, अलवर

परिशिष्ट-ब

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(अलवर वृत्त)

अलवर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में विद्युत सामग्री चोरी की गत पांच वर्षों में की गई एफ.आई.आर.

क्र.सं.	पुलिस थाने का नाम	पांच वर्षों में दर्ज एफ.आई.आर.
1.	शहर कोतवाली, अलवर	1
2.	पुलिस थाना, सदर, अलवर	93
3.	पुलिस थाना, अरावली विहार, अलवर	7
4.	पुलिस थाना, एम.आई.ए. अलवर	68
5.	पुलिस थाना, बहरोड़	54
6.	पुलिस थाना, बानसूर	124
7.	पुलिस थाना, हरसोरा	12
8.	पुलिस थाना, नीमराणा	8
9.	पुलिस थाना, शाहजहांपुर	168
10.	पुलिस थाना, मांढण	3
11.	पुलिस थाना, खैरथल	137
12.	पुलिस थाना, ततारपुर	20
13.	पुलिस थाना, मुण्डावर	106
14.	पुलिस थाना, लक्ष्मणगढ़	164
15.	पुलिस थाना, कठूमर	135
16.	पुलिस थाना, खेडली	200
17.	पुलिस थाना, बडौदा मेव	36
18.	पुलिस थाना, रैणी	123
19.	पुलिस थाना, किशनगढ़ बास	167
20.	पुलिस थाना, कोटकासिम	392
21.	पुलिस थाना, तिजारा	413
22.	पुलिस थाना, टपूकड़ा	210
23.	पुलिस थाना, भिवाडी	31

क्र.सं.	पुलिस थाने का नाम	पांच वर्षों में दर्ज एफ.आई.आर.
24.	पुलिस थाना, खुशखेड़ा	25
25.	पुलिस थाना, चोपानकी	2
26.	पुलिस थाना, फूलबाग, भिवाड़ी	9
27.	पुलिस थाना, राजगढ़	84
28.	पुलिस थाना, टहला	136
	कुल	**2928**

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जयपुर डिस्काम, अलवर

प्रश्न संख्या-83

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

करौली जिले में माडा योजनान्तर्गत आबंटित राशि

105. श्री घनश्याम (टोडाभीम) व **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माडा योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2010 से दिसम्बर, 2013 तक करौली जिले में किस-किस ग्राम पंचायत से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतवार आबंटित की गई तथा इस आबंटित राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम गावड़ामीणा, तहसील हिण्डौन में माडा योजनान्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी राशि विगत तीन वर्षों में व्यय की गई? एक ही गांव पर इतनी अधिक राशि किस आधार पर स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या माडा योजनान्तर्गत एक ही गांव को इतनी अधिक राशि का आबंटन किया जा सकता है? यदि हां, तो किस आधार पर एवं नहीं, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा क्षेत्र में विकास कार्यो की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन कार्यों के लिए स्वीकृत की जाती है जिनके लिए अन्य नियमित योजनाओं में राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(2) वित्तीय वर्ष 2010 से दिसम्बर 2013 तक करौली जिले में ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों की राशि की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। राशि का आबंटन ग्राम पंचायत वार नहीं किया जाता है। (परिशिष्ट अ)

(3) ग्राम गावड़ामीणा तहसील हिण्डौन में माडा योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में 18 कार्य राशि 378.31 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये हैं एवं इन पर 203.09 लाख रुपये राशि व्यय की गई। उक्त स्वीकृतियां भारत सरकार से संविधान की धारा 275(1) तथा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत प्राप्त सेक्टरवाइज आबंटन अनुसार प्राप्त राशि मे से सक्षम स्तर पर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

कार्यों का चयन एवं निर्णय किया जाकर स्वीकृतियां जारी की गईं। स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) समस्त विकास कार्यों की स्वीकृतियां भारत सरकार से संविधान की धारा 275(1) तथा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत उपलब्ध बजट अनुसार सक्षम स्तर पर कार्यों का चयन एवं निर्णय किया जाने के पश्चात् ही जारी की गई है। इसके लिए कोई कार्मिक/अधिकारी दोषी नही है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

दौसा जिले को ईसरदा बांध से पानी उपलब्ध कराने की कार्य योजना

106. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में दौसा जिले को ईसरदा बांध से पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो इसके सर्वे हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दौसा जिले को ईसरदा बांध या अन्य योजना से पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल सर्वेक्षण कार्य एवं विस्तृत फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 162.75 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 05.09.2012 को जारी की जा चुकी है।

(2) जी हां। दौसा जिले एवं मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन के रास्ते के कस्बों, ग्रामों को बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु फिजिबिलिटी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निविदा प्रपत्र तैयार करने का कार्य मैसर्स वेप्कोस लिमिटेड, गुडगांव से माह अगस्त 2014 में प्राप्त होने पर परियोजना स्वीकृत करवाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार सितम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

पाली जिले में हैण्डपम्प लगाने में अनियमितता

107. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) गत पांच वर्षों में पाली जिले में किस-किस पंचायत में कहां-कहां एवं किस-किस स्थान के लिए कितनी-कितनी राशि के हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये? स्वीकृत हैण्डपम्पों के स्थान, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों में से किस-किस स्थान पर कब-कब कितनी-कितनी राशि के हैण्डपम्प किस कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लगाये गये? हैण्डपम्प लगाने में कौन-कौन सी सामग्री कहां-कहां से किस एजेन्सी से कितनी-कितनी राशि की कब-कब खरीदी गई? लगाये गये हैण्डपम्प की वास्तविक रूप से गहराई कितनी थी एवं सरकार से कितनी गहराई का भुगतान प्राप्त किया गया? लगाये गये हैण्डपम्प की वास्तविक गहराई का सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किस आधार पर कब-कब किया गया? सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम एवं पद, सत्यापन की दिनांक आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में से कुछ हैण्डपम्प स्वीकृत स्थान के अलावा अन्यत्र लगाये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस स्थान की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई एवं सरकार द्वारा उक्त प्राप्त शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं अब क्या कार्यवाही करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण संलग्न पारिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त प्रकरण में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन के गांवों को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना

108. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र चौहटन की पेयजल से वंचित ग्राम पंचायतों के समस्त राजस्व ग्रामों को नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उनका सर्वे कर कार्य शुरु किया जाना प्रस्तावित है?

(2) क्या नर्मदा चौहटन स्वीकृत पेयजल परियोजना को गति देने के लिये चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर नर्मदा नहर कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां । पेयजल गुणवत्ता प्रभावित एवं भू-जल आधारित विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित विधान सभा क्षेत्र चौहटन के कुल 267 राजस्व ग्रामों (तहसील चौहटन के कुल 322 सम्मिलित ग्रामों सहित) में नर्मदा नहर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु तीन पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां आवश्यकतानुसार जारी की जा चुकी हैं ।

इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु आमंत्रित की गई निविदाएं माह मार्च, 2014 में खोली जानी हैं । निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त सफल संवेदकों को कार्यादेश दिया जाकर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जावेगा । परियोजनावार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जी हां। राज्यादेश दिनांक 6 सितम्बर, 2013 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चौहटन मुख्यालय पर अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत्त एवं अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड कार्यालय नवसृजित किये गये हैं। राज्यादेश दिनांक 22 जनवरी, 2014 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वृत्त, चौहटन का पदस्थापन भी किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली पंचायत समिति की क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत

109. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के उदय सागर तालाब से नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी दूरी तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति मावली की ग्राम पंचायत मागथल के तालाब से भी नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? यदि हां, तो उक्त नहर का पानी आस-पास के किन-किन गांवों तक उपयोग होता है तथा क्या इसका विस्तार किया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी कच्ची एवं जीर्णशीर्ण नहरों को दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पंचायत समिति मावली के ग्राम पंचायत बडीयार के कई वर्षों से खाली पड़े बागोलिया तालाब को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना के तहत व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयसागर बांध (तालाब) की 25 कि.मी. लम्बी बांई मुख्य नहर एवं 20 कि.मी. लम्बी दांई मुख्य नहर से उपलब्ध करवाई जा रही सिंचाई सुविधा से लाभान्वित गांवों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। मागथल तालाब के कमाण्ड क्षेत्र ग्राम घासा, रख्यावल, मानकावास, खरवडो का गुडा व नेता का गुडा की 669 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

जी नहीं। विगत वर्षो में बांध में पानी की आवक कम होने से कमाण्ड क्षेत्र की भूमि को भी आंशिक रूप से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने से कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। मागथल तालाब (घासा परियेाजना) की नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जायका मद में प्रगतिरत है तथा उदयसागर बांध की नहरों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव जायका योजना अन्तर्गत द्वितीय चरण में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है।

(जल संसाधन मंत्री)

(4) जी हां। इन्टर बेसिन जल अपर्वतन योजना की उपादेयता के अध्ययन एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार बागोलिया तालाब को भरने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर में सिंचाई हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

110. श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सिंचाई हेतु कौन-कौन सी योजनाएं गत 10 वर्षों से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र का भू-जल स्तर काफी नीचा है, जिससे कृषकों को सिंचाई हेतु भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सिंचाई हेतु विगत 10 वर्षों में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र में निर्मित बांधों के 24,274 है. सिंचित क्षेत्र में बांधों में पानी की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाता है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्थित सिंचाई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सी.सी.ए. (इन हैक्टर)	भराव क्षमता (इन एम.सी.एफ.टी.)
जल संसाधन खण्ड के अधीन			
1	सूरवाल	4847.71	917.80
2	ढील	5943.32	980.00
3	मोरेल मुख्य नहर	12964.00	0.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सी.सी.ए. (इन हैक्टर)	भराव क्षमता (इन एम.सी.एफ.टी.)
पंचायत राज को हस्तान्तरित			
1	भारजा गद्दी	20.00	6.30
2	भाडोती	38.00	7.90
3	ढेलरा सागर	51.00	21.60
4	ढण्ड सागर	73.00	6.50
5	दुर्गा सागर	38.00	7.00
6	राम सागर	299.00	72.40
	योग	**24274**	

नवलगढ़ में पेयजल हेतु कार्य योजना

111. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या कार्य कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के किस मद से कराये गये? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कुल कितने नये हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कितने हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां खराब हैं? सरकार द्वारा खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा अब उक्त क्षेत्र में पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न ग्रामों व ढाणियों में पेयजल समस्या को देखते हुए कोई वृहद् पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वर्णित अवधि में पेयजल सम्बन्धी स्वीकृत

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

एवं कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में ग्रामवार वांछित विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्णित अवधि में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 279 हैण्ड पम्प एवं 260 नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति के विरुद्ध 163 हैण्ड पम्प एवं 204 नलकूप निर्माण उपरान्त चालू किये जा चुके हैं।

(3) हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान दिनांक 1 फरवरी, 2013 से पूरे राज्य में चल रहा है जिसके अन्तर्गत समय पर खराब पाये गये हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ।

(4) विभाग द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के संलग्न परिशिष्ट-क में वर्णित पेयजल सम्बन्धी शेष रहे तथा परिशिष्ट-ग में उल्लेखित स्वीकृत कार्यों को चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित करना प्रस्तावित है ।

(5) जी हां । इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधारित चौ. कुम्भाराम लिफ्ट नहर पर आधारित तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी हेतु प्रथम चरण के प्रथम पैकेज के रूप में खेतड़ी एवं झुन्झुनूं तहसील के क्रमश: 85 एवं 173 ग्राम एवं झुन्झुनूं जिले के 5 शहरों को नहरी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु माह मई, 2013 में राशि रुपये 954.74 करोड़ की स्वीकृत योजना के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं । सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों की शेष समस्त तहसील ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र (जिसमें विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ भी सम्मिलित है) हेतु उक्त परियोजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार जारी की जाकर तदुपरान्त योजना क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटपूतली के ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना

112. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के अनेक ग्रामों में फ्लोराइडयुक्त पेयजल ही उपलब्ध है? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, कोटपूतली के फ्लोराइड प्रभावित 13 ग्रामों में से 12 ग्रामों में फ्लोराइड की निर्धारित मानक मात्रा की सीमा में वर्तमान में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित एक ग्राम भोजावास में स्थापित हैण्ड पम्पों में उपलब्ध जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से अधिक है । वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) ग्राम भोजावास हेतु स्वीकृत आर.ओ. प्लान्ट मार्च, 2014 तक स्थापित किया जाकर ग्राम में निर्धारित पेयजल गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना के पेयजल से वंचित ग्रामों हेतु कार्य योजना

113. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्तमान में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु क्या व्यवस्था है? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त परियोजनाओं से क्षेत्र के प्रत्येक गांव को वर्तमान में पेयजल उपलब्ध हो रहा है? यदि नहीं, तो पेयजल से वंचित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त वंचित गांवों की आबादी को पेयजल किस प्रकार उपलब्ध होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार वृहद् पेयजल योजनाएं संचालित होने तक उक्त गावों को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, सिवाना में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार सम्मिलित कुल 171 ग्राम विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से वर्तमान

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

में लाभान्वित हैं । ग्रामवार संचालित एवं संधारित की जा रही पेयजल योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) उपरोक्तानुसार क्षेत्र के कुल 171 ग्रामों में से 126 ग्रामों में विभिन्न जल योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । शेष शून्य से 10 लीटर जल सेवा स्तर के 45 ग्रामों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के रूप में क्रियाशील हैण्ड पम्पों एवं सार्वजनिक/निजी वर्षा जल संग्रहण टांकों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है । इन समस्त 45 ग्रामों में विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु में टैंकरों के माध्यम से परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। वांछित सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

(4) जी हां । 45 गांवों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के रूप में क्रियाशील हैण्ड पम्पों, सार्वजनिक/निजी वर्षा जल संग्रहण टांकों द्वारा एवं ग्रीष्म ऋतु में आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त भू-जल की उपलब्धता अनुसार विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार स्रोत संवर्धन सम्बन्धी कार्य चरणबद्ध रूप से समय-समय पर कराये जा रहे हैं । शून्य जल सेवा स्तर के 5 ग्रामों हेतु स्वीकृत 4 नलकूपों (2 का वेधन कार्य पूर्ण) को माह फरवरी, 2014 में चालू करना प्रस्तावित है । विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब में निहित है । पेयजल वितरण तंत्र का संवर्धन कार्य उक्त क्षेत्र हेतु स्वीकृत एवं प्रगतिरत तीन वृहद् परियोजनाओं के माध्यम से ही सम्भव होगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर में सरस बूथ संचालन के मानदण्ड

114. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा शहर में सरस डेयरी बूथ लगाने के लिए गत तीन वर्षों में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? आवेदकों की सूची मय नाम, पता व टेलीफोन नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने लोगों को बूथ आबंटित किए गए? आबंटित किए गए बूथों का पता व मय संचालक का नाम, पता व टेलीफोन नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(3) सरस बूथ के संचालन हेतु क्या-क्या नियम व शर्तें निर्धारित की हुई हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कितने बूथ ऐसे हैं जिनकी एन. ओ. सी. नगर विकास न्यास व नगर निगम से प्राप्त नहीं हुई और डेयरी ने अनुमति प्रदान कर दी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में सरस डेयरी बूथ लगाने हेतु गत तीन वर्षों में कुल 1512 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । आवेदकों की सूची मय नाम, पता इत्यादि प्रदर्श-"क" पर संलग्न है ।

(2) उक्त में से किसी को बूथ आबंटित नहीं किया गया ।

(3) सरस बूथ के संचालन हेतु नियम एवं शर्तें प्रदर्श-"ख" पर संलग्न है ।

(4) नगर निगम एवं नगर विकास न्यास से एन ओ सी प्राप्त किये बिना कोटा डेयरी द्वारा एक भी बूथ का आबंटन नहीं किया गया है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंजमण्डी उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक कृषि निदेशक कार्यालय की स्थापना

115. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि रामगंजमण्डी उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सहायक कृषि निदेशक कार्यालय को सांगोद उपखण्ड मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को पुनः स्थानान्तरित करने या नया कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् कोटा व जिला कलक्टर कोटा की अभिशंसा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(3) कृषि-1/2008 जयपुर दिनांक 30.06.2009 से सहायक निदेशक

(कृषि मंत्री)

कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कोटा मुख्यालय रामगंजमण्डी के कार्यालय को सांगोद में स्थानान्तरित किया गया है। वर्तमान में राज्य में 249 पंचायत समितियों पर कुल 69 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला कार्यालय कार्यरत है। कोटा जिले की 2 पंचायत समितियों यथा खैराबाद (रामगंजमण्डी) एवं सांगोद पंचायत समिति के लिए सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगोद (कोटा) कार्यालय कार्यरत है जिसके द्वारा कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीकी के सम्प्रेषण एवं कृषि समस्याओं का समाधान भली प्रकार से किया जा रहा है। वर्तमान में रामगंजमण्डी में सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय कार्यरत है। नवीन सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खण्डार में कृषि उपज मण्डी की सड़कों की मरम्मत

116. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कृषि उपज मण्डी की ऐसी कई सडकें हैं, जिनका सड़क निर्माण के बाद एक बार भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया? यदि हां, तो गत 10 वर्ष में ऐसी कौन-कौन सी सडकें हैं? जिनका मरम्मत कार्य नहीं हुआ? निर्माण वर्ष सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार अब अविलम्ब उक्त सडकों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कें जिनकी मरम्मत का कार्य सड़क निर्माण के बाद एक बार भी नहीं कराया गया ऐसी सड़कों का विवरण निर्माण वर्ष सहित परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सरकार के नीतिगत निर्णय वर्ष 2010 के द्वारा मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा वर्ष 2011 में मण्डी समितियों द्वारा भविष्य में मण्डी प्रांगण के बाहर नवीन सड़कों का निर्माण/सड़कों की मरम्मत नहीं कराये जाने के

(कृषि विपणन मंत्री)

आदेश भी राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये । उक्त नीतिगत निर्णयों के कारण मण्डी समितियों द्वारा सड़कों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजीव गांधी कृषक साथी योजना में निजी चिकित्सालयों के प्रमाण पत्र की मान्यता

117. श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी एवं इसके मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में किसान की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर सरकारी चिकित्सालय से इलाज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सरकार द्वारा सहायता दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार, सर्प काटने के इलाज का प्रमाण-पत्र राजकीय चिकित्सालयों के साथ-साथ निजी चिकित्सालयों का मान्य करने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब से नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि कार्य करते वक्त किसान/खेतीहर मजदूर की मृत्यु हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में देय सहायता राशि का विवरण व मानदण्ड परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त योजनान्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों की कृषि कार्य करते समय सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर राजकीय चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। विभाग के निर्णय दिनांक 27.12.2010 द्वारा सांप/जहरीले कीड़े, जानवर काटने के प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट व शव परीक्षण रिपोर्ट को आवश्यक किया गया था। इसके पश्चात ग्रामीण परिस्थितियों में कठिनाई व अव्यवहारिक होने से आदेश

(कृषि विपणन मंत्री)

दिनांक 5.5.2011 द्वारा सर्पदंश के प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट व शव परीक्षण रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है, लेकिन स्थानीय राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानानुसार सर्पदंश की घटना को प्रमाणित कराये जाने के उद्देश्य से अनिवार्य किया हुआ है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। स्थानीय राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानानुसार सर्पदंश की घटना को प्रमाणित कराये जाने के उद्देश्य से अनिवार्य किया हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र

118. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में कितने पशु चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से 2013 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने पशु चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पशु चिकित्सा सुविधा नहीं है तथा सरकार द्वारा अब कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी?

उत्तर

(1) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में 9 पशु चिकित्सालय, 1 पशु औषधालय एवं 13 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र कार्यरत हैं। सूची निम्नानुसार है:-

पशु चिकित्सालय	औषधालय	उपकेन्द्र
प.चि. विराट नगर	भीलबाडी	बड़नगर
प.चि. पावटा		बागावास अहिरान
मैड		छापड़ाखुर्द
पांचूडाला		छितोली
राजनौता		कुनेड
बाडीजोडी		नोरंगपुरा
आतेंला		प्रागपुरा

(पशुपालन मंत्री)

पशु चिकित्सालय	औषधालय	उपकेन्द्र
जयसिंहपुरा		तुलसीपुरा
पालड़ी		जवानपुरा
		जोधपुरा
		भाभरू
		भामोद
		कुहाडा

(2) विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में दि. 01.01.2004 से 31.12.2008 (वर्ष 2004-08) व दि. 01.01.2009 से 31.12.2013 (वर्ष 2009-13) मे निम्न संस्थाएं खोली गयी हैं :-

2004-08	2009-13
उपकेन्द्र छितौली	उपकेन्द्र जोधपुरा
	उपकेन्द्र पालड़ी
	उपकेन्द्र भाभरू
	उपकेन्द्र भामोद
	उपकेन्द्र कुहाड़ा

(3) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में 20 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां वर्तमान में विभागीय पशुचिकित्सा संस्था स्वीकृत नहीं है ।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

सरदारशहर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

119. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद कब से कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदार शहर की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत पदों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) नवीन पदों के सृजन, स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति से उक्त पद रिक्त हुए हैं।

जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कालाडेरा (जयपुर) में पशु आहार संयंत्र की स्थापना

120. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कालाडेरा (जयपुर) में पशु आहार संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त संयंत्र कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

(2) उक्त संयंत्र की कुल लागत कितनी आयेगी तथा इसमें प्रतिदिन कितना पशु आहार तैयार किया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) कालाडेरा में आर सी डी एफ/जयपुर दुग्ध संघ द्वारा पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाना है।

इसकी स्थापना में करीब 2 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

(2) पशु आहार संयंत्र की क्षमता 150 मै. टन प्रतिदिन होगी। इस पर 25 से 30 करोड रुपये की लागत आने का अनुमान है।

प्रदेश में बिजली की मांग व आपूर्ति में अन्तर को पूरा करने की कार्य योजना

121. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों में किस-किस संयंत्र में कितना-कितना विद्युत उत्पादन किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश में बिजली की मांग एवं आपूर्ति में कितना अन्तर रहा तथा इस अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों में उत्पादित विद्युत का संयंत्रवार (विद्युत गृहवार) विवरण प्रपत्र **'अ'** पर उपलब्ध है।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश में बिजली की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर का विवरण प्रपत्र **'ब'** पर उपलब्ध है।

दिसम्बर, 2008 से माह नवम्बर, 2013 तक उत्पादन निगम द्वारा 2030 मेगावाट, गैर पारम्परिक ऊर्जा संयंत्रों से 2518.20 मेगावाट एवं निजी क्षेत्रों से 2060 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर राज्य सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति के मांग व अन्तर को पाटने का प्रयास किया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 1860 मेगावाट की परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से 360 मेगावाट से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जा चुका है तथा शेष 1500 मेगावाट से भी माह जून, 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाना संभावित है। इनके अलावा 2800 मेगावाट की परियोजनाओं पर भी निर्माण कार्य वर्ष 2013 में शुरू किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-122

(स्थगित)

गोरंगगढ़ (भीलवाड़ा) में घरेलू विद्युत कनेक्शनों में अनियमितता

123. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री धीरज गुर्जर)

(1) क्या यह सही है कि चरागाह बिलानाम भूमि पर घरेलू विद्युत कनेक्शन पर पाबन्दी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम गोरंगगढ (भीलवाड़ा) में अधिकारियों की मिलीभगत के कारण वहां पर स्थित बिलानाम भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा बनाये गये मकानों में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके विद्युत कनेक्शन हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम गोरंगगढ़ में बिलानाम भूमि पर घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। फिर भी इस संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता (सतर्कता), भीलवाड़ा को विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेश की प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर के सहायक अभियन्ता कार्यालयों में रिक्त पद

124. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को सरकार द्वारा कब तक भर दिया जाएगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीनतम चालू किये गये 33 के.वी. जी.एस.एस. में अभी भवनों का अभाव है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय खानपुर, सरोलाकलां, बकानी, रटलाई में स्थित हैं एवं खानपुर विधान सभा का आंशिक क्षेत्र कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), झालावाड़ एवं सहायक अभियन्ता (पवस), झालरापाटन के अधीन आता है।

(2) उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदो का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है। रिक्त पदों को भरे जाने की भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीनतम चालू किये गये 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों के भवनों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**उपखण्ड का नाम**	**33/11 के.वी. सब-स्टेशन जहां भवनों का अभाव है**
1.	खानपुर	कालारेवा टिकरिया
2.	सरोलाकलां	राजपुरा एवं उपखण्ड कार्यालय
3.	बकानी	1. करल गांव 2. कुशालपुरा
4.	रटलाई	1. पंचोला 2. गुराड खेडा. एवं उपखण्ड कार्यालय
5.	झालावाड़	1. राजपुरा 2. रलायता
6.	झालरापाटन	मालीपुरा

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की विद्युत कम्पनियों द्वारा गलत वी.सी.आर. की राशि लौटाने पर पड़ने वाला आर्थिक भार

125. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को गलत वी.सी.आर.

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का पैसा लौटाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कम्पनियों में कितने काश्तकारों से सम्बन्धित प्रकरण हैं? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वी.सी.आर. का गलत पैसा लौटाने में विद्युत कम्पनियों को कितनी आर्थिक राशि चुकानी पड़ेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राज्य के किसानों से पिछले तीन वर्षों में कृषि नीति के विरुद्ध अधिक वसूली गई वी सी आर की राशि को लौटाने का निर्णय लिया गया हैं जिसके तहत विद्युत वितरण कम्पनियों की अंकेक्षण शाखाओं द्वारा वी सी आर प्रकरणों की जांच प्रक्रियाधीन है।

(2) चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियों की अंकेक्षण शाखाओं द्वारा वी सी आर प्रकरणों की जांच प्रक्रियाधीन है। अत: आर्थिक राशि का आंकलन भी प्रक्रियाधीन है। यद्यपि वी सी आर द्वारा अधिक वसूली गई राशि में से अब तक समायोजित की गई राशि का निगमवार विवरण निम्न प्रकार है:-

निगम का नाम	**उपभोक्ताओं की संख्या**	**समायोजित की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
ज.वि.वि.नि.लि.	7242	2.42
अ.वि.वि.नि.लि.	10135	6.17
जो.वि.वि.नि.लि.	1281	1.11
योग	**18658**	**9.70**

प्रदेश में किसानों की विद्युत कनेक्शनों की निरस्त पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना

126. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराने के कारण उनकी फाइलें निरस्त कर दी जाती हैं, जबकि पूर्व में 500 रुपये

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

जमा कराकर फाइल वापसी की प्रक्रिया समय-समय पर जारी की जाती थी? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उस योजना को लागू करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार जिन किसानों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करा दी गई है, उनको एक निश्चित अवधि में कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। किसानों को नियमानुसार मांग पत्र जारी होने के बाद निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने के कारण कृषि कनेक्शन हेतु आवेदित पत्रावलियां निरस्त हो जाती हैं। समय-समय पर कृषि कनेक्शन की निरस्त पत्रावलियों को रु. 500/- जमा कराकर पुनर्जीवित करने के आदेश जारी किये जाते रहे हैं। जिनकी प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। वर्तमान में निरस्त पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) सामान्यतः बूंद-बूंद/फव्वारा पद्धति में कृषि कनेक्शनों हेतु मांग पत्र जमा होने के पश्चात एवं सामान्य श्रेणी के कृषि आवेदकों को 90 दिवस में मांग पत्र की राशि जमा कराना होती है, तत्पश्चात आवेदन की तिथि की वरीयतानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन जारी किये जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-127

(स्थगित)

नाथद्वारा शहर में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का बकाया मुआवजा

128. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नाथद्वारा शहर में शगुन होटल से एन.एच. नं. 8 वाया गणेश टेकरी तक निर्मित होने वाली 120 फीट रोड का निर्माण कार्य किन कारणों से बंद है तथा इस हेतु किस-किस खातेदार की कितनी-कितनी जमीन अवाप्त की गई है और किस-किस खातेदार को कितना-कितना मुआवजा देय है? उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

(2) उक्त निर्मित होने वाली 120 फीट रोड के निर्माण में अवाप्त की गई भूमि के खातेदारों में से किन-किन को मुआवजा राशि दे दी गई है तथा किस-किस की मुआवजा राशि किन-किन कारणों से देना है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नाथद्वारा शहर में शगुन होटल से एन.एच. 8 वाया गणेश टेकरी तक निर्मित होने वाली 120 फीट रोड का निर्माण कार्य 2 भवन मालिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर वाद का फैसला न होने के कारण एवं सड़क मार्ग में आ रही वन विभाग की भूमि का प्रत्यावर्तन नहीं होने के कारण रूका हुआ है। उक्त सड़क के लिये अवाप्त की गई भूमि एवं मुआवजा राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

उक्त सड़क के कार्य हेतु वन भूमि से प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2013 को प्राप्त हो गयी है एवं संशोधित स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं संशोधित स्वीकृति के पश्चात् उक्त कार्य को 3 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त सड़क के निर्माण क्षेत्र में आ रही विभिन्न खातेदारों की अवाप्त की भूमि मुआवजा जिन खातेदारों को दे दिया गया है का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है तथा जिन खातेदारों द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की गई है, का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। खातेदारों द्वारा प्राप्त नहीं की गई राशि रुपये 34281837.00 का चैक संख्या 218656 दिनांक 21.12.2012 इस कार्यालय द्वारा माननीय जिला न्यायालय राजसमन्द में जमा करवा दिया गया है।

उक्त सड़क के कार्य हेतु वन भूमि से प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 29.11.2013 को प्राप्त हो गयी है एवं संशोधित स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं संशोधित स्वीकृति के पश्चात् उक्त कार्य को 3 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सालासर वाया लक्ष्मणगढ़-नवलगढ़ एम.डी. रोड का क्रमोन्नयन

129. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या सरकार प्रदेश में स्वीकृत एम.डी. रोड्स को स्टेट रोड्स में परिवर्तित करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार सालासर से वाया लक्ष्मणगढ़-नवलगढ़ एम. डी. रोड को स्टेट रोड में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश की 500 कि.मी. लम्बाई की एम.डी.आर. सड़कों को स्टेट हाइवे में क्रमोन्नत करने हेतु 60 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है।

(2) जी हां। सालासर से लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, गुढा, चंवरा, निजामपुर से हरियाणा सीमा तक की लम्बाई 159.00 कि.मी. है। जिसमें से एन.एच.(65) 13.00 कि.मी., एम.डी.आर.-85.500 कि.मी., ओ.डी.आर.-30.500 कि.मी. एवं ग्रामीण सड़क की लम्बाई 30.00 कि.मी. है। उक्त सड़क को राज्य राजमार्ग में क्रमोन्नत करने हेतु परीक्षण कराया जा रहा है।

नरियासर मोड़ से आदरवा सड़क का नवीनीकरण

130. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरियासर मोड से आदरवा (वाया हबसपुरा, जावली, सीतारामपुरा) सड़क का निर्माण कब किया गया तथा वर्तमान में उक्त सडक की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ाइकरण व सुदृढ़ीकरण कर नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नलियासर मोड़ से अदरवा (वाया हबसपुरा**,** जावली**,** सीतारामपुरा) सड़क का निर्माण दो चरणों में किया गया है।

(अ) नलियासर मोड़ से हबसपुरा (कि.मी. 0/0 से 10/500) का सुदृढ़ीकरण तथा जावली सीतारामपुरा से अदरवा मोड़ (कि.मी. 21/0 से 26/0) का नव निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-2009 में कराया गया था। वर्तमान में सड़क के इस हिस्से की स्थिति संतोषजनक है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(ब) हबसपुरा से जावली सीतारामपुरा के मध्य (कि.मी. 10/500 से 21/0) तक सड़क निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में हुआ था। सड़क का यह भाग ओवर लोडेड वाहनों के आवागमन एवं सांभर झील के क्षेत्र में होने के कारण अत्याधित क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। वर्तमान में इस सड़क की श्रेणी ग्रामीण सड़क है। डामर सड़क की चौड़ाई 3.75 मीटर है, इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग (कि.मी. 10/500 से 21/0) 10.50 कि.मी. लम्बाई में सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है। जिसकी अनुमानित लागत रुपये 346.50 लाख है।

इस भाग का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री महावीरजी को प्रदेश के अन्य जिलों के सड़क मार्ग से जोड़े जाने की कार्य योजना

131. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जैन समाज के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री महावीरजी को चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर वाया गंगापुर सिटी सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री महावीरजी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर वाया गंगापुर सिटी से पूर्व में ही डामर सड़कों से जुड़ा हुआ है।

प्रदेश में टोल टैक्स वसूली के मानदण्ड

132. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की सीमा में गुजरने वाले नेशनल हाइवे एवं स्टेट हाइवे व उन पर लगे टोल टैक्स बूथों पर वसूली जा रही राशि (दर) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मार्गों पर टोल टैक्स वसूली कब से शुरु की गई, कितनी

(श्री मानसिंह किनसरिया)

राशि वसूली का लक्ष्य था, अब तक कितनी राशि वसूल की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार का उक्त टोल टैक्सों पर किस प्रकार का नियंत्रण रहता है?

(4) क्या यह सही है कि टोल टैक्स वसूलने की समय सीमा निश्चित नहीं होने से कई मार्गों पर 15-15 वर्षों से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है?

(5) क्या सरकार इन टोल टैक्स वसूलने वाली कम्पनियों पर नियंत्रण करते हुए टोल टैक्स की दरों को तर्कसंगत करने व निर्धारित समय सीमा पूर्ण हो चुके टोल बूथों को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की बी.ओ.टी./पी.पी.पी. एवं टोल आधारित सड़क परियोजनाओं के प्रत्येक टोल बूथ पर वाहनों की श्रेणीवार देय टोल फीस का बोर्ड पर लिखकर उपयोगकर्ता के लिये टोल बूथ पर प्रदर्शित की जाती है। उपरोक्त टोल फीस की गणना केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फीस नोटिफिकेशन के आधार पर होती है।

राज्य सीमा में गुजरने वाले नेशनल हाइवे पर लगे टोल टैक्स बूथों पर वसूली जा रही राशि (दर) की गणना क्रमशः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सड़क विकास अधिनियम-2002 के तहत जारी टोल फीस नोटिफिकेशन के अनुसार की जाती है। उक्त टोल नोटिफिकेशन प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत हैं।

राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाइवे पर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) द्वारा एवं भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा टोल टैक्स बूथों एवं वसूली जा रही राशि (दर) का मोर्थ एवं भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त विवरण क्रमशः परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ठ-4 पर प्रस्तुत है।

राज्य सरकार से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बूथों की सूची जहां टोल टैक्स वसूली की जा रही है जो परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(2) नेशनल हाइवे पर टोल टैक्स वसूली के सम्बन्ध में भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त विवरण परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्टेट हाइवे पर टोल टैक्स वसूली शुरू करने एवं समाप्त करने की सूचना परिशिष्ट-**5** पर प्रस्तुत है। बी.ओ.टी. योजना पर आधारित परियोजना में उद्यमी द्वारा अनुबन्ध में दी गई शर्तों एवं दरों पर एक निश्चित अवधि तक टोल टैक्स वसूली की जाती है। उद्यमी द्वारा कुल वसूल किये जाने वाली राशि परियोजना सड़क के उपयोग कर रहे ट्रैफिक पर निर्भर करता है। अनुबन्ध के अनुसार टोल टैक्स वसूली राशि का कोई लक्ष्य निर्धारण न होकर टोल वसूली की अवधि का ही निर्धारण किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा उद्यमी से हुए करार के अनुरूप सड़क रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया जाता है एवं उद्यमी द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप सड़क रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है।

(4) जी नहीं। टोल टैक्स वसूली राज्य सरकार द्वारा किये गये अनुबन्ध में वित्तीय माडल के अनुरूप स्वीकृत रियायत अवधि अथवा परियोजना की लागत एवं ब्याज राशि के पुर्नभरण समय तक ही किया जाता है।

(5) जी हां। टोल टैक्स वसूली रियायत अवधि के समाप्त होने अथवा परियोजना लागत राशि के पुर्नभरण होने पर स्वत: ही समाप्त कर दी जाती है तथा उद्यमी द्वारा परियोजना सड़क को राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी जाती है। शेष राज्य सरकार की भविष्य में आने वाली नीतियों पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा के गांवों को सड़क से जोड़ने की कार्य योजना

133. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के 150 की आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को कब तक सड़क से जोड़ दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्तमान विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा के 150 की आबादी के गांवों को जोड़ना प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में इन गांवों को जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।